उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी-मार्च, 2016

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
गुड्डू **उर्फ** राघवेन्द्र अर्जुन सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	1
जम्मू-कश्मीर राज्य **बनाम** जनक सिंह और अन्य	84
टेकचन्द **बनाम** शंकर सिंह और अन्य	138
टेकचन्द **बनाम** श्री मुनीश और अन्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 138)	
त्रिलोचन सिंह **बनाम** जम्मू-कश्मीर राज्य	100
थाकोर बालाभाई विश्वभाई **बनाम** गुजरात राज्य	69
दिवाकर बेहरा **बनाम** ओडिशा राज्य	17
नस्सर और अन्य **बनाम** राजस्थान राज्य	125
बंटी **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	154
भीमा भोई **बनाम** ओडिशा राज्य	43
मुगुरी कुलुसिका **बनाम** ओडिशा राज्य	24
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** श्री शंकर सिंह और अन्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 138)	

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 24

जनवरी-मार्च, 2016 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
विनोद कुमार आर्य

महत्वपूर्ण निर्णय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 – हत्या – संदेह का फायदा – अभियुक्त के बारे में मृतक के सिर पर धारिया से हमले किए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियुक्त का नाम, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया जाना – उक्त विभेद अपराध में अभियुक्त के शामिल होने के बारे में संदेह उत्पन्न करता है अतः अभियुक्त संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

थाकोर बालाभाई विश्वभाई बनाम **गुजरात राज्य** 69

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) – (24)

पृष्ठ संख्या 1 – 172 **(2016) 1 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – जनवरी-मार्च, 2016 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 1 – 172)

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. एन. आर. बट्टू, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि,
सेवानिवृत्त अपर विधि सलाहकार,
विधि मंत्रालय

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल, विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री जुगल किशोर,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

डा. अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान भवन

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

श्री विनोद कुमार आर्य,
संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री अविनाश शुक्ला, असलम खान, पुण्डरीक शर्मा और जगमाल सिंह

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2016 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33)

– धारा 3(2)(v) [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(च)] – किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध इस आधार पर कारित किया जाना कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है – यदि अभियोजन इस अत्यावश्यक अपेक्षा को साबित कर पाने में विफल रहा है तो धारा 3(2)(v) लागू नहीं होती और दंड संहिता की धारा 376(2)(च) में उपबंधित दंडादेश स्वयमेव आजीवन कारावास में परिवर्तित नहीं हो सकता ।

गुड्डू उर्फ **राघवेन्द्र अर्जुन सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 1

– धारा 3(2)(v) [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(च)] – किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध इस आधार पर कारित किया जाना कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है – धारा 3(2)(v) में कोई सारभूत अपराध परिभाषित नहीं है किन्तु यह धारा मात्र दंड के विस्तारण के लिए उपबंध करती है – यदि अपराध इस धारा में विनिर्दिष्ट दशाओं में कारित किया गया हो तो अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए धारा 3(2)(v) के अधीन विस्तारित दंड द्वारा दंडित किया जाएगा ।

गुड्डू उर्फ **राघवेन्द्र अर्जुन सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 1

जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, 1989 (संवत् 1932 ईस्वी)

– हत्या – यदि शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह साबित है कि

पृष्ठ संख्या

मृत्यु का कारण कई क्षतियां कारित किया जाना और उन क्षतियों से रक्तस्राव और आघात से मृतक की मृत्यु होना साबित है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

त्रिलोचन सिंह बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 100

– धारा 302, 307, 325, 323 के साथ पठित धारा 147, 149 और 109 – हत्या – विधिविरुद्ध जमाव – क्षतियां पहुंचाना – विधि में ऐसा कोई सिद्धांत ज्ञात नहीं है कि जब अभियोजन के एक भाग को साबित नहीं किया जाता तो संपूर्ण मामले में अन्य भाग का अवलंब नहीं लिया जा सकता तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन सत्य पाया जाता है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

त्रिलोचन सिंह बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 100

– धारा 307, 395, 326/324, 148/149, 341/323 – हत्या का प्रयत्न तथा आहत व्यक्तियों को क्षतियां पहुंचाना – जहां मामले में अभियुक्त-अपीलार्थियों की घटनास्थल पर अंधेरा होने के कारण पहचान नहीं की गई तथा अभियुक्त के नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं वहां पर अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना उचित है ।

जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम **जनक सिंह और अन्य** 84

– धारा 307, 395, 326/324, 148/149, 341/323 [सपठित भारतीय आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 4/25] – हत्या का प्रयत्न – हत्या के प्रयत्न के लिए आयुध खुखरी का इस्तेमाल किया जाना तथा आहत व्यक्तियों को क्षति पहुंचाना – यदि स्वतंत्र साक्षियों को घटना की जानकारी नहीं है और वे पक्षद्रोही हो गए हैं तथा पुलिस द्वारा साक्षी

पृष्ठ संख्या

के समक्ष शनाख्त परेड नहीं कराई गई और शनाख्त परेड का कोई अभिलेख नहीं रखा गया तो अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम **जनक सिंह और अन्य** 84

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 172, 173 – आरोप पत्र – न्यायालय उन धाराओं से मार्गदर्शन लेने के लिए बाध्य नहीं होता जिनका उल्लेख पुलिस द्वारा आरोप पत्र में किया गया है – न्यायालय से यह अपेक्षित होता है कि वे न्यायिक विवेक का प्रयोग करें – आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत की गई समस्त सामग्री का विश्लेषण करें और देखें कि क्या अपराध बनता है और तद्नुसार आरोप विरचित करें – वे मामले की परिस्थितियों पर समग्रता के आधार पर अनुमान निकालें, अलग-थलग पड़ी हुई किसी चूक के आधार पर नहीं ।

गुड्डू उर्फ **राघवेन्द्र अर्जुन सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 1

– धारा 386 और 374 – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – अभियोजन नहीं चलाए जाने के कारण अपील खारिज किया जाना – अनुचित – अपील पर पक्षकार द्वारा नियुक्त किए गए काउंसेल को सुनने के पश्चात् उसका गुणागुण पर विनिश्चय किया जाना चाहिए – यदि काउंसेल हाजिर नहीं होता तो पक्षकार को विधिक सहायक उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

दिवाकर बेहरा बनाम **ओडिशा राज्य** 17

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 147, 148, 452, 323 और 324 – विधि-विरुद्ध जमाव – बलवा – सामान्य उद्देश्य – अभिलेख के अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य के परिशीलन से युक्तियुक्त

पृष्ठ संख्या

संदेह से परे यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने विधिविरुद्ध जमाव गठित किया, अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक हथियारों से लैस होकर बलवा कारित किया, उपहति कारित करने के आशय से गृह भेदन किया और परिवादी पक्ष को आपराधिकतः अभित्रास किया, अतः निचले न्यायालयों के निर्णय विपरीत, गलत और विधिविरुद्ध न होने के कारण अभियुक्तों का उन्मुक्त किया जाना उचित और सही है ।

टेकचन्द बनाम **शंकर सिंह और अन्य** 138

– धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – हेतु – न्यायिकेतर संस्वीकृति में हत्या करने का तथाकथित यह कारण कि अभियुक्त के बार-बार चेतावनी के बावजूद मृतका शीघ्रता से नहीं चली, उपयुक्त प्रतीत नहीं होता – अभियुक्त और मृतका के चार पुत्र और एक पुत्री है – अभियुक्त और मृतका के बीच मतभेद का कोई साक्ष्य नहीं है, अतः अपराध कारित किए जाने का कोई हेतु सिद्ध न किए जाने के कारण अभियुक्त को हत्या के आरोप से दोषमुक्त किया जाना उचित है ।

मुगुरी कुलुसिका बनाम **ओडिशा राज्य** 24

– धारा 300 – हत्या – संदेह का फायदा – अभियुक्त के बारे में मृतक के सिर पर धारिया से हमले किए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियुक्त का नाम, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया जाना – उक्त विभेद अपराध में अभियुक्त के शामिल होने के बारे में संदेह उत्पन्न करता है अतः अभियुक्त संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

थाकोर बालाभाई विश्वभाई बनाम **गुजरात राज्य** 69

– धारा 300 – हत्या – संदेह का फायदा – अभियुक्त

पृष्ठ संख्या

के बारे में दरांत से लैस होने का अभिकथन किया जाना – जहां साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा कौन सी क्षति कारित की गई वहां पर अभियुक्त संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

थाकोर बालाभाई विश्वभाई बनाम **गुजरात राज्य** 69

– धारा 300, 304 का प्रथम भाग – हत्या या आपराधिक मानव वध – अभियुक्त के बारे में अन्य अभियुक्तों के साथ विधिविरुद्ध जमाव गठित करके मृतक पर हमला किए जाने का अभिकथन किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा यह कथन किया जाना कि अभियुक्त ने पाइप से मृतक के पैर पर क्षति कारित की, परिणामस्वरूप मृतक जमीन पर गिर गया – यदि चिकित्सा साक्ष्य में यह प्रकट है कि मृतक की मृत्यु एकमात्र सिर की चोट के कारण हुई न कि अभियुक्त द्वारा कारित की गई घातक क्षति के कारण अभियुक्त दंड संहिता की धारा 304 के प्रथम भाग के अधीन अपराध का दोषी है न कि धारा 300 के अन्तर्गत ।

थाकोर बालाभाई विश्वभाई बनाम **गुजरात राज्य** 69

– धारा 323, 324, 300 – हत्या – या गंभीर क्षति – अभियुक्त के बारे में अन्य अभियुक्तों के साथ विधिविरुद्ध जमाव का गठन करके मृतक पर हमला किए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियुक्त के बारे में बाएं हाथ की कोहनी पर लोहे की पाइप से प्रहार किए जाने का अभिकथन किया जाना और सह-अभियुक्त के बारे में शिकायतकर्ता/क्षतिग्रस्त व्यक्ति के बाईं ओर कंधे और बाएं पैर पर लकड़ी की छड़ से हमला किया जाना, यद्यपि क्षतियां गंभीर प्रकृति की हैं, उन्हें घातक साबित नहीं किया गया है अतः अभियुक्त दंड संहिता की धारा 323, 324 के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाएगा न कि दंड संहिता की धारा 300 के अधीन ।

थाकोर बालाभाई विश्वभाई बनाम **गुजरात राज्य** 69

पृष्ठ संख्या

– धारा 375 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118] – बलात्संग – लैंगिक आक्रमण से संबंधित अपराधों के मामलों में आहत ही मुख्य साक्षी और मामले के तथ्यों का सर्वोत्तम साक्षी होता है – लैंगिक अपराध के आहत का परिसाक्ष्य विधि के अधीन सदैव क्षतिग्रस्त के परिसाक्ष्य के समान माना जाता है और यदि साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है तो ऐसे साक्षी के परिसाक्ष्य पर विश्वास किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं होती और न्यायालय तद्नुसार अनुमान लगा सकता है ।

गुड्डू उर्फ **राघवेन्द्र अर्जुन सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 1

– धारा 375(6) – बलात्संग – सहमति – यदि पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम है और अभियुक्त द्वारा पीड़िता की सहमति विवाह का झूठा आश्वासन देकर ली गई है तो विधि की दृष्टि में सहमति नहीं मानी जाएगी और अभियुक्त धारा 375(6) के अर्थ में बलात्संग का दोषी माना जाएगा ।

भीमा भोई बनाम **ओडिशा राज्य** 43

– धारा 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग – पीड़िता की आयु – पीड़िता द्वारा अभिकथित घटना के समय पर अपनी आयु 15 वर्ष होने का कथन किया जाना व पीड़िता का देहाती क्षेत्र और गरीब परिवार से संबंधित होना – पीड़िता के पास आयु के सबूत के संबंध में विद्यालय प्रमाणपत्र न होना – यदि डाक्टर द्वारा पीड़िता की अस्थि परीक्षा करने पर उसकी आयु 18 से 19 वर्ष के बीच बताई गई है और उस डाक्टर की न्यायालय में परीक्षा नहीं की गई तो पीड़िता द्वारा बताई गई आयु को चुनौती नहीं दी जा सकती ।

भीमा भोई बनाम **ओडिशा राज्य** 43

– धारा 376 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की

पृष्ठ संख्या

धारा 154] – बलात्संग – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब – अभियुक्त द्वारा पीड़िता को विवाह का आश्वासन देकर उसके साथ कई अवसरों पर बलात्संग किया जाना – पीड़िता द्वारा विवाह के आश्वासन के कारण प्रेम प्रसंग की बातों को प्रकट न किया जाना – पीड़िता द्वारा गर्भधारण करने के पश्चात् उस बारे में अपने कुटुंब के सदस्यों को बताया जाना – अभियुक्त द्वारा गांववासियों द्वारा बुलाई गई बैठक में पीड़िता से विवाह करने से इनकार किया जाना – यदि अभियोजन पक्ष ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने का समाधानप्रद स्पष्टीकरण दिया है तो ऐसा विलंब अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है ।

भीमा भोई बनाम **ओडिशा राज्य** 43

– धारा 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 112] – बलात्संग – डी. एन. ए. परीक्षा – मामले में बच्चे के पैतृत्व के बारे में कोई मुद्दा नहीं है बल्कि मुद्दा यह है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता से बलात्संग किया गया था या नहीं, अतः न्यायालय द्वारा डी. एन. ए. परीक्षा के लिए निदेश नहीं दिया जा सकता है ।

भीमा भोई बनाम **ओडिशा राज्य** 43

– धारा 458, 395, 342 और 120ख – डकैती – आपराधिक षड्यंत्र – शनाख्त परेड – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साक्षियों के साक्ष्य और शनाख्त परेड में अभियुक्त की पहचान से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति था जिसने अपराध किया वहां अभियोजन द्वारा अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न करने के कारण अभियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है ।

बंटी बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 154

पृष्ठ संख्या

राजस्थान कतिपय पशु संरक्षण अधिनियम, 1950

– धारा 2 – गाय की हत्या किया जाना – हत्या में शामिल अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जाना – साशयपूर्वक गाय की हत्या करके सबूत मिटाने हेतु उसकी चमड़ी कुएं में डाला जाना – साक्षियों की परीक्षा किया जाना – यदि गाय की हत्या करने में अभियुक्तों की भूमिका पाई जाती तो अभियुक्तों की दोषसिद्धि उचित है ।

नस्सर और अन्य बनाम **राजस्थान राज्य** 125

गुड्डू उर्फ राघवेन्द्र अर्जुन सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 23 जुलाई, 2015

न्यायमूर्ति सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर और न्यायमूर्ति राघवेन्द्र कुमार

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) – धारा 3(2)(v) [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(च)] – किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध इस आधार पर कारित किया जाना कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है – यदि अभियोजन इस अत्यावश्यक अपेक्षा को साबित कर पाने में विफल रहा है तो धारा 3(2)(v) लागू नहीं होती और दंड संहिता की धारा 376(2)(च) में उपबंधित दंडादेश स्वयमेव आजीवन कारावास में परिवर्तित नहीं हो सकता ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 – धारा 3(2)(v) [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(च)] – किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध इस आधार पर कारित किया जाना कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है – धारा 3(2)(v) में कोई सारभूत अपराध परिभाषित नहीं है किन्तु यह धारा मात्र दंड के विस्तारण के लिए उपबंध करती है – यदि अपराध इस धारा में विनिर्दिष्ट दशाओं में कारित किया गया हो तो अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए धारा 3(2)(v) के अधीन विस्तारित दंड द्वारा दंडित किया जाएगा ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 172, 173 – आरोप पत्र – न्यायालय उन धाराओं से मार्गदर्शन लेने के लिए बाध्य नहीं होता जिनका उल्लेख पुलिस द्वारा आरोप पत्र में किया गया है – न्यायालय से यह अपेक्षित होता है कि वे न्यायिक विवेक का प्रयोग करें – आरोप

पत्र के साथ प्रस्तुत की गई समस्त सामग्री का विश्लेषण करें और देखें कि क्या अपराध बनता है और तद्नुसार आरोप विरचित करें – वे मामले की परिस्थितियों पर समग्रता के आधार पर अनुमान निकालें, अलग-थलग पड़ी हुई किसी चूक के आधार पर नहीं ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 375 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118] – बलात्संग – लैंगिक आक्रमण से संबंधित अपराधों के मामलों में आहत ही मुख्य साक्षी और मामले के तथ्यों का सर्वोत्तम साक्षी होता है – लैंगिक अपराध के आहत का परिसाक्ष्य विधि के अधीन सदैव क्षतिग्रस्त के परिसाक्ष्य के समान माना जाता है और यदि साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है तो ऐसे साक्षी के परिसाक्ष्य पर विश्वास किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं होती और न्यायालय तद्नुसार अनुमान लगा सकता है ।

संक्षेप में, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियोक्त्री/आहत अलका देवी ने तारीख 31 मार्च, 2008 को सायंकाल 4.30 बजे एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उस अपराध के घटित होने की बाबत रजिस्ट्रीकृत कराई जो उसी दिन दोपहर 11.00 बजे घटित हुई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के तथ्य ये हैं कि अभियोक्त्री/आहत कक्षा 10 की छात्रा थी जो तारीख 31 मार्च, 2008 को दोपहर लगभग 11.00 बजे कक्षा 10 की परीक्षा के उपरांत अपने गांव वापस आ रही थी, किंतु जैसे ही वह ग्राम में प्रविष्ट हुई, अपीलार्थी-अभियुक्त ने उसका मुंह बलपूर्वक दबा लिया और अपने कमरे में घसीट लिया और उसके साथ बलपूर्वक बलात्संग कारित किया । तत्पश्चात् उसने अभियोक्त्री/आहत को अवैध आयुध दिखाकर धमकी दी कि यदि उसने कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत कराई तो वह उसके घर में आग लगा देगा । अभियोक्त्री/आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । अन्वेषण समाप्त होने के उपरांत अन्वेषण अधिकारी ने आरोप पत्र फाइल कर दिया । विचारण न्यायाधीश ने विधि अनुसार अनुध्यात प्रक्रिया का अनुपालन करके अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376, 323, 504, 506(2) और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन कारित अपराधों के बाबत आरोप पत्र फाइल कर दिया । कानपुर नगर (रमाबाई नगर) के अपर सेशन न्यायाधीश द्रुत गति न्यायालय संख्या 2, कानपुर नगर द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2010 को पारित निर्णय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धाराओं

376, 323, 504, 506(2) और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-अभियुक्त ने यह अपील फाइल की । अपील आंशिक रूप से मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह विधि की सुस्थापित प्रतिपादना है कि न्यायालय सक्षम है और उससे अपेक्षित होता है कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत की गई समस्त सामग्री पर आरोप विरचित करने से पहले विचार करे । न्यायालय उन धाराओं से मार्गदर्शित होने के लिए बाध्य नहीं होता जिनका उल्लेख पुलिस द्वारा आरोप पत्र में किया गया है । न्यायालयों से अपेक्षित होता है कि वे न्यायिक विवेक का प्रयोग करें और उनसे यह भी प्रत्याशित होता है कि वे उनके समक्ष आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत की गई समस्त सामग्री का विश्लेषण करें और देखें कि क्या अपराध बनता है और तद्नुसार आरोप विरचित करें । विधि की यह सुस्थापित प्रतिपादना है कि आहत को लैंगिक आक्रमण से संबंधित अपराधों के मामलों में मुख्य साक्षी माना जाता है और वही मामले के तथ्यों का सर्वोत्तम साक्षी होता है । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य को विधि के अधीन सदैव क्षतिग्रस्त के परिसाक्ष्य के समान माना जाता है और यदि साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है, तो इस बाबत न्यायालय के समक्ष ऐसे साक्षी के परिसाक्ष्य पर विश्वास किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं होती और न्यायालय तद्नुसार अनुमान लगा सकता है । विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि न्यायालयों से प्रत्याशा की जाती है कि वे मामले की परिस्थितियों पर समग्रता के आधार पर अनुमान निकाले, अलग-थलग पड़ी हुई किसी चूक के आधार पर नहीं । यह सत्य है कि यदि स्मेगा परीक्षण समय के अन्दर किया जाता है तो इसको समुचित परिस्थितियों में विचारित किया जा सकता है और इसका अवलंब लिया जा सकता है । धारा 3(2)(v) के लागू होने के लिए यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध इस आधार पर कारित किया गया हो कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है । प्रस्तुत मामले में इस अपेक्षा को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि वह बलात्संग आहत के साथ इस कारणवश कारित किया गया था कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है । इस बाबत साक्ष्य की अनुपलब्धता के

कारण धारा 3(2)(v) लागू नहीं होती । यदि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) लागू होती तो विधि के क्रियान्वयनवश दंडादेश आजीवन कारावास और जुर्माने का होता । चूंकि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) लागू नहीं होती, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) में उपबंधित दंडादेश स्वयमेव आजीवन कारावास में परिवर्तित नहीं हो सकता । (पैरा 13, 15, 17 और 23)

आरंभिकतः, हम यह मत व्यक्त करते हैं कि इस बात को साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर धारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अधीन कारित किए गए अपराध को साबित किया जा सके । मात्र इस तथ्य के आधार पर कि आहत अनुसूचित जाति से संबंधित थी, इस अधिनियम के उपबंध आकर्षित नहीं होते । इस तथ्य के अलावा कि अभियोक्त्री पारधी समुदाय से संबंधित है, उक्त अधिनियमिति के अधीन किसी अपराध को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । उच्च न्यायालय ने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन आरोप के समर्थन में किसी साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया है और शायद मात्र इस आधार पर दंडादेश को मान्य ठहराया कि अभियोक्त्री अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है । इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अपास्त होनी चाहिए और की जाती है । विधि की उपरोक्त प्रतिपादना के परिशीलन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि अपराध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय के सदस्य का होने के कारण उसकी स्थिति को नीचा दिखाने के आशय से कारित किया गया हो । ऐसे साक्ष्य की अनुपस्थिति में हमारी सुविचारित राय है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन अपराध नहीं बनता । (पैरा 24 और 25)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2007]	(2007) 2 एस. सी. सी. 170 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 155 : **रामदास और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	24
[2006]	ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1267 : **दिनेश** उर्फ **बुध** बनाम **राजस्थान राज्य** ।	23

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 5725.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री एस. एम. ए. आबदी, मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी, पी. के सिंह और संतोष कुमार निगम

प्रत्यर्थी की ओर से श्री श्याम सिंह यादव अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राघवेन्द्र कुमार ने दिया ।

न्या. कुमार – हमने अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया ।

2. यह अपील जिला कानपुर नगर के थाना घाटमपुर में 2008 के अपराध सं. 136 के रूप में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376, 323, 504, 506(2) और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन, 2008 के विशेष विचारण सं. 123 में कानपुर नगर (रमाबाई नगर) के अपर सेशन न्यायाधीश/द्रुत गति न्यायालय सं. 2 कानपुर नगर द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2010 को पारित निर्णय, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376, 323, 504, 506(2) और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया और उसे भारतीय दंड सहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए 10

वर्ष के कठोर कारावास के दंडादेश भोगने और पांच हजार रुपए का जुर्माना चूक व्यतिक्रम के साथ संदाय करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने और एक हजार रुपए का जुर्माना चूक व्यतिक्रम के साथ संदाय करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अधीन अपराध के लिए छह माह का साधारण कारावास भोगने और पांच सौ रुपए का जुर्माना चूक व्यतिक्रम के साथ संदाय करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 506(2) के अधीन अपराध के लिए दो वर्ष का साधारण कारावास भोगने और पंद्रह सौ रुपए का जुर्माना चूक व्यतिक्रम के साथ संदाय करने और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भोगने और पांच हजार रुपए का जुर्माना चूक व्यतिक्रम के साथ संदाय करने के द्वारा दंडादिष्ट किया गया था, के विरुद्ध अभियुक्त गुड्डू **उर्फ** राघवेन्द्र की ओर से संस्थित कराई गई है ।

3. अभियोजन के वृत्तांत के अनुसार मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 31 मार्च, 2008 को सायंकाल 4.30 बजे घटित के संबंध में रजिस्ट्रीकृत कराई गई थी जो तारीख 31 मार्च, 2008 को दोपहर 11.00 बजे घटित हुई थी । घटनास्थल से पुलिस स्टेशन के मध्य की दूरी 13 किलोमीटर दर्शाई गई है ।

4. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के परिशीलन से प्रकट होता है कि अभियोक्त्री, जो कक्षा 10 की छात्रा थी, तारीख 31 मार्च, 2008 को दोपहर लगभग 11.00 बजे कक्षा 10 की परीक्षा के उपरांत अपने गांव वापस आ रही थी । जैसे ही वह ग्राम में प्रविष्ट हुई, गुड्डू **उर्फ** राघवेन्द्र नामक व्यक्ति ने उसका मुंह दबाकर अपने कमरे में घसीट लिया और उसके विरुद्ध बलपूर्वक बलात्संग किया । तत्पश्चात्, उसने अवैध आयुध का डर दिखाकर अभियोक्त्री को धमकी दी कि वह कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत न कराए अन्यथा उसके घर में आग लगा दी जाएगी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् विधि अनुसार अन्वेषण आरंभ हुआ । अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया । साक्षियों के कथन अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए । अन्वेषण के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी द्वारा आरोप पत्र फाइल कर दिया गया ।

5. विचारण न्यायाधीश ने विधि के अधीन अनुध्यात प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं

376, 323, 504, 506(2) और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन अपराध कारित किए जाने के संबंध में आरोप विरचित किए ।

6. अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ अलका देवी (अभि. सा. 1) का परीक्षण कराया । उसने तहरीरी (लिखित रिपोर्ट) प्रदर्श क-1 के निष्पादन को साबित किया । वह मुख्य साक्षी है और अपराध की आहत है । अभि. सा. 2 गुड्डी देवी पत्नी भूरा प्रसाद आहत की माता है और मामले के तथ्यों की साक्षी भी है । अभि. सा. 3 संत राम अभिग्रहण ज्ञापन का साक्षी है और उसने सलवार (प्रदर्श 1), कुर्ता (प्रदर्श 2), दुपट्टा (प्रदर्श 3), कच्छा (प्रदर्श 4), जिसको उप निरीक्षक द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था की बरामदगी को साबित किया और अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श क-2 के निष्पादन को साबित किया । उसका परिसाक्ष्य प्रदर्श क-2 के निष्पादन तक सीमित है । कांस्टेबल अशोक कुमार अभि. सा. 4 ने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-3 और रोजनामचा प्रविष्टि के निष्पादन को साबित किया । डा. ज्योत्सना कुमारी अभि. सा. 5 ने अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण किया और अभियोक्त्री के बाह्य परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की "क्षति का कोई दर्शनीय चिह्न नहीं पाया गया । वक्ष विकसित हैं, जंघा और उसके निकट के बाल मौजूद हैं । उदर पर कोई भी क्षति का निशान नहीं पाया गया । चिकित्सक द्वारा किए गए आंतरिक परीक्षण के आधार पर यह उल्लेख किया गया है कि योनिच्छद लंबाई में विदीर्ण हुआ था, किनारे लाल और संकुचित थे । फटे हुए भाग से हल्का रक्त स्राव हो रहा था । योनि में दो उंगलियां दर्द के साथ प्रविष्ट हो रहीं थीं । उसने चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-5, पैथोलॉजी रिपोर्ट प्रदर्श क-6, शुक्राणु अनुपस्थिति रिपोर्ट प्रदर्श क-7, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-8 को साबित किया और साथ ही अनुपूरक चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-9 को भी साबित किया और आगे मत व्यक्त किया कि योनि के भीतर क्षति लिंग द्वारा कारित हुई होगी । निजी भाग के भीतर क्षतियां ताजी थीं । अभि. सा. 6 विजय कुमार पश्चात्वर्ती अन्वेषण अधिकारी है जिसने आरोप पत्र प्रदर्श क-10 के निष्पादन को साबित किया है । नीलकमल अभि. सा. 7 ने प्रदर्श क-11 (कच्छी का बरामदगी ज्ञापन) जिसको पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिया गया, के निष्पादन को साबित किया है । वह औपचारिक साक्षी है और तथ्य का साक्षी नहीं है । अभि. सा. 8 लल्लन राय अन्वेषण अधिकारी है जिसने

अन्वेषण संचालित किया था, आहत के कपड़ों का कब्जा लिया था, अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, घटनास्थल का निरीक्षण किया था, स्थल मानचित्र प्रदर्श क-12 तैयार किया था और अभियुक्त की गिरफ्तारी के दस्तावेज प्रदर्श क-13 को साबित किया है ।

7. अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया कि वह निर्दोष है और उसको मामले में असत्य रूप में फंसाया गया है । लड़की सहमत पक्ष थी जैसाकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने अभियुक्त द्वारा अपने घर के भीतर घसीटे जाने के बावजूद कोई शोर नहीं मचाया था । चिकित्सक द्वारा अभियोक्त्री के शरीर पर क्षति के किसी दर्शनीय चिह्न का उल्लेख नहीं किया गया है । अभियुक्त ने घटना के पश्चात् फरार होने का प्रयास नहीं किया और अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया । अभियुक्त को चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य नहीं पाया गया था । उसने अपने दलील के समर्थन में प्रतिरक्षा साक्षी 1 मिट्ठू लाल और प्रतिरक्षा साक्षी त्रिभुवन गिरी के कथनों का अवलंब लिया ।

8. विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त ने ही अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कारित किया और अभियोक्त्री को अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य होने के कारण अपमानित किया । अभियुक्त को असत्य रूप से नहीं फंसाया गया । चिकित्सीय साक्ष्य भी बलात्संग के तथ्य का समर्थन करती है । शरीर के बाह्य भागों पर क्षति के किसी दर्शनीय चिह्न की मात्र अनुपलब्धता के कारण अभियोजन के वृत्तांत से इनकार नहीं किया जा सकता ।

9. मामले, की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 31 मार्च, 2008 को सायंकाल 4.30 बजे, जो उसी दिन प्रातःकाल 11.00 बजे घटित हुआ था, पुलिस थाना में दर्ज कराई गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पांच घंटे से अधिक विलंबित थी । घटनास्थल से पुलिस थाना की दूरी 13 किलोमीटर दर्शित की गई है ।

10. लैंगिक आक्रमण से संबंधित अपराध अत्यधिक जघन्य अपराध माने जाते हैं । ये अपराध आहत के परिवार की सामाजिक हैसियत और प्रतिष्ठा पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं और साथ ही आहत के गौरव, ख्याति और प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं । लैंगिक आक्रमण के उत्पीड़न की स्थिति में आहत के जान-पहचान के लोगों के मध्य उसकी ख्याति और मनोवैज्ञानिक धारणा सदैव खतरे में होती है । ऐसी घटना के पश्चात्

सामान्यतया परिवार के सदस्यों द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बारे में परिपक्व निर्णय लिया जाता है । कभी-कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक रुकावटों के कारण इस प्रकार के अपराधों की सूचना पुलिस तक नहीं पहुंचती । पुलिस स्टेशन से घटनास्थल की दूरी 13 किलोमीटर है । प्रदर्श क-1, जो टंकित रिपोर्ट है, को आरंभिकतः टाइप किए जाने के पश्चात् पुलिस थाना में दर्ज कराया गया था । इन सभी कारणोंवश पर्याप्त समय लग गया । जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित है, 13 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने में भी पर्याप्त समय लगा ।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सुविचारित राय है कि विलंब असामान्य विलंब नहीं है और इससे न तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रमाणिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और न ही वह अभियोजन के लिए घातक होगा ।

12. अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल पर इस बात पर अत्यधिक जोर दिया गया है कि लड़की अपराध में सहमत भागीदार थी । इस बाबत अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियों और साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात् ही अनुमान लगाया जा सकता है । साक्ष्य में यह तथ्य लाया गया है कि अभियोक्त्री परीक्षा के पश्चात् आ रही थी और जैसे ही उसने ग्राम में प्रवेश किया उसको अभियुक्त द्वारा घर में घसीट लिया गया और तत्पश्चात् उसके साथ बलात्संग कारित किया गया । अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य क्षतिग्रस्त साक्षी के परिसाक्ष्य के समान होता है । बिना तर्कपूर्ण कारणों के अभियोक्त्री के साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई न्यायौचित्य नहीं है । लड़की का मुंह दबाने के पश्चात् उसको घर के भीतर बलपूर्वक घसीटा जाना उसके ऊपर भयाक्रांत प्रभाव डालता है और इसके अतिरिक्त इस तथ्य का अनदेखा नहीं किया जा सकता कि लड़की अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है । वह शोर मचाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी या इस संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता कि लड़की ने छटपटा कर स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया होगा । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आहत सहमत पक्ष थी ।

13. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 504, 506(2) और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3(1)(12) के अधीन फाइल किया गया था जबकि आरोप विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित

जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन कारित अपराध के लिए विरचित किए गए हैं । यह विधि की सुस्थापित प्रतिपादना है कि न्यायालय सक्षम होती है और उससे अपेक्षित होता है कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत की गई समस्त सामग्री पर आरोप विरचित करने से पहले विचार करे । न्यायालय उन धाराओं से मार्गदर्शित होने के लिए बाध्य नहीं होता जिनका उल्लेख पुलिस द्वारा आरोप पत्र में किया गया है । न्यायालयों से अपेक्षित होता है कि वे न्यायिक विवेक का प्रयोग करें और उनसे यह भी प्रत्याशित होता है कि वे उनके समक्ष आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत की गई समस्त सामग्री का विश्लेषण करें और देखें कि क्या अपराध बनता है और तद्नुसार आरोप विरचित करें । अतः, यदि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के संबंध में आरोप विरचित कर दिए गए हैं, तो विधि की दृष्टि में विद्वान् निचले न्यायालय ने अपराध के बाबत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है ।

14. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से निवेदन किया गया है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । चूंकि अपराध बंद कमरे में कारित किया गया, अतः घटना को किसी भी अन्य द्वारा देखे जाने की संभाव्यता प्रतीत नहीं होती ।

15. अभि. सा. 3 गुड्डी देवी अभियोक्त्री की माता है । उसके परिसाक्ष्य पर इस आधार पर आक्रमण किया गया है कि उसने उस लड़की, जिसने घटना के बारे में उसको सूचित किया था, के नाम का प्रकटीकरण नहीं किया है । अभि. सा. 2 ने स्पष्टतया अभिकथित किया है कि उसने अभियुक्त के घर के दरवाजे को खटखटाया और जब दरवाजा खुला तो उसने पाया कि उसकी पुत्री नग्नावस्था में थी । तत्पश्चात् उसने उसे कपड़े पहनाए । उसने आगे शपथपूर्वक कथन किया है कि लड़की भयाक्रांत थी । अभि. सा. 2 का परिसाक्ष्य अभियुक्त के घर, जहां अभियुक्त स्वयं उपस्थित था, से लड़की की बरामदगी के संबंध में है । यह एक मजबूत परिस्थिति है जो अभियुक्त के विरुद्ध है । विधि की यह सुस्थापित प्रतिपादना है कि आहत को लैंगिक आक्रमण से संबंधित अपराधों के मामलों में मुख्य साक्षी माना जाता है और वही मामले के तथ्यों का सर्वोत्तम साक्षी होता है । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य को विधि के अधीन सदैव क्षतिग्रस्त के परिसाक्ष्य के समान माना जाता है और यदि साक्ष्य विश्वसनीय

पाया जाता है, तो इस बाबत न्यायालय के समक्ष ऐसे साक्षी के परिसाक्ष्य पर विश्वास किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं होती और न्यायालय तद्नुसार अनुमान लगा सकता है । उपरोक्त के प्रकाश में अब अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य का मूल्यांकन किया जाता है । अभि. सा. 1 की विभिन्न तारीखों पर विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई है । उसका प्रथमतः परीक्षण तारीख 4 अप्रैल, 2009 को किया गया था और उसकी प्रतिपरीक्षा एक माह के अंतराल के पश्चात् अर्थात् तारीख 15 मई, 2009 को अभिलिखित की गई थी । अभियोक्त्री ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपराधों का विस्तारपूर्वक वर्णन घटना का समय, तारीख, स्थान और तारीखें वर्णित करते हुए किया है । उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित वृत्तांत का पूर्णतः पुष्टिकरण भी किया है । उसने परीक्षण के दौरान अपने कथन में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए वृत्तांत का समर्थन किया है । उसने प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसी कोई स्वीकृति नहीं की है जो अभियोजन के वृत्तांत या मुख्य साक्षी के रूप में अभिलिखित उसके कथन से असंगत हो । साक्ष्य के मूल्यांकन के समय चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्यांकन एक साथ किया जाना अपेक्षित होता है । चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार लड़की की आयु 16 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष से नीचे बताई गई है । अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि चिकित्सक ने बलात्संग के बाबत कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया है ।

16. अभि. सा. 5 डा. ज्योत्सना ने चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्टों प्रदर्श क-5, प्रदर्श क-6, प्रदर्श क-7, प्रदर्श क-8 और प्रदर्श क-9 के निष्पादन को साबित किया है । अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से निवेदन किया गया है कि चिकित्सक द्वारा क्षति के किसी दर्शनीय चिह्न का उल्लेख नहीं किया गया है । प्रदर्श क-6 में शुक्राणु की उपस्थिति का भी उल्लेख योनिक चिकनाई के पैथोलॉजी परीक्षण के दौरान नहीं किया गया है । योनि में दो उंगलियां प्रविष्ट हो रही हैं । चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से दलील दी गई है कि उसके विरुद्ध निष्कर्षतः, बलात्संग साबित नहीं हो सका है । डा. ज्योत्सना (अभि. सा. 5) के परिसाक्ष्य पर उन दस्तावेजों के साथ, जिनके निष्पादन को उसके द्वारा साबित किया गया है, पर विचार किया जाना चाहिए और चिकित्सक द्वारा की गई इस मताभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए योनिच्छद लंबाई की स्थिति में विदीर्ण था, किनारे लाल और संकुचित थे जैसाकि प्रदर्श क-5 में उल्लिखित है । चिकित्सक द्वारा प्रदर्श

क-9 में मताभिव्यक्ति की गई है कि बलात्संग की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त विदीर्ण भाग से हल्का रक्तस्राव भी हो रहा था । योनि में दो उंगलियां पीड़ा के साथ प्रविष्ट हो रही थीं जैसाकि शपथपूर्वक अभिकथित किया गया है और मौखिक परिसाक्ष्य में चिकित्सक द्वारा मताभिव्यक्ति की गई है कि लड़की के साथ बलात्संग से इनकार नहीं किया जा सकता । आंतरिक भाग में क्षतियां 24 घंटे की अवधि के भीतर की हैं । आंतरिक भाग की क्षतियां ताजी पाई गईं थीं । इसके अतिरिक्त, उसने अपने लिखित कथन में मताभिव्यक्ति की है कि क्षतियां अधिसंभाव्य रूप से किसी ठोस कुंद वस्तु द्वारा कारित की गईं हैं । अभियोक्त्री के कथन में पूर्ण संगतता है और उसका कथन अभि. सा. 5 डा. ज्योत्सना के परिसाक्ष्य द्वारा समर्थित है । इससे बलात्संग का तथ्य साबित हो जाता है जैसाकि अभियोक्त्री द्वारा अभिकथित किया गया है । अभियोक्त्री के साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे कि इस बात का अनुमान लगाया जा सके कि वह सहमत पक्ष थी । उसको अपीलार्थी द्वारा धमकाकर नग्न किया गया था ।

17. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण चिकित्सक द्वारा नहीं किया गया था अन्यथा स्मेगा परीक्षण के आधार पर एक निश्चित मत न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता । विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि न्यायालयों से प्रत्याशा की जाती है कि वे मामले की परिस्थितियों पर समग्रता के आधार पर अनुमान निकाले, अलग-थलग पड़ी हुई किसी चूक के आधार पर नहीं । यह सत्य है कि यदि स्मेगा परीक्षण समय के अन्दर किया जाता है तो इसको समुचित परिस्थितियों में विचारित किया जा सकता है और इसका अवलंब लिया जा सकता है ।

18. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सुरक्षित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियोक्त्री अवयस्क है चाहे उसके हाई स्कूल प्रमाणपत्र का अनदेखा भी किया जाए । चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर उसकी आयु 18 वर्ष से कम है ।

19. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि प्रतिरक्षा साक्षी 1 और प्रतिरक्षा साक्षी 2 ने अभियुक्त की मानसिक स्थिति के बारे में स्पष्टतया अभिकथित किया है । अभियुक्त की मानसिक स्थिति के बारे में सर्वोत्तम साक्ष्य वह चिकित्सक होता जिसके अधीन वह बीमारी की अवधि के दौरान रहा किन्तु जिसको पेश नहीं किया गया । जहां तक

मानसिक स्वास्थ्य का संबंध है, सर्वोत्तम साक्ष्य वह चिकित्सक होता जिसको पेश नहीं किया गया और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

20. अभियुक्त ने अभियोक्त्री का मुंह दबाने के पश्चात् उसको कमरे के भीतर घसीटा था और तत्पश्चात् उसके साथ बलात्संग कारित किया था अर्थात् अभियुक्त मानसिक रूप से पूरे होशो-हवाश में था कि उसके घर में एकांतता इस अपराध को कारित करने के प्रयोजनार्थ समुचित परिस्थिति होगी, क्योंकि जब लड़की को उसके घर से बरामद किया गया तो घर में कोई अन्य उपस्थित नहीं था । यह परिस्थिति भी उसके विरुद्ध है ।

21. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि उसने अपराध कारित करने के पश्चात् फरार होने का प्रयास नहीं किया । साक्ष्य में यह स्पष्ट हुआ है कि अपराध कारित किए जाने के पश्चात् अभियोक्त्री को धमकी दी गई थी कि यदि उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे । यह परिस्थिति भी यह उपदर्शित करती है कि आहत उसके (अभियुक्त के) विरुद्ध घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गई और यह भी एक कारण हो सकता है जिस पर अभियुक्त की ओर से साक्ष्य पेश न किए जाने के कारण चर्चा नहीं की जा सकती ।

22. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि बलात्संग इस कारणवश कारित नहीं किया गया कि आहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्य है । यह आवश्यक है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) में समाविष्ट उपबंध का मूल्यांकन किया जाए जो इस प्रकार है :–

> "3(2) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है –
>
> > (v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा ।"

23. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार

निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन अपराध कारित किए जाने की स्थिति का मूल्यांकन किए जाने के प्रयोजनार्थ यह समुचित होगा कि **दिनेश** उर्फ **बुध** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय पर विचार किया जाए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में जो मताभिव्यक्ति की वह निम्नलिखित है :–

> "15. धारा 3(2)(v) के लागू होने के लिए यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध इस आधार पर कारित किया गया हो कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है । प्रस्तुत मामले में इस अपेक्षा को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि वह बलात्संग आहत के साथ इस कारणवश कारित किया गया था कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है । इस बाबत साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण धारा 3(2)(v) लागू नहीं होती । यदि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) लागू होती तो विधि के क्रियान्वयनवश दंडादेश आजीवन कारावास और जुर्माने का होता ।
>
> 16. चूंकि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) लागू नहीं होती, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) में उपबंधित दंडादेश स्वयमेव आजीवन कारावास में परिवर्तित नहीं हो सकता ।"

24. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रामदास और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले मामले में जो अभिनिर्धारित किया वह इस प्रकार है :–

> "11. आरंभिकतः, हम यह मत व्यक्त करते हैं कि इस बात को साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर धारा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अधीन कारित किए गए अपराध को साबित किया जा सके । मात्र इस तथ्य के आधार पर कि आहत अनुसूचित जाति से संबंधित थी,

---

[1] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1267.

[2] (2007) 2 एस. सी. सी. 170 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 155.

इस अधिनियम के उपबंध आकर्षित नहीं होते । इस तथ्य के अलावा कि अभियोक्त्री पारधी समुदाय से संबंधित है, उक्त अधिनियमिति के अधीन किसी अपराध को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । उच्च न्यायालय ने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन आरोप के समर्थन में किसी साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया है और शायद मात्र इस आधार पर दंडादेश को मान्य ठहराया कि अभियोक्त्री अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है । इसलिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अपास्त होनी चाहिए और की जाती है ।

25. विधि की उपरोक्त प्रतिपादना के परिशीलन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि अपराध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय के सदस्य का होने के कारण उसकी स्थिति को नीचा दिखाने के आशय से कारित किया गया हो । ऐसे साक्ष्य की अनुपस्थिति में हमारी सुविचारित राय है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन अपराध नहीं बनता ।

26. इस निर्णय को समाप्त करने के पूर्व हम यह मताभिव्यक्ति करना आवश्यक समझते हैं कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) कोई सारभूत अपराध परिभाषित नहीं करती किन्तु ये धारा केवल दंड के विस्तारण के लिए उपबंधित करती है, जब कोई अपराध इस धारा में उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन कारित किया गया हो । इसलिए विचारण न्यायालय को अपीलार्थी को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन पृथक् रूप से दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था । किन्तु यदि कोई ऐसा अपराध बनता है जो विनिर्दिष्ट दशाओं के अधीन कारित किया गया हो तो अभियुक्त को ऐसे अपराध को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन विस्तारित दंड द्वारा दंडित किया जाएगा जो इस धारा में उपबंधित है ।

27. प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन भी किया है कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति पर विचार किए जाने के लिए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि उसका उपचार संचालित किया जा सके । हमारी सुविचारित राय है कि अल्प मात्रा में दंड का अधिरोपण भी इस मामले में न्यायहित को पूर्ण कर सकेगा ।

28. हमारी सुविचारित राय है कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376, 323, 504, 506(2) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्त गुड्डू **उर्फ** राघवेन्द्र के विरुद्ध विद्वान् निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में कोई मध्यक्षेप अपेक्षित नहीं है । मात्र दंडादेश की मात्रा में मध्यक्षेप अपेक्षित है ।

29. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन अपराध नहीं बनता । विद्वान् विचारण न्यायालय अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन कारित अपराध के लिए अभियुक्त गुड्डू **उर्फ** राघवेन्द्र को प्रदान किया गया दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है । अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है ।

30. दांडिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376, 323, 504, 506(2) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त गुड्डू **उर्फ** राघवेन्द्र की दोषसिद्धि मान्य ठहराई जाती है । अभियुक्त गुड्डू **उर्फ** राघवेन्द्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन कारित अपराध के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास द्वारा दंडित किया जाता है । इस पैरा में निर्दिष्ट शेष अपराधों के लिए अभियुक्त के विरुद्ध पारित शेष दंडादेश और जुर्माना में मध्यक्षेप नहीं किया जाता है । अभियुक्त कारागार में है । वह दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार दंडादेश के लघुकरण का हकदार होगा ।

31. निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय और आदेश की प्रति विद्वान् निचले न्यायालय को अनुपालनार्थ स्थानांतरित की जाए ।

अपील आंशिक रूप से मंजूर की गई ।

शु.

दिवाकर बेहरा

बनाम

ओडिशा राज्य

तारीख 26 जुलाई, 2014

न्यायमूर्ति एस. के. मिश्रा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 386 और 374 – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – अभियोजन नहीं चलाए जाने के कारण अपील खारिज किया जाना – अनुचित – अपील पर पक्षकार द्वारा नियुक्त किए गए काउंसेल को सुनने के पश्चात् उसका गुणागुण पर विनिश्चय किया जाना चाहिए – यदि काउंसेल हाजिर नहीं होता तो पक्षकार को विधिक सहायक उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

आवेदकों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित निपटान न्यायालय, नीमापारा के न्यायालय में 1989 का जी.आर. मामला सं. 588 में दंड संहिता की धारा 447/323/236/34 के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए अभिकथित विचारण का सामना किया था । विचारण पर समुचित रूप से विचार करने के पश्चात् विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित न्यायालय, नीमापारा द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष दंड संहिता की धारा 336/447/34 के अधीन अपराध के लिए आवेदकों के विरुद्ध अपने पक्षकथन साबित करने में विफल हुआ है । परन्तु यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के दोषी हैं और इसलिए उसने उन्हें दोषसिद्ध किया तथा दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए छह मास की अवधि का साधारण कारावास भोगने हेतु उन्हें अलग-अलग दंडादेश दिया गया । आवेदकों ने दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश से व्यथित होकर विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पुरी के समक्ष अपील फाइल की जिसे विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, पुरी के न्यायालय में अन्तरित कर दिया गया था और 2012 की दांडिक अपील सं. 43 के रूप में उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था । मामले को तारीख 15 मई, 2014 के लिए रखा गया था जब आवेदक-अपीलार्थी अनुपस्थित रहे उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, आवेदक-अपीलार्थियों के व्यतिक्रम करने पर अपील खारिज कर दी गई ।

विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, पुरी द्वारा पारित किए गए आदेश को इस पुनरीक्षण आवेदन में आक्षेपित किया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – जी.आर. और सी.ओ. (दांडिक) खंड 1, नियम 65 खंड क का उप-पैरा 4 में यह उपबंध किया गया है कि सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश/सहायक सेशन न्यायाधीश के समक्ष लंबित दांडिक अपील में यदि किसी अपीलार्थी के पास अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए कोई साधन नहीं है या यदि कोई अधिवक्ता उसकी ओर से न्यायालय में हाजिर नहीं होता है और दलील नहीं देता है जब उसे सुनवाई के लिए बुलाया जाता है या कोई अनुदेश नहीं दिए जाने, का ज्ञापन प्रस्तुत करता है । तब सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश, यथा-स्थिति अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता को नियुक्त करेगा और अपीलार्थी की सुनवाई करने के पश्चात् अपील का निपटारा करेगा । खंड (ग) का परिशीलन करने पर इस प्रकार है कि न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता जिसे इस तरह नियुक्त किया गया है, उन निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होगा जो इन नियमों के अधीन सेशन मामले में नियुक्त किए गए राज्य प्रतिरक्षा काउंसेल को शासित होते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने जी.आर. और सी.ओ. में यह निदेश दिया है कि जब कभी कोई दांडिक अपील फाइल की जाती है और अपीलार्थी हाजिर नहीं होता है तब अपील न्यायालय इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता को नियुक्त करे । (पैरा 6)

एक अन्य मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विधि में अपील न्यायालय को स्पष्ट रूप से इस बात के लिए सशक्त किया गया है कि अपील का गुणागुण पर निपटारा किया जाए और विचारण न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित कारणों का न केवल परिशीलन करना चाहिए परन्तु अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए तथा विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों की भी जांच की जानी चाहिए और यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्या ये बाते अभिलेख पर प्रकट सामग्री के संगत हैं । इसलिए, विधि में व्यतिक्रम के आधार पर या अभियोजन का संचालन न करने के कारण अपील को खारिज करना परिकल्पित नहीं है परन्तु अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात् अपील का गुणागुण के आधार पर निपटारा करना अनुज्ञात किया

गया है । अतः विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश पर अपीलार्थी की ओर से कोई काउंसेल हाजिर नहीं हुआ इस पर यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी ने जान-बूझकर अपील के अभियोजन चलाने की कोई कार्रवाई नहीं की जिस कारण दांडिक अपील को खारिज कर दिया गया, यह विधि की दृष्टि में पूर्णतया कायम होने योग्य नहीं है । (पैरा 7)

मामले में विनिश्चित विनिश्चयाधार वर्तमान मामले में समानतः प्रयोज्य है, इसलिए, पुनरीक्षण आवेदन सफल है । 2012 की दांडिक अपील सं. 43 में विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, पुरी द्वारा तारीख 15 मई 2014 को पारित किया गया आदेश अपास्त किया जाता है और अपील को फाइल पर बहाल किया जाता है । विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, पुरी को आवेदकों-अपीलार्थियों द्वारा नियुक्त किए गए काउंसेल को सुनकर अपील का गुणागुण के आधार पर सुनवाई करने का निदेश दिया जाता है और यदि काउंसेल हाजिर नहीं होता है तब जी.आर. और सी.ओ. (दांडिक) खण्ड 1 के नियम 65(4) और (ख) में यथा उपबंधित विधि सहायक, मुहैय्या कराया जाए और आवेदकों को यह निदेश दिया जाता है कि अपर सेशन न्यायाधीश, पुरी के न्यायालय में तारीख 14 अगस्त, 2014 को हाजिर हों । (पैरा 8)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	2010 (1) ओ. एल. आर. 190 : **टीकन बिंधानी** बनाम **उड़ीसा राज्य** ;	7
[2000]	(2000) 18 ओ. आर. सी. (एस. सी.) 114 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3850 : **ऋषि नंदन पंडित और अन्य** बनाम **बिहार राज्य** ;	4
[1996]	(1996) 4 एस. सी. सी. 720 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2439 : **बाणी सिंह और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	4
[1989]	(1989) 2 ओ. आर. सी. 448 = 1990 क्रिमिनल ला जर्नल 397 (उड़ीसा) : **बन्छनादी सिंह** उर्फ **नानी सिंह** बनाम **उड़ीसा राज्य** ;	5
[1987]	ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1500 : **रामनारायण यादव और अन्य** बनाम **बिहार राज्य** ।	4

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2014 का पुनरीक्षण आवेदन सं. 578.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से विद्वान् काउंसेल

विरोधी पक्षकार की ओर से अपर स्थायी काउंसेल

न्यायमूर्ति एस. के. मिश्रा – आवेदकों की ओर से विद्वान् कांउसेल और राज्य की ओर से विद्वान् अपर काउंसेल को सुना ।

2. पुनरीक्षण आवेदन में संक्षिप्त प्रश्न यह उद्भूत हुआ है कि क्या विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा व्यतिक्रम के आधार पर या अभियोजन न चलने के आधार पर दांडिक अपील को खारिज कर देना चाहिए ?

3. आवेदकों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित निपटान न्यायालय, नीमापारा के न्यायालय में 1989 का जी.आर. मामला सं. 588 में दंड संहिता की धारा 447/323/236/34 के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए अभिकथित विचारण का सामना किया था । विचारण पर समुचित रूप से विचार करने के पश्चात् विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित न्यायालय, नीमापारा द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष दंड संहिता की धारा 336/447/34 के अधीन अपराध के लिए आवेदकों के विरुद्ध अपने पक्षकथन साबित करने में विफल हुआ है । परन्तु यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के दोषी हैं और इसलिए उसने उन्हें दोषसिद्ध किया तथा दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए छह मास की अवधि का साधारण कारावास भोगने हेतु उन्हें अलग-अलग दंडादेश दिया गया । आवेदकों ने दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश से व्यथित होकर विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पुरी के समक्ष अपील फाइल की जिसे विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, पुरी के न्यायालय में अन्तरित कर दिया गया था और 2012 की दांडिक अपील सं. 43 के रूप में उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था । मामले को तारीख 15 मई, 2014 के लिए रखा गया था जब आवेदक-अपीलार्थी अनुपस्थित रहे उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, आवेदक-अपीलार्थियों के व्यतिक्रम करने पर अपील खारिज कर दी गई । विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, पुरी द्वारा पारित किए गए आदेश को इस पुनरीक्षण आवेदन में आक्षेपित किया गया है ।

4. **बाणी सिंह और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि **रामनारायण यादव और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह विनिश्चयाधार का विनिश्चय किया है कि न्यायालय व्यतिक्रम के आधार पर केवल अपील को खारिज कर सकता है, जो गलत है । **बाणी सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह नियम व्यक्त किया है कि धारा 385-386 की स्पष्ट भाषा में अभियोजन के न चलने पर अपील को खारिज करना प्रकट नहीं होता है । बाद में **ऋषि नंदन पंडित और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[3] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त सिद्धांतों का पालन किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह एक प्रज्ञा का मामला है कि न्यायालय किसी भी समुचित मामले में अभियुक्त की ओर से दलील देने के लिए राज्य के खर्चे पर काउंसेल नियुक्त कर सकता है । निस्संदेह न्यायालय यह अवधारण करेगा कि मामले के खुलासे के लिए इस बात को विचार में लेगा कि क्या ऐसे मामले में विधिक सहायक की जरूरत है या नहीं । अपीलों में यह हो सकता है कि अभियुक्त के लिए उसके पक्ष को पेश करने के लिए काउंसेल के सहायता लिए बिना उनका निपटारा किया जा सकता हो परन्तु यदि अपील में आक्षेपित निर्णय द्वारा दंडादेश अधिरोपित किए जाने के लिए मामले में सारभूत बात प्रकट होती है कि विधि की सहायता दिए जाने की सलाह दी जाए ।

5. **बन्छनादी सिंह** उर्फ **नानी सिंह** बनाम **उड़ीसा राज्य**[4] वाले मामले के विनिश्चय में समान मत अपनाया गया है जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब अपीलार्थी का अधिवक्ता दांडिक अपील में दलील देने के लिए हाजिर नहीं होता है, विद्वान् सेशन न्यायाधीश अपीलार्थी की ओर से दलील देने के लिए न्यायमित्र के रूप में काउंसेल की नियुक्ति करनी चाहिए । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने ऐसा नहीं किया और उस मामले में इस न्यायालय में अपील में खारिज किए गए निर्णय को अपास्त कर दिया ।

6. जी.आर. और सी.ओ. (दांडिक) खंड 1, नियम 65 खंड क का उप-पैरा 4 में यह उपबंध किया गया है कि :–

---

[1] (1996) 4 एस. सी. सी. 720 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2439.

[2] ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1500.

[3] (2000) 18 ओ. सी. आर. (एस. सी.) 114 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3850.

[4] (1989) 2 ओ. सी. आर. 448 = 1990 क्रिमिनल ला जर्नल 397 (उड़ीसा).

> "सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश/सहायक सेशन न्यायाधीश के समक्ष लंबित दांडिक अपील में यदि किसी अपीलार्थी के पास अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए कोई साधन नहीं है या यदि कोई अधिवक्ता उसकी ओर से न्यायालय में हाजिर नहीं होता है और दलील नहीं देता है जब उसे सुनवाई के लिए बुलाया जाता है या कोई अनुदेश नहीं दिए जाने, का ज्ञापन प्रस्तुत करता है । तब सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश, यथा-स्थिति अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता को नियुक्त करेगा और अपीलार्थी की सुनवाई करने के पश्चात् अपील का निपटारा करेगा ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया ।)

खंड (ग) का परिशीलन करने पर इस प्रकार है –

> "न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता जिसे इस तरह नियुक्त किया गया है, उन निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होगा जो इन नियमों के अधीन सेशन मामले में नियुक्त किए गए राज्य प्रतिरक्षा काउंसेल को शासित होते हैं ।"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने जी.आर. और सी.ओ. में यह निदेश दिया है कि जब कभी कोई दांडिक अपील फाइल की जाती है और अपीलार्थी हाजिर नहीं होता है तब अपील न्यायालय इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता को नियुक्त करे ।

7. **टीकन बिंधानी** बनाम **उड़ीसा राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने उपरोक्त उल्लिखित पूर्वगामी पैराओं में विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

> "विधि में अपील न्यायालय को स्पष्ट रूप से इस बात के लिए सशक्त किया गया है कि अपील का गुणागुण पर निपटारा किया जाए और विचारण न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित कारणों का न केवल परिशीलन करना चाहिए परन्तु अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए तथा विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों की भी जांच की जानी चाहिए और यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्या ये बातें अभिलेख पर प्रकट

---

[1] 2010 (1) ओ. एल. आर. 190.

सामग्री के संगत हैं ।

इसलिए, विधि में व्यतिक्रम के आधार पर या अभियोजन का संचालन न करने के कारण अपील को खारिज करना परिकल्पित नहीं है परन्तु अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात् अपील का गुणागुण के आधार पर निपटारा करना अनुज्ञात किया गया है । अतः विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश पर अपीलार्थी की ओर से कोई काउंसेल हाजिर नहीं हुआ इस पर यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी ने जान-बूझकर अपील के अभियोजन चलाने की कोई कार्रवाई नहीं की जिस कारण दांडिक अपील को खारिज कर दिया गया, यह विधि की दृष्टि में पूर्णतया कायम होने योग्य नहीं है ।"

8. उपरोक्त मामले में विनिश्चित विनिश्चयाधार वर्तमान मामले में समानतः प्रयोज्य है, इसलिए, पुनरीक्षण आवेदन सफल है । 2012 की दांडिक अपील सं. 43 में विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, पुरी द्वारा तारीख 15 मई 2014 को पारित किया गया आदेश अपास्त किया जाता है और अपील को फाइल पर बहाल किया जाता है । विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, पुरी को आवेदकों-अपीलार्थियों द्वारा नियुक्त किए गए काउंसेल को सुनकर अपील का गुणागुण के आधार पर सुनवाई करने का निदेश दिया जाता है और यदि काउंसेल हाजिर नहीं होता है तब जी.आर. और सी.ओ. (दांडिक) खण्ड 1 के नियम 65(4) और (ख) में यथा उपबंधित विधि सहायक, मुहैय्या कराया जाए और आवेदकों को यह निदेश दिया जाता है कि अपर सेशन न्यायाधीश, पुरी के न्यायालय में तारीख 14 अगस्त, 2014 को हाजिर हों ।

9. तद्नुसार दांडिक पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया जाता है । इस आदेश की अति आवश्यक अभिप्रमाणित प्रति उचित आवेदन पर मंजूर की जाएगी ।

पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य

मुगुरी कुलुसिका

बनाम

ओडिशा राज्य

तारीख 5 जनवरी, 2016

न्यायमूर्ति विनोद प्रसाद और न्यायमूर्ति एस. के साहू

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – हेतु – न्यायिकेतर संस्वीकृति में हत्या करने का तथाकथित यह कारण कि अभियुक्त के बार-बार चेतावनी के बावजूद मृतका शीघ्रता से नहीं चली, उपयुक्त प्रतीत नहीं होता – अभियुक्त और मृतका के चार पुत्र और एक पुत्री है – अभियुक्त और मृतका के बीच मतभेद का कोई साक्ष्य नहीं है, अतः अपराध कारित किए जाने का कोई हेतु सिद्ध न किए जाने के कारण अभियुक्त को हत्या के आरोप से दोषमुक्त किया जाना उचित है ।

प्रभुदन खोसला द्वारा पुलिस थाना दसमन्तपुर में तारीख 11 जनवरी, 2003 को यह मौखिक सूचना दी गई कि इत्तिलाकर्ता ग्रामरक्षी के रूप में कार्य करता है और तारीख 10 जनवरी, 2003 को वह अपनी ड्यूटी पर लगभग 4.00 बजे अपराह्न में आया और वह पुलिस थाने में रात तक रहा । तारीख 11 जनवरी, 2003 को लगभग 7.00 बजे पूर्वाह्न में जब इत्तिलाकर्ता एक अन्य ग्रामरक्षी अर्थात् अलबन खोसला के साथ शौच के लिए नदी की ओर जा रहा था, तब रास्ते में ग्राम दसमन्तपुर के दुर्गमंडप के निकट अपीलार्थी उनके पास आया और उसने उन्हें यह बताया कि कल लगभग 9.00 बजे अपराह्न में जब वह दसमन्तपुर ग्राम के साप्ताहिक बाजार की ओर से अपनी पत्नी के साथ वापस आ रहा था तब बरियम्बा झोला के निकट मरिचगुडा और लारेश ग्राम के बीच पति और पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया और पति ने पत्नी की चोटी पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया और उसका गला घोंट दिया और उसको लात मारी जिसके परिणामस्वरूप पत्नी की मृत्यु हो गई । अपीलार्थी पति ने यह भी बताया कि मृतका का शव घटनास्थल पर पड़ा हुआ है और नातेदारों द्वारा जान से मारे जाने के डर से वह अपने ग्राम नहीं गया और ग्राम दसमन्तपुर आ गया । अन्य ग्रामरक्षी अर्थात् अलबन खोसला ने भी, जो इत्तिलाकर्ता के साथ था,

अपीलार्थी द्वारा की गई उपरोक्त संस्वीकृति को सुना । दसमन्तपुर थाने के भारसाधक अधिकारी अर्थात् गौरा नायक ने मौखिक सूचना अभिलिखित की और रिपोर्ट तैयार की और उसने स्वयं इस मामले में अन्वेषण किया । अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारी ने इत्तिलाकर्ता की परीक्षा की, घटनास्थल का मुआयना किया और स्थलनक्शा तैयार किया । अन्वेषण अधिकारी ने शव की मृत्यु समीक्षा की और इस संबंध में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की । उसने एक चप्पल और कांच की चूड़ी के टूटे हुए टुकड़े और सिर के बाल अभिगृहीत किए और इस संबंध में अभिग्रहण सूची तैयार की । अन्वेषण अधिकारी ने चालान और कमांड प्रमाणपत्र के अनुसार रमेश चन्द्र प्रधान-कांस्टेबल सं. 22 द्वारा शव को शवपरीक्षण के लिए दसमन्तपुर सी. एच. सी. के लिए भेजा । अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 11 जनवरी, 2003 को अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और उसे अगले दिन न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए भेज दिया । उसने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् तारीख 22 अप्रैल, 2003 को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और विद्वान् विचारण सेशन न्यायालय ने अपीलार्थी को तारीख 18 नवंबर, 2003 को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपित किया और चूंकि अपीलार्थी ने आरोप का खंडन किया, दोषी न होने का अभिवाक् और विचारण किए जाने की मांग की, इसलिए सेशन विचारण प्रक्रिया का अवलंब अपीलार्थी को अभियोजित करने और उसका दोष सिद्ध करने के लिए लिया गया । अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में जो अभिवाक् किया है वह अभियोजन के आरोपों से इनकार है और यह भी अभिवाक् किया गया है कि वह इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य से सम्पुष्टि होती है । अपीलार्थी द्वारा कारित किए गए हमले की प्रकृति से हत्या कारित करने का आशय उपदर्शित होता है और तद्नुसार विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया है । अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मृतका की मृत्यु की प्रकृति और कारण विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त

अभियोजन पक्ष ने डा. श्रीमन्त कुमार पटनायक के साक्ष्य का भी अवलंब लिया है जो चिकित्सा अधिकारी के रूप में दसमन्तपुर पी. एच. सी. में कार्यरत था और इसी चिकित्सक ने तारीख 11 जनवरी, 2003 को मृतका के शव का शवपरीक्षण किया था और उसने शव की दोनों टांगों और हाथों में जठर काठिन्य (अकड़न) पाया था और उसकी नाक से रक्त बह रहा था । उसने उदर के ऊपरी भाग के दाईं ओर 1 इंच × 1 इंच माप की रगड़ पाई और गर्दन के सामने की ओर 2 से. मी. चौड़ी खरोंच देखी । आंतरिक परीक्षण करने पर चिकित्सक ने श्वास नली में अस्थि भंग पाया और उसने यह राय दी कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध है । यह क्षतियां मृत्युपूर्व की पाई गईं । इस साक्षी ने शवपरीक्षण रिपोर्ट को साबित किया है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने शवपरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने, यद्यपि, मृतका की मृत्यु से संबंधित चिकित्सक की राय स्वीकार किए जाने के संबंध में कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाला है, किंतु फिर भी यह प्रतीत होता है कि चिकित्सक ने कहीं भी इस राय से भिन्न राय व्यक्त नहीं की है । अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य, शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-4 और डा. श्रीमन्त कुमार पटनायक के कथन का परिशीलन करने के पश्चात्, न्यायालय का यह मत है कि मृतका की मृत्यु गला घोंट कर कारित किए जाने से संबंधित कोई विवाद नहीं है जो कि एक मानव वध है । स्वीकृततः, इस मामले में ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि अपराध किसने कारित किया है और यह अपराध कब कारित किया गया और कैसे कारित किया गया । यह मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित विधि कोई अनिर्णीत विषय नहीं है । पारिस्थितिक साक्ष्य से अभिप्राय ऐसा साक्ष्य है जो साबित किए जाने वाले तथ्य से संबंधित किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य न हो किंतु ऐसे तथ्य या उससे संबंधित तथ्यों के आधार पर जिनका अवलंब मुख्य तथ्य के अतिरिक्त अन्य असंगत तथ्य के रूप में लिया जाता है और जिससे अटकल के आधार पर विवाद्य तथ्य या तथ्य-प्रमेय पर विचार किया जाता है । पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर किसी अपराध के आरोप को साबित करने से संबंधित विधि इस प्रकार है कि ऐसी परिस्थितियां जिनसे दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना हो, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं । इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त को दोषी होने की परिकल्पना के साथ ही संगत नहीं होने चाहिए अपितु उसकी निर्दोषिता के साथ भी असंगत होने चाहिएं और ऐसी परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं और उनसे अन्य किसी भी

परिकल्पना संभाव्य नहीं होनी चाहिए सिवाय उस परिकल्पना के जो साबित की गई हैं । अन्य किसी भी परिकल्पना के आधार पर तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए । अभियुक्त द्वारा इस परिस्थिति को साबित किया गया है या नहीं, यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । यदि परिस्थितियां या उनमें से कुछ परिस्थितियां किसी भी युक्तियुक्त परिकल्पना से स्पष्ट की जा सकती हैं तब ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को उस परिकल्पना का लाभ मिलना चाहिए । इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी भी तर्कहीन परिकल्पना के आधार पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है, अपितु इसका अर्थ यह है कि परिकल्पना का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से किया जाना चाहिए । अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई सभी परिकल्पनाओं का समाधान करे चाहे वे कितनी ही दूरस्थ और बनावटी हों । साक्ष्य की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिएं कि यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि अभियुक्त निर्दोष है और उससे यह दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के आधार पर अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया है । पारिस्थितिक साक्ष्य ऐसे तथ्यों का संयोजन होना चाहिए जिनके आधार पर अभियुक्त के बचकर निकलने की कोई गुंजाइश न रह सके क्योंकि सम्पूर्ण तथ्यों पर एकसाथ विचार करने पर अभियुक्त के दोषी होने के सिवाय अन्य कोई निष्कर्ष न निकले । यह सत्य है कि अभियोजन पक्षकथन में साक्ष्य की शृंखला की कोई भी कड़ी लुप्त नहीं होनी चाहिए किंतु विधि के अनुसार ऐसा नहीं है कि प्रत्येक कड़ी प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट हो जाए । साक्ष्य की कुछ कड़ियां साबित किए गए तथ्यों से प्रकट होती हैं । ऐसे मामलों का मूल्यांकन करते समय सदैव यह खतरा बना रहता है कि अनुमान और अटकलें विधिक सबूत का रूप ले लेते हैं और इस प्रकार न्यायालयों को सावधानी बरतनी चाहिए । यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमान और संदेह को विधिक सबूत का स्थान नहीं दिया गया है । घोर संदिग्ध परिस्थितियां निश्चायक साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकतीं चाहे पक्षकार उन्हें स्पष्ट न करे । पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय कड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और यदि अवलंबित साक्ष्य से दो निष्कर्ष निकलते हैं, तब अभियुक्त के पक्ष में निकलने वाला निष्कर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए । इस प्रकार, यदि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के संबंध में, साबित किए गए तथ्यों का संचयी प्रभाव स्पष्ट, निश्चायक और अधिक्षेपातीत है, तब दोषसिद्ध न्यायोचित होगी चाहे कोई भी या अधिकांश तथ्य निश्चायक न हों ।

अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अर्थात् दो ग्रामरक्षी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन पर विचार करने पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है अभियुक्त द्वारा ग्रामरक्षी के समक्ष दिया गया संस्वीकृति कथन साक्ष्य में ग्राह्य है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 के अधीन प्रयोग की गई अभिव्यक्ति के अर्थान्तर्गत पुलिस अधिकारी नहीं है । तथापि, जब ग्रामरक्षी के समक्ष किया गया संस्वीकृति कथन साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, न्यायालय को चाहिए कि वह प्रज्ञा के नियमानुसार ऐसे संस्वीकृति कथन की सम्पुष्टि किए जाने पर बल दे । यदि अभियोजन पक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन का अवलंब लेता है तब न्यायालय को उस पर कड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ विचार करना चाहिए । न्यायालय यह उपधारित नहीं कर सकते कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन सदैव संदिग्ध होता है या वह निर्बल साक्ष्य है अपितु संस्वीकृति कथन परिस्थितियों की प्रकृति, उसके अभिलिखित किए जाने के समय और उन साक्षियों की विश्वसनीयता जिन्होंने संस्वीकृति कथन के संबंध में साक्ष्य दिया है, पर निर्भर करता है और इस बात पर भी निर्भर करता है कि संस्वीकृति कथन स्वेच्छया दिया गया है या नहीं और यह सत्य है या नहीं । जब न्यायालय सम्पूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन के आधार पर दोषसिद्ध करने के लिए आशयित हो, तब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह विश्वसनीय हो और उसकी सम्पुष्टि अन्य स्वतंत्र और विश्वसनीय अभियोजन साक्ष्य से होती है । जब न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन संदिग्ध परिस्थितियों से आच्छादित होता है और उसमें सारभूत खामियां होती हैं या अंतर्निहित असंभाव्यताएं होती हैं और अभियोजन वृत्तांत के अनुसार तर्कसम्मत प्रतीत नहीं होती हैं तब ऐसी स्थिति में संस्वीकृति कथन की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और वह महत्वहीन हो जाती है और न्यायालय के लिए इस आधार पर दोषसिद्धि करना उचित नहीं होगा । संस्वीकृति कथन अन्य किसी तथ्य की भांति साबित किया जाना चाहिए और उसका महत्व उन साक्षियों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है जिनके समक्ष वह दिया गया था । न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन सत्य, स्वेच्छा से और सचेत अवस्था में दिया गया साबित किया जाना चाहिए और वह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए । साक्षियों के शब्द स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिएं और उनसे यह पता चलना चाहिए कि अभियुक्त ने ही अपराध कारित किया है । संस्वीकृति कथन का अवलंब लिया जा सकता है और उसके

आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है परंतु यह तब जबकि संस्वीकृति कथन से संबंधित साक्ष्य सीधा उन साक्षियों से प्राप्त हो जो निष्पक्ष हैं जिनका दूर-दूर तक अभियुक्त के साथ कोई प्रतिकूल संबंध न हो और जिनसे ऐसी कोई सामग्री सामने न आए जिसके आधार पर यह उपदर्शित होता हो कि वे अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या कथन दे रहे हैं । अभियुक्त के पास ऐसा कारण होना चाहिए कि गोपनीयता को बनाए रखने में उस पर और साक्षियों पर विश्वास किया जा सके । जब न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन अभियुक्त द्वारा वापस लिया जाता है, तब ऐसा कोई कड़ा नियम नहीं है कि न्यायालय इस प्रकार कथन वापस लिए जाने को स्वीकार ही करे अपितु ऐसा करना न्यायालय के लिए अनुचित हो सकता है जब तक कि सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि वापस लिया गया संस्वीकृति कथन सत्य है । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा दिया गया यह साक्ष्य कि जब वे शौच के लिए जा रहे थे तब अपीलार्थी उनके निकट आया और उसने न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन दिया, ऐसी गढ़ी हुई कहानी है जिस पर विश्वास करना कठिन है । संस्वीकृति कथन में उल्लिखित इस बात की चिकित्सीय साक्ष्य से सम्पुष्टि नहीं होती है कि अभियुक्त ने मृतका को जमीन पर बलपूर्वक पटका था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी ने यह संस्वीकृत किया था कि उसने मृतका का गला घोंटा है और लातें मारकर उसकी हत्या की है । संस्वीकृति कथन में हेतु से संबंधित तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जैसाकि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है । अपीलार्थी और अभि. सा. 2 तथा अभि. सा. 3 के बीच कोई भी निकट सम्पर्क नहीं हुआ था, अतः ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि अपीलार्थी को इन दोनों साक्षियों पर इतना विश्वास हो गया था कि उसने अपना रहस्य उनको बता दिया । अपीलार्थी को इससे कोई सहायता नहीं मिल सकती कि उसने अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के समक्ष संस्वीकृति कथन दिया था । इन परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए, हमारा यह मत है कि ये दोनों ग्रामरक्षी मिथ्या न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन को साबित करने के लिए साक्षी बनाए गए हैं । इस प्रकार दोनों अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ढुल-मुल है और उनके साक्ष्य से निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा कोई भी न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन दिया गया था । हमें इस साक्ष्य पर संदेह है और हमारा यह मत है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन के साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं । इसी प्रकार अभि. सा. 4 द्वारा दिया

गया यह साक्ष्य कि दसमन्तपुर पुलिस थाने में रूशी बिसोई द्वारा किए गए परिप्रश्न के दौरान अपीलार्थी ने हत्या कारित करना संस्वीकृत किया जो कि साक्ष्य की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त रूशी बिसोई की परीक्षा नहीं कराई गई है और इसके अतिरिक्त यह साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के अधीन वर्जित है । यदि न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन को अनदेखा किया जाए और उस पर विचार नहीं किया जाए तब अपीलार्थी की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करने के लिए न्यायालय के समक्ष अन्य कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है । अभियोजन पक्ष ने इस अपराध के कारित किए जाने का कोई भी हेतु सिद्ध नहीं किया है । अपीलार्थी और मृतका के चार पुत्र और एक पुत्री है । इन दोनों के बीच मतभेद होने का कोई भी साक्ष्य नहीं है । यदि तथाकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन में उल्लिखित इस कारण पर ही विचार किया जाए कि मृतका अपीलार्थी के बार-बार कहने के बावजूद तेज कदमों से नहीं चल रही थी इसलिए हत्या की गई, तब भी यह कारण चलने योग्य नहीं है । पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में हेतु का बहुत महत्व है जिसका यह कारण है कि हेतु के न होने पर न्यायालय अपने विवेक से काम लेगा और प्रत्येक साक्ष्य बारीकी से संवीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संदेह, लोप और अनुमान सबूत का स्थान नहीं ले सकते । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए, न्यायालय का यह मत है कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित कर दिया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में जो निष्कर्ष निकाले हैं वे बिल्कुल भी स्वीकार्य और तर्कसम्मत नहीं हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अनुमान और संदेह के आधार पर कार्यवाही की है और आक्षेपित निर्णय केवल एक नैतिक दोषसिद्धि है । ''सत्य हो सकता है'' और ''सत्य होना चाहिए'' के बीच बहुत बड़ा अंतर है और यह अंतर अनुमान और निश्चित निष्कर्ष के बीच होता है । इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि संदेह कितना ही भी ठोस क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता । निःसंदेह, इस मामले में जघन्य अपराध कारित किया गया है किंतु भावनाओं और भावुकताओं का दांडिक विचारण में कोई स्थान नहीं है । अपराध जितना गंभीर होगा उसे सिद्ध करने के लिए सबूत भी उतना ही ठोस होना चाहिए । इस प्रकार हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी के विरुद्ध मामला अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह के परे साबित नहीं किया गया है, अतः उसे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से

दोषमुक्त किया जाता है । परिणामतः, अपीलार्थी द्वारा जेल से की गई दांडिक अपील मंजूर की जाती है और दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी अपनी गिरफ्तारी की तारीख से जेल की अभिरक्षा में है । यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल छोड़ा जाए । (पैरा 7, 9, 11, 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 57 उड़ीसा क्रिमिनल रिपोर्ट 820 = ए. आई. आर. 2014 उड़ीसा 51 : **गरूवा नायक** बनाम **उड़ीसा राज्य** ।	11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 4.

2003 के विचारण मामला सं. 241 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कोरापुट, जेयपोर द्वारा पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री शंभूचरण नाथ शर्मा
प्रत्यर्थी की ओर से	सुश्री शाश्वत पटनायक, अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. के. साहू ने दिया ।

न्या. साहू – अपीलार्थी मुगुरी कुलुसिका को तारीख 10 जनवरी, 2003 को 9.00 बजे से 10.00 बजे अपराह्न के बीच मरीचगुडा और लारेश ग्राम के बीच जी. पी. रोड पर बिरियम्बा झोला में अपनी पत्नी अनादिन कुलुसिका (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मृतका" कहा गया है) की हत्या करने के लिए 2003 के दांडिक विचारण मामला सं. 241 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कोरापुट जेयपोर द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन आरोपित किया गया ।

विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास भोगने तथा 3,000 रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष का

अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया ।

2. प्रभुदन खोसला (अभि. सा. 2) द्वारा पुलिस थाना दसमन्तपुर में तारीख 11 जनवरी, 2003 को यह मौखिक सूचना दी गई कि इत्तिलाकर्ता ग्रामरक्षी के रूप में कार्य करता है और तारीख 10 जनवरी, 2003 को वह अपनी ड्यूटी पर लगभग 4.00 बजे अपराह्न में आया और वह पुलिस थाने में रात तक रहा । तारीख 11 जनवरी, 2003 को लगभग 7.00 बजे पूर्वाह्न में जब इत्तिलाकर्ता एक अन्य ग्रामरक्षी अर्थात् अलबन खोसला (अभि. सा. 3) के साथ शौच के लिए नदी की ओर जा रहा था, तब रास्ते में ग्राम दसमन्तपुर के दुर्गमंडप के निकट अपीलार्थी उनके पास आया और उसने उन्हें यह बताया कि कल लगभग 9.00 बजे अपराह्न में जब वह दसमन्तपुर ग्राम के साप्ताहिक बाजार की ओर से अपनी पत्नी के साथ वापस आ रहा था तब बरियम्बा झोला के निकट मरिचगुडा और लारेश ग्राम के बीच पति और पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया और पति ने पत्नी की चोटी पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया और उसका गला घोंट दिया और उसको लात मारी जिसके परिणामस्वरूप पत्नी की मृत्यु हो गई । अपीलार्थी पति ने यह भी बताया कि मृतका का शव घटनास्थल पर पड़ा हुआ है और नातेदारों द्वारा जान से मारे जाने के डर से वह अपने ग्राम नहीं गया और ग्राम दसमन्तपुर आ गया । अन्य ग्रामरक्षी अर्थात् अलबन खोसला ने भी, जो इत्तिलाकर्ता के साथ था, अपीलार्थी द्वारा की गई उपरोक्त संस्वीकृति को सुना ।

दसमन्तपुर थाने के भारसाधक अधिकारी अर्थात् गौरा नायक (अभि. सा. 9) ने मौखिक सूचना अभिलिखित की और रिपोर्ट प्रदर्श-1 तैयार की और उसने स्वयं इस मामले में अन्वेषण किया । अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारी ने इत्तिलाकर्ता की परीक्षा की, घटनास्थल का मुआयना किया और स्थलनक्शा प्रदर्श-7 तैयार किया । अन्वेषण अधिकारी ने शव की मृत्यु समीक्षा की और इस संबंध में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श-3 तैयार की । उसने एक चप्पल और कांच की चूड़ी के टूटे हुए टुकड़े और सिर के बाल अभिगृहीत किए और इस संबंध में अभिग्रहण सूची प्रदर्श-2 तैयार की । अन्वेषण अधिकारी ने चालान प्रदर्श-5 और कमांड प्रमाणपत्र प्रदर्श-8 के अनुसार रमेश चन्द्र प्रधान-कांस्टेबल सं. 22 (अभि. सा. 8) द्वारा शव को शवपरीक्षण के लिए दसमन्तपुर सी. एच. सी. के लिए भेजा । अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 11 जनवरी, 2003 को अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और उसे अगले दिन न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए भेज दिया ।

उसने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् तारीख 22 अप्रैल, 2003 को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

3. आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और विद्वान् विचारण सेशन न्यायालय ने अपीलार्थी को तारीख 18 नवंबर, 2003 को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपित किया और चूंकि अपीलार्थी ने आरोप का खंडन किया, दोषी न होने का अभिवाक् और विचारण किए जाने की मांग की, इसलिए सेशन विचारण प्रक्रिया का अवलंब अपीलार्थी को अभियोजित करने और उसका दोष सिद्ध करने के लिए लिया गया ।

4. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए 9 साक्षियों की परीक्षा की ।

गडियामली मुडुली (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी और उसकी पत्नी को साप्ताहिक बाजार में रात्रि में देखा था जब वे घर वापस आ रहे थे । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है ।

प्रभुदन खोसला (अभि. सा. 2) ग्रामरक्षी है जो इस मामले में इत्तिलाकर्ता है और उसने अपीलार्थी द्वारा उसके और अलबन खोसला (अभि. सा. 3) के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन दिया था ।

अलबन खोसला (अभि. सा. 3) एक अन्य ग्रामरक्षी है और इस साक्षी ने भी अपीलार्थी द्वारा उसके और अभि. सा. 2 के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन किए जाने के संबंध में साक्ष्य दिया है ।

मोहन पात्र हियाल (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि पुलिस दसमन्तपुर में परिप्रश्न के दौरान अपीलार्थी ने यह संस्वीकृत किया था कि उसने मृतका की हत्या की है ।

लाबा सौंटा (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी और मृतका को शुक्रवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार से घर वापस जाते हुए देखा था । अभि. सा. 5 मृतका और अपीलार्थी की चप्पल, मृतका की कांच की चूड़ियों और उसके बालों के अभिगृहीत किए जाने के संबंध में तैयार की गई अभिग्रहण सूची प्रदर्श-2 का साक्षी है । वह शव की मृत्यु समीक्षा और इस संबंध में तैयार की गई मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट का

भी साक्षी है ।

रूसीकेस बिसोई **उर्फ** नरसिंह (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी को पुलिस थाना दसमन्तपुर के बरामदे में उस समय बैठा हुआ देखा था जब उसने अपीलार्थी से पूछा था कि उसे पुलिस थाने में क्यों निरुद्ध किया हुआ है, तब अपीलार्थी ने अभि. सा. 6 को बताया कि चूंकि मृतका की मृत्यु हो गई है इसलिए पुलिस ने अपीलार्थी को पुलिस थाने बुलाया है । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है ।

डा. श्रीमन्त कुमार पटनायक (अभि. सा. 7) दसमन्तपुर सी. एच. सी. में चिकित्सा अधिकारी है और उसने तारीख 11 जनवरी, 2003 को मृतका के शव का शवपरीक्षण किया था और उसने अपने द्वारा तैयार की गई शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-4 साबित की है । चिकित्सक के अनुसार, मृत्यु गला दबाकर कारित की गई थी ।

रामचन्द्र प्रधान (अभि. सा. 8) दसमन्तपुर पुलिस थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल है जो शव को शवपरीक्षण कराने के लिए लेकर गया था और शवपरीक्षण कराने के पश्चात् उसने मृतका द्वारा पहने हुए कपड़े प्रस्तुत किए जिन्हें अभिग्रहण सूची प्रदर्श-6 के अधीन अभिगृहीत किया गया ।

गौरा नायक (अभि. सा. 9) दसमन्तपुर थाने का भारसाधक अधिकारी है जो कि इस मामले का अन्वेषण अधिकारी भी है ।

अभियोजन पक्ष ने 8 दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं । प्रदर्श-1 अभि. सा. 2 द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है जो अभि. सा. 9 द्वारा लिखी गई है । प्रदर्श-2 अभिग्रहण सूची है, प्रदर्श-3 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है, प्रदर्श-4 शवपरीक्षण रिपोर्ट है, प्रदर्श-5 शव भेजने से संबंधित चालान है, प्रदर्श-6 अभिग्रहण सूची है, प्रदर्श-7 स्थलनक्शा है और प्रदर्श-8 कमांड प्रमाणपत्र है ।

अभियोजन पक्ष ने तीन तात्विक वस्तुओं को भी साबित किया है । एम. ओ. I मृतका की साड़ी है, एम. ओ. II साया है और एम. ओ. III चोली है ।

5. अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में जो अभिवाक् किया है वह अभियोजन के आरोपों से इनकार है और यह भी अभिवाक् किया गया है कि वह इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभि. सा. 2 और अभि.सा. 3 के साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य से सम्पुष्टि होती है । अपीलार्थी द्वारा कारित किए गए हमले की प्रकृति से हत्या कारित करने का आशय उपदर्शित होता है और तद्नुसार विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया है ।

7. मृतका की मृत्यु की प्रकृति और कारण विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श-3 के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने डा. श्रीमन्त कुमार पटनायक (अभि. सा. 7) के साक्ष्य का भी अवलंब लिया है जो चिकित्सा अधिकारी के रूप में दसमन्तपुर पी. एच. सी. में कार्यरत था और इसी चिकित्सक ने तारीख 11 जनवरी, 2003 को मृतका के शव का शवपरीक्षण किया था और उसने शव की दोनों टांगों और हाथों में जठर काठिन्य (अकड़न) पाया था और उसकी नाक से रक्त बह रहा था । उसने उदर के ऊपर भाग के दाईं ओर 1 इंच × 1 इंच माप की रगड़ पाई और गर्दन के सामने की ओर 2 से. मी. चौड़ी खरोंच देखी । आंतरिक परीक्षण करने पर चिकित्सक ने श्वास नली में अस्थि भंग पाया और उसने यह राय दी कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध है । ये क्षतियां मृत्युपूर्व की पाई गईं । इस साक्षी ने शवपरीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श-4 के रूप में साबित किया है ।

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने शवपरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने, यद्यपि, मृतका की मृत्यु से संबंधित चिकित्सक की राय स्वीकार किए जाने के संबंध में कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाला है, किंतु फिर भी यह प्रतीत होता है कि चिकित्सक ने कहीं भी इस राय से भिन्न राय व्यक्त नहीं की है ।

अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य, शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-4 और डा. श्रीमन्त कुमार पटनायक (अभि. सा. 7) के कथन का परिशीलन करने के पश्चात्, हमारा यह मत है कि मृतका की मृत्यु गला घोंट कर कारित किए जाने से संबंधित कोई विवाद नहीं है जो कि एक मानव वध है ।

8. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री शम्भूचरन नाथ शर्मा ने यह दलील दी है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन जो कि दो ग्रामरक्षियों को दिया गया बताया गया है, न तो स्वेच्छा से दिया गया है और न ही वह

विधि की दृष्टि से स्वीकार्य है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन, जैसाकि अभि. सा. 2 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित है, न्यायालय में दिए गए कथन से मेल नहीं खाता है और चिकित्सीय साक्ष्य भी न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन के प्रतिकूल है जैसाकि उन दोनों साक्षियों द्वारा न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अपराध कारित करने का कोई भी हेतु नहीं है और परिस्थितियों की शृंखला भी पूर्ण नहीं है, इसलिए अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है । विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्रीमती शाश्वत पटनायक ने इसका विरोध करते हुए यह दलील दी है कि अपीलार्थी और मृतका को एक साथ शुक्रवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार से वापस आते हुए देखा गया था और उसी दिन यह घटना घटित हुई थी और अभि. सा. 2 के समक्ष दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन की अंतर्वस्तु से स्पष्ट रूप से अपराध कारित करने का हेतु उपदर्शित होता है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि चूंकि ग्रामरक्षी के समक्ष दिया गया न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन ग्राह्य है और इस बात का कोई कारण नहीं है कि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य दे, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए दोषसिद्ध करके न्यायोचित किया है ।

9. स्वीकृततः, इस मामले में ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि अपराध किसने कारित किया है और यह अपराध कब कारित किया गया और कैसे कारित किया गया । यह मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित विधि कोई अनिर्णीत विषय नहीं है । पारिस्थितिक साक्ष्य से अभिप्राय ऐसा साक्ष्य है जो साबित किए जाने वाले तथ्य से संबंधित किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य न हो किंतु ऐसे तथ्य या उससे संबंधित तथ्यों के आधार पर जिनका अवलंब मुख्य तथ्य के अतिरिक्त अन्य असंगत तथ्य के रूप में लिया जाता है और जिससे अटकल के आधार पर विवाद्य तथ्य या तथ्य-प्रमेय पर विचार किया जाता है । पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर किसी अपराध के आरोप को साबित करने से संबंधित विधि इस प्रकार है कि ऐसी परिस्थितियां जिनसे दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना हो, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिए । इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त को दोषी होने की परिकल्पना के साथ ही संगत नहीं होने चाहिए अपितु उसकी निर्दोषिता के साथ भी असंगत होने चाहिए और ऐसी परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति

की होनी चाहिए और उनसे अन्य किसी भी परिकल्पना संभाव्य नहीं होनी चाहिए सिवाय उस परिकल्पना के जो साबित की गईं हैं । अन्य किसी भी परिकल्पना के आधार पर तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए । अभियुक्त द्वारा इस परिस्थिति को साबित किया गया है या नहीं, यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । यदि परिस्थितियां या उनमें से कुछ परिस्थितियां किसी भी युक्तियुक्त परिकल्पना से स्पष्ट की जा सकती हैं तब ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को उस परिकल्पना का लाभ मिलना चाहिए । इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी भी तर्कहीन परिकल्पना के आधार पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है, अपितु इसका अर्थ यह है कि परिकल्पना का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से किया जाना चाहिए । अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई सभी परिकल्पनाओं का समाधान करे चाहे वे कितनी ही दूरस्थ और बनावटी हों । साक्ष्य की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि अभियुक्त निर्दोष है और उससे यह दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के आधार पर अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया है । पारिस्थितिक साक्ष्य ऐसे तथ्यों का संयोजन होना चाहिए जिनके आधार पर अभियुक्त के बचकर निकलने की कोई गुंजाइश न रह सके क्योंकि सम्पूर्ण तथ्यों पर एक साथ विचार करने पर अभियुक्त के दोषी होने के सिवाय अन्य कोई निष्कर्ष न निकले । यह सत्य है कि अभियोजन पक्षकथन में साक्ष्य की शृंखला की कोई भी कड़ी लुप्त नहीं होनी चाहिए किंतु विधि के अनुसार ऐसा नहीं है कि प्रत्येक कड़ी प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट हो जाए । साक्ष्य की कुछ कड़ियां साबित किए गए तथ्यों से प्रकट होती हैं । ऐसे मामलों का मूल्यांकन करते समय सदैव यह खतरा बना रहता है कि अनुमान और अटकलें विधिक सबूत का रूप ले लेते हैं और इस प्रकार न्यायालयों को सावधानी बरतनी चाहिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमान और संदेह को विधिक सबूत का स्थान नहीं दिया गया है । घोर संदिग्ध परिस्थितियां निश्चायक साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकतीं चाहे पक्षकार उन्हें स्पष्ट न करे । पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय कड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और यदि अवलंबित साक्ष्य से दो निष्कर्ष निकलते हैं, तब अभियुक्त के पक्ष में निकलने वाला निष्कर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए । इस प्रकार, यदि अभियुक्त को दोषसिद्ध

करने के संबंध में, साबित किए गए तथ्यों का संचयी प्रभाव स्पष्ट, निश्चायक और अधिक्षेपातीत है, तब दोषसिद्धि न्यायोचित होगी चाहे कोई भी या अधिकांश तथ्य निश्चायक न हों ।

10. अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत पर विचार करने पर यह पता चलता है कि अभि. सा. 1 द्वारा यह कथन किया गया है कि उसने अपीलार्थी और मृतका को शुक्रवार के दिन बाजार में रात्रि के समय तब देखा था जब वे अपने घर वापस आ रहे थे । अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी की पत्नी को इस घटना के पूर्व कभी भी नहीं देखा था । अतः, अभि. सा. 1 का यह कथन कि उसने अपीलार्थी को मृतका के साथ देखा था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि उसने मृतका को पहले कभी नहीं देखा था तब वह यह कैसे जान सकता है कि जो महिला अपीलार्थी के साथ थी वह मृतका ही थी । इसके अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिस शुक्रवार को अभि. सा. 1 ने अपीलार्थी और उसकी पत्नी को एक साथ देखा था उसी दिन घटना घटित हुई थी ।

अभि. सा. 5 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना के दिन वह दसमन्तपुर ग्राम के निकट लगने वाले शुक्रवार बाजार गया था जहां अपीलार्थी और पत्नी भी गए थे और इस साक्षी ने उन्हें घर वापस आते हुए देखा था । तथापि, अभि. सा. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी और उसकी पत्नी को बाजार से अपने ग्राम की ओर जाते हुए नहीं देखा था और इस साक्षी ने उन्हें बाजार में देखा तो था किंतु उसने उनसे बात नहीं की थी । इस प्रकार अभि. सा. 5 का साक्ष्य इतना ठोस नहीं है कि अंतिम बार देखे गए साक्ष्य को प्रबल कर सके ।

अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत वहां लागू होता है जहां अभियुक्त और मृतक को साथ देखे जाने और मृतक के मृत अवस्था में पाए जाने के बीच समय अंतराल इतना कम होता है कि अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की कोई संभावना न हो सके । अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत लागू करते समय सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन पर विचार किया जाना चाहिए और यह ध्यान में रखना चाहिए कि अंतिम बार देखे जाने के पूर्व और पश्चात् की कौन-कौन सी परिस्थितियां हैं ।

अभि. सा. 1 और अभि. सा. 5 द्वारा दिए गए साक्ष्य की प्रकृति को दृष्टिगत करते हुए हम मृतका को अंतिम बार देखे जाने से संबंधित

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी को स्वीकार करने के लिए आनत नहीं हैं ।

11. अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अर्थात् दो ग्रामरक्षी (अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3) के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन, पर विचार करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है, जैसाकि **गरूवा नायक** बनाम **उड़ीसा राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा अधिकथित किया गया है, अभियुक्त द्वारा ग्रामरक्षी के समक्ष दिया गया संस्वीकृति कथन साक्ष्य में ग्राह्य है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 के अधीन प्रयोग की गई अभिव्यक्ति के अर्थान्तर्गत पुलिस अधिकारी नहीं है । तथापि, जब ग्रामरक्षी के समक्ष किया गया संस्वीकृति कथन साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, न्यायालय को चाहिए कि वह प्रज्ञा के नियमानुसार ऐसे संस्वीकृति कथन की सम्पुष्टि किए जाने पर बल दे ।

यदि अभियोजन पक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन का अवलंब लेता है तब न्यायालय को उस पर कड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ विचार करना चाहिए । न्यायालय यह उपधारित नहीं कर सकते कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन सदैव संदिग्ध होता है या वह निर्बल साक्ष्य है अपितु संस्वीकृति कथन परिस्थितियों की प्रकृति, उसके अभिलिखित किए जाने के समय और उन साक्षियों की विश्वसनीयता जिन्होंने संस्वीकृति कथन के संबंध में साक्ष्य दिया है, पर निर्भर करता है और इस बात पर भी निर्भर करता है कि संस्वीकृति कथन स्वेच्छया दिया गया है या नहीं और यह सत्य है या नहीं । जब न्यायालय सम्पूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन के आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए आशयित हो, तब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह विश्वसनीय हो और उसकी सम्पुष्टि अन्य स्वतंत्र और विश्वसनीय अभियोजन साक्ष्य से होती है । जब न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन संदिग्ध परिस्थितियों से आच्छादित होता है और उसमें सारभूत् खामियां होती हैं या अंतर्निहित असंभाव्यताएं होती हैं और अभियोजन वृत्तांत के अनुसार तर्कसम्मत प्रतीत नहीं होती हैं तब ऐसी स्थिति में संस्वीकृति कथन की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और वह महत्वहीन हो जाती है और न्यायालय के लिए इस

---

[1] (2014) 57 उड़ीसा क्रिमिनल रिपोर्ट 820 = ए. आई. आर. 2014 उड़ीसा 51.

आधार पर दोषसिद्धि करना उचित नहीं होगा । संस्वीकृति कथन अन्य किसी तथ्य की भांति साबित किया जाना चाहिए और उसका महत्व उन साक्षियों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है जिनके समक्ष वह दिया गया था । न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन सत्य, स्वेच्छा से और सचेत अवस्था में दिया गया साबित किया जाना चाहिए और वह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए । साक्षियों के शब्द स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिएं और उनसे यह पता चलना चाहिए कि अभियुक्त ने ही अपराध कारित किया है । संस्वीकृति कथन का अवलंब लिया जा सकता है और उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है परंतु यह तब जबकि संस्वीकृति कथन से संबंधित साक्ष्य सीधा उन साक्षियों से प्राप्त हो जो निष्पक्ष हैं जिनका दूर-दूर तक अभियुक्त के साथ कोई प्रतिकूल संबंध न हो और जिनसे ऐसी कोई सामग्री सामने न आए जिसके आधार पर यह उपदर्शित होता हो कि वे अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या कथन दे रहे हैं । अभियुक्त के पास ऐसा कारण होना चाहिए कि गोपनीयता को बनाए रखने में उस पर और साक्षियों पर विश्वास किया जा सके । जब न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन अभियुक्त द्वारा वापस लिया जाता है, तब ऐसा कोई कड़ा नियम नहीं है कि न्यायालय इस प्रकार कथन वापस लिए जाने को स्वीकार ही करे अपितु ऐसा करना न्यायालय के लिए अनुचित हो सकता है जब तक कि सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि वापस लिया गया संस्वीकृति कथन सत्य है ।

अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा दिया गया यह साक्ष्य कि जब वे शौच के लिए जा रहे थे तब अपीलार्थी उनके निकट आया और उसने न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन दिया, ऐसी गढ़ी हुई कहानी है जिस पर विश्वास करना कठिन है । संस्वीकृति कथन में उल्लिखित इस बात की चिकित्सीय साक्ष्य से सम्पुष्टि नहीं होती है कि अभियुक्त ने मृतका को जमीन पर बलपूर्वक पटका था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी ने यह संस्वीकृत किया था कि उसने मृतका का गला घोंटा है और लातें मारकर उसकी हत्या की है । संस्वीकृति कथन में हेतु से संबंधित तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जैसाकि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है । अपीलार्थी और अभि. सा. 2 तथा अभि. सा. 3 के बीच कोई भी निकट सम्पर्क नहीं हुआ था, अतः ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि

अपीलार्थी को इन दोनों साक्षियों पर इतना विश्वास हो गया था कि उसने अपना रहस्य उनको बता दिया । अपीलार्थी को इससे कोई सहायता नहीं मिल सकती कि उसने अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के समक्ष संस्वीकृति कथन दिया था । इन परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए, हमारा यह मत है कि ये दोनों ग्रामरक्षी मिथ्या न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन को साबित करने के लिए साक्षी बनाए गए हैं ।

इस प्रकार दोनों अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ढुल-मुल है और उनके साक्ष्य से निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा कोई भी न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन दिया गया था । हमें इस साक्ष्य पर संदेह है और हमारा यह मत है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन के साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं ।

इसी प्रकार अभि. सा. 4 द्वारा दिया गया यह साक्ष्य कि दसमन्तपुर पुलिस थाने में रूशी बिसोई द्वारा किए गए परिप्रश्न के दौरान अपीलार्थी ने हत्या कारित करना संस्वीकृत किया जो कि साक्ष्य की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त रूशी बिसोई की परीक्षा नहीं कराई गई है और इसके अतिरिक्त यह साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के अधीन वर्जित है ।

यदि न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन को अनदेखा किया जाए और उस पर विचार नहीं किया जाए तब अपीलार्थी की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारे समक्ष अन्य कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है ।

12. अभियोजन पक्ष ने इस अपराध के कारित किए जाने का कोई भी हेतु सिद्ध नहीं किया है । अपीलार्थी और मृतका के चार पुत्र और एक पुत्री है । इन दोनों के बीच मतभेद होने का कोई भी साक्ष्य नहीं है । यदि तथाकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन में उल्लिखित इस कारण पर ही विचार किया जाए कि मृतका अपीलार्थी के बार-बार कहने के बावजूद तेज कदमों से नहीं चल रही थी इसलिए हत्या की गई, तब भी यह कारण चलने योग्य नहीं है । पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में हेतु का बहुत महत्व है जिसका यह कारण है कि हेतु के न होने पर न्यायालय अपने विवेक से काम लेगा और प्रत्येक साक्ष्य बारीकी से संवीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संदेह, लोप और अनुमान सबूत का स्थान नहीं ले सकते ।

13. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए, हमारा यह मत है कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित कर दिया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में जो निष्कर्ष निकाले हैं वे बिल्कुल भी स्वीकार्य और तर्कसम्मत नहीं हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अनुमान और संदेह के आधार पर कार्यवाही की है और आक्षेपित निर्णय केवल एक नैतिक दोषसिद्धि है । "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच बहुत बड़ा अंतर है और यह अंतर अनुमान और निश्चित निष्कर्ष के बीच होता है । इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि संदेह कितना ही भी ठोस क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता । निःसंदेह, इस मामले में जघन्य अपराध कारित किया गया है किंतु भावनाओं और भावुकताओं का दांडिक विचारण में कोई स्थान नहीं है । अपराध जितना गंभीर होगा उसे सिद्ध करने के लिए सबूत भी उतना ही ठोस होना चाहिए ।

इस प्रकार हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी के विरुद्ध मामला अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह के परे साबित नहीं किया गया है, अतः उसे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

परिणामतः, अपीलार्थी द्वारा जेल से की गई दांडिक अपील मंजूर की जाती है और दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी अपनी गिरफ्तारी की तारीख से जेल की अभिरक्षा में है । यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल छोड़ा जाए ।

इस निर्णय की एक प्रति के साथ निचले न्यायालय का अभिलेख आवश्यक कार्रवाई के लिए विचारण न्यायालय को तत्काल भेजा जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस./पां.

भीमा भोई

बनाम

ओडिशा राज्य

तारीख 27 जनवरी, 2016

न्यायमूर्ति एस. के. साहू

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग – पीड़िता की आयु – पीड़िता द्वारा अभिकथित घटना के समय पर अपनी आयु 15 वर्ष होने का कथन किया जाना व पीड़िता का देहाती क्षेत्र और गरीब परिवार से संबंधित होना – पीड़िता के पास आयु के सबूत के संबंध में विद्यालय प्रमाणपत्र न होना – यदि डाक्टर द्वारा पीड़िता की अस्थि परीक्षा करने पर उसकी आयु 18 से 19 वर्ष के बीच बताई गई है और उस डाक्टर की न्यायालय में परीक्षा नहीं की गई तो पीड़िता द्वारा बताई गई आयु को चुनौती नहीं दी जा सकती ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154] – बलात्संग – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब – अभियुक्त द्वारा पीड़िता को विवाह का आश्वासन देकर उसके साथ कई अवसरों पर बलात्संग किया जाना – पीड़िता द्वारा विवाह के आश्वासन के कारण प्रेम प्रसंग की बातों को प्रकट न किया जाना – पीड़िता द्वारा गर्भधारण करने के पश्चात् उस बारे में अपने कुटुंब के सदस्यों को बताया जाना – अभियुक्त द्वारा गांववासियों द्वारा बुलाई गई बैठक में पीड़िता से विवाह करने से इनकार किया जाना – यदि अभियोजन पक्ष ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने का समाधानप्रद स्पष्टीकरण दिया है तो ऐसा विलंब अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है ।

दंड संहिता, 1860 धारा – 375(6) – बलात्संग – सहमति – यदि पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम है और अभियुक्त द्वारा पीड़िता की सहमति विवाह का झूठा आश्वासन देकर ली गई है तो विधि की दृष्टि में सहमति नहीं मानी जाएगी और अभियुक्त धारा 375(6) के अर्थ में बलात्संग का दोषी माना जाएगा ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 112] – बलात्संग – डी. एन. ए. परीक्षा – मामले में बच्चे के पैतृत्व के बारे में कोई मुद्दा नहीं है बल्कि मुद्दा यह है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता से बलात्संग किया गया था या नहीं, अतः न्यायालय द्वारा डी. एन. ए. परीक्षा के लिए निदेश नहीं दिया जा सकता है ।

पीड़िता 'आरबी' द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष थी और ग्राम बंजीपाली, बिनका पुलिस थाना, जिला सोनेपुर की रहने वाली थी । वह अत्यधिक गरीब थी और अपने माता-पिता के साथ काम करती थी क्योंकि भिन्न-भिन्न गांवों से केंदु पत्ते के बंधुआ श्रमिक के रूप में वे लोग कार्य करते थे । एक ठेकेदार अर्थात् जालू हुए जो ग्राम केनीटारा का रहने वाला था, वह केंदु पत्ते का कारबार करता था । अपीलार्थी भीमा भोई जो ठेकेदार जालू हुए का भतीजा है, वह भी अपनी माता के साथ केंदु पत्ते के व्यवसाय में बंधुआ श्रमिक के रूप में कार्य करता था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि जेठ के महीने में जब पीड़िता अपने माता-पिता और अन्य लोगों के साथ ग्राम जबाड में केंदु पत्ते को लपेटने के कार्य में लगी हुई थी उस समय अपीलार्थी अपनी माता और चाचा के साथ भी वहां पर मौजूद था और उन्हीं क्रियाकलाप में लगा हुआ था । जेठ के महीने में एक दिन रात्रि में जब पीड़िता अस्थायी शेड (टेन्ट) में सोई हुई थी तो उस समय अपीलार्थी वहां पर पहुंचा और उसने उसके साथ बलपूर्वक बलात्संग किया । जब पीड़िता चिल्लाई तब अपीलार्थी ने उसे विवाह करने का आश्वासन दिया । उसने ऐसे आश्वासन देने के बाद कई अवसरों पर पीड़िता के साथ अपने मैथुन संबंध बनाए रखे । इसके पश्चात्, पीड़िता श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए ग्राम दुलन्दा चली गई । अपीलार्थी ने तब भी उसके साथ मैथुन संबंध बनाए रखे । पीड़िता और अपीलार्थी एक ही जाति से संबंधित हैं और अपीलार्थी ने पीड़िता को विवाह करने का आश्वासन दिया था और साथ ही साथ उसे अपने माता-पिता के समक्ष अवैध संबंधों के बारे में बताने के लिए नहीं कहा । अपीलार्थी ने किसी भी व्यक्ति को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताने के लिए उसे धमकाया भी था । इसके पश्चात्, पीड़िता ग्राम छूलीमल में श्रमिक कार्य करने के लिए चली गई थी जहां भी अपीलार्थी ने उसके साथ मैथुन संबंध बनाए रखे थे । तत्पश्चात् पीड़िता ग्राम माहुलपाली पहुंची और वहां भी वह श्रमिक के रूप में कार्य करती थी, तब उसने यह महसूस

किया कि वह गर्भवती हो गई तो उसने अपने गर्भधारण के संबंध में अपीलार्थी को बताया जिसने उससे यह कहा कि वह गर्भ न गिराए और पुनः उसे विवाह का आश्वासन दिया । उस समय पीड़िता ने अपीलार्थी से अपने प्रेम प्रसंग के बारे में अपने माता-पिता, चाचा और अन्य लोगों को बताया । पीड़िता के कुटुम्ब के सदस्य अपीलार्थी के पास पहुंचे और उसने पीड़िता के गर्भधारण के बारे में अपने संबंध होने के बारे में विरोध प्रकट किया बल्कि अपीलार्थी ने उसके गर्भधारण के बारे में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की । इस संबंध में पीड़िता के माता-पिता द्वारा ग्राम पेन्टारा में तारीख 28 अक्तूबर, 2004 को बैठक बुलाई गई थी जिस बैठक में भिन्न-भिन्न गांवों के कई व्यक्ति मौजूद थे । उस बैठक में भी अपीलार्थी ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की और पीड़िता से विवाह करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार बैठक में कोई भी बात तय नहीं की जा सकी । कोई निष्कर्ष न निकलने पर पीड़िता अपनी माता, चाचा और बड़े भाई के साथ पुलिस थाने गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । बिनका पुलिस थाना के भारसाधक अर्थात् किशोर कुमार पाणिग्रही (अभि. सा. 8) ने लिखित में पीड़िता की मौखिक रिपोर्ट लिखी और उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में माना गया तथा दंड संहिता की धारा 493 और 376 के अधीन तारीख 6 नवंबर, 2004 को बिनका पुलिस थाने में मामला सं. 91 दर्ज किया गया था और मामले पर उसने स्वयं अन्वेषण किया । अभि. सा. 8 ने अन्वेषण के दौरान पीड़िता, उसकी माता, बड़ा भाई और अन्य साक्षियों की परीक्षा की और घटनास्थल पर गया तथा घटनास्थल नक्शा प्रदर्श-3 तैयार किया । उसने पीड़िता को चिकित्सा परीक्षा के लिए ए. डी. एम. ओ. जिला मुख्यालय अस्पताल, सोनेपुर भेजा । उसने तारीख 6 नवंबर, 2004 को अपीलार्थी को गिरफ्तार किया तथा उसे चिकित्सा परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारी सी. एच. सी., बिनका भेजा गया था और उसके बाद उसी दिन उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था । तारीख 8 नवंबर, 2004 को पीड़िता को हड्डी की परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल, बोलानगिर भेजा गया था और इसके पश्चात् उसने अभियुक्त की चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त की । तारीख 8 दिसंबर, 2004 को अन्वेषक अधिकारी ने चिकित्सा परीक्षा के लिए पीड़िता को गाइकानोलोजिस्ट सी. एच. सी., बिनका भेजा था । तारीख 31 दिसंबर, 2004 को अन्वेषक अधिकारी ने प्रोफेसर एफ. एम. टी. बी. एस. एस. चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल बुरला के पास पीड़िता की एक्स-रे प्लेट भेजी थी तथा रिपोर्ट एकत्रित की गई । अन्वेषण

पूरा करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 493, 417 और 506 के अधीन तारीख 3 जनवरी, 2005 को अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया था । आरोप पत्र पेश करके मामले को विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया था जहां विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को तारीख 15 सितंबर, 2005 को दंड संहिता की धारा 493, 417, 376 और 506 के अधीन आरोपित किया और चूंकि अपीलार्थी ने आरोप का खंडन किया और दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया तथा विचारण किए जाने का दावा किया । सेशन विचारण प्रक्रिया उसे अभियोजित करने के लिए बहाल की गई थी और उसे दोषसिद्ध किया गया । अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रथम घटना के समय पर पीड़िता की आयु का उल्लेख करने पर पीड़िता ने अपने बयान देते समय अपनी आयु 15 वर्ष होने की बात कही है और जो बयान तारीख 5 अक्तूबर, 2005 को दिया गया था । पीड़िता के अनुसार प्रथम घटना ग्राम जबादा में मध्य रात्रि के दौरान लगभग एक वर्ष पूर्व घटी थी । इस प्रकार, न्यायालय में वर्णित पीड़िता के कथनानुसार घटना के समय पर उसकी आयु 15 वर्ष से कम थी । उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपनी 16 वर्ष की आयु का उल्लेख किया है जो प्रथम घटना के पश्चात् लगभग सात मास पर दर्ज की गई थी । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि पीड़िता की माता की अभि. सा. 5 के रूप में परीक्षा की गई थी परन्तु उसने पीड़िता की आयु के बारे में कुछ भी कथन नहीं किया है । किसी अन्य साक्षी ने भी पीड़िता की आयु के बारे में कथन नहीं किया है । कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मतिथि प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदि अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता की आयु के सबूत के रूप में पेश नहीं किया है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता अप्राप्तवय थी । यद्यपि, जन्मतिथि प्रमाणपत्र के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया था परन्तु पीड़िता दूरस्थ देहाती क्षेत्र की रहने वाली है और वह और उसके कुटुंब के सदस्य केंदु पत्तों के बंधुआ श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे थे । यह उचित नहीं होगा कि जन्मतिथि प्रमाणपत्र को पेश न करने पर उसकी आयु के संबंध में परिसाक्ष्य को अस्वीकार किया गया था । इस बारे में भी कोई सामग्री नहीं है कि पीड़िता किसी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और इसलिए उसकी आयु के सबूत के संबंध में किसी शैक्षणिक प्रमाणपत्र की आशा नहीं की जानी

चाहिए । यद्यपि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और न्यायालय में वर्णित आयु के बारे में थोड़ी-बहुत विचलन है परन्तु न्यायालय में वर्णित पीड़िता की आयु के संबंध में साक्ष्य को किसी तरह विनिर्दिष्ट चुनौती नहीं दी गई है और मामले में सभी चारों ओर की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, मेरा यह मत है कि पीड़िता की बलात्संग की प्रथम घटना के समय पर उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी । अन्वेषण के दौरान पीड़िता को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था और हड्डी की परीक्षा के लिए उसका एक्स-रे जिला मुख्यालय अस्पताल, बोलनगिर में लिया गया था और एक्स-रे प्लेटों की सं. 2361, 2362, 2363 को तारीख 8 नवंबर, 2014 को पीड़ित लड़की की आयु का निर्धारण करने के लिए प्रोफेसर, एफ. एम. टी., वी. एस. एस. चिकित्सा महाविद्यालय और बरुला सांभलपुर के अस्पताल के समक्ष पेश की गई थी । एफ. एम. टी. के प्रोफेसर और एच. ओ. डी. ने पेश किए गए एक्स-रे प्लेट पर पीड़िता की आयु 18 से 19 वर्ष बताई है और यह बात उन्होंने अपनी परीक्षा के समय अर्थात् तारीख 31 दिसंबर, 2004 को प्रकट की है । निःसंदेह, डाक्टर ने एक्स-रे प्लेटों का अवलंब लिया है जो पीड़िता की हड्डी परीक्षा रिपोर्ट पर वर्णित है और पीड़िता की आयु 18 से 19 वर्ष होने के बारे में अपनी राय व्यक्त की है परन्तु टेक्निशियन, जिसने यह कथन किया है कि उसने पीड़िता की एक्स-रे परीक्षा की है तथा जिला मुख्यालय अस्पताल, बोलनगिर में एक्स-रे प्लेटों को तैयार किया, उसकी न्यायालय में परीक्षा नहीं की गई और इसलिए एक्स-रे रिपोर्ट से मामला साबित नहीं हो पाया है, हड्डी परीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्ष प्रदर्श 6/2 को साबित करने में कठिनाई होगी विशेषकर जब डाक्टर जिसने यह रिपोर्ट दी है, उसकी परीक्षा न की गई हो । ऊपर वर्णित तथ्यों से इन रीतियों के संबंध में काफी दयनीय स्थिति प्रकट होती है जिसमें अन्वेषण को किया गया था तथा उस रीति के बारे में भी जिसमें लोक अभियोजक पीड़िता की आयु के सबूत के संबंध में अभिलेख पर सुसंगत सामग्री को लाने में विफल हुआ है । अन्वेषक अधिकारी को टेक्निशियन को उद्धृत किया जाना चाहिए था जिसने साक्षी के रूप में जिला मुख्यालय अस्पताल, बोलनगिर में एक्स-रे तैयार किया था । उसको एक्स-रे रिपोर्ट्स को भी एकत्रित करना चाहिए था । तथापि, यदि अन्वेषण दोषपूर्ण हुआ था तो यह पीड़िता या साक्षियों का दोष नहीं था । त्रुटिपूर्ण अन्वेषण के मामले में न्यायालय को अति सावधानीपूर्वक साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए और यह बात उचित नहीं होगी कि त्रुटिपूर्ण अन्वेषण के एकमात्र कारण से अभियुक्त दोषमुक्त कर

दिया जाए । ऐसा करना अन्वेषक अधिकारी के हाथों में खेलने के बराबर है और अन्वेषण त्रुटिपूर्ण माना जाएगा । इसी तरह लोक अभियोजक ने बरुला सांभलपुर के अस्पताल के एफ. एम. टी. विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डा. अभिराम बेहरा की परीक्षा नहीं कराई । जिन्होंने विचारण के दौरान हड्डी परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श 6/2 तैयार की यद्यपि, जिसे आरोप पत्र में साक्षी के रूप में दिखाया गया है और वह अन्वेषक अधिकारी है जिन्होंने रिपोर्ट को साबित किया है । लोक अभियोजक ने अपने कानूनी कृत्य का निर्वहन करने में तकनीकी रूप से कार्य नहीं किया है जिस वजह से अभियुक्त को असम्यक् फायदा दिया गया है । जो कुछ भी ऊपर वर्णित किया गया है उन बातों को ध्यान में रखते हुए यह अत्यधिक कठिन है कि रिपोर्ट प्रदर्श 6/2 के अनुसार पीड़िता की आयु के बारे में निष्कर्षों का अवलंब लिया जाए । इस प्रकार, चिकित्सा साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते हुए पीड़िता का अपनी आयु के संबंध में जो परिसाक्ष्य दिया गया है उसे चुनौती नहीं दी गई, उस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा यह मत है कि बलात्संग की प्रथम घटना के समय पर पीड़िता की आयु 16 वर्ष थी । (पैरा 9)

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में असाधारण विलंब पर अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास किया जाना स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है । बलात्संग के मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में विलंब को अप्रायिक तत्व के रूप में नहीं माना जा सकता है । बलात्संग पीड़िता के लिए बहुत शर्म की बात है और काफी मनाने के बावजूद बलात्संग की पीड़िता रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाने पर जाने के लिए सहमत होती है । देहाती क्षेत्र के संबंध में जहां बाध्यात्मक समाज के अपने रीति-रिवाज होते हैं, इसलिए यह पूर्णतया असुरक्षित होगा कि मात्र इस आधार पर अभियोजन पक्षकथन को हटा दिया जाए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में कुछ विलंब हुआ था । न्यायालय घटना के संबंध में अभियोक्त्री द्वारा भोगी गई प्रताड़ना को दृष्टि से ओझल नहीं कर सकता है । अभियोक्त्री और उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा मामले को संस्थित करने के लिए पुलिस थाने जाने के लिए अनिच्छा व्यक्त करना, इसमें पीड़िता और सम्पूर्ण कुटुंब की प्रतिष्ठा का संबंध होता है । कई महत्वपूर्ण कारक बलात्संग के मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब का कारण हो सकते हैं । वर्तमान मामले में, पीड़िता को अपीलार्थी द्वारा कई अवसरों पर विवाह किए जाने का आश्वासन दिया गया था जिस वजह से वह अपीलार्थी के साथ अपने अवैध

संबंधों को किसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट न करते हुए खामोश रही । वह गर्भवती हो गई और इसके पश्चात् जब अपीलार्थी ने उससे चालाकी करने का प्रयास किया तब उसने अपनी माता के समक्ष उक्त बातों को प्रकट किया । उक्त मुद्दे को तय करने के लिए बैठक बुलाई गई थी परन्तु जब अपीलार्थी ने पीड़िता के साथ अपने प्रेम संबंध होने से इनकार किया तब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के बारे में विलंब के बारे में कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया है या जिस कारण से अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास किया जाना चाहिए । (पैरा 10)

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि पीड़िता सहमति पक्षकार थी और इसलिए, दंड संहिता की धारा 376 के अधीन उसकी दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए, यह बात पूर्णतया अस्वीकार योग्य है । पीड़िता ने यह कथन किया है कि मध्य रात्रि के दौरान वह टेन्ट के अन्दर सोई हुई थी, अपीलार्थी ने टेन्ट के अन्दर प्रवेश किया और उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया और उसके साथ बलपूर्वक मैथुन किया । उसने यह भी कथन किया है कि जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तब अपीलार्थी ने उससे शोर नहीं करने के लिए कहा और उसे विवाह करने का वचन दिया । चूंकि मैंने बलात्संग की प्रथम घटना की तारीख को अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम होने की बात को अभिनिर्धारित किया है इसलिए उसकी सहमति अतात्विक और अप्रामाणिक है । इस संबंध में दंड संहिता की धारा 375 के छठे खण्ड पर विचार किया जा रहा है । एक अन्य मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पहली बात जिसे ध्यान में रखना चाहिए कि अभियोक्त्री 16 वर्ष से कम आयु की थी । इस तथ्य पर दंड संहिता की धारा 375 का छठा खंड मैथुन के लिए अभियोक्त्री की सहमति पर लागू होगी, यह बात अतात्विक और अपरिणामिक है । इसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है कि जो पुरुष एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छह भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्संग करता है, यह कहा जाता है कि उस स्त्री की सहमति या बिना सम्मति के जबकि वह 16 वर्ष से कम आयु की है । स्पष्टीकरण – बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है । पीड़िता ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि न केवल प्रथम घटना के समय पर बल्कि पश्चात्वर्ती अवसरों पर भी अपीलार्थी ने उससे बलात्संग करते समय विवाह

करने का वचन दिया था, बलात्संग का कार्य भिन्न-भिन्न स्थानों पर गुलन्दा, चुलमिल, मुहुलपाली पर किया गया था जिस वजह से उसका गर्भ ठहर गया था । पीड़िता ने यह कथन किया है कि प्रथम घटना के समय पर जब उसने अपीलार्थी से मामले को प्रकट करने के लिए कहा तब उसने उससे विवाह करने का वचन दिया क्योंकि वे दोनों एक ही जाति से संबंधित थे । पीड़िता ने यह भी कथन किया कि वह कभी भी अपीलार्थी के पास नहीं गई थी बल्कि वह उसके पास आया करता है । पीड़िता ने आगे यह भी कथन किया है कि वह घटना से पूर्व अपीलार्थी के मकान पर नहीं गई थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसने अपने गर्भधारण के बारे में कोई बात प्रकट नहीं की क्योंकि अपीलार्थी ने उससे यह कहा था कि वह यह बात किसी को भी न बताए । पीड़िता ने जानकारी के आधार पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के पश्चात् अपनी आयु से स्वैच्छिक भागीदारी की और यह प्रतिरोध और सहमति के बीच पूर्ण प्रयोग है और विधि की दृष्टि में इसे सहमति नहीं माना जा सकता है । पीड़िता न केवल 16 वर्ष से कम आयु की थी बल्कि अपीलार्थी द्वारा उसे प्रभाव में लिया गया था कि वह उससे विवाह करेगा क्योंकि वे दोनों एक ही जाति से संबंधित हैं । पीड़िता ने यह भी विश्वास किया कि उन दोनों के बीच विवाह संभव हो सकता है । उसे इस कार्य के परिणामों के बारे में जानकारी नहीं रही होगी और उसने अपीलार्थी की पहल पर प्रतिरोध नहीं किया और इस बात को प्रतिरोध और सहमति के बीच स्वतंत्र अभ्यास किया जाना नहीं कहा जा सकता और इसलिए उसकी सहमति यदि कोई थी तो इससे भ्रामक तथ्य प्रकट होता है । अपीलार्थी को यह जानकारी थी कि पीड़िता द्वारा दी गई सहमति तथ्य के भ्रामक परिणाम के अन्तर्गत थी और वह पीड़िता की सहमति लेने के लिए बार-बार उससे जानबूझकर विवाह करने का वचन दिया करता था । इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का उससे विवाह करने का कभी भी आशय नहीं रहा था बल्कि उसने अप्राप्तवय लड़की के जीवन में खेल करना चाहा था और उसको भुला देना चाहता था । यह सटीक कारण रहा है क्योंकि उसने हर जगह पर पीड़िता का पीछा किया और उससे शारीरिक संबंध बनाए रखे । जब पीड़िता गर्भवती हो गई तब अपीलार्थी ने पितृत्व से इनकार किया और बैठक में पीड़िता से विवाह करने से इनकार कर दिया । (पैरा 11)

एक अन्य मामले में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत विनिश्चयों के विनिश्चयाधार का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमें

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सहमति के बारे में कोई निष्कर्ष मामले के साक्ष्य या संभाव्यता के आधार पर ही निकाला जा सकता है । 'सहमति' का जानबूझकर किए गए कार्य के कारणों पर इसका कथन किया जाता है । इससे यह संकेत मिलता है कि किसी व्यक्ति के विवेक से उत्पन्न सक्रिया इच्छा जिससे किसी कार्य को करने के लिए वह अनुध्यात होता है । दंड संहिता की धारा 90 में 'सहमति' की अभिव्यक्ति का उल्लेख किया गया है । यद्यपि धारा 90 में 'सहमति' को परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु इस बात को वर्णित किया गया है कि सहमति में किन बातों को सम्मिलित नहीं किया गया है । 'सहमति' धारा 375 के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक भागीदारी अपेक्षित है न केवल बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के पश्चात् जो महत्व की जानकारी पर आधारित हो और कार्य की आदर्शगुणता पर बल्कि प्रतिरोध और सहमति के बीच चुनाव का पूर्णतया प्रयोग करने के पश्चात् ही आदर्शगुणता का पता लगाया जा सकता है । क्या सहमति थी या नहीं, सभी सुसंगत परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके अभिनिश्चयन किया जाता है । एक अन्य मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित, अवपीड़िक या दिग्भ्रमित हो सकती है जिसे स्वेच्छयापूर्वक या धोखे के माध्यम से प्राप्त किया जाता है । सहमति विचार-विमर्श करके कारणयुक्त कार्य है, इस बात को ध्यान में लेने पर उसके दोनों पहलू अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं । बलात्संग और सहमतिजन्य मैथुन के बीच स्पष्ट विभेद है, जैसा कि इस मामले में है, न्यायालय को अति सावधानीपूर्वक इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त वास्तविक रूप से पीड़िता से विवाह करना चाहता था या उसका असद्भावी हेतु था और अपनी कामुकता की संतुष्टि के लिए ही उसने उसे मिथ्या वचन दिया था और यह बात धोखे की परिधि के अन्तर्गत आती है । वचन को भंग करना और मिथ्या वचन को पूरा न करने के बीच विभेद है । इस प्रकार, न्यायालय को यह परीक्षा करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त द्वारा प्रारंभिक प्रक्रम पर विवाह के लिए मिथ्या वचन दिया गया था, और क्या अन्तर्वलित सहमति पूर्णतया स्वभाव को समझकर अन्तर्वलित थी जिसमें मैथुन आसक्ति की भावना प्रकट थी । ऐसा भी मामला हो सकता है जहां अभियोक्त्री अभियुक्त के साथ अपने प्रेम के कारण मैथुन के लिए सहमत हुई हो और एकमात्र यह कारण नहीं है कि अभियुक्त द्वारा छल किए जाने के कारण ऐसा हुआ हो या जहां अभियुक्त ने ऐसी परिस्थितियों के कारण जिसे वह पहले से भांप नहीं सका या उसने अपना नियंत्रण खो दिया हो और विवाह करने के आशय के बावजूद भी वह उससे

विवाह करने में असमर्थ हो गया हो । ऐसे मामलों पर भिन्नता से विचार किया जाना चाहिए । अभियुक्त को केवल बलात्संग के लिए तभी दोषसिद्ध किया जा सकता है यदि न्यायालय इस निष्कर्ष में पहुंचता है कि अभियुक्त का आशय असद्भावपूर्ण था और उसका प्रछन्न हेतु था । इन उद्धरणों का विनिश्चयाधार वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि वर्तमान मामले में पीड़िता 16 वर्ष की आयु से कम है और यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उद्धृत विनिश्चयों को लागू किया जाए । (पैरा 12)

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा डी. एन. ए. टेस्ट को करने के बारे में दी गई दलील पर विचार करने पर, जिसमें बच्चे के पैतृत्व को साबित किया जाता है, विधि का सुस्थिर सिद्धांत यह है कि बच्चे के पैतृत्व के संबंध में डी. एन. ए. टेस्ट के लिए न्यायालय द्वारा दिनचर्या के रूप में निदेश नहीं दिया जाना चाहिए, जब कभी इस बारे में अनुरोध किया जाता है । इस मामले में ऐसी परीक्षा किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति ने अनुरोध नहीं किया था । इसके अतिरिक्त, बच्चे के पैतृत्व के संबंध में कोई मुद्दा नहीं है बल्कि मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थी ने कई अवसरों पर पीड़िता के साथ बलात्संग किया था । पीड़िता का साक्ष्य स्पष्ट और विश्वास योग्य है और उसके साक्ष्य से अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्यों तथा चिकित्सा साक्ष्य से संपुष्टि हुई है और इसलिए, मेरा यह मत है कि विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके ठीक ही किया है । चूंकि अपीलार्थी को सात वर्ष का कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है जो घटना के समय पर ऐसे अपराध के लिए विहित किया गया न्यूनतम दंडादेश है और विहित किए गए न्यूनतम दंडादेश से कम अधिरोपित करने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है । मेरा विनम्र यह विचार है कि अपीलार्थी के लिए दोषसिद्धि के अधिनिर्णय और कारावास का दंड और उस पर अधिरोपित किया गया जुर्माने में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । (पैरा 14)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 61 ओडिशा क्रि. रिपोर्ट्स 261 = 2015 क्रिमिनल ला जर्नल 1959 : **सतीश कुमार जयन्ती लाल डाबगढ़** बनाम **गुजरात राज्य** ;	11

[2013]	(2013) 56 ओडिशा क्रि. रिपोर्ट्स (एस. सी.) 684 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 4888 : **कायनीराजन** बनाम **केरल राज्य** ;	8, 12
[2013]	(2013) 55 ओडिशा क्रि. रिपोर्ट्स (एस. सी.) 891 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 2990 : **दीपक गुलाटी** बनाम **हरियाणा राज्य** ।	8, 12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की जे. सी. आर. एल. ए. सं. 70.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री प्रदीप कुमार डल

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री ज्योति प्रकाश पात्रा, अपर स्थायी काउंसेल

न्यायमूर्ति एस. के. साहू – यह एक ऐसा मामला है जो अनैच्छिक गर्भधारण का मामला है । नवजात बच्ची अविवाहित मां से पैदा हुई थी और इसमें सच्चे प्यार की झलक नहीं थी परन्तु बलपूर्वक प्यार किया गया था । पीड़िता के साथ किया गया बलात्संग एक दुखभरी कहानी है और बलात्संग उससे पूरे जीवनभर किया गया क्योंकि उसने विश्वासघाती प्रेमी पर विश्वास किया था जिसने उसे असुरक्षित रूप से जीने के लिए अनिश्चितता के दौर पर छोड़ दिया था ।

अपीलार्थी भीमा भोई द्वारा दंड संहिता की धारा 493, 417, 376 और 506 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए 2005 के सेशन विचारण सं. 28 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, सोनेपुर के न्यायालय में विचारण का सामना किया था । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 493, 417 और 506 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था । तथापि, उसे दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषी पाया गया था तथा 7 वर्ष के कठोर कारावास भोगने और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसके व्यतिक्रम करने पर 2 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया था ।

2. पीड़िता 'आरबी' द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष थी और ग्राम बंजीपाली, बिनका पुलिस थाना, जिला सोनेपुर की रहने वाली

थी । वह अत्यधिक गरीब थी और अपने माता-पिता के साथ काम करती थी क्योंकि भिन्न-भिन्न गांवों से केंदु पत्ते के बंधुआ श्रमिक के रूप में वे लोग कार्य करते थे । एक ठेकेदार अर्थात् जालू हुए जो ग्राम केनीटारा का रहने वाला था, वह केंदु पत्ते का कारबार करता था । अपीलार्थी भीमा भोई जो ठेकेदार जालू हुए का भतीजा है, वह भी अपनी माता के साथ केंदु पत्ते के व्यवसाय में बंधुआ श्रमिक के रूप में कार्य करता था।

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि जेठ के महीने में जब पीड़िता अपने माता-पिता और अन्य लोगों के साथ ग्राम जबाड में केंदु पत्ते को लपेटने के कार्य में लगी हुई थी उस समय अपीलार्थी अपनी माता और चाचा के साथ भी वहां पर मौजूद था और उन्हीं क्रियाकलाप में लगा हुआ था । जेठ के महीने में एक दिन रात्रि में जब पीड़िता अस्थायी शेड (टेन्ट) में सोई हुई थी तो उस समय अपीलार्थी वहां पर पहुंचा और उसने उसके साथ बलपूर्वक बलात्संग किया । जब पीड़िता चिल्लाई तब अपीलार्थी ने उसे विवाह करने का आश्वासन दिया । उसने ऐसे आश्वासन देने के बाद कई अवसरों पर पीड़िता के साथ अपने मैथुन संबंध बनाए रखे । इसके पश्चात्, पीड़िता श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए ग्राम दुलन्दा चली गई । अपीलार्थी ने तब भी उसके साथ मैथुन संबंध बनाए रखे । पीड़िता और अपीलार्थी एक ही जाति से संबंधित हैं और अपीलार्थी ने पीड़िता को विवाह करने का आश्वासन दिया था और साथ ही साथ उसे अपने माता-पिता के समक्ष अवैध संबंधों के बारे में बताने के लिए नहीं कहा । अपीलार्थी ने किसी भी व्यक्ति को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताने के लिए उसे धमकाया भी था । इसके पश्चात्, पीड़िता ग्राम छूलीमल में श्रमिक कार्य करने के लिए चली गई थी जहां भी अपीलार्थी ने उसके साथ मैथुन संबंध बनाए रखे थे । तत्पश्चात् पीड़िता ग्राम माहुलपाली पहुंची और वहां भी वह श्रमिक के रूप में कार्य करती थी, तब उसने यह महसूस किया कि वह गर्भवती हो गई तो उसने अपने गर्भधारण के संबंध में अपीलार्थी को बताया जिसने उससे यह कहा कि वह गर्भ न गिराए और पुनः उसे विवाह का आश्वासन दिया । उस समय पीड़िता ने अपीलार्थी से अपने प्रेम प्रसंग के बारे में अपने माता-पिता, चाचा और अन्य लोगों को बताया । पीड़िता के कुटुम्ब के सदस्य अपीलार्थी के पास पहुंचे और उसने पीड़िता के गर्भधारण के बारे में अपने संबंध होने के बारे में विरोध प्रकट किया बल्कि अपीलार्थी ने उसके गर्भधारण के बारे में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की । इस संबंध में पीड़िता के माता-पिता द्वारा

ग्राम पेन्टारा में तारीख 28 अक्तूबर, 2004 को बैठक बुलाई गई थी जिस बैठक में भिन्न-भिन्न गांवों के कई व्यक्ति मौजूद थे । उस बैठक में भी अपीलार्थी ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की और पीड़िता से विवाह करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार बैठक में कोई भी बात तय नहीं की जा सकी । कोई निष्कर्ष न निकलने पर पीड़िता अपनी माता, चाचा और बड़े भाई के साथ पुलिस थाने गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की ।

3. बिनका पुलिस थाना के भारसाधक अर्थात् किशोर कुमार पाणिग्रही (अभि. सा. 8) ने लिखित में पीड़िता की मौखिक रिपोर्ट लिखी और उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में माना गया तथा दंड संहिता की धारा 493 और 376 के अधीन तारीख 6 नवंबर, 2004 को बिनका पुलिस थाने में मामला सं. 91 दर्ज किया गया था और मामले पर उसने स्वयं अन्वेषण किया ।

अभि. सा. 8 ने अन्वेषण के दौरान पीड़िता, उसकी माता, बड़ा भाई और अन्य साक्षियों की परीक्षा की और घटनास्थल पर गया तथा घटनास्थल नक्शा प्रदर्श-3 तैयार किया । उसने पीड़िता को चिकित्सा परीक्षा के लिए ए. डी. एम. ओ. जिला मुख्यालय अस्पताल, सोनेपुर भेजा । उसने तारीख 6 नवंबर, 2004 को अपीलार्थी को गिरफ्तार किया तथा उसे चिकित्सा परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारी सी. एच. सी., बिनका भेजा गया था और उसके बाद उसी दिन उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था । तारीख 8 नवंबर, 2004 को पीड़िता को हड्डी की परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल, बोलनगिर भेजा गया था और इसके पश्चात् उसने अभियुक्त की चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त की । तारीख 8 दिसंबर, 2004 को अन्वेषक अधिकारी ने चिकित्सा परीक्षा के लिए पीड़िता को गाइकानोलोजिस्ट सी. एच. सी., बिनका भेजा था । तारीख 31 दिसंबर, 2004 को अन्वेषक अधिकारी ने प्रोफेसर एफ. एम. टी., वी. एस. एस. चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल बरुला के पास पीड़िता की एक्स-रे प्लेट भेजी थी तथा रिपोर्ट एकत्रित की गई । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 493, 417 और 506 के अधीन तारीख 3 जनवरी, 2005 को अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया था ।

4. आरोप पत्र पेश करके मामले को विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया था जहां विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को तारीख 15 सितंबर, 2005 को दंड संहिता की धारा 493, 417, 376 और 506 के अधीन आरोपित किया और चूंकि अपीलार्थी ने

आरोप का खंडन किया और दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया तथा विचारण किए जाने का दावा किया । सेशन विचारण प्रक्रिया उसे अभियोजित करने के लिए बहाल की गई थी और उसे दोषसिद्ध किया गया ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए दस साक्षियों की परीक्षा की ।

अभि. सा. 1 संतोष भोई पीड़िता का भाई है और उसने पीड़िता द्वारा ग्राम जबादा पर अपीलार्थी द्वारा उससे किए गए बलात्संग के संबंध में किए गए प्रकटीकरण के बारे में कथन किया और इसके पश्चात् अपीलार्थी ने विवाह का आश्वासन देकर बार-बार उससे बलात्संग किया था जिस वजह से उसका गर्भ ठहर गया था । उसने बैठक के बारे में यह भी कथन किया है कि बैठक गांव में बुलाई गई थी जहां अपीलार्थी ने पीड़िता के साथ विवाह करने से मना कर दिया था । उसने अभि. सा. 2 द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श 1 को साबित किया है ।

अभि. सा. 2 पीड़िता है जिसने अपीलार्थी द्वारा विवाह का आश्वासन देने पर कई अवसरों पर उससे बलात्संग करने के संबंधित घटनाओं का वृत्तांत दिया है । उसने गांव में हुई बैठक के बारे में भी कथन किया है तथा उसके द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का भी कथन किया है । उसने यह भी कथन किया है कि उसकी लड़की हुई थी ।

अभि. सा. 3 नवीन आमत ने बैठक की कार्रवाई के बारे में कथन किया है जो तारीख 28 अक्तूबर, 2004 की शाम को बुलाई गई थी ।

अभि. सा. 4 लालू नायक ने गांव की बैठक में प्रकट कार्रवाई के बारे में कथन किया है ।

अभि. सा. 5 हारा भोई जो पीड़िता की माता है, उन्होंने अपीलार्थी द्वारा पीड़िता से किए गए बलात्संग के संबंध में पीड़िता द्वारा किए गए प्रकटीकरण के बारे में बताया है । उसने यह भी कथन किया कि पीड़िता की लड़की हुई थी ।

अभि. सा. 6 बीरा भोई अपीलार्थी की सह-गांववासी है जिसने ग्राम बैठक के बारे में कथन किया है ।

अभि. सा. 7 डा. पदमासन डोरा, जो चिकित्सा अधिकारी के पद पर जिला मुख्यालय अस्पताल, सोनेपुर पर तैनात था और उन्होंने पुलिस की

प्रार्थना पर तारीख 7 नवंबर, 2004 को पीड़िता की परीक्षा की थी और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श 2 को साबित किया था ।

अभि. सा. 8 किशोर कुमार पाणिग्रही, जो बिनका पुलिस थाने में भारसाधक अधिकारी था और वह मामले में अन्वेषक अधिकारी है ।

अभि. सा. 9 डा. अनन्त कुमार बेहरा, जो ओ एण्ड जी स्पेशियलिस्ट, सी. एच. सी, बिनका में था और जिसने पुलिस की प्रार्थना पर तारीख 8 दिसंबर, 2004 को पीड़िता की परीक्षा की थी और यह देखा कि पीड़िता ने 8 मास का गर्भधारण किया है । उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श 5/2 साबित की ।

अभि. सा. 10 डा. विरेन्द्र धारुआ, पैड्रिक विशेषज्ञ था जो बिनका सी. एच. सी. में तैनात था जिसने तारीख 6 नवंबर, 2004 को अपीलार्थी की परीक्षा की थी और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श-7 साबित की थी ।

प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई थी ।

अभियोजन पक्ष ने दस दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले थे । प्रदर्श 1 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है, प्रदर्श 2 डाक्टर अभि. सा. 7 की रिपोर्ट है, प्रदर्श 3 घटनास्थल का नक्शा है, प्रदर्श 4, 5 और 6 चिकित्सा अध्यपेक्षाएं हैं, प्रदर्श 6/2 हड्डी की परीक्षा की रिपोर्ट है, प्रदर्श 7 अपीलार्थी की चिकित्सा साक्ष्य की रिपोर्ट है, प्रदर्श 8, 9 और 10 पीड़िता की एक्स-रे प्लेट हैं ।

6. प्रतिरक्षा पक्ष ने अपीलार्थी की ओर से यह अभिवाक किया है कि उसने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया है और यह भी अभिवाक किया था कि उसने पीड़िता के साथ उसे विवाह का वचन देकर बलात्संग नहीं किया था ।

7. विचारण न्यायालय ने पीड़िता के साक्ष्य को पूर्णतया स्पष्ट, संगत, विश्वसनीय पाया था और उसने यह मत व्यक्त किया था कि मामले में कोई अन्तर्निहित कमी और असंभाव्यता प्रकट नहीं हुई है । विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि पीड़िता ने भ्रामक तथ्य के वजह से अपनी सहमति दी थी जिस वजह से उसके साथ धोखा हुआ था । विचारण न्यायालय ने पीड़िता के वृत्तांत को भी स्वीकार किया है कि वह अपीलार्थी द्वारा बार-बार बलात्संग किए जाने के अध्यधीन नहीं थी । विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि दंड संहिता की धारा 493, 417 और 506 के अधीन अपराधों के संघटक प्रकट नहीं होते हैं और तद्नुसार, अपीलार्थी को ऐसे आरोपों से दोषमुक्त किया गया था ।

परन्तु उसे दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषी पाया गया था ।

8. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री प्रदीप कुमार ढल ने यह निवेदन किया कि पीड़िता का यह कथन है कि उसके साथ घटना की तारीख को प्रथम बार टेन्ट के अन्दर बलपूर्वक बलात्संग किया गया था, यह बात तनिक भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह सामान्य टेन्ट में सो रही थी जहां पीड़िता और वृद्ध महिला तथा अपीलार्थी की बहन भी सोई हुई थी । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के अनुसार अभिलेख पर इस बारे में पर्याप्त सामग्री है जिससे यह उपदर्शित होता है कि पीड़िता अभिकथित बलात्संग की प्रथम घटना में सहमति पक्षकार थी । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में असाधारण विलंब हुआ था और इस विलंब के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था तथा इसलिए अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास किया जाना चाहिए । विद्वान् काउंसेल ने यह भी निवेदन किया है कि अन्वेषण अभिकरण ने बच्चे के पैतृत्व को अभिनिश्चित करने के लिए कोई डी. एन. ए. परीक्षा नहीं की थी जो अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है और इसलिए अपीलार्थी को संदेह का फायदा दिया जाना चाहिए । विद्वान् काउंसेल ने **कायनीराजन** बनाम **केरल राज्य**[1] तथा **दीपक गुलाटी** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामलों में अधिकथित विनिश्चयाधार का अवलंब लिया ।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल श्री ज्योति प्रकाश पात्रा ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और यह दलील दी है कि बलात्संग के मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब प्रार्थी को संदेह का फायदा दिए जाने का आधार नहीं हो सकता । उन्होंने यह भी दलील दी कि पीड़िता घटना के समय पर केवल अप्राप्तवय नहीं थी बल्कि पीड़िता की बयान देते समय आयु 16 वर्ष थी इसलिए विधि की दृष्टि में उसकी सहमति कोई सहमति नहीं है । उन्होंने यह भी दलील दी कि चूंकि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास से प्रेरित प्रकट होता है और पीड़िता द्वारा घटना के बारे में प्रकटीकरण अन्य संपुष्ट साक्ष्यों के रूप में है जो उसके गर्भधारण आदि के बारे में है । विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपीलार्थी को दोषी ठहराकर ठीक

---

[1] (2013) 56 ओडिशा क्रि. रिपोर्ट्स (एस. सी.) 684 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 4888.

[2] (2013) 55 ओडिशा क्रि. रिपोर्ट्स (एस. सी.) 891 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 2990.

ही किया है ।

पीड़िता की आयु

9. प्रथम घटना के समय पर पीड़िता की आयु का उल्लेख करने पर पीड़िता ने अपने बयान देते समय अपनी आयु 15 वर्ष होने की बात कही है और जो बयान तारीख 5 अक्तूबर, 2005 को दिया गया था । पीड़िता के अनुसार प्रथम घटना ग्राम जबादा में मध्य रात्रि के दौरान लगभग एक वर्ष पूर्व घटी थी । इस प्रकार, न्यायालय में वर्णित पीड़िता के कथनानुसार वह घटना के समय पर उसकी आयु 15 वर्ष से कम थी । उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपनी 16 वर्ष की आयु का उल्लेख किया है जो प्रथम घटना के पश्चात् लगभग सात मास पर दर्ज की गई थी ।

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि पीड़िता की माता की अभि. सा. 5 के रूप में परीक्षा की गई थी परन्तु उसने पीड़िता की आयु के बारे में कुछ भी कथन नहीं किया है । किसी अन्य साक्षी ने भी पीड़िता की आयु के बारे में कथन नहीं किया है । कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मतिथि प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदि अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता की आयु के सबूत के रूप में पेश नहीं किया है, और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता अप्राप्तवय थी ।

यद्यपि, जन्मतिथि प्रमाणपत्र के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया था परन्तु पीड़िता दूरस्थ देहाती क्षेत्र की रहने वाली है और वह और उसके कुटुंब के सदस्य केंदु पत्तों के बंधुआ श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे थे । यह उचित नहीं होगा कि जन्मतिथि प्रमाणपत्र को पेश न करने पर उसकी आयु के संबंध में परिसाक्ष्य को अस्वीकार किया गया था । इस बारे में भी कोई सामग्री नहीं है कि पीड़िता किसी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और इसलिए उसकी आयु के सबूत के संबंध में किसी शैक्षणिक प्रमाणपत्र की आशा नहीं की जानी चाहिए । यद्यपि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और न्यायालय में वर्णित आयु के बारे में थोड़ी-बहुत विचलन है परन्तु न्यायालय में वर्णित पीड़िता की आयु के संबंध में साक्ष्य को किसी तरह विनिर्दिष्ट चुनौती नहीं दी गई है और मामले में सभी चारों ओर की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, मेरा यह मत है कि पीड़िता की बलात्संग की प्रथम घटना के समय पर उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी ।

अन्वेषण के दौरान पीड़िता को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था और हड्डी की परीक्षा के लिए उसका एक्स-रे जिला मुख्यालय

अस्पताल, बोलनगिर में लिया गया था और एक्स-रे प्लेटों की सं. 2361, 2362, 2363 को तारीख 8 नवंबर, 2014 को पीड़ित लड़की की आयु का निर्धारण करने के लिए प्रोफेसर एफ. एम. टी., वी. एस. एस. चिकित्सा महाविद्यालय और बरुला सांभलपुर के अस्पताल के समक्ष पेश की गई थी । एफ. एम. टी. के प्रोफेसर और एच. ओ. डी. ने पेश किए गए एक्स-रे प्लेट पर पीड़िता की आयु 18 से 19 वर्ष बताई है और यह बात उन्होंने अपनी परीक्षा के समय अर्थात् तारीख 31 दिसंबर, 2004 को प्रकट की है ।

निःसंदेह, डाक्टर ने एक्स-रे प्लेटों का अवलंब लिया है जो पीड़िता की हड्डी परीक्षा रिपोर्ट पर वर्णित है और पीड़िता की आयु 18 से 19 वर्ष होने के बारे में अपनी राय व्यक्त की है परन्तु टेक्निशियन, जिसने यह कथन किया है कि उसने पीड़िता की एक्स-रे परीक्षा की है तथा जिला मुख्यालय अस्पताल, बोलनगिर में एक्स-रे प्लेटों को तैयार किया, उसकी न्यायालय में परीक्षा नहीं की गई और इसलिए एक्स-रे रिपोर्ट से मामला साबित नहीं हो पाया है, हड्डी परीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्ष प्रदर्श 6/2 को साबित करने में कठिनाई होगी विशेषकर जब डाक्टर जिसने यह रिपोर्ट दी है, उसकी परीक्षा न की गई हो ।

ऊपर वर्णित तथ्यों से इन रीतियों के संबंध में काफी दयनीय स्थिति प्रकट होती है जिसमें अन्वेषण को किया गया था तथा उस रीति के बारे में भी जिसमें लोक अभियोजक पीड़िता की आयु के सबूत के संबंध में अभिलेख पर सुसंगत सामग्री को लाने में विफल हुआ है । अन्वेषक अधिकारी को टेक्निशियन को उद्धृत किया जाना चाहिए था जिसने साक्षी के रूप में जिला मुख्यालय अस्पताल, बोलनगिर में एक्स-रे तैयार किया था । उसको एक्स-रे रिपोर्ट्स को भी एकत्रित करना चाहिए था । तथापि, यदि अन्वेषण दोषपूर्ण हुआ था तो यह पीड़िता या साक्षियों का दोष नहीं था । त्रुटिपूर्ण अन्वेषण के मामले में न्यायालय को अति सावधानीपूर्वक साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए और यह बात उचित नहीं होगी कि त्रुटिपूर्ण अन्वेषण के एकमात्र कारण से अभियुक्त दोषमुक्त कर दिया जाए । ऐसा करना अन्वेषक अधिकारी के हाथों में खेलने के बराबर है और अन्वेषण त्रुटिपूर्ण माना जाएगा ।

इसी तरह, लोक अभियोजक ने बरुला सांभलपुर के अस्पताल के एफ. एम. टी. विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डा. अभिराम बेहरा की परीक्षा नहीं कराई । जिन्होंने विचारण के दौरान हड्डी परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श 6/2 तैयार की यद्यपि, जिसे आरोप पत्र में साक्षी के रूप में दिखाया गया है

और वह अन्वेषक अधिकारी है जिन्होंने रिपोर्ट को साबित किया है । लोक अभियोजक ने अपने कानूनी कृत्य का निर्वहन करने में तकनीकी रूप से कार्य नहीं किया है जिस वजह से अभियुक्त को असम्यक् फायदा दिया गया है ।

जो कुछ भी ऊपर वर्णित किया गया है उन बातों को ध्यान में रखते हुए यह अत्यधिक कठिन है कि रिपोर्ट प्रदर्श 6/2 के अनुसार पीड़िता की आयु के बारे में निष्कर्षों का अवलंब लिया जाए ।

इस प्रकार, चिकित्सा साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते हुए पीड़िता का अपनी आयु के संबंध में जो परिसाक्ष्य दिया गया है उसे चुनौती नहीं दी गई, उस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा यह मत है कि बलात्संग की प्रथम घटना के समय पर पीड़िता की आयु 16 वर्ष थी ।

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब

10. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में असाधारण विलंब पर अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास किया जाना, स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है ।

बलात्संग के मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में विलंब को अप्रायिक तत्व के रूप में नहीं माना जा सकता है । बलात्संग पीड़िता के लिए बहुत शर्म की बात है और काफी मनाने के बावजूद बलात्संग की पीड़िता रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाने पर जाने के लिए सहमत होती है । देहाती क्षेत्र के संबंध में जहां बाध्यात्मक समाज के अपने रीति-रिवाज होते हैं, इसलिए यह पूर्णतया असुरक्षित होगा कि मात्र इस आधार पर अभियोजन पक्षकथन को हटा दिया जाए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में कुछ विलंब हुआ था । न्यायालय घटना के संबंध में अभियोक्त्री द्वारा भोगी गई प्रताड़ना को दृष्टि से ओझल नहीं कर सकता है । अभियोक्त्री और उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा मामले को संस्थित करने के लिए पुलिस थाने जाने के लिए अनिच्छा व्यक्त करना, इसमें पीड़िता और सम्पूर्ण कुटुंब की प्रतिष्ठा का संबंध होता है । कई महत्वपूर्ण कारक बलात्संग के मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब का कारण हो सकते हैं ।

वर्तमान मामले में, पीड़िता को अपीलार्थी द्वारा कई अवसरों पर विवाह किए जाने का आश्वासन दिया गया था जिस वजह से वह अपीलार्थी के साथ अपने अवैध संबंधों को किसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट न करते हुए

खामोश रही । वह गर्भवती हो गई और इसके पश्चात् जब अपीलार्थी ने उससे चालाकी करने का प्रयास किया तब उसने अपनी माता के समक्ष उक्त बातों को प्रकट किया । उक्त मुद्दे को तय करने के लिए बैठक बुलाई गई थी परन्तु जब अपीलार्थी ने पीड़िता के साथ अपने प्रेम संबंध होने से इनकार किया तब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के बारे में विलंब के बारे में कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया है या जिस कारण से अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास किया जाना चाहिए ।

सहमति का अभिवाक्

11. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि पीड़िता सहमति पक्षकार थी और इसलिए, दंड संहिता की धारा 376 के अधीन उसकी दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए, यह बात पूर्णतया अस्वीकार योग्य है । पीड़िता ने यह कथन किया है कि मध्य रात्रि के दौरान वह टेन्ट के अन्दर सोई हुई थी, अपीलार्थी ने टेन्ट के अन्दर प्रवेश किया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके साथ बलपूर्वक मैथुन किया । उसने यह भी कथन किया है कि जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तब अपीलार्थी ने उससे शोर नहीं करने के लिए कहा और उसे विवाह करने का वचन दिया । चूंकि मैंने बलात्संग की प्रथम घटना की तारीख को अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम होने की बात को अभिनिर्धारित किया है इसलिए उसकी सहमति अतात्विक और अप्रामाणिक है । इस संबंध में दंड संहिता की धारा 375 के छठे खण्ड पर विचार किया जा रहा है ।

सतीश कुमार जयन्ती लाल डाबगढ़ बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

> "14. पहली बात जिसे ध्यान में रखना चाहिए कि अभियोक्त्री 16 वर्ष से कम आयु की थी । इस तथ्य पर दंड संहिता की धारा 375 का छठा खंड मैथुन के लिए अभियोक्त्री की सहमति पर लागू होगी, यह बात अतात्विक और अपारिणामिक है । इसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है –
>
> 375. **बलात्संग** – जो पुरुष एतस्मिन्पश्चात् अपवादित

---

[1] (2015) 61 ओडिशा क्रि. रिपोर्ट्स 261 = 2015 क्रिमिनल ला जर्नल 1959.

दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छह भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्संग करता है, यह कहा जाता है ।

* * * * *

छठा – उस स्त्री की सहमति या बिना सम्मति के जबकि वह 16 वर्ष से कम आयु की है ।

स्पष्टीकरण – बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है ।

15. विधान-मण्डल ने पूर्ण विवेकपूर्ण रीति में पूर्वोक्त उपबंध को स्थापित किया है और इस उपबंध के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है । यह भी विचार किया गया कि अप्राप्तवय लड़की अपनी सहमति देने में विवेकपूर्ण रूप से सोचने-समझने में असमर्थ होती है । इस कारण से, इसे सिविल विधि या आपराधिक विधि में किसी अप्राप्तवय लड़की की सहमति को विधिमान्य सहमति नहीं माना गया है । यहां पर यह उपबंध ऐसी लड़की, जो न केवल अप्राप्तवय है बल्कि 16 वर्ष से कम है, से संबंधित है । अप्राप्तवय लड़की ऐसे मामलों के प्रभाव को समझे बिना ऐसे कार्य के लिए आसानी से सहमति देने की ओर आकर्षित हो सकती है । अतः ऐसी सहमति परिणामों की बारीकियों को समझे बिना सहमति के रूप में नहीं मानी जाएगी । अतः, यह एक आवश्यक उपबंध है कि ऐसी लड़की जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है तथा कथित दी गई सहमति पर दूसरे व्यक्ति पर फायदा न लेने के कर्तव्य को सौंपती है । यद्यपि, जब 16 वर्ष से कम आयु की लड़की की सहमति होती है तो दूसरा भागीदार को मैथुन कार्य में अपराधी माना जाएगा जिसने बलात्संग का अपराध किया है । विधि में उसके लिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है और वह यह अभिवाक् नहीं कर सकता है कि यह कार्य सहमतिजन्य था । 16 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री की तथाकथित सहमति को न्यूनीकरण परिस्थितियों के रूप में नहीं माना जा सकता है ।"

पश्चात्वर्ती घटनाओं की क्रमबद्धता

12. पीड़िता ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि न केवल प्रथम घटना के समय पर बल्कि पश्चात्वर्ती अवसरों पर भी अपीलार्थी ने उससे बलात्संग करते समय विवाह करने का वचन दिया था, बलात्संग का कार्य

भिन्न-भिन्न स्थानों पर गुलन्दा, चुलमिल, मुहुलपाली पर किया गया था जिस वजह से उसका गर्भ ठहर गया था । पीड़िता ने यह कथन किया है कि प्रथम घटना के समय पर जब उसने अपीलार्थी से मामले को प्रकट करने के लिए कहा तब उसने उससे विवाह करने का वचन दिया क्योंकि वे दोनों एक ही जाति से संबंधित थे । पीड़िता ने यह भी कथन किया कि वह कभी भी अपीलार्थी के पास नहीं गई थी बल्कि वह उसके पास आया करता है । पीड़िता ने आगे यह भी कथन किया है कि वह घटना से पूर्व अपीलार्थी के मकान पर नहीं गई थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसने अपने गर्भ धारण के बारे में कोई बात प्रकट नहीं की क्योंकि अपीलार्थी ने उससे यह कहा था कि वह यह बात किसी को भी न बताए । पीड़िता ने जानकारी के आधार पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के पश्चात् अपनी आयु से स्वैच्छिक भागीदारी की और यह प्रतिरोध और सहमति के बीच पूर्ण प्रयोग है और विधि की दृष्टि में इसे सहमति नहीं माना जा सकता है । पीड़िता न केवल 16 वर्ष से कम आयु की थी बल्कि अपीलार्थी द्वारा उसे प्रभाव में लिया गया था कि वह उससे विवाह करेगा क्योंकि वे दोनों एक ही जाति से संबंधित हैं । पीड़िता ने यह भी विश्वास किया कि उन दोनों के बीच विवाह संभव हो सकता है । उसे इस कार्य के परिणामों के बारे में जानकारी नहीं रही होगी और उसने अपीलार्थी की पहल पर प्रतिरोध नहीं किया और इस बात को प्रतिरोध और सहमति के बीच स्वतंत्र अभ्यास किया जाना नहीं कहा जा सकता और इसलिए उसकी सहमति यदि कोई थी तो इससे भ्रामक तथ्य प्रकट होता है । अपीलार्थी को यह जानकारी थी कि पीड़िता द्वारा दी गई सहमति तथ्य के भ्रामक परिणाम के अन्तर्गत थी और वह पीड़िता की सहमति लेने के लिए बार-बार उससे जानबूझकर विवाह करने का वचन दिया करता था । इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का उससे विवाह करने का कभी भी आशय नहीं रहा था बल्कि उसने अप्राप्तवय लड़की के जीवन में खेल करना चाहा था और उसको भुला देना चाहता था । यह सटीक कारण रहा है क्योंकि उसने हर जगह पर पीड़िता का पीछा किया और उससे शारीरिक संबंध बनाए रखे । जब पीड़िता गर्भवती हो गई तब अपीलार्थी ने पितृत्व से इनकार किया और बैठक में पीड़िता से विवाह करने से इनकार कर दिया ।

कायनीराजन बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत विनिश्चयों का विनिश्चयाधार का अवलोकन हमारे

---

[1] (2013) 56 उड़ीसा क्रि. रिपोर्ट्स (एस. सी.) 684 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 4888.

द्वारा किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

> "12. ..... सहमति के बारे में कोई निष्कर्ष मामले के साक्ष्य या संभाव्यता के आधार पर ही निकाला जा सकता है । 'सहमति' का जानबूझकर किए गए कार्य के कारणों पर इसका कथन किया जाता है । इससे यह संकेत मिलता है कि किसी व्यक्ति के विवेक से उत्पन्न सक्रिया इच्छा जिससे किसी कार्य को करने के लिए वह अनुध्यात होता है । दंड संहिता की धारा 90 में 'सहमति' की अभिव्यक्ति का उल्लेख किया गया है । यद्यपि धारा 90 में 'सहमति' को परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु इस बात को वर्णित किया गया है कि सहमति में किन बातों को सम्मिलित नहीं किया गया है । 'सहमति' धारा 375 के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक भागीदारी अपेक्षित है न केवल बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के पश्चात् जो महत्व की जानकारी पर आधारित हो और कार्य की आदर्शगुणता पर बल्कि प्रतिरोध और सहमति के बीच चुनाव का पूर्णतया प्रयोग करने के पश्चात् ही आदर्शगुणता का पता लगाया जा सकता है । क्या सहमति थी या नहीं, सभी सुसंगत परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके अभिनिश्चयन किया जाता है ।

दीपक गुलाटी बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है :–

> "18. सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित, अवपीड़िक या दिग्भ्रमित हो सकती है जिसे स्वेच्छयापूर्वक या धोखे के माध्यम से प्राप्त किया जाता है । सहमति विचार-विमर्श करके कारणयुक्त कार्य है, इस बात को ध्यान में लेने पर उसके दोनों पहलू अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं । बलात्संग और सहमतिजन्य मैथुन के बीच स्पष्ट विभेद है, जैसा कि इस मामले में है, न्यायालय को अति सावधानीपूर्वक इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त वास्तविक रूप से पीड़िता से विवाह करना चाहता था या उसका असद्भावी हेतु था और अपनी कामुकता की संतुष्टि के लिए ही उसने उसे मिथ्या वचन दिया था और यह बात धोखे की परिधि के अन्तर्गत आती है । वचन को भंग करना और मिथ्या वचन को पूरा न करने के बीच विभेद है । इस

---

[1] (2013) 55 उड़ीसा क्रि. रिपोर्ट्स (एस. सी.) 891 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 2990.

प्रकार, न्यायालय को यह परीक्षा करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त द्वारा प्रारंभिक प्रक्रम पर विवाह के लिए मिथ्या वचन दिया गया था, और क्या अन्तर्वलित सहमति पूर्णतया स्वभाव को समझकर अन्तर्वलित थी जिसमें मैथुन आसक्ति की भावना प्रकट थी । ऐसा भी मामला हो सकता है जहां अभियोक्त्री अभियुक्त के साथ अपने प्रेम के कारण मैथुन के लिए सहमत हुई हो और एकमात्र यह कारण नहीं है कि अभियुक्त द्वारा छल किए जाने के कारण ऐसा हुआ हो या जहां अभियुक्त ने ऐसी परिस्थितियों के कारण जिसे वह पहले से भांप नहीं सका या उसने अपना नियंत्रण खो दिया हो और विवाह करने के आशय के बावजूद भी वह उससे विवाह करने में असमर्थ हो गया हो । ऐसे मामलों पर भिन्नता से विचार किया जाना चाहिए । अभियुक्त को केवल बलात्संग के लिए तभी दोषसिद्ध किया जा सकता है यदि न्यायालय इस निष्कर्ष में पहुंचता है कि अभियुक्त का आशय असद्भावपूर्ण था और उसका प्रछन्न हेतु था ।"

पूर्वोक्त उद्धरणों का विनिश्चयाधार वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि वर्तमान मामले में पीड़िता 16 वर्ष की आयु से कम है और यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उद्धृत विनिश्चयों को लागू किया जाए ।

चिकित्सा साक्ष्य

13. पीड़िता की डाक्टर (अभि. सा. 7) जिला मुख्यालय अस्पताल, सोनेपुर द्वारा तारीख 7 नवंबर, 2004 को परीक्षा की गई थी जिन्होंने उसे गर्भवती होने की पुष्टि के लिए गाइकानोलोजिस्ट के पास भेजा था । उसने रसायन परीक्षा के लिए जघनास्थि बाल और योनिस्राव का नमूना एकत्रित किया था । डाक्टर (अभि. सा. 9) द्वारा तारीख 8 दिसंबर, 2004 को भी पीड़िता की परीक्षा की गई थी जिन्होंने पीड़िता के गर्भाशय में आठ महीने का गर्भ होना पाया गया था । डाक्टर (अभि. सा. 10) द्वारा तारीख 6 नवंबर, 2004 को अपीलार्थी की भी परीक्षा की गई थी और उसने यह राय व्यक्त की कि अपीलार्थी मैथुन करने के लिए समर्थ था ।

14. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा डी. एन. ए. टेस्ट को करने के बारे में दी गई दलील पर विचार करने पर, जिसमें बच्चे के पैतृत्व को साबित किया जाता है, विधि का सुस्थिर सिद्धांत यह है कि बच्चे के पैतृत्व के संबंध में डी. एन. ए. टेस्ट के लिए न्यायालय द्वारा दिनचर्या के रूप में निदेश नहीं दिया जाना चाहिए, जब कभी इस बारे में अनुरोध किया जाता है । इस मामले में ऐसी परीक्षा किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति ने

अनुरोध नहीं किया था । इसके अतिरिक्त, बच्चे के पैतृत्व के संबंध में कोई मुद्दा नहीं है बल्कि मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थी ने कई अवसरों पर पीड़िता के साथ बलात्संग किया था ।

पीड़िता का साक्ष्य स्पष्ट और विश्वास योग्य है और उसके साक्ष्य से अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्यों तथा चिकित्सा साक्ष्य से संपुष्टि हुई है और इसलिए, मेरा यह मत है कि विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके ठीक ही किया है । चूंकि अपीलार्थी को सात वर्ष का कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है जो घटना के समय पर ऐसे अपराध के लिए विहित किया गया न्यूनतम दंडादेश है और विहित किए गए न्यूनतम दंडादेश से कम अधिरोपित करने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है । मेरा विनम्र यह विचार है कि अपीलार्थी के लिए दोषसिद्धि के अधिनिर्णय और कारावास का दंड और उस पर अधिरोपित किया गया जुर्माने में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

15. निरीक्षक भारसाधक बिनका पुलिस थाना द्वारा तारीख 20 जनवरी, 2016 को लिखे गए पत्र के अनुदेश पर, जो विद्वान् महाधिवक्ता, ओडिशा, कटक को संबोधित किया गया है, जिसमें विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल ने यह उल्लेख किया कि पीड़िता की ग्यारह वर्ष आयु की पुत्री है अर्थात् विनोदिनी भोई जो छठी कक्षा में पढ़ रही है और पीड़िता अपनी अप्राप्तवय पुत्री के साथ ग्राम बंजीपाली पर अपने माता-पिता से अलग रह रही है तथा श्रमिक कार्य करके वह उस पुत्री का भरणपोषण कर रही है और यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी ने अपने गांव में कुछ सरकारी जगह का अतिक्रमण किया है और मकान का निर्माण कर रहा है तथा वहां पर वह अपनी पत्नी और अप्राप्तवय बच्चे के साथ रहता है तथा श्रमिक कार्य करके अपना भरणपोषण कर रहा है ।

मामले को निपटाने से पूर्व बलात्संग की पीड़िता की दयनीय दशा पर विचार करते हुए जो श्रमिक कार्य करके अपने अप्राप्तवय पुत्री का पालन-पोषण कर रही है, यह आवश्यकता महसूस की गई कि पीड़िता का मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनेपुर को इस सिफारिश के साथ भेजा जाए कि वह विधि के अनुसरण में ओडिशा पीड़िता प्रतिकर स्कीम, 2012 के अधीन प्रतिकर मंजूर करने के लिए आवश्यक जांच करे । इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनेपुर को भी भेजी जाए ।

16. पूर्वोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह विचारित मत है कि आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश तथा उस पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया दंडादेश में कोई दुर्बलता नहीं है और, इसलिए, मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता हूं ।

17. परिणामस्वरूप, कारागार आपराधिक अपील गुणागुण रहित है । उसे खारिज किया जाता है ।

18. अपीलार्थी को तारीख 6 नवंबर, 2004 को अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक रूप से पेश किया जाना प्रतीत होता है और उसे तारीख 24 फरवरी, 2005 को जमानत पर निर्मुक्त किया गया था । विचारण न्यायालय ने तारीख 30 जनवरी, 2006 को निर्णय सुनाया था और अपीलार्थी को पुनः अभिरक्षा पर भेजा गया था और इस न्यायालय द्वारा तारीख 1 फरवरी, 2011 को इस अपील में उसकी जमानत मंजूर की गई थी । इस प्रकार, अपीलार्थी लगभग 5 वर्ष साढ़े तीन माह अभिरक्षा में रहा है । अपीलार्थी के जमानत बंधपत्रों को रद्द किया जाता है और उसे अपने दंड की बाकी अवधि भोगने के लिए एक सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष तत्काल अभ्यर्पण करने के लिए निदेश दिया जाता है । ऐसा करने में विफल होने पर विचारण न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के लिए समुचित कार्यवाहियां करेगा ।

इस निर्णय की प्रति के साथ निचले न्यायालय के अभिलेख विचारण न्यायालय को सूचना और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संसूचित किए जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

थाकोर बालाभाई विश्वभाई

बनाम

गुजरात राज्य

तारीख 8 फरवरी, 2016

न्यायमूर्ति के. एस. जावेरी और न्यायमूर्ति आर. पी. धोलारिया

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300, 304 का प्रथम भाग – हत्या या आपराधिक मानव वध – अभियुक्त के बारे में अन्य अभियुक्तों के साथ विधिविरुद्ध जमाव गठित करके मृतक पर हमला किए जाने का अभिकथन किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा यह कथन किया जाना कि अभियुक्त ने पाइप से मृतक के पैर पर क्षति कारित की, परिणामस्वरूप मृतक जमीन पर गिर गया – यदि चिकित्सा साक्ष्य में यह प्रकट है कि मृतक की मृत्यु एकमात्र सिर की चोट के कारण हुई न कि अभियुक्त द्वारा कारित की गई घातक क्षति के कारण अभियुक्त दंड संहिता की धारा 304 के प्रथम भाग के अधीन अपराध का दोषी है न कि धारा 300 के अन्तर्गत ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 300 – हत्या – संदेह का फायदा – अभियुक्त के बारे में मृतक के सिर पर धारिया से हमले किए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियुक्त का नाम, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया जाना – उक्त विभेद अपराध में अभियुक्त के शामिल होने के बारे में संदेह उत्पन्न करता है अतः अभियुक्त संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 300 – हत्या – संदेह का फायदा – अभियुक्त के बारे में दरांत से लैस होने का अभिकथन किया जाना – जहां साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा कौन सी क्षति कारित की गई वहां पर अभियुक्त संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 323, 324, 300 – हत्या – या गंभीर क्षति – अभियुक्त के बारे में अन्य अभियुक्तों के साथ विधिविरुद्ध जमाव का गठन करके मृतक पर हमला किए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियुक्त के बारे में बाएं हाथ की कोहनी पर लोहे की पाइप से प्रहार

किए जाने का अभिकथन किया जाना और सह-अभियुक्त के बारे में शिकायतकर्ता/क्षतिग्रस्त व्यक्ति के बाईं ओर कंधे और बाएं पैर पर लकड़ी की छड़ से हमला किया जाना, यद्यपि क्षतियां गंभीर प्रकृति की हैं, उन्हें घातक साबित नहीं किया गया है अतः अभियुक्त दंड संहिता की धारा 323, 324 के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाएगा न कि दंड संहिता की धारा 300 के अधीन ।

तारीख 16 मार्च, 2007 को लगभग 10 बजे अपराह्न ग्राम वाडेपुरा, जहां शिकायतकर्ता और उसका पुत्र रात्रि में अपने कृषि भूमि में फसल देखने के लिए गए थे उस समय अभियुक्त व्यक्ति भरवाड और थाकोर के बीच पूर्व विवाद के कारण क्रोधित हुए थे तथा प्राणघातक आयुधों से लैस थे और वहां पर उन्होंने विधिविरुद्ध जमाव गठित किया था और उनका सामान्य आशय शिकायतकर्ता और उसके पुत्र की हत्या करने का था और उन्होंने भद्दी गालियां देते हुए शिकायतकर्ता और उसके पुत्र का पीछा किया । अभियोजन पक्षकथन यह भी है कि मूल अभियुक्त सं. 1 ने लोहे के पाइप से खच्चरभाई के पैर पर प्रहार किया जबकि मूल अभियुक्त सं. 5 ने खच्चरभाई के सिर पर धारिया से प्रहार किया जो जमीन पर नीचे गिर गया । तथापि, शिकायतकर्ता के हस्तक्षेप करने पर मूल अभियुक्त सं. 2 और 3 ने लोहे की पाइप से बाएं हाथ की कोहनी पर प्रहार किया और अभियुक्त सं. 4 ने शिकायतकर्ता के बाएं कंधे और बाईं टांग पर डंडे से प्रहार किया और तदुपरि शिकायतकर्ता के बाएं पैर को गंभीर क्षति पहुंचाई । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि चूंकि साक्षी खच्चरभाई जमीन पर नीचे गिर गया था, सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने आयुधों से उसे पीटा था, जिन आयुधों से वे लैस थे तथा तदुपरि उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि इन क्षतियों की प्रकृति ऐसी थी जो अस्थिभंग के रूप में थी और उन्होंने अन्य लोगों को हत्या करने की भी धमकी दी जिस वजह से अभियुक्तों ने दंड संहिता की धारा 302, 307, 147, 148, 149, 323, 504 और 506(2) तथा मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराध किया है । सामी पुलिस थाने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसके आधार पर अपराध दर्ज किए गए और मामले का अन्वेषण किया गया । अन्वेषण पूरा होने पर पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री है और इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित निपटान न्यायालय, सामित के न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया था जिन्होंने सेशन न्यायालय को मामला सुपुर्द कर दिया था और 2006 का सेशन मामला सं. 32

रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302, 307, 147, 148, 149, 323, 504 और 506(2) तथा मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप प्रदर्श 27 विरचित किया गया था जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पाटन द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करते हुए दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा अपील फाइल की गई । तद्नुसार आदेश करते हुए,

अभिनिर्धारित – यदि चिकित्सा साक्ष्य में देखा जाए तो डाक्टर, जिन्होंने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया, उनकी अभि. सा. 11 (प्रदर्श 71) के रूप में परीक्षा की गई, जिन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि क्षति सं. 1 और 2 स्तंभ सं. 17 पर उल्लेख किया गया है, प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त कारण हैं । अतः, यह स्पष्ट है कि यह हत्या का मामला है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक के सिर पर 47 टांके लगे थे । मृत्यु का कारण सिर की क्षति के कारण हृदयरोध श्वासावरोध के विफल हो जाने के कारण हुई थी । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह क्षति मृतक की मृत्यु का कारण है । अतः, हमें इस बारे में भी विचार करना आवश्यक है कि किस अभियुक्त ने मृतक पर क्षतियां कारित की थीं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई । साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि मूल अभियुक्त सं. 1 द्वारा मृतक के पैर पर पाइप से क्षति कारित की गई जिसे घातक होना साबित किया गया है क्योंकि उक्त क्षति पहुंचने पर मृतक जमीन पर गिर गया था तथापि, इन क्षतियों के कारण दो दिन पश्चात् मृतक की मृत्यु हो गई थी । इसके अतिरिक्त मूल अभियुक्त सं. 5 द्वारा धारिया से क्षति कारित की गई थी, ऐसी क्षति को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है क्योंकि मूल अभियुक्त सं. 5 का नाम उक्त साक्षी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं दिया गया था और इसलिए इसे गंभीर विभेद कहा जा सकता है । चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु का कारण केवल एक क्षति है, विशिष्ट रूप से वह सिर की क्षति है जिसे मूल अभियुक्त सं. 1 द्वारा कारित नहीं किया गया था, जैसा कि अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य के अनुसार है । अतः, मूल अभियुक्त सं. 1 के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि उसके विरुद्ध धारा 302 के अधीन मामला नहीं बनता है । सिर पर केवल एक क्षति से

मृतक की मृत्यु हुई थी । अतः, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में कोई गलती नहीं की, तथापि, क्षति की प्रकृति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मूल अभियुक्त सं. 1 दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 के अधीन अपराध का दोषी है न कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का । (पैरा 8क)

जहां तक मूल अभियुक्त सं. 5 और 6 का संबंध है, उनके बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण साक्षी, जो प्रश्नगत घटना में क्षतिग्रस्त भी हुआ था, उसने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया कि उनके नामों के बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है । परन्तु बाद में उनके नाम मामलातदार द्वारा डी.डी. में अभिलिखित करके उनका उल्लेख किया गया । इसके अतिरिक्त, मूल अभियुक्त सं. 5 द्वारा कारित की गई धारिया क्षति को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है क्योंकि मूल अभियुक्त सं. 5 का नाम उक्त साक्ष्य द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए जहां तक मूल अभियुक्त सं. 5 का संबंध है, उसके बारे में गंभीर विभेद होना कहा जा सकता है और इसलिए संदेह का फायदा उक्त अभियुक्त को दिया जाना अपेक्षित है । यह उल्लेख करना भी अपेक्षित है कि यद्यपि अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि मूल अभियुक्त सं. 6 दरांत से लैस था परन्तु इस बारे में कथन नहीं किया गया है कि उसके द्वारा किस किस्म की क्षति कारित की गई । इस प्रकार, अभियोजन पक्षकथन जहां तक मूल अभियुक्त सं. 5 और 6 का संबंध है, संदेहपूर्ण प्रतीत होता है और इसलिए उन्हें संदेह का फायदा दिया जाना अपेक्षित है । (पैरा 10)

जहां तक मूल अभियुक्त सं. 2 से 4 का संबंध है, उनके द्वारा क्षतियां कारित किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है जिन्हें घातक साबित किया गया और इसलिए दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 147, 148 और 149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मूल अभियुक्त सं. 2 से 4 के लिए अधिनिर्णीत की गई दोषसिद्धि को अभिखंडित और अपास्त किया जाना अपेक्षित है तथापि, मूल अभियुक्त सं. 2 से 4 ने मृतक तथा आहत साक्षी (अभि. सा. 4) के शरीर पर क्षतियां कारित की थीं और क्षतियां जिन जगहों पर की गई वह शरीर का महत्वपूर्ण भाग नहीं है इसलिए दंड संहिता की धारा 323 और 324 के साथ पठित धारा 147, 148 और 149 के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखा जाना अपेक्षित है । (पैरा 9)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 2199.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री मेहुल शरदशाह और योगेश लखानी, ज्येष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री सी. एम. शाह, सहायक लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति के. एस. जावेरी ने दिया ।

न्या. जावेरी – 2008 की दांडिक अपील सं. 2199 मूल अभियुक्त सं. 1 से 4 और 6 द्वारा फाइल की गई है जबकि 2008 की दांडिक अपील सं. 2241 मूल अभियुक्त सं. 5 द्वारा फाइल की गई है । ये दोनों अपीलें 2007 के सेशन मामला सं. 46 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पाटन द्वारा तारीख 11 जुलाई, 2008 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं जिसमें दंड संहिता की धारा 302, 324 323 के साथ पठित धारा 147, 148 और 149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 1 से 6 को दोषसिद्ध किया गया है । अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 1 से 6 को निम्नलिखित रूप में दंडादिष्ट किया गया :–

1. दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 147, 148 और 149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थियों को आजीवन कठोर कारावास भोगने तथा 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन मास का कारावास भोगने का भी आदेश किया गया ।

2. दंड संहिता की धारा 324 के साथ पठित धारा 147, 148 और 149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थियों को एक वर्ष का कारावास भोगने तथा 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन मास का कारावास भोगने का भी आदेश किया गया ।

3. दंड संहिता की धारा 323 के साथ पठित धारा 147, 148 और 149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थियों को तीन मास का कारावास भोगने तथा 100/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक मास का कारावास

भोगने का भी आदेश किया गया ।

4. मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पृथक् दंड अधिनिर्णीत नहीं किया गया और सभी दंडादेश के बारे में साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार हैं –

2.1 तारीख 16 मार्च, 2007 को लगभग 10 बजे अपराह्न ग्राम वाडेपुरा, जहां शिकायतकर्ता और उसका पुत्र रात्रि में अपने कृषि भूमि में फसल देखने के लिए गए थे उस समय अभियुक्त व्यक्ति भरवाड और थाकोर के बीच पूर्व विवाद के कारण क्रोधित हुए थे तथा प्राणघातक आयुधों से लैस थे और वहां पर उन्होंने विधिविरुद्ध जमाव गठित किया था और उनका सामान्य आशय शिकायतकर्ता और उसके पुत्र की हत्या करने का था और उन्होंने भद्दी गालियां देते हुए शिकायतकर्ता और उसके पुत्र का पीछा किया । अभियोजन पक्षकथन यह भी है कि मूल अभियुक्त सं. 1 ने लोहे के पाइप से खच्चरभाई के पैर पर प्रहार किया जबकि मूल अभियुक्त सं. 5 ने खच्चरभाई के सिर पर धारिया से प्रहार किया जो जमीन पर नीचे गिर गया । तथापि, शिकायतकर्ता के हस्तक्षेप करने पर मूल अभियुक्त सं. 2 और 3 ने लोहे की पाइप से बाएं हाथ की कोहनी पर प्रहार किया और अभियुक्त सं. 4 ने शिकायतकर्ता के बाएं कंधे और बाईं टांग पर डंडे से प्रहार किया और तदुपरि शिकायतकर्ता के बाएं पैर को गंभीर क्षति पहुंचाई । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि चूंकि साक्षी खच्चरभाई जमीन पर नीचे गिर गया था, सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने आयुधों से उसे पीटा था, जिन आयुधों से वे लैस थे तथा तदुपरि उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि इन क्षतियों की प्रकृति ऐसी थी जो अस्थिभंग के रूप में थी और उन्होंने अन्य लोगों को हत्या करने की भी धमकी दी जिस वजह से अभियुक्तों ने दंड संहिता की धारा 302, 307, 147, 148, 149, 323, 504 और 506(2) तथा मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराध किया है ।

2.2 सामी पुलिस थाने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसके आधार पर अपराध दर्ज किए गए और मामले का अन्वेषण किया गया । अन्वेषण पूरा होने पर पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री है और इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित निपटान न्यायालय, सामित के न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया

गया था जिन्होंने सेशन न्यायालय को मामला सुपुर्द कर दिया था और 2006 का सेशन मामला सं. 32 रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

2.3 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302, 307, 147, 148, 149, 323, 504 और 506(2) तथा मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप प्रदर्श 27 विरचित किया गया था जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

2.4 विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षियों की परीक्षा कराई –

क्रम सं.	नाम	प्रदर्श
1.	मनसुखभाई कामाभाई	38
2.	केशाभाई लक्ष्मणभाई	42
3.	मजालहुसैन सैफमिंया	44
4.	घेलाभाई खच्चरभाई	49
5.	मेघाभाई गंडाभाई	52
6.	उस्मानभाई वल्लभाई	53
7.	डा. राजेन्द्र कुमार सूरजमल गुप्ता	56
8.	दिनेशभाई भालाभाई	60
9.	मूसाभाई इब्राहिमभाई	63
10.	कांतिभाई लीलाभाई	68
11.	डा. अरविंदभाई कांतिलाल कपाडिया	71
12.	कनक सिंह भूलाभाई राठौर	75

2.5 अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य का अवलंब लेकर उन्हें प्रस्तुत किया –

क्रम सं.	नाम	प्रदर्श
1.	घटना के स्थान का पंचनामा	39
2.	अभियुक्त के मकान की जांच का पंचनामा	43
3.	अभियुक्त-वैला लक्ष्मण का प्रकटीकरण पंचनामा	45
4.	मृत्यु समीक्षा पंचनामा	47
5.	मृतक की धोतिया को पेश करने का पंचनामा	48
6.	शिकायत	50
7.	शिकायतकर्ता की डी.डी. की एक्स-रे प्रति	51
8.	प्रकटीकरण पंचनामा	54
9.	प्रकटीकरण पंचनामा	55
10.	मृतक का क्षति प्रमाणपत्र	57
11.	शिकायतकर्ता की क्षति का चिकित्सा प्रमाणपत्र	58
12.	पुलिस थाना अधिकारी, पाटन द्वारा सिविल अस्पताल चौकी पर यादी की लिखत	59
13.	प्रतिनियुक्ति आदेश	61
14.	मृतक की धोतिया को पेश करने के लिए यादी	62
15.	सहायक उप निरीक्षक द्वारा पाटन सिविल चौकी पर भेजा गया यादी	69
16.	शवपरीक्षण नोट	72

17.	मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र	73
18.	शवपरीक्षण करवाने के लिए भेजी गई यादी	74
19.	मूडामल के लिए पत्र अग्रेषित किया जाना	79
20.	मूडामल के लिए पत्र अग्रेषित किया जाना	80
21.	मूडामल प्राप्त करने के बारे में न्यायालयिक प्रयोगशाला की प्राप्ति रसीद	81
22.	न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के साथ पत्र अग्रेषित किया जाना	82
23.	न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा जारी किया गया सिरम विज्ञानी रिपोर्ट	83
24.	आयुध को रखने के लिए अधिसूचना की प्रति	84

3. विचारण की समाप्ति पर निचले न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों के कथन भी अभिलिखित किए थे और इसके पश्चात्, आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया था । विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलें फाइल की गईं हैं ।

4. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री मेहुल एस. शाह ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्षकथन मुख्यतः अभि. सा. 4, 5, 7 और 11 के साक्ष्य पर निर्भर है । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि यदि साक्षियों के साक्ष्य के मूल्य को आंका जाए तो अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित नहीं किया है । उन्होंने आगे यह भी दलील दी कि यद्यपि चिकित्सा साक्ष्य को विचार में लिया गया है, मृतक को पहुंची क्षतियां और उसके क्षतिग्रस्त

हालात उन आयुधों से अभियुक्त द्वारा कारित की गई नहीं मानी गई है जिनके बारे में उनके द्वारा कारित किए जाने का अभिकथन किया गया था । उन्होंने यह भी दलील दी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा अभियुक्त व्यक्तियों की मौजूदगी के बारे में अभिलिखित डी.डी. में गंभीर विभेद हैं और इसलिए, विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध करने से पूर्व उन बातों पर विचार किया जाना चाहिए था । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि इस तथ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए था कि अपीलार्थी का पीड़िता की हत्या करने का या उसे ऐसी गंभीर क्षति पहुंचाने का कोई आशय नहीं था जिससे उसकी मृत्यु हो जाए । इसलिए दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अधीन अपीलार्थी के मामले में विचार किया जा सकता है ।

5. अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 6 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री योगेश लखानी ने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा डी.डी. में अभियुक्त व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने में गंभीर विभेद प्रकट हुए हैं और इसलिए, स्वतः अपीलार्थी का शामिल होना प्रारंभ से ही संदेहपूर्ण है और अभियुक्त को संदेह का फायदा देकर दोषमुक्त किया जाना अपेक्षित है ।

6. दूसरी ओर विद्वान् सहायक लोक अभियोजक सुश्री शाह ने यह दलील दी है कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को विचार में लेने पर यह पूर्णतया स्पष्ट है कि सभी तात्विक साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है और उन्होंने उस रीति के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है जिसमें सम्पूर्ण घटना तथा प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बताया गया है और घटना के समय पर अभियुक्त व्यक्ति जिन आयुधों से लैस हुए थे, उन आयुधों से प्रत्येक अभियुक्त द्वारा क्षतियां की गईं । उन्होंने आगे यह भी दलील दी कि शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह दर्शित हुआ है कि मृत्यु का कारण सिर की क्षति की वजह से हृदयरोध और श्वासावरोध होने के कारण हुई थी इसलिए आक्षेपित निर्णय और आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है । उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य और अन्य साक्षियों पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत न्यायोचित और उचित है ।

6.1 अंत में, उन्होंने यह निवेदन किया कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त व्यक्ति पर दंड अधिरोपित करते हुए कोई गलती नहीं की है

और इसलिए वर्तमान अपील में किसी तरह का हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है ।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना । हमारे समक्ष दी गई दलीलों के संबंध में अभिलेख और कार्रवाइयों का भी परिशीलन किया । हमने आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का भी बारीकी से अवलोकन किया ।

8. यदि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को विचार में लिया जाए तो अभि. सा. 4 घेलाभाई खच्चरभाई (प्रदर्श 49) का साक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण एक टुकड़ा है जो शिकायतकर्ता का पुत्र है तथा उक्त घटना में आहत साक्षी है । इस साक्षी ने अपने परिसाक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक-खच्चरभाई उसका पिता है और घटना पिछले साल तारीख 16 मार्च रात्रि को घटी थी । यह साक्षी अपने पिता के साथ फसल की सुरक्षा के लिए अपने खेत पर गया था, उस समय अभियुक्त व्यक्ति गांव की ओर से हुबबुब पर पहुंचे थे और उन्होंने टार्च से देखा तब साक्षी ने यह पाया कि छह व्यक्ति जिसमें वैला लखमन धारिया से लैस था, बाला विसा, कालू विसा, रसिक गंडा पाइप से लैस थे, लाला विसा लाठी से लैस था और भीखा विसा दरांत (बरछी) से लैस था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वैला लखमन ने साक्षी के पिता के सिर पर धारिया से प्रहार किया, बाला विसा ने उसके पिता के बाएं पैर पर पाइप से प्रहार किया और उसके द्वारा मध्यक्षेप करने पर वैला लखमन ने इस साक्षी के सिर पर धारिया से प्रहार किया तथा कालू विसा ने इस साक्षी के सिर पर पाइप से प्रहार किया और रसिक गंडा ने इस साक्षी के बाएं हाथ की कोहनी पर पाइप से प्रहार किया तथा लाला विसा ने उसके कंधे के दाहिनी ओर छड़ से प्रहार किया तथा भीखा विसा बरछी से लैस था और उसकी हत्या करने की बात कह रहा था, इसलिए वह अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ा । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह दौड़ रहा था उस समय बाला विसा ने उसके बाएं पैर पर पाइप से प्रहार किया और फिर भी वह अपने जीवन को बचाने के लिए अपने घर की ओर दौड़ता चला गया । तथापि, उसके पिता नीचे गिर गए थे और पीछे मुड़कर देखने पर उसने यह देखा कि सभी छह अभियुक्त व्यक्ति उसके पिता को पीट रहे हैं । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके द्वारा की गई शिकायत में विसा, कालू विसा, रसिक गंडा और लाला विसा के नामों को दिया गया है और चूंकि क्षतियों के कारण उसका उपचार चल रहा था इसलिए वह दो

अन्य व्यक्तियों के नामों का उल्लेख नहीं कर सका । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मामलातदार के समक्ष उसने वैला लखमन और भका वासु के नामों का उल्लेख किया था ।

8क. यदि चिकित्सा साक्ष्य में देखा जाए तो डाक्टर, जिन्होंने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया, उनकी अभि. सा. 11 (प्रदर्श 71) के रूप में परीक्षा की गई, जिन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि क्षति सं. 1 और 2 स्तंभ सं. 17 पर उल्लेख किया गया है, प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त कारण हैं । अतः, यह स्पष्ट है कि यह हत्या का मामला है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक के सिर पर 47 टांके लगे थे । मृत्यु का कारण सिर की क्षति के कारण हृदयरोध श्वासावरोध के विफल हो जाने के कारण हुई थी । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह क्षति मृतक की मृत्यु का कारण है । अतः, हमें इस बारे में भी विचार करना आवश्यक है कि किस अभियुक्त ने मृतक पर क्षतियां कारित की थीं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई । साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि मूल अभियुक्त सं. 1 द्वारा मृतक के पैर पर पाइप से क्षति कारित की गई जिसे घातक होना साबित किया गया है क्योंकि उक्त क्षति पहुंचने पर मृतक जमीन पर गिर गया था तथापि, इन क्षतियों के कारण दो दिन पश्चात् मृतक की मृत्यु हो गई थी । इसके अतिरिक्त मूल अभियुक्त सं. 5 द्वारा धारिया से क्षति कारित की गई थी, ऐसी क्षति को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है क्योंकि मूल अभियुक्त सं. 5 का नाम उक्त साक्षी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं दिया गया था और इसलिए इसे गंभीर विभेद कहा जा सकता है । चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु का कारण केवल एक क्षति है, विशिष्ट रूप से वह सिर की क्षति है जिसे मूल अभियुक्त सं. 1 द्वारा कारित नहीं किया गया था, जैसा कि अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य के अनुसार है । अतः, मूल अभियुक्त सं. 1 के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि उसके विरुद्ध धारा 302 के अधीन मामला नहीं बनता है । सिर पर केवल एक क्षति से मृतक की मृत्यु हुई थी । अतः, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में कोई गलती नहीं की, तथापि, क्षति की प्रकृति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मूल अभियुक्त सं. 1 दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अधीन अपराध का दोषी है न कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का ।

9. जहां तक मूल अभियुक्त सं. 2 से 4 का संबंध है, उनके द्वारा क्षतियां कारित किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है जिन्हें घातक साबित किया गया और इसलिए दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 147, 148 और 149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मूल अभियुक्त सं. 2 से 4 के लिए अधिनिर्णीत की गई दोषसिद्धि को अभिखंडित और अपास्त किया जाना अपेक्षित है तथापि, मूल अभियुक्त सं. 2 से 4 ने मृतक तथा आहत साक्षी (अभि. सा. 4) के शरीर पर क्षतियां कारित की थीं और क्षतियां जिन जगहों पर की गईं वह शरीर का महत्वपूर्ण भाग नहीं है इसलिए दंड संहिता की धारा 323 और 324 के साथ पठित धारा 147, 148 और 149 के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखा जाना अपेक्षित है ।

10. जहां तक मूल अभियुक्त सं. 5 और 6 का संबंध है, उनके बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण साक्षी, जो प्रश्नगत घटना में क्षतिग्रस्त भी हुआ था, उसने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया कि उनके नामों के बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है । परन्तु बाद में उनके नाम मामलातदार द्वारा डी.डी. में अभिलिखित करके उनका उल्लेख किया गया । इसके अतिरिक्त, मूल अभियुक्त सं. 5 द्वारा कारित की गई धारिया क्षति को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है क्योंकि मूल अभियुक्त सं. 5 का नाम उक्त साक्ष्य द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए जहां तक मूल अभियुक्त सं. 5 का संबंध है, उसके बारे में गंभीर विभेद होना कहा जा सकता है और इसलिए संदेह का फायदा उक्त अभियुक्त को दिया जाना अपेक्षित है । यह उल्लेख करना भी अपेक्षित है कि यद्यपि अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि मूल अभियुक्त सं. 6 दरांत से लैस था परन्तु इस बारे में कथन नहीं किया गया है कि उसके द्वारा किस किस्म की क्षति कारित की गई । इस प्रकार, अभियोजन पक्षकथन जहां तक मूल अभियुक्त सं. 5 और 6 का संबंध है, संदेहपूर्ण प्रतीत होता है और इसलिए उन्हें संदेह का फायदा दिया जाना अपेक्षित है ।

11. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से जो कुछ प्रकट हुआ है उसमें हत्या करने के लिए पूर्व-चिन्तन और आशय की कमी है और अपीलार्थी के वारदात का कारण उकसाना रहा है । तथापि, यह तथ्य शेष रह जाता है कि अपराध जिसके बारे में किया जाना कहा गया है । अतः, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपराध जो किया गया, जैसा कि अभियोजन द्वारा अभिकथन किया गया है, उस पर हम उस कारण पर यह

कह सकते हैं कि अपराध कि प्रकृति धारा 300 के अपवाद के अन्तर्गत आती है । अतः, हम मूल अभियुक्त सं. 1 के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश को धारा 302 से परिवर्तित करके धारा 304 भाग I में लाते हैं और धारा 304 भाग I के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हैं तथा 10 वर्ष की अवधि के कारावास से उसे दंडादिष्ट करते हैं ।

12. परिणामस्वरूप, मूल अभियुक्त सं. 1 से 4 द्वारा फाइल की गई 2008 की दांडिक अपील सं. 2199 को भागतः मंजूर करते हैं, जबकि मूल अभियुक्त सं. 6 के बारे में उक्त अपील को मंजूर करते हैं ।

12.1 विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पाटन द्वारा तारीख 11 जुलाई, 2008 को 2007 के सेशन मामला सं. 46 में पारित किए गए निर्णय और आदेश, जिसमें दंड संहिता की धारा 302, 324, 323 के साथ पठित धारा 147, 148 और 149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 2008 के क्रिमिनल अपील सं. 2199 में मूल अभियुक्त 1- अपीलार्थी सं. 1 की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अधीन दंडनीय अपराध में परिवर्तित करते हैं और तद्नुसार, उसके लिए यह निदेश करते हैं कि उक्त अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगेगा तथा पहले भोगी गई दंड की अवधि से दंड को कम करने पर विचार किया जाएगा । जमानत बंधपत्र और प्रतिभू को रद्द किया जाएगा तथा उसे यह निदेश दिया गया कि वह शेष दंड भोगने के लिए आज से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित कारागार प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यर्पण करेगा, जिसके विफल होने पर संबंधित कारागार प्राधिकारी विधि के अनुसरण में समुचित कार्रवाई करेगा ।

12.2 जहां तक 2008 की दांडिक अपील सं. 2199 में मूल अभियुक्त सं. 2 से 4 अपीलार्थी सं. 2 से 4 का संबंध है, दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 147, 148 और 149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है, तथापि, दंड संहिता की धारा 323 और 324 के साथ पठित धारा 147, 148 और 149 के अधीन दोषसिद्धि और आदेश की पुष्टि की जाती है और दंड के लिए उनका आदेश उनके द्वारा पहले ही भोगे गए दंड से कम किया जाता है और यह भी शर्त रखी गई कि वे आज से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर मृतक-घैलाभाई

खच्चरभाई के पुत्र को प्रतिकर के रूप में अलग-अलग दस हजार रुपए की रकम जमा करेंगे और प्रतिकर की उक्त राशि संबंधित सेशन न्यायालय के समक्ष जमा की जाएगी जो बदले में उसे प्रतिकर का सम्यक् और उचित रूप से सत्यापन करने के पश्चात् मृतक के पुत्र को संदाय करेगा । यदि मूल अभियुक्त सं. 2 से 4 प्रतिकर की राशि जमा नहीं करेंगे जैसा कि इसमें ऊपर निर्देश किया गया है तब वे विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 323 और 324 के साथ पठित धारा 147, 148 और 149 के अधीन शेष अधिनिर्णीत दंड को भोगेंगे ।

12.3 जहां तक 2008 की दांडिक अपील सं. 2199 में मूल अभियुक्त सं. 6 अपीलार्थी सं. 5 का संबंध है, उसके विरुद्ध पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश अभिखंडित और अपास्त किए जाते हैं और उसके लिए यह आदेश किया जाता है कि उसे उस पर लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । जमानत बंधपत्र और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं ।

13. मूल अभियुक्त सं. 5 द्वारा फाइल की गई 2008 की दांडिक अपील सं. 2241 को मंजूर किया जाता है और उसके विरुद्ध पारित किए गए दोषसिद्धि के दंडादेश और आदेश को अपास्त किया जाता है । उसके लिए यह आदेश किया गया कि उसे उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । जमानत बंधपत्र और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं । आर. और पी. विचारण न्यायालय को तत्काल वापस भेजे जाते हैं । इस फर्द की यादी कारागार प्राधिकारियों को तत्काल भेजी जाएगी ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

आर्य

जम्मू-कश्मीर राज्य

बनाम

जनक सिंह और अन्य

तारीख 22 दिसम्बर, 2015

न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर और न्यायमूर्ति बी. एस. वालिया

जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, 1989 (संवत् 1932 ईस्वी) – धारा 307, 395, 326/324, 148/149, 341/323 [सपठित भारतीय आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 4/25] – हत्या का प्रयत्न – हत्या के प्रयत्न के लिए आयुध खुखरी का इस्तेमाल किया जाना तथा आहत व्यक्तियों को क्षति पहुंचाना – यदि स्वतंत्र साक्षियों को घटना की जानकारी नहीं है और वे पक्षद्रोही हो गए हैं तथा पुलिस द्वारा साक्षी के समक्ष शनाख्त परेड नहीं कराई गई और शनाख्त परेड का कोई अभिलेख नहीं रखा गया तो अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, 1989 (संवत् 1932 ईस्वी) – धारा 307, 395, 326/324, 148/149, 341/323 – हत्या का प्रयत्न तथा आहत व्यक्तियों को क्षतियां पहुंचाना – जहां मामले में अभियुक्त-अपीलार्थियों की घटनास्थल पर अंधेरा होने के कारण पहचान नहीं की गई तथा अभियुक्त के नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं वहां पर अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना उचित है ।

संक्षेप में मामले का तथ्य यह है कि गोविंद प्रसाद और उसका भाई विजय कुमार तारीख 1 मई, 1994 को अपनी दुकान बंद करके स्कूटर द्वारा सायंकाल 7.30 बजे जा रहे थे । तभी तीन-चार व्यक्ति झाड़ियों से निकलकर आए और उनके स्कूटर को रोक लिया । अभियुक्त जनक राज ने विजय कुमार पर खुखरी से प्रहार किया और उसको क्षतिग्रस्त कर दिया जबकि अन्य अभियुक्तों ने उसको लाठी से पीटा और स्कूटर की डिक्की से 17,000/- रुपए निकाल लिए । उनके द्वारा चीख-पुकार मचाए जाने पर लोग जमा हो गए जिस पर अभियुक्त भाग गए, क्षतिग्रस्त विजय कुमार को रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस थाना रामगढ़ में रजिस्ट्रीकृत की गई । चालान तारीख 2 सितम्बर, 1994 को

जम्मू के विद्वान् उप न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन फाइल किया गया जिन्होंने मामले को जम्मू के विद्वान् प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय के सुपुर्द कर दिया और विद्वान् प्रधान न्यायाधीश ने मामले को जम्मू के विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय को न्यायनिर्णयन के लिए अंतरित कर दिया । जम्मू के विद्वान् द्वितीय अपर सेशन् न्यायाधीश ने तारीख 27 अप्रैल, 2005 को पारित आदेश द्वारा प्रत्यर्थियों/अभियुक्तों को रणवीर दंड संहिता की धाराओं 307, 395, 326/324, 148/149, 341/323 और भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन दोषमुक्त कर दिया । उक्त आदेश से व्यथित होकर राज्य द्वारा यह अपील फाइल की गई । अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – हमने पक्षों के विद्वान् काउंसेल को सुना और उनके द्वारा किए गए निवेदनों और निर्दिष्ट किए गए अभिलेख पर विचार किया । अभियोजन के वृत्तांत में अनेक गंभीर कमियां हैं । जबकि अभि. सा. विजय कुमार ने अभिकथित किया है कि अभियुक्त प्रश्नगत स्कूटर पर सवार होकर भाग गए थे, अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार स्कूटर घटनास्थल पर पड़ी हुई थी और पुलिस द्वारा अभिगृहीत की गई थी । द्वितीयतः जबकि अन्वेषण अधिकारी ने अभिकथित किया है कि शिकायतकर्ता अभियुक्तों को नहीं जानता था और उसने कहा कि वह उनको पहचान सकता है और शनाख्त परेड संचालित की गई थी, उनके संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है । इसके अलावा प्रतिपरीक्षा में अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त की शनाख्त परेड संचालित नहीं की थी । अभिलेख पर उपलब्ध स्वतंत्र साक्षी ने अभिकथित किया है कि उनको घटना की कोई जानकारी नहीं है और इसी कारणवश उनको पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था अर्थात् केवल कृष्ण और दर्शन कुमार । एक अन्य स्वतंत्र साक्षी अभि. सा. राज कुमार ने शपथपूर्वक कथन किया है कि उसकी उपस्थिति में कोई प्रकटीकरण कथन नहीं किया गया और प्रकटीकरण कथन और अभिग्रहण ज्ञापन जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं, गलत हैं । उसको भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । अभियोजन साक्षियों के कथन की कि डिक्की में रखी हुई रकम अर्थात् 17,000/- रुपए अभियुक्त द्वारा छीने गए थे, अभि. सा. विजय कुमार, जिसके पास रकम थी और उसने अभिकथित किया था कि स्कूटर की डिक्की में 6,000/- रुपए जबकि शेष 11,000/- रुपए उसके जेब में थे, कथन के

परस्पर विरोधी हैं । तथापि, उक्त साक्षी ने अभियुक्त द्वारा 11,000/- रुपए छीने जाने के बाबत कभी कोई कथन नहीं किया । घटना के सभी तीन मुख्य व्यक्ति अर्थात् क्षतिग्रस्त विजय कुमार और उसका भाई गोविन्द प्रसाद और भीम राज ने घटना के संबंध में परस्पर विरोधी पक्षकथन किए हैं । अभि. सा. विजय कुमार के अनुसार अभियुक्तों के नाम उसके भाई अभि. सा. गोविन्द प्रसाद द्वारा पुलिस के समक्ष प्रकट किए गए थे किन्तु वे गोविन्द प्रसाद के पक्षकथन के विपरीत हैं । अभि. सा. विजय कुमार ने शपथपूर्वक कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि खुखरी जनक राज के हाथ में थी या किसी अन्य अभियुक्त के, उसकी उपस्थिति में पुलिस द्वारा रकम का अभिग्रहण नहीं किया गया था, उसने उन कपड़ों को न्यायालय में नहीं देखा जिनका अभिग्रहण पुलिस द्वारा किया गया था, खुखरी उसकी उपस्थिति में अभिगृहीत नहीं की गई थी बल्कि पुलिस द्वारा उसको अस्पताल में दिखाई गई थी, उसको इस बाबत जानकारी नहीं है कि कितने दिनों के पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया किन्तु अभियुक्तों को एक ट्रक में लाया गया था और उसको दिखाया गया था, अभिगृहीत वाद संपत्ति न्यायालय में उसके द्वारा नहीं देखी गई थी, घटना के समय अंधेरा था इसलिए वह नहीं बता सकता कि उसको किस अभियुक्त ने क्षतिग्रस्त किया था । एक तरफ अभि. सा. गोविंद प्रसाद ने अभिकथित किया कि उसने घटना के दिन जनक राज को पहचाना था किन्तु दूसरी तरफ उसने अभिकथित किया कि वह घटना के दिन अंधेरा हो जाने के कारण अभियुक्त को पहचान नहीं सका था । उसने यह भी अभिकथित किया कि उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम नहीं दिया था, किन्तु उसने पुलिस को यह बताया कि उसको जनक राज पर शक था । उसने आगे सशपथ कहा कि पुलिस ने उसको जनक राज के नाम के बारे में बताया था किन्तु पुलिस ने मेरे द्वारा जनक राज की पहचान नहीं कराई थी और यद्यपि पुलिस ने उसको तारीख 3 मई, 1994 को गिरफ्तार कर लिया था, उसको अभियुक्तों के बारे में तारीख 4 मई को पता चला था किन्तु तारीख 1 मई को दो अभियुक्त अर्थात् जनक राज और सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया था और अन्य अभियुक्तों को उनके घरों पर छापा मारने के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उसको अन्य अभियुक्तों के नाम पुलिस थाना में पता चले थे । यह बात समझ में आने योग्य नहीं है कि अभियुक्त जनक राज को पुलिस द्वारा उसी रात घटना के डेढ़ घंटे के भीतर अभि. सा. गोविंद प्रसाद द्वारा अभियुक्तों को अंधेरा होने के कारण न पहचाने जाने, परिणामस्वरूप प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

में अभियुक्तों के नाम दिए जाने और अभि. सा. गोविंद प्रसाद से अभियुक्त जनक राज की पहचान कराए बिना कैसे गिरफ्तार किया गया था । अभि. सा. गोविंद प्रसाद ने सशपथ यह कथन भी किया है कि उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि डिक्की में कितनी रकम थी किन्तु उसको इस बात की जानकारी है कि कुल रकम 17,000/- रुपए थी और संपूर्ण रकम अभियुक्त द्वारा ले ली गई थी और यह कहना गलत था कि डिक्की में मात्र 5-6 हजार रुपए ही थे और शेष रकम विजय कुमार की जेब में थी । तथापि, पूर्वोक्त अभि. सा. विजय कुमार के कथन के पूर्णतया विपरीत है जिसने अभिकथित किया था कि स्कूटर की डिक्की में मात्र छह हजार रुपए थे और जिसको अभियुक्त द्वारा छीन लिया गया था जबकि शेष रकम उसकी जेब में थी । आगे यह विशिष्टतापूर्वक अभिकथित किया गया कि अभि. सा. विजय कुमार ने यह अभिकथित नहीं किया है कि ग्यारह हजार रुपए की रकम उसकी जेब में थी जिसको अभियुक्त द्वारा छीन लिया गया था । उसने आगे अभिकथित किया कि अभियुक्त बोध राज ने अपने प्रकटीकरण कथन में स्वीकार किया था कि अभियुक्त ने विजय कुमार को पीटा था और उससे राशि छीन ली थी, किन्तु इस बाबत प्रकटीकरण कथन में कुछ भी नहीं कहा गया । अभि. सा. भीम राज अर्थात् आहत और गोविंद प्रसाद के भाई ने अभिकथित किया कि अभियुक्तों के नाम पुलिस को अभि. सा. गोविंद प्रसाद द्वारा दिए गए थे । इसके विपरीत अभि. सा. गोविंद प्रसाद ने स्पष्टतया अभिकथित किया कि उसने अभियुक्तों के नामों अथवा उसके पिता-माता के नामों का प्रकटीकरण कथन पुलिस के समक्ष नहीं किया, वह घटना के समय अंधेरा होने के कारण अभियुक्तों को पहचान नहीं सका था, यद्यपि पुलिस द्वारा शनाख्त परेड संचालित किया जाना अभिकथित है, किन्तु उसकी उपस्थिति में कोई शनाख्त परेड नहीं हुई थी । यद्यपि अभि. सा. भीम सिंह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, फिर भी उसने अभिकथित किया है कि विजय कुमार के पास स्कूटर की डिक्की में 17,000/- रुपए थे जो अभियुक्त द्वारा छीन लिए गए थे किन्तु उसका यह कथन अभि. सा. विजय कुमार के कथन के विपरीत है जिसने स्पष्टतया अभिकथित किया है कि उसके पास स्कूटर की डिक्की में मात्र छह हजार रुपए थे जबकि शेष ग्यारह हजार रुपए की रकम उसकी जेब में थी । उक्त अभि. सा. विजय कुमार ने ग्यारह हजार रुपए छीने जाने के बाबत कोई कथन नहीं किया । अभि. सा. भीम सिंह ने आगे यह अभिकथित किया कि अभियुक्तों को थाने में मुंशी के कमरे में लॉकर के साथ बांध दिया गया था और उन्होंने मुंशी के समक्ष प्रकटीकरण कथन तब किए थे

जब थानाध्यक्ष, जो अन्वेषण संचालित कर रहा था, वहां पर नहीं था, प्रकटीकरण कथन पुलिस द्वारा उसको पढ़कर नहीं सुनाया गया था, उसने अपने द्वारा साक्ष्य दिए जाने की तारीख पर न्यायालय में सुना था कि पुलिस और अभि. सा. गोविंद प्रसाद अभियुक्तों के घर गए थे किन्तु वह पुलिस के साथ अभियुक्तों के घर नहीं गया था और पुलिस द्वारा पुलिस थाना में हस्ताक्षर किए गए थे । उसने आगे अभिकथित किया कि प्रकटीकरण कथन, अभिग्रहण ज्ञापन और साथ ही बरामदगी ज्ञापन पुलिस थाना में तैयार किए गए थे और हस्ताक्षर भी वहीं पर लिए गए थे, अतः उसने जिस वृत्तांत को अभिकथित किया है वह अन्य साक्षियों के द्वारा कथित वृत्तांत के विपरीत है । मामले का एक अन्य पहलू जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है यह है कि यद्यपि प्रकटीकरण कथन अभियुक्त द्वारा डोगरी में किया जाना अभिकथित है, वह उर्दू में अभिलिखित किए गए थे । तीन स्वतंत्र साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया जो घटना के मुख्य व्यक्ति हैं अर्थात् विजय कुमार, गोविंद प्रसाद और भीम राज । भाइयों ने छीन-झपट और रकम के अभिग्रहण के संबंध में परस्पर विरोधी कथन किए हैं । अभि. सा. गोविंद प्रसाद ने अभिकथित किया कि उसने अंधेरा होने के कारण अभियुक्तों के नाम नहीं लिए थे इसलिए उसके द्वारा अभियुक्तों की पहचान करने में असमर्थ रहने के कारण अन्य साक्षियों ने भी यह अभिकथित किया है कि वे अभियुक्तों की पहचान नहीं कर पाए थे और उन्होंने उनके नाम भी नहीं लिए । अभि. सा. भीम राज के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने के कारण और उसके द्वारा यह कथन किया जाना कि उसको घटना के बारे में केवल कृष्ण, जिसको पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है, द्वारा सूचित किया गया था । अभि. सा. गोविंद प्रसाद घटना के दौरान घटनास्थल पर गया था । इस बाबत कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है कि शनाख्त परेड कराई गई थी, अभियुक्त द्वारा प्रकटीकरण कथन डोगरी में किया गया है जबकि उसको अभिलिखित उर्दू में किया गया है, अभि. सा. विजय कुमार ने अभिकथित किया है कि अभियुक्त स्कूटर पर भागे थे जबकि अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार स्कूटर घटनास्थल पर पड़ी हुई थी और उसको पुलिस द्वारा अभिगृहीत किया गया था, अन्वेषक अधिकारी ने अभिकथित किया है कि शनाख्त परेड कराई गई थी, किन्तु इस बाबत कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा में अन्वेषक अधिकारी ने स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त की शनाख्त परेड संचालित नहीं कराई थी, स्वतंत्र साक्षी राजकुमार ने शपथपूर्वक कथन किया है कि उसकी उपस्थिति में कोई प्रकटीकरण कथन

नहीं किया गया और प्रकटीकरण कथन और अभिग्रहण ज्ञापन जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं, गलत हैं, अभियुक्त जनक राज ने अभिकथित किया है कि उसको पुलिस द्वारा घटना के डेढ़ घंटे के भीतर रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था यद्यपि अभि. सा. गोविंद प्रसाद द्वारा अंधेरे के कारण उसकी पहचान नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप अभियुक्तों के नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं दिए गए थे और अभियुक्त जनक राज की पहचान अभि. सा. गोविंद प्रसाद द्वारा नहीं की गई थी, अभियुक्त बोध राज ने प्रकटीकरण कथन में स्वीकार किया है कि अभियुक्तों ने विजय कुमार को पीटा था और उससे राशि छीन ली थी किन्तु उसने इस बाबत प्रकटीकरण कथन में कुछ भी नहीं कहा, अभि. सा. भीम सिंह ने अभिकथित किया है कि अभियुक्तों को थाने के मुंशी के कमरे में लॉकर के साथ बांध दिया गया था और उन्होंने मुंशी के समक्ष प्रकटीकरण कथन किया था परन्तु उस समय अन्वेषक अधिकारी वहां पर नहीं था, प्रकटीकरण कथन की अन्तर्वस्तु को पुलिस द्वारा उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था, प्रकटीकरण कथन, अभिग्रहण ज्ञापन और बरामदगी ज्ञापन पुलिस थाना में तैयार किए गए थे और वहीं पर हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए गए थे, किन्तु इससे अभियोजन के पक्षकथन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती । (पैरा 14 और 15)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील सं. 48.

जम्मू के द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 27 अप्रैल, 2005 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री संजीव पढ़ा (सरकारी अधिवक्ता)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री राकेश शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. एस. वालिया ने दिया ।

न्या. वालिया – राज्य ने यह अपील जम्मू के द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 27 अप्रैल, 2005 को पारित आदेश, जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों को थाना रामगढ़ में रजिस्ट्रीकृत 1994 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 26 में रणवीर दंड संहिता की धाराओं 307/395, 326/324, 148/149, 341/323 और भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन दोषमुक्त कर दिया गया, के विरुद्ध फाइल की है ।

2. यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों के पक्ष में पारित दोषमुक्ति आदेश अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अपास्त किया जाए कि

दोषमुक्ति आदेश न केवल तथ्यों और विधि के विरुद्ध है बल्कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य और साथ ही विधि का मूल्यांकन उचित रीति में नहीं किया और उसको सही अर्थों में नहीं समझा और उनको दोषसिद्ध किया जाए ।

3. हमने पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और निर्दिष्ट अभिलेखों का परिशीलन किया ।

4. चालान तारीख 2 सितम्बर, 1994 को जम्मू के विद्वान् उप न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन फाइल किया गया जिन्होंने मामले को जम्मू के विद्वान् प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय के सुपुर्द कर दिया और विद्वान् प्रधान न्यायाधीश ने मामले को जम्मू के विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय को न्यायनिर्णयन के लिए अंतरित कर दिया ।

5. आरंभतः यह उल्लेख किया जाता है कि 9 अभियोजन साक्षियों में से तीन अर्थात् अभि. सा. दर्शन कुमार, अभि. सा. केवल कृष्ण और अभि. सा. राजकुमार ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और उनको पक्षद्रोही घोषित किया गया ।

6. अभि. सा. गोविंद प्रसाद के अभिसाक्ष्य के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि वह, एक दुकानदार और अपने भाई विजय कुमार के साथ तारीख 1 मई, 1994 को सायंकाल लगभग 7.30 बजे दुकान बंद करके स्कूटर सं. 4450 जेके 02बी पर सवार होकर जा रहे थे तभी तीन चार व्यक्ति झाड़ियों से निकलकर आए और उनके स्कूटर को ग्राम सौंखा से लगभग आधा किलोमीटर पहले रोक लिया तत्पश्चात् अभियुक्त जनक राज ने उसके भाई विजय कुमार पर खुखरी से प्रहार किया और उसको क्षतिग्रस्त कर दिया जबकि अन्य अभियुक्तों ने उसको लाठियों से पीटा और स्कूटर की डिक्की से 17,000/- रुपए निकाल लिए । उनके द्वारा चीख-पुकार मचाए जाने पर लोग जमा हो गए जिस पर अभियुक्त भाग गए, क्षतिग्रस्त विजय कुमार को रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. जीपी पुलिस थाना रामगढ़ में रजिस्ट्रीकृत की गई ।

7. अभि. सा. गोविन्द प्रसाद के अनुसार अभियुक्त यशपाल ने प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. जीपी 1 तारीख 4 मई, 1994 को किया जिसके द्वारा स्कूटर से राशि निकाले जाने की बात कही गई

जिसको अभियुक्तों के मध्य बांटा गया था, इसके अतिरिक्त अपराध में प्रयुक्त लाठी दरवाजे के पीछे छिपाए जाने की बात कही गई और उसकी बरामदगी मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. जीपी 2 द्वारा की गई, अभियुक्त जनक राज ने भी प्रकटीकरण कथन किया जिसके द्वारा एक खुखरी और एक हजार रुपए मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बीआर 2 द्वारा बरामद किए गए, अभियुक्त योगेन्द्र सिंह ने भी प्रकटीकरण कथन किया और बताया कि उसने 880/- रुपए लिए थे जिसमें से 120/- रुपए खर्च कर दिए और शेष रकम की बरामदगी मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. जीपी 3 द्वारा की गई, इसी प्रकार सुभाष चंद्र ने प्रकटीकरण कथन किया और बताया कि उसने एक खुखरी और 602/- रुपए रखे थे, जिसकी बरामदगी की गई ।

8. अभि. सा. गोविन्द प्रसाद ने शपथपूर्वक आगे कथन किया कि उसने घटना के दिन सायंकाल 6.30 बजे दुकान बंद की, वह लगभग 7.00 बजे तक दुकान में था, उसकी दुकान घटनास्थल से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है, पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, उसने रिपोर्ट में अभियुक्तों के नाम नहीं दिए थे क्योंकि उस समय वह उनके नाम नहीं जानता था, पुलिस ने अभियुक्तों को 3 मई 1994 को गिरफ्तार किया, उसको अभियुक्तों के बारे में तारीख 4 मई, 1994 को पता चला तत्पश्चात् पुलिस द्वारा उसका कथन अभिलिखित किया गया, उसका कथन तारीख 2 मई को भी अभिलिखित किया गया था, तारीख 1 मई को दो अभियुक्त अर्थात् जनक राज और सुभाष गिरफ्तार किए गए जबकि शेष अभियुक्तों को उनके घरों पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया था, अभियुक्तों के नामों के बारे में उसको पुलिस थाना में पता चला था, उसने घटना के दिन अंधेरा होने के कारण अभियुक्तों को नहीं पहचाना था, उसने घटना के दिन जनक राज को पहचान लिया था किन्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसका नाम नहीं दिया था, किन्तु जनक राज के बारे में अपना संदेह पुलिस को बता दिया था, अभियुक्त व्यक्तियों को घटना के समय उसके द्वारा नहीं पहचाना गया था, पुलिस ने उसको जनक राज के नाम के बारे में बताया था किन्तु पुलिस द्वारा उसके माध्यम से जनक राज की पहचान नहीं की गई थी, अभियुक्त की पहचान पुलिस द्वारा उसके माध्यम से नहीं की गई थी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन में उसने अभियुक्तों के नाम नहीं दिए थे, वह घटनास्थल से कुछ दूरी पर छिप गया था, कालू नामक एक व्यक्ति, तत्पश्चात् तीन चार व्यक्ति घटनास्थल पर आए थे किन्तु वह उनके नाम नहीं जानता क्योंकि अंधेरा हो चुका था, दो अभियुक्तों ने अपने हाथों में खुखरी ले रखी थी जबकि शेष

के हाथों में लाठियां थी, उसने जनक राज को खुखरी से प्रहार करते हुए देखा था किन्तु वह यह नहीं कह सकता कि खुखरी से कितने वार किए गए थे, अभियुक्तों ने क्षतिग्रस्त को लात-घूसों और लाठियों से पीटा था, उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि स्कूटर की डिक्की में कितनी रकम थी किन्तु कुल राशि 17,000/- रुपए थी, संपूर्ण रकम अभियुक्त ले गए थे, यह कहना गलत है कि स्कूटर की डिक्की में केवल 5-6 हजार रुपए थे और शेष रकम विजय कुमार की जेब में थी, प्रकटीकरण कथन तारीख 4 मई को लिखे गए थे, अभियुक्त बोध राज ने प्रकटीकरण कथन में स्वीकार किया कि अभियुक्त ने विजय कुमार को पीटा था और उससे रकम छीन ली थी, किन्तु उक्त शब्द प्रकटीकरण कथन में नहीं पाए गए, प्रकटीकरण कथन के समय वह उपस्थित था किन्तु जहां तक अन्य लोगों की उपस्थिति का संबंध है वह कुछ नहीं कह सकता, प्रकटीकरण कथन उर्दू में लिखा गया था जबकि अभियुक्तों ने कथन डोगरी भाषा में किए थे, वह अभिग्रहण के समय पुलिस के साथ था किन्तु यह नहीं कह सकता कि पुलिस के साथ और कौन लोग थे, अभियुक्त बोध राज से 880/- रुपए बरामद किए गए, उससे कुछ भी अभिगृहीत नहीं किया गया, घटनास्थल से 4,300/- रुपए बरामद किए गए थे, उसको विवरण की जानकारी नहीं है, वह लाठियों की आकार के बारे में नहीं बता सकता, पुलिस ने चार-पांच कागजों पर उससे हस्ताक्षर करा लिए थे, वह नहीं कह सकता कि उन कागजों पर और किन लोगों ने हस्ताक्षर किए और वह यह भी नहीं बता सकता कि किस पुलिस अधिकारी ने उन कागजों पर लिखा, विजय कुमार ने जो कपड़े पहने थे पुलिस को दे दिए गए थे और पुलिस ने उनको पुलिस थाने में अभिगृहीत कर लिया था, घटना के दिन जनक राज को पुलिस द्वारा रात्रि 10.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था, उसने जनक राज को तारीख 2 मई को पुलिस थाना में देखा था, जनक राज से 1,000/- रुपए बरामद किए गए थे, यशपाल से 2,500/- रुपए, और बिल्ला से 880/- रुपए बरामद किए गए थे, किन्तु वह यह नहीं बता सकता कि शेष अभियुक्तों से कितनी रकम की बरामदगी की गई, भीम राज उसका भाई था, क्षतिग्रस्त को पुलिस द्वारा अभियुक्त की शनाख्त के लिए ले जाया गया था किन्तु शनाख्त परेड के संबंध में कोई कागजात तैयार नहीं किए गए थे, यह कहना गलत है कि अभियुक्त को चार दिनों के पश्चात् गिरफ्तार किया गया था ।

9. अभि. सा. विजय कुमार अर्थात् आहत ने शपथपूर्वक कथन किया कि जब उसने और उसके भाई गोविन्द प्रसाद ने तारीख 1 मई, 1994 को

दुकान बंद की और सायंकाल लगभग 7.30 बजे स्कूटर सं. 4550 जेके 02बी पर सवार होकर जा रहे थे, तो अभियुक्त व्यक्ति जो उनको जानते थे और अक्सर उनके निवासस्थान पर आया जाया करते थे, झाड़ियों से निकलकर आए, उनके स्कूटर को रोका जिस पर प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् जनक राज ने उसके ऊपर आयुध से प्रहार किया और उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, उसके 28 टांके लगे थे, गोविन्द प्रसाद और उसका भाई घटनास्थल से दूर चले गए, 6,000/- रुपए जो उनकी स्कूटर के डिक्की में रखे थे अभियुक्त द्वारा निकाल लिए गए, तत्पश्चात् आम-पास काम करने वाले अनेक व्यक्ति शोर सुनकर घटनास्थल पर आ गए और यदि वे न आते, तो वह जान से मार दिया जाता, वह अर्द्ध मुर्छा की स्थिति में था जब उसको अस्पताल ले जाया गया था जहां वह चार-पांच दिन रहा, न्यायालय में उसको जो खुखरी दिखाई गई वह वही थी जिसके द्वारा उसके ऊपर प्रहार किए गए थे । प्रतिपरीक्षा में उसने अभिकथित किया कि वह उन लोगों के नामों का प्रकटीकरण नहीं कर सकता जो शोर सुनकर घटनास्थल पर आ गए, चूंकि वह अर्द्ध मुर्छा की स्थिति में था । अभियुक्त जनक राज को वह जानता था जबकि अन्य अभियुक्तों को उसके द्वारा पहचाना गया था, खुखरी नियमित प्रकार की थी, पुलिस ने उसकी उपस्थिति में अभियुक्त से नकदी अभिगृहीत नहीं की थी ।

10. अभि. सा. भीम राज (आहत का भाई) और साथ ही गोविन्द प्रसाद) ने शपथपूर्वक कथन किया कि वह क्षतिग्रस्त और अभियुक्त को जानता था । तारीख 1 मई, 1994 को रात्रि लगभग 8.00 बजे एक लड़का केवल कृष्ण आया और उसको बताया कि कुछ लोग विजय कुमार को पीट रहे हैं जिस पर वह घटनास्थल पर ट्रक से गया और पाया कि उसका भाई गोविन्द प्रसाद उसके भाई विजय कुमार, जो क्षतिग्रस्त था किन्तु पूरे होशोहवाश में था, के साथ बैठा था । अभियुक्त ने विजय कुमार को 17,000/- रुपए चुराने के बाबत पीटा था और उक्त रकम अभियुक्त से बरामद हो गई थी, तत्पश्चात् कुछ रकम बरामद हो गई थी और शेष रकम अभियुक्त द्वारा खर्च कर दी गई थी, जनक राज ने प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बीआर यह अभिकथित करते हुए किया कि उसने एक खुखरी छिपाई थी जिसको वह पुलिस को दिखा सकता है और जनक राज और सुभाष चंद्र के बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बीआर 2 और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बीआर 3 थे । उसने आगे अभिकथित किया कि विजय कुमार की स्कूटर की डिक्की में 17,000/- रुपए रखे हुए थे जो अभियुक्तों द्वारा छीन लिए गए थे । उसने अभिकथित किया कि उसने प्रकटीकरण कथन और

साथ ही अभिग्रहण ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था किन्तु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया कि उसने घटना को नहीं देखा बल्कि उसको घटना के बारे में केवल कृष्ण ने बताया था । जहां तक अभियुक्त सुभाष के प्रकटीकरण का संबंध है, उसने अभिकथित किया कि उसको कोई जानकारी नहीं है चूंकि घटना को आठ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । उसने आगे अभिकथित किया कि उसने पुलिस के सामने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और गोविन्द प्रसाद ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्तों के नाम दिए थे, अभियुक्तों को मुंशी के कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया गया था और अभियुक्तों ने मुंशी, थानाध्यक्ष जो अन्वेषण संचालित कर रहा था, के समक्ष प्रकटीकरण कथन किया था, प्रकटीकरण कथन उसको पुलिस द्वारा पढ़कर नहीं सुनाया गया था, उसने न्यायालय में अपने साक्ष्य की तारीख पर सुना था कि पुलिस और गोविन्द प्रसाद अभियुक्तों के घर गए थे किन्तु वह पुलिस के साथ अभियुक्तों के घर नहीं गया था, अभिग्रहण ज्ञापन, प्रकटीकरण कथन और बरामदगी ज्ञापन पुलिस थाना में तैयार किए गए थे और उनके ऊपर हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए गए थे ।

11. अभि. सा. कुन्दन लाल शर्मा पुलिस उप अधीक्षक (जो उस समय थाना रामगढ़ के थानाध्यक्ष थे) ने अभिकथित किया कि उसने अन्वेषण किया था, स्थल मानचित्र तैयार किया था, प्रकटीकरण कथन अभिलिखित किया था, बरामदगी ज्ञापन, सुपुर्दनामा, अपराध में प्रयुक्त आयुध का रेखाचित्र तैयार किए थे, चिकित्सक की रिपोर्ट अभिप्राप्त की थी और अभियुक्त को रणवीर दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 307, 395, 326/324, 341/323 और भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन अपराधों के लिए दोषी पाया था । प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्तों के नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं दिए गए थे, शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों के नाम तारीख 2 मई, 1994 को दिए थे, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि वह अभियुक्तों को पहचान सकता है, घटनास्थल पर कोई नोकदार पत्थर नहीं था, अभियुक्त का कथन तारीख 2 मई, 1994 को अभिलिखित किया गया था, क्षतिग्रस्त का कथन अस्पताल में तारीख 3 मई, 1994 को अभिलिखित किया गया था । शिकायतकर्ता उसके साथ घटनास्थल पर नहीं गया था, उसने अपनी रिपोर्ट उसके द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर बनाई थी ।

12. अभि. सा. डा. बोध राज जिसने क्षतिग्रस्त विजय कुमार का परीक्षण किया और प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बीआर जारी किया था, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया कि क्षति सं. 1, 2, 4, 5 साधारण

प्रकृति की क्षतियां थीं जबकि क्षति सं. 1 और 5 किसी धारदार आयुध द्वारा कारित की गई थीं जबकि क्षति सं. 3 गंभीर प्रकृति की थी और किसी धारदार वस्तु द्वारा कारित की गई थी और इस क्षति का स्कूटर से किसी धार वाले पत्थर पर गिरने का कारण होना भी संभव था ।

13. अभि. सा. शाम सिंह हेड कांस्टेबल ने यह अभिकथित किया कि वह तारीख 1 मई, 1994 को थानाध्यक्ष, जिसने स्कूटर सं. 4550 जेके 02बी को प्रदर्श पी. डब्ल्यू. केएल 6 द्वारा अभिगृहीत किया था, के साथ था और स्कूटर को बिसनाह पुलिस थाना के मुंशी को सौंप दिया गया था । प्रतिपरीक्षा में उसने अभिकथित किया कि स्कूटर शिकायतकर्ता द्वारा पहचाने जाने के आधार पर अभिगृहीत की गई थी किन्तु शिकायतकर्ता स्कूटर के अभिग्रहण के समय उपस्थित नहीं था ।

14. हमने पक्षों के विद्वान् काउंसेल को सुना और उनके द्वारा किए गए निवेदनों और निर्दिष्ट किए गए अभिलेख पर विचार किया । अभियोजन के वृत्तांत में अनेक गंभीर कमियां हैं ।

जबकि अभि. सा. विजय कुमार ने अभिकथित किया है कि अभियुक्त प्रश्नगत स्कूटर पर सवार होकर भाग गए थे, अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार स्कूटर घटनास्थल पर पड़ी हुई थी और पुलिस द्वारा अभिगृहीत की गई थी । द्वितीयतः जबकि अन्वेषण अधिकारी ने अभिकथित किया है कि शिकायतकर्ता अभियुक्तों को नहीं जानता था और उसने कहा कि वह उनको पहचान सकता है और शनाख्त परेड संचालित की गई थी, उनके संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है । इसके अलावा प्रतिपरीक्षा में अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त की शनाख्त परेड संचालित नहीं की थी ।

अभिलेख पर उपलब्ध स्वतंत्र साक्षी ने अभिकथित किया है कि उनको घटना की कोई जानकारी नहीं है और इसी कारणवश उनको पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था अर्थात् केवल कृष्ण और दर्शन कुमार । एक अन्य स्वतंत्र साक्षी अभि. सा. राज कुमार ने शपथपूर्वक कथन किया है कि उसकी उपस्थिति में कोई प्रकटीकरण कथन नहीं किया गया और प्रकटीकरण कथन और अभिग्रहण ज्ञापन जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं, गलत हैं । उसको भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

अभियोजन साक्षियों के कथन कि डिक्की में रखी हुई रकम अर्थात्

17,000/- रुपए अभियुक्त द्वारा छीने गए थे, अभि. सा. विजय कुमार, जिसके पास रकम थी और उसने अभिकथित किया था कि स्कूटर की डिक्की में 6,000/- रुपए जबकि शेष 11,000/- रुपए उसके जेब में थे, कथन के परस्पर विरोधी हैं । तथापि, उक्त साक्षी ने अभियुक्त द्वारा 11,000/- रुपए छीने जाने के बाबत कभी कोई कथन नहीं किया ।

घटना के सभी तीन मुख्य व्यक्ति अर्थात् क्षतिग्रस्त विजय कुमार और उसका भाई गोविन्द प्रसाद और भीम राज ने घटना के संबंध में परस्पर विरोधी पक्षकथन किए हैं । अभि. सा. विजय कुमार के अनुसार अभियुक्तों के नाम उसके भाई अभि. सा. गोविन्द प्रसाद द्वारा पुलिस के समक्ष प्रकट किए गए थे किन्तु वे गोविन्द प्रसाद के पक्षकथन के विपरीत हैं ।

अभि. सा. विजय कुमार ने शपथपूर्वक कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि खुखरी जनक राज के हाथ में थी या किसी अन्य अभियुक्त के, उसकी उपस्थिति में पुलिस द्वारा रकम का अभिग्रहण नहीं किया गया था, उसने उन कपड़ों को न्यायालय में नहीं देखा जिनका अभिग्रहण पुलिस द्वारा किया गया था, खुखरी उसकी उपस्थिति में अभिगृहीत नहीं की गई थी बल्कि पुलिस द्वारा उसको अस्पताल में दिखाई गई थी, उसको इस बाबत जानकारी नहीं है कि कितने दिनों के पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया किन्तु अभियुक्तों को एक ट्रक में लाया गया था और उसको दिखाया गया था, अभिगृहीत वाद संपत्ति न्यायालय में उसके द्वारा नहीं देखी गई थी, घटना के समय अंधेरा था इसलिए वह नहीं बता सकता कि उसको किस अभियुक्त ने क्षतिग्रस्त किया था ।

एक तरफ अभि. सा. गोविंद प्रसाद ने अभिकथित किया कि उसने घटना के दिन जनक राज को पहचाना था किन्तु दूसरी तरफ उसने अभिकथित किया कि वह घटना के दिन अंधेरा हो जाने के कारण अभियुक्त को पहचान नहीं सका था । उसने यह भी अभिकथित किया कि उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम नहीं दिया था, किन्तु उसने पुलिस को यह बताया कि उसको जनक राज पर शक था । उसने आगे सशपथ कहा कि पुलिस ने उसको जनक राज के नाम के बारे में बताया था किन्तु उसके द्वारा पुलिस ने जनक राज को नहीं पहचाना था और यद्यपि पुलिस ने उसको तारीख 3 मई, 1994 को गिरफ्तार कर लिया था, उसको अभियुक्तों के बारे में तारीख 4 मई को पता चला था किन्तु तारीख 1 मई को दो अभियुक्त अर्थात् जनक राज और सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया था और अन्य अभियुक्तों को उनके घरों पर छापा

मारने के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसको अन्य अभियुक्तों के नाम पुलिस थाना में पता चले थे ।

यह बात समझ में आने योग्य नहीं है कि अभियुक्त जनक राज को पुलिस द्वारा उसी रात घटना के डेढ़ घंटे के भीतर अभि. सा. गोविंद प्रसाद द्वारा अभियुक्तों को अंधेरा होने के कारण न पहचाने जाने के परिणामस्वरूप प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्तों के नाम दिए जाने और अभि. सा. गोविंद प्रसाद से अभियुक्त जनक राज की पहचान कराए बिना कैसे गिरफ्तार किया गया था ।

अभि. सा. गोविंद प्रसाद ने सशपथ यह कथन भी किया है कि उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि डिक्की में कितनी रकम थी किन्तु उसको इस बात की जानकारी है कि कुल रकम 17,000/- रुपए थी और संपूर्ण रकम अभियुक्त द्वारा ले ली गई थी और यह कहना गलत था कि डिक्की में मात्र 5-6 हजार रुपए ही थे और शेष रकम विजय कुमार की जेब में थी । तथापि, पूर्वोक्त अभि. सा. विजय कुमार के कथन के पूर्णतया विपरीत है जिसने अभिकथित किया था कि स्कूटर की डिक्की में मात्र छह हजार रुपए थे और जिसको अभियुक्त द्वारा छीन लिया गया था जबकि शेष रकम उसकी जेब में थी । आगे यह विशिष्टतापूर्वक अभिकथित किया गया कि अभि. सा. विजय कुमार ने यह अभिकथित नहीं किया है कि ग्यारह हजार रुपए की रकम उसकी जेब में थी जिसको अभियुक्त द्वारा छीन लिया गया था । उसने आगे अभिकथित किया कि अभियुक्त बोध राज ने अपने प्रकटीकरण कथन में स्वीकार किया था कि अभियुक्त ने विजय कुमार को पीटा था और उससे राशि छीन ली थी, किन्तु इस बाबत प्रकटीकरण कथन में कुछ भी नहीं कहा गया ।

अभि. सा. भीम राज अर्थात् आहत और गोविंद प्रसाद के भाई ने अभिकथित किया कि अभियुक्तों के नाम पुलिस को अभि. सा. गोविंद प्रसाद द्वारा दिए गए थे । इसके विपरीत अभि. सा. गोविंद प्रसाद ने स्पष्टतया अभिकथित किया कि उसने अभियुक्तों के नामों अथवा उसके पिता-माता के नामों का प्रकटीकरण कथन पुलिस के समक्ष नहीं किया, वह घटना के समय अंधेरा होने के कारण अभियुक्तों को पहचान नहीं सका था, यद्यपि पुलिस द्वारा शनाख्त परेड संचालित किया जाना अभिकथित है, किन्तु उसकी उपस्थिति में कोई शनाख्त परेड नहीं हुई थी ।

यद्यपि अभि. सा. भीम सिंह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, फिर भी उसने

अभिकथित किया है कि विजय कुमार के पास स्कूटर की डिक्की में 17,000/- रुपए थे जो अभियुक्त द्वारा छीन लिए गए थे किन्तु उसका यह कथन अभि. सा. विजय कुमार के कथन के विपरीत है जिसने स्पष्टतया अभिकथित किया है कि उसके पास स्कूटर की डिक्की में मात्र छह हजार रुपए थे जबकि शेष ग्यारह हजार रुपए की रकम उसकी जेब में थी । उक्त अभि. सा. विजय कुमार ने ग्यारह हजार रुपए छीने जाने के बाबत कोई कथन नहीं किया ।

अभि. सा. भीम सिंह ने आगे यह अभिकथित किया कि अभियुक्तों को थाने में मुंशी के कमरे में लॉकर के साथ बांध दिया गया था और उन्होंने मुंशी के समक्ष प्रकटीकरण कथन तब किए थे जब थानाध्यक्ष, जो अन्वेषण संचालित कर रहा था, वहां पर नहीं था, प्रकटीकरण कथन पुलिस द्वारा उसको पढ़कर नहीं सुनाया गया था, उसने अपने द्वारा साक्ष्य दिए जाने की तारीख पर न्यायालय में सुना था कि पुलिस और अभि. सा. गोविंद प्रसाद अभियुक्तों के घर गए थे किन्तु वह पुलिस के साथ अभियुक्तों के घर नहीं गया था और पुलिस द्वारा पुलिस थाना में हस्ताक्षर किए गए थे । उसने आगे अभिकथित किया कि प्रकटीकरण कथन, अभिग्रहण ज्ञापन और साथ ही बरामदगी ज्ञापन पुलिस थाना में तैयार किए गए थे और हस्ताक्षर भी वहीं पर लिए गए थे, अतः उसने जिस वृत्तांत को अभिकथित किया है वह अन्य साक्षियों के द्वारा कथित वृत्तांत के विपरीत है ।

मामले का एक अन्य पहलू जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है यह है कि यद्यपि प्रकटीकरण कथन अभियुक्त द्वारा डोगरी में किया जाना अभिकथित है, वह उर्दू में अभिलिखित किए गए थे ।

15. तीन स्वतंत्र साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया जो घटना के मुख्य व्यक्ति हैं अर्थात् विजय कुमार, गोविंद प्रसाद और भीम राज । भाइयों ने छीन-झपट और रकम के अभिग्रहण के संबंध में परस्पर विरोधी कथन किए हैं । अभि. सा. गोविंद प्रसाद ने अभिकथित किया कि उसने अंधेरा होने के कारण अभियुक्तों के नाम नहीं लिए थे इसलिए उसके द्वारा अभियुक्तों की पहचान करने में असमर्थ रहने के कारण अन्य साक्षियों ने भी यह अभिकथित किया है कि वे अभियुक्तों की पहचान नहीं कर पाए थे और उन्होंने उनके नाम भी नहीं लिए । अभि. सा. भीम राज के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने के कारण और उसके द्वारा यह कथन किया जाना कि उसको घटना के बारे में केवल कृष्ण, जिसको पक्षद्रोही घोषित किया जा

चुका है, द्वारा सूचित किया गया था । अभि. सा. गोविंद प्रसाद घटना के दौरान घटनास्थल पर गया था । इस बाबत कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है कि शनाख्त परेड कराई गई थी, अभियुक्त द्वारा प्रकटीकरण कथन डोगरी में किया गया है जबकि उसको अभिलिखित उर्दू में किया गया है, अभि. सा. विजय कुमार ने अभिकथित किया है कि अभियुक्त स्कूटर पर भागे थे जबकि अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार स्कूटर घटनास्थल पर पड़ी हुई थी और उसको पुलिस द्वारा अभिगृहीत किया गया था, अन्वेषक अधिकारी ने अभिकथित किया है कि शनाख्त परेड कराई गई थी, किन्तु इस बाबत कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा में अन्वेषक अधिकारी ने स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त की शनाख्त परेड संचालित नहीं कराई थी, स्वतंत्र साक्षी राजकुमार ने शपथपूर्वक कथन किया है कि उसकी उपस्थिति में कोई प्रकटीकरण कथन नहीं किया गया और प्रकटीकरण कथन और अभिग्रहण ज्ञापन जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं, गलत हैं, अभियुक्त जनक राज ने अभिकथित किया है कि उसको पुलिस द्वारा घटना के डेढ़ घंटे के भीतर रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था यद्यपि अभि. सा. गोविंद प्रसाद द्वारा अंधेरे के कारण उसकी पहचान नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप अभियुक्तों के नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं दिए गए थे और अभियुक्त जनक राज की पहचान अभि. सा. गोविंद प्रसाद द्वारा नहीं की गई थी, अभियुक्त बोध राज ने प्रकटीकरण कथन में स्वीकार किया है कि अभियुक्तों ने विजय कुमार को पीटा था और उससे राशि छीन ली थी किन्तु उसने इस बाबत प्रकटीकरण कथन में कुछ भी नहीं कहा, अभि. सा. भीम सिंह ने अभिकथित किया है कि अभियुक्तों को थाने के मुंशी के कमरे में लॉकर के साथ बांध दिया गया था और उन्होंने मुंशी के समक्ष प्रकटीकरण कथन किया था परन्तु उस समय अन्वेषक अधिकारी वहां पर नहीं था, प्रकटीकरण कथन की अन्तर्वस्तु को पुलिस द्वारा उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था, प्रकटीकरण कथन, अभिग्रहण ज्ञापन और बरामदगी ज्ञापन पुलिस थाना में तैयार किए गए थे और वहीं पर हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए गए थे, किन्तु इससे अभियोजन के पक्षकथन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती ।

16. मामले पर ध्यानपूर्वक विचारोपरांत हमारा उपवर्णित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मत है कि अभियोजन मामले को प्रत्यर्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर पाने में विफल रहा । अतः विद्वान् विचारण

न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि रणवीर दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 307, 395, 326/324, 148/149, 341/323 और भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है और इसलिए मामले में मध्यक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

17. परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को भेजी जाए ।

अपील खारिज की गई ।

शु.

(2016) 1 दा. नि. प. 100 **जम्मू-कश्मीर**

त्रिलोचन सिंह

बनाम

जम्मू-कश्मीर राज्य

तारीख 1 जनवरी, 2016

न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति जनक राज कोतवाल

जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, 1989 (संवत् 1932 ईस्वी) – धारा 302, 307, 325, 323 के साथ पठित धारा 147, 149 और 109 – हत्या – विधिविरुद्ध जमाव – क्षतियां पहुंचाना – विधि में ऐसा कोई सिद्धांत ज्ञात नहीं है कि जब अभियोजन के एक भाग को साबित नहीं किया जाता तो संपूर्ण मामले में अन्य भाग का अवलंब नहीं लिया जा सकता तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन सत्य पाया जाता है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, 1989 (संवत् 1932 ईस्वी) – हत्या – यदि शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह साबित है कि मृत्यु का कारण कई क्षतियां कारित किया जाना और उन क्षतियों से रक्तस्राव और आघात से मृतक की मृत्यु होना साबित है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

अभियोजन पक्षकथन विचारण न्यायालय के समक्ष इस तरह वर्णित किया गया है कि तारीख 3 जून, 1998 को लगभग 6 बजे सुबह तरजिंदर सिंह (अभि. सा. 3) ने यह देखा कि दलजीत सिंह, बलबीर सिंह, अवतार सिंह पुत्रगण हरि सिंह, हरबंश सिंह और बलकार सिंह पुत्रगण ठाकुर सिंह (संक्षेप में "अभियुक्त" कहा गया है) ने अपनी भूमि से पानी को उनकी भूमि की ओर मोड़ दिया था । उसके पूछने पर अभियुक्त ने खुलकर अभि. सा. 3 को यह बात बताई कि वे कुछ समय पश्चात् उसे इस बारे में बताएंगे । इस घटना के पश्चात् अभि. सा. 2 गुरमीत सिंह (जिसे संक्षेप में "इत्तिलाकर्ता" कहा गया है), उसके भाई जसबीर सिंह, अभि. सा. 4 और माता प्रसन्न कौर (जिसे संक्षेप में "मृतका" कहा गया है) और अभि. सा. 3 ने उनकी भूमि की ओर पानी के प्रवाह को मोड़ दिया । इससे अभियुक्त व्यक्ति क्रोधित हो गए । इत्तिलाकर्ता दल उनके खेतों की ओर पानी के प्रवाह को मोड़ने के पश्चात् अपने घर वापस लौट आए । गांव सुंजवा के बाहर "सरीन" पेड़ के नजदीक पहुंचने पर बस, जिसका रजिस्ट्रेशन नं. जेके 02ई 8815, जो अभियुक्त बलबीर सिंह के स्वामित्व में थी, सामने की ओर से आ रही थी । अभियुक्त (अपीलार्थी) त्रिलोचन सिंह बस चला रहा था जबकि दूसरा व्यक्ति बस में बैठा हुआ था । इत्तिलाकर्ता दल को देखकर अभियुक्त व्यक्ति ने सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के साथ बस के ड्राइवर को इत्तिलाकर्ता दल पर बस को चढ़ाने के लिए कहा और उनकी हत्या करने के लिए कहा ताकि हर समस्या का समाधान हो जाए । उस माहौल को देखते हुए इत्तिलाकर्ता ने अपनी माता (मृतका) को बन्ना (तटबंध) की ओर खींच लिया । अभि. सा. जसबीर सिंह, तरजिंदर सिंह भी तटबंध पर चढ़ गए तथा बस का ड्राइवर, बस का मालिक अन्य अभियुक्तों के प्रबोधन करने पर अचानक बस को खेत के तटबंध की ओर उसका एक्सेलेटर दबा दिया और इत्तिलाकर्ता दल के साथ उनकी हत्या करने के आशय से उन पर बस चढ़ा दी । मृतका और अभि. सा. जसबीर सिंह बस के नीचे घुस गए और उन्हें बड़ी तीव्र क्षतियां कारित हुईं । इत्तिलाकर्ता और तरजिंदर सिंह अपनी सुरक्षा के लिए उस स्थान से कूद गए । अभि. सा. 2 (इत्तिलाकर्ता) गुरमीत सिंह ने 7.30 बजे पूर्वाह्न पुलिस थाना साम्बा में घटना के बारे में मौखिक सूचना दर्ज कराई । इस सूचना पर पुलिस ने रणवीर दंड संहिता की धारा 307, 147, 109 के अधीन अपराध किए जाने के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) सं. 144/98 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. जी. एस.) दर्ज की तथा प्रेमनाथ शर्मा, उप निरीक्षक (अभि. सा. 13) को मामले का अन्वेषण सौंपा गया था । अन्वेषक अधिकारी (आई.ओ.)

घटनास्थल की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने अन्वेषण प्रारंभ किया । मृतका की तारीख 4 जून, 1998 को चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध किए जाने पर उक्त धारा को मामले में जोड़ा गया । अन्वेषण की औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने अभियुक्त त्रिलोचन सिंह (अपीलार्थी) के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 307, 325, 323, 302 और 147 और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 307, 325, 323, 302, 147 और 109 के अधीन अपराध किए जाने को सिद्ध पाया था । सुपुर्द न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था और विचारण के लिए मामले को विद्वान् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जम्मू के न्यायालय में सुपुर्द कर दिया गया था । विद्वान् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जम्मू द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया । दोषसिद्धि के निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय की अवधारणा किए जाने के लिए यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अर्थात् अभि. सा. 2, 3 और 4 का साक्ष्य, जो इत्तिलाकर्ता दल के कुटुंब के सदस्य हैं, उनका अवलंब लिया जाना चाहिए और मृतका प्रसन्न कौर की हत्या किए जाने के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप साबित करना पर्याप्त है जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने से पूर्व हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के निबंधनों में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अपीलार्थी के कथन का उल्लेख करना चाहेंगे क्योंकि इस कथन में अपीलार्थी अपने विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य में प्रकट परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने की, उससे आशा की गई थी ताकि उसे अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का पूरा अवसर मिले और यदि उसकी ऐसी वांछा हो तो प्रतिरक्षा में साक्ष्य दे । तथापि, अपीलार्थी का उत्तर उक्त घटना के बारे में अपनी स्थिति के बारे में न्यायसंगत रूप से उसका उत्तर दे सके । (पैरा 25)

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के भिन्न-भिन्न विनिश्चयों में प्रायः यह अभिनिर्धारित किया गया है और उन विनिश्चयों में विधि का सिद्धांत भी सुस्थापित किया गया है कि अपराध से आहत के करीबी नातेदार और खासतौर पर हत्या से व्यक्ति के नजदीकी नातेदार के साक्ष्य

के आधार पर वास्तविक अपराधी साधारणतया जमानत पर निर्मुक्त नहीं होता और मृतका के विरोधियों के विरुद्ध मिथ्या मामले को गढ़ना बड़ा मुश्किल काम है । अतः निकट के नातेदार साक्षी द्वारा मिथ्या आलिप्त किए जाने का अभिवाक् तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि मामले के अभिलेख से इस बारे में कोई कठोर या प्रबल संकेत न मिलता हो । अपराध से आहत के नजदीकी नातेदार के आधार पर किसी हितबद्ध साक्षी के रूप में किसी व्यक्ति पर कलंक लगाने का आधार नहीं होता और उसके साक्ष्य को त्यक्त करने का भी आधार नहीं होता फिर भी आहत के नजदीकी नातेदारों के साक्ष्य की समीक्षा की जानी चाहिए और मिथ्या फंसाने की संभावना को अस्वीकार करने के लिए बड़े ध्यान के साथ उसके साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए । (पैरा 26)

एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बिंदु पर कई नजीरों का अवलोकन करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में प्रथम दलील का संबंध है, जो मृतका के सगे नातेदार हैं, सर्वप्रथम, ऐसे नातेदार साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने का कोई वर्जन नहीं है, यह सत्य है कि वर्तमान मामले में अन्य साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 10 के साक्ष्य का अत्यधिक अवलंब लिया है । विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उनकी आपसी नातेदारी और उनके कथनों का बारीकी से विश्लेषण किया है तथा अन्ततोगत्वा यह निष्कर्ष निकाला कि उनका साक्ष्य स्पष्ट और अकाट्य है और पर्याप्त रूप से कोई विभेद नहीं है जैसा कि उनके काउंसेलों द्वारा दावा किया गया है । इस न्यायालय ने विनिश्चय की शृंखला को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां "हितबद्ध साक्षियों" का साक्ष्य संगत है चिकित्सा साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से उनकी संपुष्टि हुई है और केवल इस आधार पर ऐसे साक्ष्य को त्यक्त किया जाना संभव नहीं है कि वे "हितबद्ध साक्षी" थे । दूसरे शब्दों में किसी साक्ष्य की विश्वसनीयता को नातेदारी का तथ्य प्रभावित नहीं करता । (पैरा 27)

न्यायालय ने अभि. सा. 2, 3 और 4 अर्थात् गुरमीत सिंह, तरजिंदर सिंह और जसबीर सिंह की मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में प्रकट साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है । हमने एक साक्षी की अन्य साक्षी के परिसाक्ष्य से तुलना करके उनके साक्ष्य का विश्लेषण किया है । हमने

अन्वेषक अधिकारी के परिसाक्ष्य पर भी मामले से संदर्भित बातों का भी परिशीलन किया है जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ घटनास्थल का कच्चा नक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-पी. एस.) को भी साबित किया है जिसे उनके द्वारा घटना की तारीख को तैयार किया गया था । हमने घटनास्थल पर स्थित 15 फीट की सड़क सीधे होने का भी उल्लेख किया है । हमने सभी तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अधोरेखांकित मतैक्य का भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने उन पर बस चढ़ाई थी जब बस को देखकर अन्य अभियुक्त व्यक्ति जो उसमें बैठे हुए थे, वे अपने को बचाने के लिए तटबंध पर चढ़ गए । उन सभी ने सर्वसम्मति से यह कथन किया है कि मृतका और अभि. सा. 4 जसबीर सिंह के ऊपर बस चढ़ाई गई थी और जबकि अन्य दो साक्षी सुरक्षित रूप से भागने में सफल हो गए थे । हमने अभि. सा. 3 तरजिंदर सिंह के साक्ष्य का भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने बाईं ओर बस को मोड़ा था और अभि. सा. 4 जसबीर सिंह के साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी तेज गति से बस को चलाकर तटबंध की ओर उसे लाया था । हमने अभि. सा. 4 के साक्ष्य का भी उल्लेख किया है कि बस को खेत में 5/6 फीट तक प्रविष्ट किया गया था और हमने अभि. सा. 3 के साक्ष्य का भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने घटना के स्थान पर बस को तेज गति से चलाने के पश्चात् उसे सड़क की ओर मोड़ दिया था । इन सभी तीनों साक्षियों ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट बात को सफलतापूर्वक प्रकट किया है और हमने उनके कहने पर अधोरेखांकित सच्चाई की सत्यता का पता करने का अवलोकन किया है । पूर्व लिखित ब्यौरे, जिनका हमारे द्वारा उल्लेख किया गया है, उनके साक्ष्य में पर्याप्त रूप से यह दर्शित हुआ है कि उन्होंने उस रीति के बारे में विश्वसनीय और सच्चे कारण दिए हैं जिसमें घटना घटी थी । हमने ऐसा कोई कारण नहीं पाया है कि इस पर हम किसी विचार को ग्रहण करें कि कुटुंब के सदस्य ऐसी स्थिति जो जोखिम भरी थी, से गुजरने पर जिसमें एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया था और दूसरा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मृत्यु से बचा था, वह कोई मिथ्या कहानी बनाता । साक्षियों द्वारा दिए गए वृत्तांत की सत्यता का उनमें से एक व्यक्ति (अभि. सा. 2) द्वारा शीघ्रता से रिपोर्ट कराने से समर्थन मिलता है और उसके साक्ष्य की संपुष्टि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु से साबित की गई है, जैसा कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-जी. एस. प्रकट है । अतः हम अपीलार्थी की दलील को स्वीकार नहीं करते हैं कि विचारण न्यायालय ने तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने में और उनके साक्ष्य का अवलंब लेने

में कोई गलती की है । (पैरा 28)

प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 11 डा. बी. आर. शर्मा के साक्ष्य द्वारा भी की गई है जिन्होंने तारीख 4 जून, 1998 को 11 बजे पूर्वाह्न मृतका के शव का शवपरीक्षण किया था और उन्होंने अपने द्वारा जारी की गई शवपरीक्षण रिपोर्ट साबित की जैसा कि शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-बी. आर. कई क्षतियों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और आघात है । ये क्षतियां कठोर बल के प्रभाव का परिणामस्वरूप थीं और मृत्यु का समय शवपरीक्षण से लगभग छह घन्टे पूर्व था । अपीलार्थी की ओर से एक और दलील यह दी गई कि साक्ष्य के अन्य भाग या एक भाग को अस्वीकार करने के पश्चात् अभियोजन पक्षकथन के दूसरे भाग को स्वीकार करना सुरक्षित नहीं है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील यह थी कि जब एक बार विधिविरुद्ध जमाव के गठन के बारे में और सामान्य उद्देश्य के बारे में या अन्य अभियुक्तों के दुष्प्रेरण के बारे में प्रकट साक्ष्य को साबित नहीं किया गया है तो सम्पूर्ण पक्षकथन अविश्वसनीय हो गया है । (पैरा 29 और 30)

विधि का कोई ऐसा सिद्धांत ज्ञात नहीं है कि जब अभियोजन पक्षकथन का एक भाग को साबित नहीं किया गया है या साक्ष्य का एक भाग का सम्पूर्ण पक्षकथन पर अवलंब नहीं लिया गया है तो उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए । आपराधिक मामले में साक्ष्य के अन्तरण के बारे में न्यायालय पर यह कर्तव्य थोपा गया है कि वह सच्चाई से ऐसी बातों की कांट-छांट करे जब तक कि उसके लिए ऐसा करना पूर्णतया असंभव न हो जाए । मामले के सम्पूर्ण पक्षकथन को भाग के रूप में नहीं फेंका जा सकता । यह साबित नहीं किया गया है कि जब तक कि एक भाग की विद्यमानता दूसरे भाग से पृथक् नहीं हो । ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब साक्ष्य से प्रकट वृत्तांत असंगत हों । ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने में कठिनाई हो सकती हो और अभियुक्त संदेह का फायदा ले सकता हो । तथापि, ऐसी स्थिति में जब मामले के एक पहलू को साबित नहीं किया गया है परन्तु दूसरे पहलू को पर्याप्त रूप से साबित किया गया है तो दो पहलू स्पष्ट रूप से पृथक् हैं । हमने आक्षेपित निर्णय का उल्लेख किया है और हम विद्वान् विचारण न्यायाधीश से सहमत हैं कि उनके लिए यह संभव नहीं हो सका कि वे बस के अन्दर अन्य अभियुक्त और अपीलार्थियों के बीच वार्तालाप को सुनने और उस पर साक्षियों के विचार को सुनना संभव नहीं हो सका और हमारे विचार में

अपीलार्थी द्वारा कारित अपराध के कार्य में अन्य अभियुक्तों के अन्तर्वलन पर अविश्वास करने का मुख्य कारण है । अभि. सा. 5 के साक्ष्य का अवलंब नहीं लेना एक अच्छा कारण है क्योंकि जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा कथन किया गया है । तथापि, हम सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करने का कोई अच्छा कारण नहीं पाते हैं जहां पर अपीलार्थी के शामिल होने के बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य से समर्थन मिलता हो । (पैरा 31)

ऊपर कही गई बातें और चर्चा पर न्यायालय इन आधारों पर कोई गुणागुण नहीं पाता है जिस पर अपीलार्थी ने निर्णय को आक्षेपित किया हो । न्यायालय ने आगे भी यह निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सही मूल्यांकन करके सावधानीपूर्वक साक्ष्य से सच्चाई का पता लगाया है और अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि को अभिलिखित करने में विधि के सुस्थापित सिद्धांत को लागू किया है तथा उसे दंडादिष्ट किया गया है । अतः, विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील में कोई उदारता नहीं बरती जाती है । (पैरा 32)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2006]	ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2716 : **नागप्पन** बनाम **राज्य** ;	27
[1955]	ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 419 : **सूरजपाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ।	9, 14

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2002 की दांडिक अपील सं. 6 साथ में 2002 की पुष्टिकरण सं. 5.

यह अपील विद्वान् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जम्मू द्वारा तारीख 31 जुलाई, 2002 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एस. के. आनन्द, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री राकेश खजुरिया, अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जनक राज कोतवाल ने दिया ।

न्या. कोतवाल – यह अपील अभियुक्त त्रिलोचन सिंह द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश, जम्मू के तारीख 31 जुलाई, 2002 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसमें रणवीर दंड संहिता की धारा

302 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया था और उसे तारीख 19 अगस्त, 2002 को पारित किए गए आदेश के माध्यम से आजीवन कारावास और तीन लाख रुपए जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया ।

2. पक्षकारों को सुना गया और हमने अभिलेख का परिशीलन किया ।

3. अभियोजन पक्षकथन विचारण न्यायालय के समक्ष इस तरह वर्णित किया गया है कि तारीख 3 जून, 1998 को लगभग 6 बजे सुबह तरजिंदर सिंह (अभि. सा. 3) ने यह देखा कि दलजीत सिंह, बलबीर सिंह, अवतार सिंह पुत्रगण हरि सिंह, हरबंश सिंह और बलकार सिंह पुत्रगण ठाकुर सिंह (संक्षेप में "अभियुक्त" कहा गया है) ने अपनी भूमि से पानी को उनकी भूमि की ओर मोड़ दिया था । उसके पूछने पर अभियुक्त ने खुलकर अभि. सा. 3 को यह बात बताई कि वे कुछ समय पश्चात् उसे इस बारे में बताएंगे । इस घटना के पश्चात् अभि. सा. 2 गुरमीत सिंह (जिसे संक्षेप में "इत्तिलाकर्ता" कहा गया है), उसके भाई जसबीर सिंह, अभि. सा. 4 और माता प्रसन्न कौर (जिसे संक्षेप में "मृतका" कहा गया है) और अभि. सा. 3 ने उनकी भूमि की ओर पानी के प्रवाह को मोड़ दिया । इससे अभियुक्त व्यक्ति क्रोधित हो गए । इत्तिलाकर्ता दल उनके खेतों की ओर पानी के प्रवाह को मोड़ने के पश्चात् अपने घर वापस लौट आए । गांव सुंजवा के बाहर "सरीन" पेड़ के नजदीक पहुंचने पर बस, जिसका रजिस्ट्रेशन नं. जेके 02ई 8815, जो अभियुक्त बलबीर सिंह के स्वामित्व में थी, सामने की ओर से आ रही थी । अभियुक्त (अपीलार्थी) त्रिलोचन सिंह बस चला रहा था जबकि दूसरा व्यक्ति बस में बैठा हुआ था । इत्तिलाकर्ता दल को देखकर अभियुक्त व्यक्ति ने सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के साथ बस के ड्राइवर को इत्तिलाकर्ता दल पर बस को चढ़ाने के लिए कहा और उनकी हत्या करने के लिए कहा ताकि हर समस्या का समाधान हो जाए । उस माहौल को देखते हुए इत्तिलाकर्ता ने अपनी माता (मृतका) को बन्ना (तटबंध) की ओर खींच लिया । अभि. सा. 4 जसबीर सिंह, तरजिंदर सिंह भी तटबंध पर चढ़ गया तथा बस का ड्राइवर, बस का मालिक अन्य अभियुक्तों के प्रबोधन करने पर अचानक बस को खेत के तटबंध की ओर उसका एक्सेलेटर दबा दिया और इत्तिलाकर्ता दल के साथ उनकी हत्या करने के आशय से उन पर बस चढ़ा दी । मृतका और अभि. सा. 4 जसबीर सिंह बस के नीचे घुस गए और उन्हें बड़ी तीव्र क्षतियां कारित हुईं । इत्तिलाकर्ता और तरजिंदर सिंह अपनी सुरक्षा के लिए उस स्थान से कूद गए ।

4. अभि. सा. 2 (इत्तिलाकर्ता) गुरमीत सिंह ने 7.30 बजे पूर्वाह्न पुलिस थाना साम्बा में घटना के बारे में मौखिक सूचना दर्ज कराई । इस सूचना पर पुलिस ने रणवीर दंड संहिता की धारा 307, 147 और 109 के अधीन अपराध किए जाने के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) सं. 144/98 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. जी. एस.) दर्ज की तथा प्रेमनाथ शर्मा, उप निरीक्षक (अभि. सा. 13) को मामले का अन्वेषण सौंपा गया था । अन्वेषक अधिकारी (आई.ओ.) घटनास्थल की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने अन्वेषण प्रारंभ किया । मृतका की तारीख 4 जून, 1998 को चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध किए जाने पर उक्त धारा को मामले में जोड़ा गया ।

5. अन्वेषण की औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने अभियुक्त त्रिलोचन सिंह (अपीलार्थी) के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 307, 325, 323, 302 और 147 और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 307, 325, 323, 302, 147 और 109 के अधीन अपराध किए जाने को सिद्ध पाया था । सुपुर्द न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था और विचारण के लिए मामले को विद्वान् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जम्मू के न्यायालय में सुपुर्द कर दिया गया ।

6. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त बलबीर सिंह, जो अपराध किए जाने के पश्चात् फरार हो गया था, के विरुद्ध कार्रवाइयों को वापस लेने के पश्चात् अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की । विचारण न्यायालय ने मामले के अभिलेख पर विचार करके तथा दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अभियुक्त त्रिलोचन सिंह के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302, 307 और 149 तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302 और 307 के साथ पठित धारा 149 और 109 के अधीन आरोप विरचित किए । उन सभी ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य को पेश किया और बारह साक्षी अर्थात् गुरमीत सिंह (अभि. सा. 2), तरजिंदर सिंह (अभि. सा. 3), जसबीर सिंह (अभि. सा. 4), पुरुषोत्तम सिंह (अभि. सा. 5), बिट्टू (अभि. सा. 6), सूरज प्रकाश (अभि. सा. 7), चुन्नी लाल पटवारी (अभि. सा. 8), डा. दलजीत सिंह (अभि. सा. 9), डा. बी. आर. शर्मा (अभि. सा. 11), जोगिन्दर सिंह (अभि. सा. 12), प्रेम नाथ शर्मा, उप निरीक्षक (अभि. सा. 13) और ज्ञान चंद शर्मा, थाना भारसाधक

अधिकारी (अभि. सा. 14) की परीक्षा की । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए जिन्होंने तीन साक्षी अर्थात् गोपाल सिंह, मोहन लाल और जगजीत सिंह को अपनी प्रतिरक्षा में पेश किया था ।

7. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के पश्चात् रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त त्रिलोचन सिंह (अपीलार्थी) को दोषसिद्ध किया और उसे दंडादिष्ट किया । संक्षेप में यह भी उल्लेख किया गया कि विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने यान को चलाते हुए साशय मृतका और अभि. सा. 4 जसबीर सिंह के शरीर पर क्षतियां कारित कीं और अभियुक्त अकेला व्यक्ति था जिसने अपराध किया है । तथापि, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य उद्देश्य की विद्यमानता को साबित करने में सफल नहीं हुआ है जिस पर रणवीर दंड संहिता की धारा 149 लागू हो । विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन साक्षियों के लिए यह संभव नहीं हो सकता है कि अन्य अभियुक्तों द्वारा अपीलार्थी को प्रबोधित किया जाना कहा जा सकता हो ।

8. अपीलार्थी ने इन आधारों पर अपनी दोषसिद्धि को आक्षेपित किया है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का गलत अर्थान्वयन और गलत मूल्यांकन किया है तथा अटकलबाजियों के आधार पर दोषिता का निष्कर्ष अभिलिखित किया है । अभियोजन के साक्ष्य में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिस पर मृतका की हत्या करने का कोई आशय अभियुक्त का रहा था । विचारण न्यायालय ने अभि. सा. पुरुषोत्तम के साक्ष्य का अवलंब लेकर गलती की है यद्यपि यह साबित किया गया था कि वह अविश्वसनीय साक्षी है । अपीलार्थी ने अन्य सभी अभियुक्तों की दोषमुक्ति के पश्चात् भी अपनी दोषसिद्धि की बैधता को प्रश्नगत किया है । यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय ने उसके साथ विचारण का सामना कर रहे शेष अभियुक्तों के पक्ष में दोषमुक्ति के निष्कर्ष को अभिलिखित करने के पश्चात् अपने विरुद्ध दोषिता के निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किए जा सकते हैं । अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास करने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध दोषिता का कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता ।

9. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री एस. के. आनन्द ने मुख्य दलील यह दी है कि अपीलार्थी की दोषिता की सत्यता या संबंधित वैधानिकता को

न्यायालय के समक्ष इंगित किया गया था । विद्वान् काउंसेल ने पुरजोर यह भी दलील दी कि अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपों का आधार एक ही था और अपीलार्थी के विरुद्ध कोई स्वतंत्र आरोप नहीं था तब अपीलार्थी की दोषिता न तो संभव है और न उसको कायम रखा जा सकता । श्री आनन्द ने यह भी दलील दी कि एक से अधिक अभियुक्त के विरुद्ध मामले में समरूप आरोप थे और ऐसी स्थिति में एक अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का प्रश्न जबकि सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया हो, ऐसा प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यह भी दलील दी गई कि विचारण न्यायालय ने एक ओर न्यायालय के समक्ष प्रकट अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करके विधि में गलती की है और दूसरे साक्ष्य के उसी आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दिया गया । श्री आनन्द ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि जब एक से अधिक अभियुक्त आरोपित किए गए हैं और रणवीर दंड संहिता की धारा 149 जो जोड़कर समरूप आरोपों का एक साथ विचारण किया गया और उनमें से केवल एक व्यक्ति को तब तक दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता यदि अन्य व्यक्तियों का विधिविरुद्ध जमाव में शामिल होना अविश्वसनीय हो । श्री आनन्द ने **सूरजपाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया गया ।

10. हमने अभियोजन पक्षकथन के दो पहलुओं का उल्लेख किया है जिनमें से एक तारीख 3 जून, 1998 को अभियुक्त दल द्वारा अपने खेतों से इत्तिलाकर्ता दल के खेत की ओर पानी के प्रवाह को मोड़ने से संबंधित घटना है जिसमें अपीलार्थी शामिल नहीं था और दूसरी घटना अपीलार्थी द्वारा इत्तिलाकर्ता दल के विरुद्ध बस की रफ्तार उनकी ओर किए जाने की घटना है जिससे मृतका को क्षतियां कारित हुईं जिसे घातक साबित किया गया है । अभि. सा. 4 जसबीर सिंह गांव से बाहर था । अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उस समय बस में बैठे होने का कथन किया गया था और उन्होंने इत्तिलाकर्ता दल के ऊपर बस को चलाने के लिए अपीलार्थी को प्रबोधित किया था । इस संदर्भ में यहां पर यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति को राज्य द्वारा आक्षेपित नहीं किया गया है और हमारे पास ऐसा कोई कारण या आधार नहीं है कि घटना में उनके शामिल होने के बारे में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाए ।

11. हम यहां पर यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि आरोप पत्र में

---

[1] ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 419.

प्रकट अभियोजन पक्षकथन, जिसे पुलिस द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकट किया गया है, वह बलवा के अपराध किए जाने के अन्तर्गत है जिसमें विधिविरुद्ध जमाव द्वारा बल या हिंसा प्रयोग किया जाना है जिसमें उसे और अन्य अभियुक्तों को रणवीर दंड संहिता की धारा 147 के अधीन दंडनीय अपराध का सदस्य माना जाता है, रणवीर दंड संहिता की धारा 323, 325 और 307 के अधीन दंडनीय अपराध जिसमें अभि. सा. 4 जसबीर सिंह को चोट पहुंचाने या उसकी हत्या करने का प्रयास आता है और रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मृतका की हत्या करने का मामला आता है । अन्य अभियुक्तों के बारे में इत्तिलाकर्ता दल पर बस को चढ़ाने के लिए प्रबोधित करने पर रणवीर दंड संहिता की धारा 109 के अधीन दंडनीय दुष्प्रेरण का अपराध किया जाना कहा गया था । हम यहां पर पुनः यह कथन कर सकते हैं कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302, 307 और 149 के अधीन तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302 और 307 के साथ पठित धारा 149 और 109 के अधीन आरोप विरचित किए थे । यहां पर यह उल्लेख करना जरूरी नहीं है कि विचारण न्यायालय द्वारा मामले के अभिलेख का बारीकी से विचार करके और दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् व्यापक आदेश तैयार करके आरोप विरचित किए थे । विधिविरुद्ध जमाव के गठन की सीमा तक सभी अन्य अभियुक्तों की आरोपों से दोषमुक्ति या रणवीर दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध में जमाव का सदस्य द्वारा अपराध किया जाना और रणवीर दंड संहिता की धारा 109 के अधीन दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण का अपराध विचारण में विफल हो गया था ।

12. सामान्यतः, यह प्रश्न हमारे समक्ष प्रकट हुआ है कि क्या अपीलार्थी सभी अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त किए जाने के पश्चात् भी दोषमुक्त किया जा सकता है । अपीलार्थी की ओर से **सूरजपाल** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि का क्या अवलंब लिया जा सकता है ?

13. रणवीर दंड संहिता की धारा 149 आपराधिक दायित्व का अर्थान्वयन किया गया है और अपराध के दंड के लिए उसमें उपबंध किया गया है न कि इस धारा के अधीन आरोपित व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध और इससे सुभिन्न अपराध गठित होता है । इसमें विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य आपराधिक कार्य के लिए दायी होता है जिसमें जमाव के

सामान्य उद्देश्य को संचालित करने में जमाव के प्रत्येक सदस्य द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है या उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के संचालन में ऐसे प्रत्येक सदस्य के बारे में उस आपराधिक कार्य को संभवतः किए जाने की जानकारी होना प्रकट है । इसी भांति, रणवीर दंड संहिता की धारा 109 का आपराधिक दायित्व का अर्थान्वयन किया जाता है जिसमें अपराध के दुष्प्रेरक के लिए दंड का उपबंध किया गया है जब दुष्प्रेरक द्वारा दुष्प्रेरण के संचालन में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध किया जाता है और यह भी एक सुभिन्न अपराध का गठन करता है । यह अपराध के दुष्प्रेरक जिसने अपराध का दुष्प्रेरण किया है, उसके लिए इस अपराध में दंड देने का उपबंध किया गया है ।

14. **सूरजपाल** (उपरोक्त) वाले मामले में दो व्यक्ति विश्वेशर (इसमें अभि. सा. 2) और सुराजदीन के बारे में बलवा की घटना में बंदूक के दो घाव पहुंचने का अभिकथन किया गया था जिसमें अभियुक्त दल के सम्मिलित 20 सदस्यों के साथ अपीलार्थी शामिल था । विश्वेशर जीवित था परन्तु सुराजदीन की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी । अपीलार्थी के बारे में पिस्तौल द्वारा उन पर गोली चलाना कहा गया है जिससे घटनास्थल पर सुराजदीन की हत्या हो गई थी । एक अन्य व्यक्ति गया प्रसाद के बारे में लाठी से अल्प क्षतियां पहुंचना कहा गया है । सुपुर्दगी मजिस्ट्रेट ने दंड संहिता की धारा 147, 323/149, 307/149 और 302/149 के अधीन आरोप विरचित करके सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए बीस अभियुक्तों को सुपुर्द किया था । सूरजपाल और धर्मराज के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 148 के अधीन विनिर्दिष्ट आरोप का उल्लेख किया गया था । बलवा कारित करने के समय पर इनमें से पहला पिस्तौल से लैस था और दूसरा फरसा से लैस था । सुपुर्दगी मजिस्ट्रेट ने न किसी संशोधन या परिवर्तन के आरोप विरचित किए थे कि अभियुक्तों का सेशन न्यायालय में विचारण किया गया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने भिन्न-भिन्न अपराधों में सभी अभियुक्तों को दोषी पाया और उन्हें दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया । अपील पर उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बीस व्यक्तियों में से दस व्यक्तियों की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना चाहिए और अपीलार्थी सहित अन्य दस व्यक्तियों को बलवे में भागीदारी करना पाया गया । तदनुसार, उच्च न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 147 के अधीन इन दस अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी । दंड संहिता की धारा 148 के अधीन धर्मराज को आरोप के संबंध में दोषमुक्त किया गया था परन्तु सूरजपाल की दोषसिद्धि को बलवे के समय

पर उसके हाथ में पिस्तौल होने के आधार पर कायम रखा गया । शेष तीन आरोप, जो दंड संहिता की धारा 323/149 के अधीन दस व्यक्तियों के विरुद्ध हैं, जिसमें गया प्रसाद को क्षतियां कायम हुई थीं, विश्वेशर द्वारा बंदूक की गोली से हुए घाव के संबंध में धारा 307/149 और सुराजदीन की हत्या के संबंध में धारा 302/149 पर आरोप लगे हुए थे । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि गया प्रसाद पर हुआ हमला संदेह के परे साबित नहीं किया गया था और इसलिए सभी अभियुक्तों को आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था । जहां तक अन्य दो आरोप अर्थात् धारा 307/149 और 302/149 का संबंध है, उस बारे में उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि न तो पिस्तौल से गोली चलाकर विश्वेशर का जीवन लेने का प्रयास किया गया और न पिस्तौल से गोली चलाकर सुराजदीन की वास्तविक रूप से मृत्यु किए जाने का प्रयास किया गया और न जिस बारे में विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में ऐसा किया जाना कहा जा सकता है और न संभवतः ऐसा होना अभियुक्त की जानकारी के अन्तर्गत आया है । अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि विश्वेशर के जीवन का अंत करने या सुराजदीन की मृत्यु करने का प्रयास के संदर्भ में किसी भी अभियुक्त को धारा 149 के अधीन दोषी होना नहीं पाया जा सकता हो । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि वह व्यक्ति जिसमें दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध पिस्तौल से गोली चलाई थी वह अपीलार्थी सूरजपाल है, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वह दंड संहिता की धारा 307 और 302 के अधीन अपराधों का दोषी था । अतः इस आधार पर उच्च न्यायालय ने धारा 307/149 और 302/149 के अधीन सभी अभियुक्तों की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हुए इन दो धाराओं के अन्तर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश कायम रखा । उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 2 को पहुंची क्षतियों के बारे में धारा 323/149 के अधीन अन्य नौ व्यक्तियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

15. उच्चतम न्यायालय ने विशेष इजाजत द्वारा फाइल की गई अपील में यह उल्लेख किया है कि दंड संहिता की धारा 307 और 302 के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष या वैयक्तिक आरोप नहीं है । इस प्रकार, माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा जिस प्रश्न को संज्ञान में लिया गया है कि क्या प्रत्यक्ष आरोपों के बिना उनकी अपराधों के लिए दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा जा सकता है । माननीय न्यायमूर्तियों ने यह मत व्यक्त किया है जो पैरा 3 में प्रकट है :–

"..... हमारे समक्ष यह बात पूर्णतया स्पष्ट होना प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप जो विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है और जिस जमाव के अन्तर्गत अपराध, जिसे उस जमाव के एक या अन्य सदस्यों द्वारा किया गया है, जो सामान्य आशय के अग्रसरण में है, अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों से सारभूत रूप से भिन्न है और ऐसा अपराध उस व्यक्ति द्वारा ऐसे जमाव का सदस्य होते हुए प्रत्यक्ष रूप से किया गया हो ।

वाद में किसी व्यक्ति का दायित्व उसके द्वारा प्रत्यक्ष किए गए कार्यों के लिए ही बनता है जबकि पहले अपराध के बारे में दायित्व उन कार्यों के लिए है जो विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों में से एक द्वारा किया जाना हो सकता है बशर्ते कि जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में ऐसा हुआ था या ऐसे उस जमाव के सदस्य को संभवतः ऐसा किए जाने की जानकारी थी । दंड संहिता की धारा 149 के अधीन आरोप केवल दो अधिकथित तथ्यों के आधार पर उस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं यानि (1) जो अपराध विधिविरुद्ध जमाव के एक या अन्य सदस्यों द्वारा कारित किया गया था, जिसमें से वह एक था और (2) कि ऐसा अपराध सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया गया था या ऐसे अपराध के बारे में संभवतः किए जाने की जानकारी हो । दंड संहिता की धारा 149 सुभिन्न अपराध का सृजन करता है या नहीं जिसके बारे में उच्च न्यायालयों का विरोध मत प्रकट हुए हैं, इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि इससे आपराधिक दायित्व की सुभिन्नता प्रकट होती है, जिस पर यह जानकारी भी होनी चाहिए कि 'संरचनात्मक दायित्व' का मुहावरा दंड संहिता में प्रयुक्त नहीं हुआ है इसलिए इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष दायित्व विशिष्ट अपराध के बारे में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध में उस पर केवल नियत किया जा सकता है । ऐसा मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 236 और 237 के अन्तर्गत नहीं आता है । अपराध को गठित करने वाले आपराधिक दायित्व के प्रत्येक सुभिन्नता के बारे में विशिष्ट और सुभिन्न आरोप को विरचित करना दोषसिद्धि और दंडादेश का आधार है । दंड संहिता की धारा 307 और 302 के अधीन अपीलार्थी को विनिर्दिष्ट आरोपों का अभाव, जिसके संबंध में उसे आजीवन या मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है, क्रमशः कार्रवाइयों में यह बहुत अधिक खामी है जहां तक इसका उससे संबंध है तब विचार के लिए यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या उसके

विचारण में यह खामी उसके प्रतिकूल नहीं होगी ।"

16. माननीय न्यायमूर्ति ने यह उल्लेख किया है कि इन विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध किसी वैयक्तिक आरोप की अनुपस्थिति से अलग वे आरोप अभि. सा. विश्वेशर और मृतक सुराजदीन को पहुंची क्षतियों के संबंध में उसके और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए हैं, उनके कर्ता के बारे में अस्पष्ट हैं । माननीय न्यायमूर्तियों ने यह भी उल्लेख किया है कि आरोप, जिन पर अभियुक्त का विचारण किया गया है, वे भी इस बारे में अस्पष्ट हैं कि पिस्तौल से गोली चलाने वाला सक्रिय कर्ता कौन था जिसका आरोप में उल्लेख किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब आरोप को इंगित करते हुए अस्पष्ट कहा गया है तब कोई भी अभियुक्त इस प्रश्न के बारे में अपनी प्रतिरक्षा की ओर से प्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने के लिए बाध्यकर नहीं था कि क्या वह या कोई और वे व्यक्ति थे जिन्होंने पिस्तौल से गोली चलाई थी जिसके बंदूक की गोली के घाव हुए थे । माननीय न्यायमूर्ति ने पैरा 4 में यह मत व्यक्त किया :–

> "ऐसे मामले जो गंभीर प्रकृति के हैं, जिनमें आजीवन या मृत्यु का दंड अन्तर्वलित है और वर्तमान मामले की भांति किसी विशिष्ट मामले में जहां विचारण न्यायालय ने मृत्यु दंड अधिनिर्णीत किया गया है और इस अपीलार्थी को सभी अन्य अभियुक्तों से विभेदित किया गया है । पिस्तौल से गोली चलाने के आधार पर उसके वैयक्तिक कार्य के संबंध में यह कहना कठिन है कि अभियुक्त दंड संहिता की धारा 307 और 302 के विनिर्दिष्ट आरोपों के प्रभाव में उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात प्रकट नहीं हुई है.....।"

17. यह कहना भी सही नहीं होगा कि वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट या प्रत्यक्ष आरोप विरचित नहीं किया था या अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्त व्यक्ति समरूप आरोपित किए गए । हम विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोपों की अन्तर्वस्तु का उल्लेख करने के लिए तत्पर हैं :–

> "कि आप तारीख 3 जून, 1998 को लगभग 7 बजे पूर्वाह्न संजवान पर संख्या में कुल अन्य छह अभियुक्तों के साथ शिकायतकर्ता और अन्य अर्थात् प्रसन्न कौर, जसबीर सिंह और तरजिंदर सिंह की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में और अभियुक्त रंजीत सिंह, अवतार सिंह, हरबंस सिंह, बलकार सिंह और

बलबीर सिंह के समादेश पर जिसने आपको मृतका मुसम्मात प्रसन्न कौर, क्षतिग्रस्त व्यक्ति जसबीर सिंह और शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह और तरजिंदर सिंह पर बस सं. जेके 02ई 8815 चलाकर उनकी हत्या करने के लिए उकसाया और बाना की ओर बस को जब मोड़ा गया तो बस प्रसन्न कौर और जसबीर सिंह के ऊपर चढ़ाई गई जिस वजह से उन्हें गंभीर क्षतियां पहुंचीं । क्षतियों के परिणामस्वरूप, तारीख 4 जून, 1998 को मुसम्मात प्रसन्न कौर की मृत्यु हो गई । तदुपरि, आपने प्रसन्न कौर की हत्या की तथा जसबीर सिंह, गुरमीत सिंह और तरजिंदर सिंह की हत्या करने का प्रयास किया, इसलिए रणवीर दंड संहिता की धारा 302, 307, 149 के अधीन दंडनीय अपराध किया जो मामला मेरे संज्ञान में है ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया ।)

18. एक ओर अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित किए गए आरोप तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित किए गए आरोप के बीच भिन्नता की पहचान करने के लिए, जिसमें क्या समरूप है । दूसरी ओर, हम अन्य अभियुक्तों में एक के विरुद्ध विरचित आरोपों की अन्तर्वस्तु को भी प्रस्तुत कर सकते हैं :–

"कि आप तारीख 3 जून, 1998 को लगभग 7 बजे पूर्वाह्न संजवान पर अन्य अभियुक्त अर्थात् त्रिलोचन सिंह, अवतार सिंह, हरबंस सिंह, बलकार सिंह और बलबीर सिंह जो संख्या में छह थे, शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह और उसके साथी प्रसन्न कौर, जसबीर सिंह और तरजिंदर सिंह की मृत्यु कारित करने के सामान्य उद्देश्य से, जिस पर अभियुक्त त्रिलोचन सिंह ने यह समादेश दिया कि बस सं. जेके 02ई 8815 को ऊपर चढ़ाकर उनकी हत्या की जाए और आपके समादेश पर उसने बस आगे बढ़ाई और मुसम्मात प्रसन्न कौर, जसबीर सिंह और गुरमीत सिंह, तरजिंदर सिंह को मारने के आशय से बस उन पर चढ़ाई, जिस वजह से प्रसन्न कौर और जसबीर सिंह को गंभीर क्षतियां पहुंचीं तथा उक्त क्षतियों के कारण प्रसन्न कौर की मृत्यु हो गई तथा आहत जसबीर सिंह और गुरमीत सिंह, तरजिंदर सिंह की हत्या करने का प्रयास किया, इसलिए रणवीर दंड संहिता की धारा 302, 307 सपठित धारा 149 और 109 के अधीन दंडनीय अपराध किया जो मामला मेरे संज्ञान में है ।"

(हमारे द्वारा अधोरेखांकन पर बल दिया गया ।)

19. **सूरजपाल** (उपरोक्त) वाले मामले से भी जहां उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए कोई प्रत्यक्ष और वैयक्तिक आरोप तय नहीं किए गए हैं । इसमें अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोप भिन्न हैं और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित किए गए आरोप एकदम स्पष्ट हैं और उनमें किसी प्रकार कोई संदेह की गुंजाइश नहीं होगी । अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्यक्ष आरोप वैयक्तिक था कि उसने मृतका सहित इत्तिलाकर्ता और उसके दल की हत्या करने के लिए बस सं. जेके 02ई 8815 तटबंध (बाना) की ओर से घुमाकर उनके ऊपर चढ़ाई और जो प्रसन्न कौर और अभि. सा. 4 जसबीर सिंह के ऊपर चढ़ी, जिससे उन्हें गंभीर क्षतियां पहुंचीं और प्रसन्न कौर की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई, तदुपरि, उसने उसकी हत्या की । इसके अतिरिक्त उसके विरुद्ध आरोप यह था कि उक्त कार्य उसके द्वारा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के उकसाने पर की गई थी जिसमें मृतका सहित इत्तिलाकर्ता और उसके दल की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य था । अतः अपीलार्थी न केवल रणवीर दंड संहिता की धारा 149 के निबंधनों में विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए ही नहीं आरोपित किया गया था बल्कि अन्य अभियुक्तों के समादेश के अन्तर्गत भी कार्य किया गया, परन्तु खासतौर पर जो कार्य किया गया वह यह है कि तटबंध से बस को मोड़ा गया और जिस पर मृतका की मृत्यु किए जाने और अभि. सा. 4 जसबीर सिंह को क्षतियां पहुंचाने के लिए उन पर बस चढ़ाई गई । अतः अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय मृतका की हत्या का अपराध किए जाने और रणवीर दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध अभि. सा. 4 जसबीर सिंह की हत्या करने का प्रयास किया जाना था और रणवीर दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उक्त अपराध कारित किया जाना था । दूसरी ओर, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी पर भी मृतका की मृत्यु कारित किए जाने या अभि. सा. 4 जसबीर सिंह को क्षतियां पहुंचाने के बारे में आरोपित नहीं किया गया था बल्कि इसके बजाय अपीलार्थी को हत्या किए जाने के लिए तथा हत्या का प्रयास किए जाने के लिए आरोपित किया गया था जिसमें विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में यह कार्य किया गया था जिसके वे सदस्य कहे गए थे और उन्होंने अपीलार्थी को इस कार्य को करने के लिए प्रबोधित किया था जिस पर इत्तिलाकर्ता और उसके दल के ऊपर बस चढ़ाई गई थी और मृतका प्रसन्न कौर की हत्या की गई । तद्नुसार,

रणवीर दंड संहिता की धारा 302 और 307 के साथ पठित धारा 149 और 109 के अधीन अपराध किए जाने के लिए आरोपित किए गए थे ।

20. अपीलार्थी ने अपने विरुद्ध विरचित आरोपों के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया कि ऐसा कार्य जिससे प्रसन्न कौर की मृत्यु हुई और अभि. सा. 3 को क्षतियां पहुंचीं जो रणवीर दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अधीन दंडनीय अपराध हैं, उसके द्वारा अकेले किए गए थे और इसके अतिरिक्त वह कार्य जो विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उसके द्वारा किया गया था, जिसमें वह और अन्य अभियुक्त भी सदस्य थे और बाद में उनके द्वारा जारी किए गए समादेश पर वह कार्य हुआ था । अतः आरोप विरचित करने का प्रयोजन पर्याप्त था और इसे सामान्यतः इसकी तामीली करवाई जानी चाहिए थी । यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा करने में उसके प्रतिकूल कार्य किया गया था और न यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई आधार है कि उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश अवैध है या अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति के कारण कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

21. हम विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करने के संबंध में प्रकट दलील पर विचार करते हैं, खासतौर पर अभि. सा. 5 पुरुषोत्तम सिंह के साक्ष्य का अवलंब लेकर, जिसके बारे में अपीलार्थी ने यह दलील दी है कि वह तैयार किया गया साक्षी है, इसलिए, विश्वसनीय नहीं है । घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में उद्धृत किए गए साक्ष्य का हमारे द्वारा परिशीलन किया गया, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल यह कहते पाए गए कि विचारण न्यायालय ने अटकलबाजियों पर कार्य किया है क्योंकि साक्ष्य का परिशीलन करने पर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है । श्री आनन्द ने यह भी निवेदन किया है कि अभियोजन वृत्तांत के एक पहलू का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है, यदि दूसरा पहलू सभी अभियुक्त व्यक्तियों के सामान्य उद्देश्य की कहानी पर अविश्वास किया जाए ।

22. अभि. सा. 2, 3, 4 और 5 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं तथापि, हम यहां पर यह उल्लेख कर सकते हैं कि हम अभियोजन पक्षकथन के प्रथम पहलू के साक्ष्य का उल्लेख नहीं करते हैं अर्थात् जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपनी भूमि से इत्तिलाकर्ता दल की ओर पानी के प्रवाह को मोड़ने से संबंधित घटना है और अभियुक्त व्यक्तियों और अभि. सा. 3 तरजिंदर सिंह के बीच इस विषय पर मौखिक वार्तालाप कि अपीलार्थी उस समय पर सामने नहीं आया था और न घटना के पश्चात् इत्तिलाकर्ता दल

या उनमें से किसी की हत्या करने के उद्देश्य से किसी विधिविरुद्ध जमाव किया गया था, को साबित किया है ।

23. हमने सावधानीपूर्वक चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, जो होशोहवास में थे, के कथनों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया कि उनमें से तीन जो अभि. सा. 2, 3 और 4 हैं, मृतका सहित इत्तिलाकर्ता दल के कुटुंब के सदस्य हैं और अभि. सा. 5 संयोगी साक्षी है जो घटना के स्थान के नजदीक से अलग किसी अन्य स्थान का है और उसने अपराध कारित किए जाने में प्रयुक्त बस से यात्रा किए जाने का दावा किया है और यह भी दावा किया है कि घटना के समय पर वह बस से उतर गया ।

24. हमने इस स्थिति के संबंध में अभि. सा. 5 पुरुषोत्तम सिंह के परिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया क्योंकि इस बारे में यह भी कहा गया है कि अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. प्रेमनाथ शर्मा, उपनिरीक्षक के परिसाक्ष्य से 19 साक्षियों के साक्ष्य की तुलना की जाए और ऐसा करने पर हम इस रीति पर आश्वस्त नहीं हैं जिसमें उसने घटनास्थल पर मौजूद होने का दावा किया है । हम यह विश्वास करने में कठिनाई महसूस करते हैं अगर उस रीति को ध्यान में रखा जाए जिसमें अपीलार्थी द्वारा सड़क के एक ओर प्रथम बार लाया जाना कहा गया है और उसके बाद सड़क पर पीछे लौटने की बात कही गई है और परिणामस्वरूप घटनास्थल पर बस चलाने की बात कही गई है । उसके लिए यह संभव हो सका है कि वह घटनास्थल पर बस से उतर गया । वस्तुतः, हमें घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी के बारे में गंभीर संदेह होता कि उसने घटना देखी है । अतः हम विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में इस साक्षी के साक्ष्य को अपवर्जित करते हैं ।

25. इस प्रकार, हमारी अवधारणा किए जाने के लिए यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अर्थात् अभि. सा. 2, 3 और 4 का साक्ष्य, जो इत्तिलाकर्ता दल के कुटुंब के सदस्य हैं, उनका अवलंब लिया जाना चाहिए और मृतका प्रसन्न कौर की हत्या किए जाने के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप साबित करना पर्याप्त है जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने से पूर्व हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के निबंधनों में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अपीलार्थी के कथन का उल्लेख करना चाहेंगे क्योंकि इस कथन में अपीलार्थी अपने विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य में प्रकट परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने की, उससे आशा की गई थी ताकि उसे

अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का पूरा अवसर मिले और यदि उसकी ऐसी वांछा हो तो प्रतिरक्षा में साक्ष्य दे । तथापि, अपीलार्थी का उत्तर उक्त घटना के बारे में अपनी स्थिति के बारे में न्यायसंगत रूप से उसका उत्तर दे सके ।

26. हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के भिन्न-भिन्न विनिश्चयों में प्रायः यह अभिनिर्धारित किया गया है और उन विनिश्चयों में विधि का सिद्धांत भी सुस्थापित किया गया है कि अपराध से आहत के करीबी नातेदार और खासतौर पर हत्या से व्यक्ति के नजदीकी नातेदार के साक्ष्य के आधार पर वास्तविक अपराधी साधारणतया जमानत पर निर्मुक्त नहीं होता और मृतक के विरोधियों के विरुद्ध मिथ्या मामले को गढ़ना बड़ा मुश्किल काम है । अतः निकट के नातेदार साक्षी द्वारा मिथ्या आलिप्त किए जाने का अभिवाक् तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि मामले के अभिलेख से इस बारे में कोई कठोर या प्रबल संकेत न मिलता हो । अपराध से आहत के नजदीकी नातेदार के आधार पर किसी हितबद्ध साक्षी के रूप में किसी व्यक्ति पर कलंक लगाने का आधार नहीं होता और उसके साक्ष्य को त्यक्त करने का भी आधार नहीं होता फिर भी आहत के नजदीकी नातेदारों के साक्ष्य की समीक्षा की जानी चाहिए और मिथ्या फंसाने की संभावना को अस्वीकार करने के लिए बड़े ध्यान के साथ उसके साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए ।

27. **नागप्पन** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बिंदु पर कई नजीरों का अवलोकन करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

> "जहां तक अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में प्रथम दलील का संबंध है, जो मृतका के सगे नातेदार हैं, सर्वप्रथम, ऐसे नातेदार साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने का कोई वर्जन नहीं है, यह सत्य है कि वर्तमान मामले में अन्य साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 10 के साक्ष्य का अत्यधिक अवलंब लिया है । विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उनकी आपसी नातेदारी और उनके कथनों का बारीकी से विश्लेषण किया है तथा अन्ततोगत्वा यह निष्कर्ष निकाला कि उनका साक्ष्य स्पष्ट और अकाट्य है और पर्याप्त रूप से

---

[1] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2716.

कोई विभेद नहीं है जैसा कि उनके काउंसेलों द्वारा दावा किया गया है । इस न्यायालय ने विनिश्चय की शृंखला को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां 'हितबद्ध साक्षियों' का साक्ष्य संगत है चिकित्सा साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से उनकी संपुष्टि हुई है और केवल इस आधार पर ऐसे साक्ष्य को त्यक्त किया जाना संभव नहीं है कि वे 'हितबद्ध साक्षी' थे । दूसरे शब्दों में किसी साक्ष्य की विश्वसनीयता को नातेदारी का तथ्य प्रभावित नहीं करता । [दलीप सिंह और अन्य **बनाम** पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364, गुली चांद और अन्य **बनाम** राजस्थान राज्य (1974) 3 एस. सी. सी. 698, वदीवलू थेवर **बनाम** मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614, मसलती और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202, पंजाब राज्य **बनाम** जागीर सिंह और अन्य (1974) 3 एस. सी. सी. 277 = ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2407, लहना **बनाम** हरियाणा राज्य (2002) 3 एस. सी. सी. 76, सुच्चा सिंह और एक अन्य **बनाम** पंजाब राज्य (2003) 7 एस. सी. सी. 643 = 2003 (6) जे. टी. एस. सी. 348, इसरार **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (2005) 9 एस. सी. सी. 616, एस. सुदर्शन रेड्डी और अन्य **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य (2006) 10 एस. सी. सी. 163 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2716, अब्दुल राशिद अब्दुल रहिमान पटेल और अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य जे. टी. 2007 (9) एस. सी. 194, वामन और अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (2011) 7 एस. सी. सी. 295, हरियाणा राज्य **बनाम** शकुन्तला और अन्य (2012) 5 एस. सी. सी. 171, राजू **उर्फ** बालचन्द्रन और अन्य **बनाम** तमिलनाडु राज्य (2012) 11 स्केल 357 और सुबल घोराल और अन्य **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य (2013) 4 एस. सी. सी. 607 वाले मामले देखिए ।]

28. हमने अभि. सा. 2, 3 और 4 अर्थात् गुरमीत सिंह, तरजिंदर सिंह और जसबीर सिंह की मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में प्रकट साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है । हमने एक साक्षी की अन्य साक्षी के परिसाक्ष्य से तुलना करके उनके साक्ष्य का विश्लेषण किया है । हमने अन्वेषक अधिकारी के परिसाक्ष्य पर भी मामले से संदर्भित बातों का भी परिशीलन किया है जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ घटनास्थल का कच्चा नक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. - पी. एस.) को भी साबित किया है जिसे उनके द्वारा घटना की तारीख को तैयार किया गया था । हमने घटनास्थल पर

स्थित 15 फीट की सड़क सीधे होने का भी उल्लेख किया है । हमने सभी तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अधोरेखांकित मतैक्य का भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने उन पर बस चढ़ाई थी जब बस को देखकर अन्य अभियुक्त व्यक्ति जो उसमें बैठे हुए थे, वे अपने को बचाने के लिए तटबंध पर चढ़ गए । उन सभी ने सर्वसम्मति से यह कथन किया है कि मृतका और अभि. सा. 4 जसबीर सिंह के ऊपर बस चढ़ाई गई थी और जबकि अन्य दो साक्षी सुरक्षित रूप से भागने में सफल हो गए थे । हमने अभि. सा. 3 तरजिंदर सिंह के साक्ष्य का भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने बाईं ओर बस को मोड़ा था और अभि. सा. 4 जसबीर सिंह के साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी तेज गति से बस को चलाकर तटबंध की ओर उसे लाया था । हमने अभि. सा. 4 के साक्ष्य का भी उल्लेख किया है कि बस को खेत में 5/6 फीट तक प्रविष्ट किया गया था और हमने अभि. सा. 3 के साक्ष्य का भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने घटना के स्थान पर बस को तेज गति से चलाने के पश्चात् उसे सड़क की ओर मोड़ दिया था । इन सभी तीनों साक्षियों ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट बात को सफलतापूर्वक प्रकट किया है और हमने उनके कहने पर अधोरेखांकित सच्चाई की सत्यता का पता करने का अवलोकन किया है । पूर्व लिखित ब्यौरे, जिनका हमारे द्वारा उल्लेख किया गया है, उनके साक्ष्य में पर्याप्त रूप से यह दर्शित हुआ है कि उन्होंने उस रीति के बारे में विश्वसनीय और सच्चे कारण दिए हैं जिसमें घटना घटी थी । हमने ऐसा कोई कारण नहीं पाया है कि इस पर हम किसी विचार को ग्रहण करें कि कुटुंब के सदस्य ऐसी स्थिति जो जोखिम भरी थी, से गुजरने पर जिसमें एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया था और दूसरा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मृत्यु से बचा था, वह कोई मिथ्या कहानी बनाता । साक्षियों द्वारा दिए गए वृत्तांत की सत्यता का उनमें से एक व्यक्ति (अभि. सा. 2) द्वारा शीघ्रता से रिपोर्ट कराने को समर्थन मिलता है और उसके साक्ष्य की संपुष्टि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु से साबित की गई है, जैसा कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्श पी. डब्ल्यू. - जी. एस. प्रकट है । अतः हम अपीलार्थी की दलील को स्वीकार नहीं करते हैं कि विचारण न्यायालय ने तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने में और उनके साक्ष्य का अवलंब लेने में कोई गलती की है ।

29. प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 11 डा. बी. आर. शर्मा के साक्ष्य द्वारा भी की गई है जिन्होंने तारीख 4 जून, 1998 को

11 बजे पूर्वाह्न मृतका के शव का शवपरीक्षण किया था और उन्होंने अपने द्वारा जारी की गई शवपरीक्षण रिपोर्ट साबित की जैसा कि शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. - बी. आर. कई क्षतियों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और आघात है । ये क्षतियां कठोर बल के प्रभाव के परिणामस्वरूप थीं और मृत्यु का समय शवपरीक्षण से लगभग छह घंटे पूर्व था ।

30. अपीलार्थी की ओर से एक और दलील यह दी गई कि साक्ष्य के अन्य भाग या एक भाग को अस्वीकार करने के पश्चात् अभियोजन पक्षकथन के दूसरे भाग को स्वीकार करना सुरक्षित नहीं है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील यह थी कि जब एक बार विधिविरुद्ध जमाव के गठन के बारे में और सामान्य उद्देश्य के बारे में या अन्य अभियुक्तों के दुष्प्रेरण के बारे में प्रकट साक्ष्य को साबित नहीं किया गया है तो सम्पूर्ण पक्षकथन अविश्सनीय हो गया है ।

31. विधि का कोई ऐसा सिद्धांत ज्ञात नहीं है कि जब अभियोजन पक्षकथन का एक भाग को साबित नहीं किया गया है या साक्ष्य का एक भाग का सम्पूर्ण पक्षकथन पर अवलंब नहीं लिया गया है तो उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए । आपराधिक मामले में साक्ष्य के अन्तरण के बारे में न्यायालय पर यह कर्तव्य थोपा गया है कि वह सच्चाई से ऐसी बातों की काट-छांट करे जब तक कि उसके लिए ऐसा करना पूर्णतया असंभव न हो जाए । मामले के सम्पूर्ण पक्षकथन को भाग के रूप में नहीं फेंका जा सकता । यह साबित नहीं किया गया है कि जब तक कि एक भाग की विद्यमानता दूसरे भाग से पृथक् नहीं हो । ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब साक्ष्य से प्रकट वृत्तांत असंगत हों । ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने में कठिनाई हो सकती हो और अभियुक्त संदेह का फायदा ले सकता हो । तथापि, ऐसी स्थिति में जब मामले के एक पहलू को साबित नहीं किया गया है परन्तु दूसरे पहलू को पर्याप्त रूप से साबित किया गया है तो दो पहलू स्पष्ट रूप से पृथक् हैं । हमने आक्षेपित निर्णय का उल्लेख किया है और हम विद्वान् विचारण न्यायाधीश से सहमत हैं कि उनके लिए यह संभव नहीं हो सका कि वे बस के अन्दर अन्य अभियुक्त और अपीलार्थियों के बीच वार्तालाप को सुनने और उस पर साक्षियों के विचार को सुनना संभव नहीं हो सका और हमारे विचार में अपीलार्थी द्वारा कारित अपराध के कार्य में अन्य अभियुक्तों के अन्तर्वलन पर अविश्वास करने का मुख्य कारण है । अभि. सा. 5 के साक्ष्य का

अवलंब नहीं लेना एक अच्छा कारण है क्योंकि जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा कथन किया गया है । तथापि, हम सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करने का कोई अच्छा कारण नहीं पाते हैं जहां पर अपीलार्थी के शामिल होने के बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य से समर्थन मिलता हो ।

32. ऊपर कही गई बातें और चर्चा पर हम इन आधारों पर कोई गुणागुण नहीं पाते हैं जिस पर अपीलार्थी ने निर्णय को आक्षेपित किया हो । हमने आगे भी यह निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सही मूल्यांकन करके सावधानीपूर्वक साक्ष्य से सच्चाई का पता लगाया है और अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि को अभिलिखित करने में विधि के सुस्थापित सिद्धांत को लागू किया है तथा उसे दंडादिष्ट किया गया है । अतः, विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील में कोई उदारता नहीं बरती जाती है ।

33. उपरोक्त बातों को दृष्टिगत करते हुए अपील खारिज की जाती है क्योंकि गुणागुण रहित है और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषिसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा जाता है तथा उसकी पुष्टि की जाती है ।

34. दंडादेश के पुष्टिकरण का निर्देश का तद्नुसार उत्तर दिया जाता है ।

35. अपीलार्थी दो सप्ताह के अन्दर विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करेगा और उसके पश्चात् दंडादेश को भोगेगा । ऐसा करने में विफल होने पर विचारण न्यायालय विधि के अनुसरण में कार्रवाई करेगा ताकि दंडादेश का निष्पादन हो ।

36. इस निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख कार्यालय को वापस भेजे जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

नस्सर और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 11 अगस्त, 2015

न्यायमूर्ति महेश चन्द्र शर्मा

राजस्थान कतिपय पशु संरक्षण अधिनियम, 1950 – धारा 2 – गाय की हत्या किया जाना – हत्या में शामिल अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जाना – साशयपूर्वक गाय की हत्या करके सबूत मिटाने हेतु उसकी चमड़ी कुएं में डाला जाना – साक्षियों की परीक्षा किया जाना – यदि गाय की हत्या करने में अभियुक्तों की भूमिका पाई जाती तो अभियुक्तों की दोषसिद्धि उचित है ।

वर्तमान अपील अपीलार्थियों द्वारा सेशन मामला संख्या 52/1994 में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, अलवर द्वारा तारीख 11 अक्तूबर, 1994 के निर्णय/आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को राजस्थान कतिपय पशु संरक्षण अधिनियम, 1950 की धारा 2 के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है । अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए अभिकथनों का भी परिशीलन किया है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन में, अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और नित्यक्रम में वे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यह कहते हुए देते रहे कि "गलत है" या "पता नहीं" जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि उनके विरुद्ध क्यों आरोप विरचित किए गए थे तो उन्होंने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया था । यह तथ्य है कि यहां इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है किन्तु साक्ष्य अभियोजन द्वारा पारिस्थितिक आधार पर अधिकथित अपराधों से अभियुक्त व्यक्तियों से संबंध प्रस्तुत किए गए हैं । पारिस्थितिक साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पूर्वोक्त अपराध कारित किया है, जो आर.पी.सी.ए. की धारा 2 के अधीन

आता है । इसमें यह भी एक तथ्य प्रकट है कि भीम सिंह (पी. डब्ल्यू. 2), महेन्द्र (पी. डब्ल्यू. 3) और मनफूल (पी. डब्ल्यू. 4) ने इस न्यायालय के समक्ष यह अभिकथन किए हैं कि उन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थियों को पोटली (कपड़े) में मांस एकत्रित करते हुए देखा था और वे अभियुक्त-व्यक्तियों के उक्त कृत्य के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । उन्होंने यह भी अभिकथित किया है कि उन्होंने देखा था कि अभियुक्त व्यक्ति गाय के चमड़े को कुएं में डुबा रहे थे । मैंने निचले न्यायालय द्वारा पारित संपूर्ण निर्णय में या साक्षियों के कथन में कुछ भी मत व्यक्त नहीं किया है जिससे उसमें हस्तक्षेप किया जाए कि अभियुक्त व्यक्तियों और परिवादी के बीच पहले से ही शत्रुता रही है । मैंने ऐसा कुछ भी मत व्यक्त नहीं किया है जिसके आधार पर इन साक्षियों के कथनों पर निचले न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया हो । श्री माथुर, विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने इस न्यायालय के समक्ष अनुरोध करते हुए, दोहराया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी रफीक का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 में नहीं दिया गया है, इसलिए अभियुक्त रफीक के विरुद्ध मामला नहीं बनता है । उस तर्क पर, मैंने यह भी मत व्यक्त किया है कि फरसा, जिसका प्रयोग गाय काटने में किया गया है, उसे अभियुक्त-अपीलार्थी रफीक के कहने पर बरामद किया गया है । उस फरसे के संबंध में, उसने अन्वेषण अधिकारी, रोहिताश, पी. डब्ल्यू. 9 को सूचना प्रदर्श पी-19 ही थी । पूर्वोक्त तथ्य की पी. डब्ल्यू. 7 सूरजभान द्वारा भी पुष्टि हो गई थी और मैं नहीं मानता हूं कि मामले में माथुर की दलील को स्वीकार करना उचित है कि केवल इस आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी रफीक को दोषमुक्त कर देना चाहिए क्योंकि उसका नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं था, जबकि उसका कृत्य भी गंभीर था, जो पूर्वोक्त अपराध से अभियुक्त व्यक्ति को जोड़ता है । अभियुक्त फजरू द्वारा फाइल की गई अपील उपशमित आधार पर खारिज की जाती है । जहां तक अन्य अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपील का संबंध है, मैं नहीं मानता हूं कि अपील मंजूर करने लिए उचित है और उसे सेशन मामला सं. 52/1994 में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, अलवर द्वारा तारीख 11 अक्तूबर, 1994 को पारित निर्णय/आदेश पुष्टि करने के बाद खारिज किया जाता है । अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर हैं । उनके जमानत, बंधपत्र रद्द किए जाते हैं । उप रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निदेश दिया जाता है कि मामले के अभिलेख अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, अलवर को तुरन्त वापस भेजा जाए । अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, अलवर को यह भी निदेश दिया जाता है कि विधि के

अनुसार, दंड के शेष भाग को भोगने के लिए अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करे जैसाकि मेरे द्वारा उनके लिए अधिनिर्णीत किया गया है । (पैरा 21, 22, 23, 24, 25 और 26)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1994 की एस. बी. दांडिक अपील सं. 54.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री अतुल शर्मा और आर. के. माथुर, ज्येष्ठ काउंसेल

राज्य की ओर से डा. आर. एस. शेखावत, लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति महेश चन्द्र शर्मा – यह अपील अपीलार्थियों ने सेशन मामला संख्या 52/1994 में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, अलवर द्वारा तारीख 11 अक्तूबर, 1994 को पारित किए गए निर्णय/आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को राजस्थान कतिपय पशु संरक्षण अधिनियम, 1950 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आर.पी.सी.ए. अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है और इस प्रकार दंडादिष्ट किया है :–

> "अतः मुलजिमान नस्सर, रसीद, फजरू, रफीक व दीना **उर्फ** दीनू को धारा 2 आर.पी.सी.ए. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध में दोषी ठहराकर उक्त अपराध के लिए उपरोक्त प्रत्येक मुलजिम को चार-चार वर्ष की सख्त कारावास की सजा से तथा एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक मुलजिम को एक-एक साल का साधारण कारावास और भुगताया जावें ।
>
> जुर्माने की उक्त 5,000/- रुपए की राशि में से मुस्तगीस भीम सिंह को बतौर क्षतिपूर्ति के दो हजार रुपए दिए जाने का भी आदेश दिया जाता है । जो बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन भीम सिंह को दिए जाए ।
>
> जब्त शुदा माल मुकदमा बाद गुजरने मियाद अपील व रिवीजन नष्ट कर दिया जाए ।
>
> मुलजिमान की पूर्व की पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को इस सजा में मुजरा दिया जाए ।"

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता भीम सिंह पुत्र श्री सिद्धा राम निवासी ग्राम मलियारजाट, पुलिस स्टेशन, तिजारा, जिला अलवर ने रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उसे पेश किया कि तारीख 1 मार्च, 1994 को उसकी एक गाय वापस नहीं आई थी । तारीख 2 मार्च, 1994 को मनफूल और महेन्द्र सिंह ने उसे यह सूचना दी कि एक दिन पूर्व सायं लगभग 7.00 बजे गाय को फजरू, रसीद, नस्सर, और दीनू जाति से मेव, नजदीक नाले पर उसे पकड़ रखा था और वे गाय को काट रहे थे । इस सूचना पर, वह घटनास्थल पर गया और उसने पाया कि गाय की चमड़ी घटनास्थल पर पड़ी थी और वे मांस को उठा ले गए थे । उक्त रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने आर.पी.सी.ए. अधिनियम की धारा 2 के अधीन अपराध हेतु मामला संख्या 37/1994 दर्ज किया था । इसके पश्चात् अन्वेषण शुरू हुआ और अन्वेषण पूरा होने के बाद, पुलिस ने पूर्वोक्त अपराध के लिए अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध चालान फाइल किया । इसके पश्चात्, आरोप आर.पी.सी.ए अधिनियम की धारा 2 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध विरचित किए थे, जिन्होंने अपराध किए जाने से इनकार किया और विचारण किए जाने के लिए दावा किया । अभियोजन ने अपने साक्षियों को पेश किया और कुछ दस्तावेज प्रदर्शित किए थे । अभियुक्त-व्यक्तियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए थे । दोनों पक्षकारों के तर्कों को सुनने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने इसमें उपदर्शित अभियुक्त-अपीलार्थियों को तारीख 11 अक्तूबर, 1994 के निर्णय/आदेश द्वारा सिद्धदोष किया और दण्डादिष्ट किया है ।

3. उक्त निर्णय के विरुद्ध, यह अपील अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई है ।

4. अपीलार्थियों की ओर से श्री आर. के. माथुर, ज्येष्ठ विद्वान् काउंसेल साथ में श्री अतुल शर्मा ने दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए आर.पी.सी.ए. अधिनियम के उपबंधों पर विचार नहीं किया है । उसने यह भी दलील दी है कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध दोष साबित करने में भी असफल रहा है । उसने यह भी दलील दी है कि घटना तारीख 1 मार्च, 1994 को लगभग सायं 7.00 बजे अपराध घटित होने का अभिकथन किया गया है जबकि रिपोर्ट तारीख 2 मार्च, 1994 को लगभग सायं 5.00 बजे अपराह्न दर्ज की गई थी और कोई युक्तियुक्त

स्पष्टीकरण दिए बिना 22 घंटे बीत जाने के बाद प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और स्वीकृततः पुलिस स्टेशन से दूरी मुश्किल से 5 किलोमीटर की है । उसने यह भी दलील दी है कि इसमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अर्थात् प्रदर्श-2 की विषयवस्तु में विनिर्दिष्ट विरोधाभास थे और अभिकथन पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए थे और तत्पश्चात् न्यायालय ने अभिकथन अभिलिखित किए थे । जहां तक अभियुक्त रफीक का संबंध है, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि उसका नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दर्ज नहीं है और जहां तक अभियुक्त फजरू का संबंध है, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि उसकी मृत्यु हो गई है, इस प्रकार अपील में अभियुक्त फजरू के आधार उपशमित हैं ।

5. उसने यह भी दलील दी है कि महेन्द्र और मनफूल इत्तिला देने वाले भीम सिंह के नजदीकी नातेदार हैं, अतः उनके साक्ष्य पर निचले न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

6. श्री माथुर, विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने इस न्यायालय के समक्ष दोहराते हुए यह अनुरोध किया है कि इस मामले में, कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी और अन्य साक्षी न होने के कारण, अभियुक्त- व्यक्तियों को दोषमुक्त किया जाना चाहिए । अंततः उसने यह अनुरोध किया है कि अभियुक्त-व्यक्तियों का मामला आर.पी.सी.ए. अधिनियम की धारा 2 के अधीन नहीं आता है, इसलिए अभियुक्त नस्सर, रसीद, फातिक और दीना **उर्फ** दीनू द्वारा फाइल की गई अपील को मंजूर किया जाना चाहिए; विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाए और अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

7. अनुकल्पतः, अपीलार्थियों के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी है कि उसने निचले न्यायालय के निर्णय के सिद्धदोष भाग को चुनौती नहीं दी है, परन्तु उसने इस न्यायालय से केवल यह अनुरोध किया है कि तथ्य को देखते हुए, घटना वर्ष 1994 में अर्थात् आज से 21 वर्ष पहले घटी थी; अभियुक्त-व्यक्ति पिछले 21 वर्षों से विचारण का सामना कर रहे हैं; जब यह घटना घटित हुई थी तब अभियुक्त युवा थे अब अभियुक्त व्यक्ति (अभियुक्त फजरू को छोड़कर) वृद्ध व्यक्ति हैं; अभियुक्त-अपीलार्थी नस्सर लगभग 50 दिनों से अभिरक्षा में रहे हैं, अभियुक्त-अपीलार्थी रसीद लगभग 49 दिनों से अभिरक्षा में रहे हैं; अभियुक्त रफीक लगभग 48 दिनों से अभिरक्षा में रहे हैं और अभियुक्त दीना **उर्फ** दीनू लगभग 32 दिनों से अभिरक्षा में रहे हैं; वे विवाहित व्यक्ति हैं और उनके

विवाह योग्य आयु के बच्चे हैं, इसलिए उन्हें दोनों में से किसी एक अपराध परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के अधीन परिवीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए; यदि नहीं, तो उन्हें परिरोध में उनके पहले ही भोगी जा चुकी अवधि के लिए रिहा किया जाना चाहिए, जैसाकि इसमें ऊपर उपदर्शित किया गया है ।

8. दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित हुए डा. आर. एस. शेखावत, विद्वान् लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया है । उन्होंने यह दलील दी है कि न तो अपीलार्थी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए और न ही परिरोध में उनके द्वारा पहले ही भोगी जा चुकी अवधि के लिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों को सिद्धदोष करने और दण्डादेश देने का निर्णय सही पारित किया है, जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है । उसने निचले न्यायालय के निर्णय के सुसंगत भाग पर भी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है । जो इस प्रकार प्रस्तुत है :–

> "इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि इस प्रकरण में कोई भी चक्षुदर्शी गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकार का प्रस्तुत नहीं हुआ है कि मुलजिमान द्वारा उसने मुस्तगीस की गाय को काटते हुए देखा हो । इस प्रकरण में कहानी इस प्रकार है कि चक्षुदर्शी गवाहान महेन्द्र पी. ड. 3 मनफूल पी. ड. 4 ने मुलजिमान को गाय का मांस पोटली में बांधकर ले जाते हुए का दृश्य देखा है, उन्होंने यह दृश्य जब देखा तब बिजली बंद होने के उपरांत व नाले के पास लगे ट्रांसफारमर में बिजली के न आने के कारण की जांच करने गए तब वे टार्च लेकर गए थे और उन्होंने यह दृश्य देखा था ।"

9. उसने निचले न्यायालय के निर्णय के सुसंगत भाग पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित भी किया है, जो नीचे इस प्रकार प्रस्तुत है :–

> "इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से पी. ड. 1 शुभराम डाक्टर है, पी. ड. 2 भीम सिंह जिसकी गाय बताई जाती है तथा पी. ड. 3 महेन्द्र व पी. ड. 4 मनफूल है जिन्होंने मुलजिमान को गाय का मांस पोटों में बांधकर ले जाते हुए देखा गया है । इनके बयान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में करवाए हैं । पी. ड. 1 डा. शुभराम ने मृतक गाय का शवपरीक्षण दिनांक 3 मार्च, 1994 को पुलिस प्रतिवेदन पर किया गया है । जिसने अपनी परीक्षण रिपोर्ट एक्जी

पी. ड. 1 को प्रमाणित किया है । बयान में इस गवाह ने गाय की मृत्यु 36-48 घंटे के मध्य होना बताया है और गाय की मृत्यु का कारण अनिश्चित होना बतलाया है । इस गवाह से योग्य वकील मुल. द्वारा जो जिरह की गई है उसमें भी इस गवाह ने यह जाहिर किया है कि गाय को काटा गया था या उसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई थी यह स्पष्ट नहीं बतलाया है । चूंकि गाय के अन्दरूनी अंग नहीं थे, इसलिए उनको जांच हेतु भिजवाए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । गाय को काटने से या उसकी प्राकृतिक मृत्यु होने के बारे में उसने कोई निश्चित रूप से राय नहीं दी है व न कुछ भी स्पष्ट इस बारे में बतलाया है । क्योंकि वह चक्षुदर्शी गवाह भी नहीं है ।"

10. अंततः, उसने निचले न्यायालय के निर्णय के सुसंगत भाग पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जो नीचे इस प्रकार प्रस्तुत है :–

"इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर साक्ष्य का विश्लेषण करने पर यह साबित होता है कि मुस्तगीस भीम सिंह की एक गाय जिसका पूर्ण विवरण प्राथमिकी एक्जी पी. 2 में अंकित किया गया है, को दिनांक 1 मार्च, 1994 को ग्राम मालियारजाट ने नाले के पास मुलजिमान ने पकड़कर काटा और जिसका मांस जब वे ले जा रहे थे तो उनको रंगे हाथों पकड़ा गया और उनकी निशानदेही से मांस काटने व खाल को अलग करने के हथियार मुलजिमान से बरामद किए गए, मुलजिमान ने अपनी इत्तिला से ये बरामदगियां करवाई । इस प्रकार मुलजिमान द्वारा उपरोक्त अपराध कारित किया जाना समस्त संदेहों से परे साक्ष्य अभियोजन से प्रमाणित होना पाया जाता है ।

अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य तथ्य व परिस्थितियों को अवलोकन करने से मुलजिमान द्वारा उक्त अपराध किया जाना प्रमाणित होता है और वे धारा 2 आर.पी.सी.ए. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के दोषी पाए जाते हैं ।

अतः मुल. नस्सर, रसीद, फजरू, रफीक व दीनू **उर्फ** दीना को धारा 2 आर.पी.सी.ए. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप का दोषी ठहराया जाता है ।"

11. उसने अभियोजन साक्षियों के अभिकथनों को भी पढ़कर सुनाया है । उसने यह भी दलील दी है कि अधिनियम की धारा 2 के अधीन, 10 साल के दण्डादेश का प्रावधान है किन्तु विचारण न्यायालय ने दस वर्ष का

दण्डादेश न देते हुए शिथिलीकरण भी मंजूर किया है । अपराधों के ऐसे प्रकार की राजस्थान राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है । लोग गायों और अन्य मवेशियों की हत्या कर रहे हैं और वे मवेशियों की हत्या करते समय यह नहीं सोचते हैं कि इससे दुनिया की संपूर्ण गणना असंतुलित हो जाएगी और इससे बहुत सी समस्याएं सृजित होंगी । इसलिए विचारण न्यायालय के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा बाधा नहीं डाली जानी चाहिए और अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की जानी चाहिए ।

12. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और मैंने उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया ।

13. पी. डब्ल्यू. 1 शुभ राम, जो किशनगढ़ बास, जिला अलवर में पशु चिकित्सा डाक्टर है, ने अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, जिला अलवर के न्यायालय के समक्ष अभिकथन किया था और उसके अभिकथन से यह स्पष्ट होता है कि मृतक मवेशी गाय थी और उसकी क्रूर तरीके से हत्या की गई थी । जिसके अभिकथन का सुसंगत भाग इस प्रकार प्रस्तुत है :–

> "सारांश में मेरी राय निम्न है –
>
> 1. उपस्थित की गई चमड़ी-मुंह-सिर-सींग से गाय प्रतीत होती थी ।
>
> 2. योनी का होना यह दर्शाता था कि यह स्त्री लिंग थी ।
>
> 3. जबड़े में आठ दांतों का होने से मध्य की आयु की थी ।
>
> 4. कट एजेज जो चमड़ी पर थे वह नियमित थे । इसका मतलब धारदार हथियार से चमड़ी उतारी गई है ।
>
> सभी आंतरिक अंग व मांस हड्डियां मौजूद नहीं थीं । अतः मृत्यु का समय लगभग 36 से 48 घंटे जांच से पूर्व की थी । चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 1 है । जो मेरी राय थी ए से बी मेरे दस्तखत हैं ।"

14. पी. डब्ल्यू. 2 भीम सिंह ने तारीख 31 अगस्त, 1994 को अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, जिला अलवर के न्यायालय के समक्ष अभिकथन दिया था । जिसके अभिकथन का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

"करीब 6 माह पहले गाय मरी थी । मैं बेहड जंगल में गाय चरा रहा था । शाम के समय गाय लेकर घर की तरफ चला तो गाय रास्ते में रह गई । घर आकर गाय संभाली थी । गाय का रंग गैदमैला था ना काली ना सफेद, गाय दू जून थी । मैं गाय को तलाश करने गया किन्तु अंधेरा हो गया फिर आ गया । सुबह तलाश करने गया तो महेन्द्र व मनफूल मिले । इन्होंने पूछा कि कैसे घूर रहा है । मैंने कहा कि मेरी गाय जंगल में रह गई । उन्होंने बताया कि गाय के साथ नाले में हरकत बाजी करी है । हरकत करने वाले रसीद, रफीक, दीना, नस्सर, फजरू थे । महेन्द्र वगैरा ने बताया कि इन आदमियों ने गाय कुई पर नाले में उनके घरों के पास काटी है । इस पर मनफूल, मैं, व महेन्द्र नाले पर गए । वहां खून पड़ा था और कुई में गाय का चमड़ा पड़ा था । वह मैंने चमड़ा पहचान लिया । सींग, कान सभी थीं जो मैंने पहचान लिए । मेरी गाय के थे । कुई पर दो आदमी छोड़े और तिजारा थाने पर रिपोर्ट करने गया । रिपोर्ट टाइप कराई थी जो प्रदर्श पी. 2 है इस पर मैंने अंगूठा निशानी की थी । इसकी एफ आई आर प्रदर्श पी. 3 है इस पर मेरा अंगूठा निशानी है । पुलिस मौके पर गई । नक्शा मौका पुलिस ने बनाया जो प्रदर्श पी. 4 है इस पर मेरा अंगूठा निशानी है । मौके से मृतक गाय का सिर, खाल जब्त किए जिसकी फर्द, प्रदर्श पी. 5 है । मृतक गाय की खाल, सींग, सिर, देख कर कहा यह वही है जो पुलिस ने मेरी मरी हुई गाय के बरामद कर सील मोहर किए थे । रिपोर्ट भोजाराम के लड़के गुल्ला से लिखवाई । उसने मुझे नस्सर, रफीक, फजरू, दीना व रसीद के नाम बताए । पांचों मुलजिम हाजिर अदालत हैं । मैं पढ़ा लिखा हूं । मुझे पता नहीं मुलजिम ने क्यों गाय काटी, फिर कहा कि मुलजिमान ने खाने के लिए मेरी गाय काटी थी ।"

15. पी. डब्ल्यू. 3 महेन्द्र ने तारीख 31 अगस्त, 1994 को अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, जिला अलवर के न्यायालय के समक्ष अभिकथन दिया था । जिसके अभिकथन का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

"भीमसिंह को जानता हूं । करीब 6 माह पहले भीमसिंह की गाय काटी थी । नाले के पास गाय कटी थी । रात के 9-10 बजे की बात है । मैं अपने कुएं पर था । मैं गेहूं में पानी दे रहा था । मेरे साथ मनफूल था । बिजली डिम हो गई फ्यूज टंकी पर से उड़ गया उसको देखने हम गए । ट्रांसफारमर पर गए जो नाले के पास डिपो

पर लग रहा है । मैंने गाय काटते नहीं देखा । मैंने पोट बांधते देखा गाय का चमड़ा उठाकर कुएं में डालते देखा । नस्सर, रसीद, रफीक, फजरू, दीना को देखा था जो हाजिर अदालत हैं । यही पोट बांध रहे थे व कुई में चमड़ा डाल रहे थे । हमने इनसे पूछा तो कुछ नहीं बोले । हमने टार्च की लाइट से इनको पहचाना था । मुलजिमान का घर नाले के पास ही है पोट उठा कर ये ले गए । हम वहां से देखकर अपनी टंकी के पास आ गए । दूसरे रोज सुबह भीम मिला । उसने कहा कि तुम बिजली पर थे मेरी गाय रह गई वो देखी क्या । हमने बताया कि मेवों ने नाले में गाय काटी है । हमने उससे कहा कि चमड़ा पड़ा है चल कर पहचान ले । मौके पर मैं, मनफूल, भीम गए । वहां खून पड़ा था । चमड़ा कुई में पड़ा था जिसे भीम ने पहचान कर कहा कि मेरी गाय का चमड़ा है । भीम तिजारा पुलिस में आ गया । मुलजिमान ने गाय क्यों काटी पता नहीं । फिर कहा कि खाने के लिए काटी और तो क्यों काटे । पुलिस ने मौके पर आकर खाल वगैरा गाय की जब्त की थी । कुई में जो खाल थी उसे गांव वालों ने पुलिस के सामने निकाली । मुलजिमान हमारे गांव के ही रहने वाले हैं ।"

16. पी. डब्ल्यू. 4 मनफूल ने तारीख 31 अगस्त, 1994 को अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, जिला अलवर के न्यायालय के समक्ष अभिकथन दिया था । जिसके अभिकथन का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

"शपथपूर्वक कहा कि भीम व हाजिर अदालत मुलजिमान को जानता हूं । करीब 6 माह पहले की बात है । गाय नाला में मारी । रात के 9-10 बजे की बात है । मैं उस समय बिजली पर पानी चला रहा था । महेन्द्र मेरे साथ था । दो तार में बिजली आ रही थी । एक में नहीं आ रही । मैंने महेन्द्र से कहा कि हो सके फ्यूज उड़ गया । मैं व महेन्द्र टंकी पर फ्यूज देखने व बांधने गए । रास्ते में कुएं के पास रसीद, रफीक, नस्सर, फजरू, दीना ने पोट बांध कर तैयार थे । गाय काटी उसकी पोट बांधी । हमको देख कर गाय की खाल कुएं पर डाल दी । हमने टार्च की लाइट से मुलजिमान को पहचान लिया । हमने मुलजिमान से कुछ नहीं कहा । फ्यूज बांध कर हम खेत पर आ गए । दूसरे दिन सुबह भीमसिंह मिला । जिसने कहा कि कल शाम मेरी गाय रह गई देखी है क्या । हमने कहा कि कुई के पास नाले में गाय कटी है, रसीद, रफीक, नस्सर, फजरू, दीना को वहां देखा ।

भीम ने कहा कि वह जगह बताओ तो हम भीम को लेकर वहां आए । कुई के अन्दर गाय की चमड़ी थी जिसे देख कर भीम ने कहा कि मेरी गाय की चमड़ी है । वहां खून भी पड़ा था । मौके पर मैं, भीम व महेन्द्र तीनों गए । गांव के आदमियों को दिखाया । भीम ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी । हमको पता नहीं गाय क्यों काटी । मुलजिमान पोट में गाय का मांस बांध कर ले गए । मांस क्यों ले गए, मुझे पता नहीं । पुलिस मौके पर आई । पुलिस ने खाल बरामद की थी ।"

17. पी. डब्ल्यू. 5 जीवन सिंह थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस स्टेशन, तिजारा है जिसने निचले न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया था ।

18. पी. डब्ल्यू. 6 महा सिंह स्थल नक्शा का साक्षी है । जिसका अभिकथन का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

"करीब 6 माह पहले की बात है । पुलिस ने नक्शा प्रदर्श पी. 4 मेरे समक्ष बनाया था । इस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने गाय की खाल जब्त किए जिसकी फर्द प्रदर्श पी. 5 बनाई जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं । सिर, कान, सींग व पूंछ आर्टिकल 1 है तथा खाल आर्टिकल 2 है । मौके पर मेरे सामने सील मोहर किए थे । मुलजिम रसीद से एक छुरी एक पल्ली बरामद कर जरिए फर्द प्रदर्श पी. 8 जब्त किया जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं ।

नोट – सीलबंद पैकेट न्यायालय के समक्ष खोला ।"

19. पी. डब्ल्यू. 7 सूरजभान है । जिसके अभिकथन का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

"करीब 6 माह पहले पुलिस मौके पर आई और नक्शा मौका प्रदर्श पी. 4 बनाया इस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं । मौके से पुलिस ने जरिए फर्द प्रदर्श पी. 5 खाल गाय की बरामद कर जब्त की इस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं । सिर, कान, सींग, पूंछ भी पुलिस ने जब्त कर प्रदर्श पी. 7 फर्द बनाई इस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं । इनको सील मोहर मौके पर किया । रसीद मुलजिम से छुरी व पल्ली बरामद की जिसकी फर्द प्रदर्श पी. 8 है इस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं । रफीक से एक कुल्हाड़ी बरामद की जिसकी फर्द प्रदर्श पी. 9 बनाई इस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं । नस्सर से एक रस्सा

प्लास्टिक जब्त किया जिसकी फर्द प्रदर्श पी. 10 बनाई इस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं । सील मोहर किया । बदामदगी स्थल के नक्शे प्रदर्श पी. 11 से 12 हैं इन पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं ।"

20. पी. डब्ल्यू. 8 चन्द्रपाल है जो इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है । उसने अपने द्वारा एकत्रित किए साक्ष्य के आधार पर अभिकथन दिया है । पी. डब्ल्यू. 9 रोहताश सिंह है जो पुलिस स्टेशन, तिजारा, जिला अलवर में पुलिस उप सहायक निरीक्षक है ।

21. मैंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए अभिकथनों का भी परिशीलन किया है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन में, अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और नित्यक्रम में वे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यह कहते हुए देते रहे कि "गलत है" या "पता नहीं" । जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि उनके विरुद्ध क्यों आरोप विरचित किए गए थे तो उन्होंने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया था ।

22. यह तथ्य है कि यहां इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है किन्तु साक्ष्य अभियोजन द्वारा पारिस्थितिक आधार पर अधिकथित अपराधों से अभियुक्त व्यक्तियों से संबंध प्रस्तुत किए गए हैं । पारिस्थितिक साक्ष्य यह साबित होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पूर्वोक्त अपराध कारित किया है, जो आर.पी.सी.ए. की धारा 2 के अधीन आता है । वर्तमान संदर्भ के लिए, 1950 के आर.पी.सी.ए. अधिनयिम की धारा 2 इस प्रकार है :–

"2. गाय इत्यादि की हत्या करना – जो कोई आशयपूर्वक किसी सांड, गाय, बैल या बछेड़े की हत्या करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।"

23. इसमें यह भी एक तथ्य प्रकट है कि भीम सिंह (पी. डब्ल्यू. 2), महेन्द्र (पी. डब्ल्यू. 3) और मनफूल (पी. डब्ल्यू. 4) ने इस न्यायालय के समक्ष यह अभिकथन किए हैं कि उन्होंने अभियुक्त अपीलार्थियों को पोटली (कपड़े) में मांस एकत्रित करते हुए देखा था और वे अभियुक्त-व्यक्तियों के उक्त कृत्य के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । उन्होंने यह भी अभिकथित किया है कि उन्होंने देखा था कि अभियुक्त व्यक्ति गाय के चमड़े को कुएं में डुबा रहे थे ।

24. मैंने निचले न्यायालय द्वारा पारित संपूर्ण निर्णय में या साक्षियों के कथन में कुछ भी मत व्यक्त नहीं किया है जिससे उसमें हस्तक्षेप किया जाए कि अभियुक्त-व्यक्तियों और परिवादी के बीच पहले से ही शत्रुता रही है । मैंने ऐसा कुछ भी मत व्यक्त नहीं किया है जिसके आधार इन साक्षियों के कथनों पर निचले न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया हो ।

25. श्री माथुर, विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने इस न्यायालय के समक्ष अनुरोध करते हुए, दोहराया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी रफीक का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 में नहीं दिया गया है, इसलिए अभियुक्त रफीक के विरुद्ध मामला नहीं बनता है ।

26. उस तर्क पर, मैंने यह भी मत व्यक्त किया है कि फरसा, जिसका प्रयोग गाय काटने में किया गया है, उसे अभियुक्त-अपीलार्थी रफीक के कहने पर बरामद किया गया है । उस फरसे के संबंध में, उसने अन्वेषण अधिकारी, रोहिताश, पी. डब्ल्यू. 9 को सूचना प्रदर्श पी-19 ही थी । पूर्वोक्त तथ्य की पी.डब्ल्यू. 7 सूरजभान द्वारा भी पुष्टि हो गई थी और मैं नहीं मानता हूं कि मामले में माथुर की दलील को स्वीकार करना उचित है कि केवल इस आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी रफीक को दोषमुक्त कर देना चाहिए क्योंकि उसका नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं था, जबकि उसका कृत्य भी गंभीर था, जो पूर्वोक्त अपराध से अभियुक्त व्यक्ति को जोड़ता है ।

निष्कर्ष :–

(i) अभियुक्त फजरू द्वारा फाइल की गई अपील उपशमित आधार पर खारिज की जाती है ।

(ii) जहां तक अन्य अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपील का संबंध है, मैं नहीं मानता हूं कि अपील मंजूर करने लिए उचित है और उसे सेशन मामला सं. 52/1994 में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, अलवर द्वारा तारीख 11 अक्तूबर, 1994 को पारित निर्णय/आदेश पुष्टि करने के बाद खारिज किया जाता है ।

(iii) अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर हैं । उनके जमानत, बंधपत्र रद्द किए जाते हैं ।

(iv) उप रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निदेश दिया जाता है कि मामले के अभिलेख अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, अलवर को तुरन्त वापस भेजा जाए ।

(v) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ बास, अलवर को यह भी निदेश दिया जाता है कि विधि के अनुसार, दंड के शेष भाग को भोगने के लिए अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करे जैसाकि मेरे द्वारा उनके लिए अधिनिर्णीत किया गया है ।

अपील खारिज की गई ।

मही./आर्य

(2016) 1 दा. नि. प. 138 **हिमाचल प्रदेश**

टेकचन्द

बनाम

शंकर सिंह और अन्य

तथा

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

श्री शंकर सिंह और अन्य

तथा

टेकचन्द

बनाम

श्री मुनीश और अन्य

तारीख 22 मई, 2014

न्यायमूर्ति संजय करोल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 147, 148, 452, 323 और 324 – विधिविरुद्ध जमाव – बलवा – सामान्य उद्देश्य – अभिलेख के अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य के परिशीलन से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने विधिविरुद्ध जमाव गठित किया, अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक हथियारों से लैस होकर बलवा कारित किया, उपहति कारित करने के आशय से गृह भेदन किया

और परिवादी पक्ष को आपराधिकतः अभित्रास किया, अतः निचले न्यायालयों के निर्णय विपरीत, गलत और विधिविरुद्ध न होने के कारण अभियुक्तों का उन्मुक्त किया जाना उचित और सही है ।

परिवादी टेकचन्द (अभि. सा. 1) अभियुक्त शंकर लाल का पड़ोसी है और जल के रिसाव के बारे में उनके बीच विवाद था । यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 1 मई, 2000 को अभियुक्तों ने परिवादी के पानी के पाइप को तोड़ा था । अभियुक्त शंकर सिंह उसकी पत्नी शांति देवी, पुत्र मुनीश और पुत्री कुसुम ने भी परिवादी और उसकी पत्नी को गालियां दी । जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षकारों के बीच घृणित वार्तालाप भी हुआ । इसके पश्चात् सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया और परिवादी दल की पिटाई की । खासतौर पर अभियुक्त प्रताप सिंह ने परिवादी श्री टेकचन्द पर धारदार वस्तु से हमला किया । जब परिवादी की पत्नी और उसकी नौकरानी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और मदद की गुहार करने पर घटनास्थल पर लोग जमा हो गए थे । इस पर अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए । परिवादी (अभि. सा. 1) अपने भतीजे श्री हेतराम (अभि. सा. 3) को लेकर पुलिस पोस्ट जुतोग गया जहां रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14-क) दर्ज की गई थी जिसके आधार पर तारीख 1 मई, 2000 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 89/2000 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16-क) पुलिस थाना पश्चिमी, शिमला पर दर्ज की गई थी । इस घटना को श्री जगदीश चन्द (अभि. सा. 6) और श्री अजीत सिंह (अभि. सा. 2) द्वारा देखा गया था । परिवादी की डा. डी. सी. चौहान (अभि. सा. 12) द्वारा चिकित्सा परीक्षा की गई थी जिन्होंने एम. एल. सी. (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12-क) जारी किया था । हैड कांस्टेबल, निका राम (अभि. सा. 15) ने घटनास्थल का अन्वेषण किया तथा अपराध के आयुधों और परिवादी के रक्तरंजित कपड़ों को बरामद किया था तथा अन्य अपराध में फंसाने वाली सामग्री को भी बरामद किया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था । सभी अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 452, 323, 324, 427 और 506 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया था जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया । अभियुक्तों और राज्य ने प्रति अपीलें फाइल कीं । महत्वपूर्ण प्रश्न इस बारे में जो न्यायालय के विचार में लाया गया है कि क्या निचले अपील न्यायालय ने सभी विषयों पर अभियुक्तों को दोषमुक्त करके गलती की है तथा क्या इस बारे में निष्कर्ष प्रतिकूल, अयुक्तियुक्त और विधि की

सुस्थापित स्थिति के प्रतिकूल हैं या नहीं । अभियुक्तों की अपीलें मंजूर और राज्य की अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – सबूत के भार को साबित करने के लिए अभियुक्त ने अवैध विधिविरुद्ध जमाव का गठन बलवा के कार्य को कारित करने के सामान्य अनुसरण में किया था तथा उन्होंने प्राणघातक आयुधों से सज्जित होकर क्षति पहुंचाने के आशय से गृह अत्याचार करके ऐसे आयुधों से स्वेच्छया से क्षति पहुंचाई थी और परिवादी दल का आपराधिक अभित्रास भी किया था । अभियोजन पक्ष ने परिवादी श्री टेकचन्द (अभि. सा. 1), श्री अजीत सिंह (अभि. सा. 2), श्री हेतराम (अभि. सा. 3), श्रीमती प्रेमलता (अभि. सा. 4), श्री जगदीश चन्द (अभि. सा. 6) और श्रीमती कौशल्या देवी (अभि. सा. 11) के परिसाक्ष्यों का अवलंब लिया है । निर्विवादतः अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कहानी की उत्पत्ति के बारे में दिए गए साक्ष्य में कई तात्विक विभेद और सुधार किए गए हैं और यदि यह मामला मिथ्या नहीं है तो संदेहपूर्ण है । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार दो अभियुक्त व्यक्तियों ने आयुधों से प्रहार किए थे जबकि अन्य अभियुक्तों ने घूसे और लातों और डंडों से प्रहार किए थे । परन्तु न्यायालय में परिवादी का मामला इस रूप में प्रकट नहीं हुआ है । यह ध्यान देने योग्य है कि परिवादी की पत्नी की न्यायालय में परीक्षा नहीं की गई । वह अस्पताल में नर्स के पद पर है । शायद उसने अपनी प्रतिपरीक्षा स्वयं नहीं करानी चाही और साक्षी कठघरे में खड़े होने से विरत रही । वह एक तात्विक साक्षी है खासतौर पर जब यह देखा गया कि परिवादी का परिसाक्ष्य विश्वास उत्प्रेरित नहीं करता है । वह सम्पूर्ण घटनाक्रम की साक्षी थी । स्वतंत्र साक्षी या तो परिवादी दल के नातेदार हैं या निकट संबंधी हैं । श्रीमती प्रेमलता (अभि. सा. 4) के सिवाय पड़ोस से कोई अन्य स्वतंत्र साक्षी को सहबद्ध नहीं किया गया । कुछ साक्षियों ने यह कथन किया है कि परिवादी को कमरे में परिरुद्ध किया गया था और जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब उसे मुक्त किया गया । वास्तव में यह बात अभियोजन पक्षकथन में प्रकट नहीं हुई है । यह प्रकट हुआ है कि साक्षी उस रीति के बारे में स्पष्ट नहीं है जिसमें घटना घटी । उनका परिसाक्ष्य के बारे में युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता का अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकालने के लिए सम्पूर्ण रूप से विश्वास को प्रेरित करने वाला नहीं कहा जा सकता है । साक्षियों ने नैसर्गिक और पक्षपातरहित रीति में अभिसाक्ष्य नहीं दिया है । निःसंदेह, परिवादी (अभि. सा. 1) को ऐसी क्षतियां कारित हुई थीं जिनके बारे में डा. डी. सी. चौहान

(अभि. सा. 12) द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है । परन्तु मात्र इस तथ्य से अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त परिस्थिति या कारण प्रकट नहीं होता है । (पैरा 15 और 16)

परिवादी (अभि. सा. 1) के अनुसार तारीख 1 मई, 2000 को अभियुक्तों का परिवादी दल से झगड़ा हुआ था । उन्होंने उनकी नाली तोड़ दी । उस समय उसकी पत्नी घर पर थी । लगभग 9.15 बजे अपराह्न जब वह घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उस तथ्य के बारे में उसे बताया और अचानक अभियुक्त ने अपने घर के लिन्टल से गालियां देनी प्रारंभ कर दीं और उन्होंने उन्हें मारने की धमकी भी दी । उसकी पत्नी बाहर चली गई और उसने भी ऐसा देखा । इसके पश्चात् उसकी पत्नी कमरे के अन्दर आ गई और अन्दर से दरवाजे पर चिटकनी लगा ली । सभी अभियुक्त व्यक्ति तुरन्त कमरे के अन्दर घुस गए और उन्होंने उसकी पिटाई की । अभियुक्त प्रताप सिंह ने कुनकल से प्रहार किया और अभियुक्त शंकर सिंह ने फट्टी (लकड़ी का फट्टा) से प्रहार किया । अन्य अभियुक्तों ने उसकी और उसकी पत्नी की घूंसे और लातों से प्रहार करके पिटाई की । उसके और उसकी पत्नी दोनों को क्षतियां पहुंचीं । शोरगुल सुनकर श्री अजीत सिंह (अभि. सा. 2), श्री नीतू (न्यायालय में जिसकी परीक्षा नहीं की गई) और श्री जगदीश चन्द (अभि. सा. 6) घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें देखकर अभियुक्त यह धमकी देते हुए भाग गए कि यद्यपि वे आज तो बच गए तथापि, भविष्य में उनकी हत्या की जाएगी । उसने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी । अगले दिन अर्थात् तारीख 2 मई, 2000 को पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक अन्वेषण का कार्य किया । इस साक्षी ने इस प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसके मकान से सड़क नहीं दिखाई देती है । यह एक सुसंगत तथ्य है । स्वतंत्र साक्षियों के अनुसार उनकी हीरानगर के सड़क के किनारे दुकानें हैं जहां से वे परिवादी को बचाने के लिए पहुंचे । उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय पर उसका भवन निर्माणाधीन था । उसने यह भी स्वीकार किया कि वह उस समय मौजूद नहीं था जब पुलिस ने अन्वेषण का कार्य किया था । (पैरा 17)

यद्यपि हेतराम को क्षतियां कारित हुई थीं जो बात डाक्टर के परिसाक्ष्य से सुव्यक्त है परन्तु उसने उसको पहुंचाई गई क्षतियों के बारे में किसी भी हमलावर का वर्णन नहीं किया है । (पैरा 20)

श्रीमती कौशल्या देवी (अभि. सा. 11) शिकायतकर्ता की नौकरानी है । अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने घटना देखी थी । शिकायतकर्ता के

अनुसार कि अभियुक्त द्वारा दिन में नाली को तोड़ा गया था जिस कार्य को इस साक्षी द्वारा देखा गया था । परन्तु न्यायालय में उसने इस घटना से इनकार किया है । उसे इस बारे में भी याद नहीं है कि पड़ोसियों में पहले कौन घटनास्थल पर पहुंचा था । उसने यह कथन किया है कि श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री टेकचन्द ने मकान के अन्दर से दरवाजे पर चिटकनी लगाई थी । यदि ऐसा हुआ था तब अभियुक्त का शिकायतकर्ता के मकान के अन्दर घुसने का प्रश्न पैदा नहीं होता है । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अभियुक्त ने दरवाजा खोलने के लिए उसे तोड़ा था और इसके पश्चात् घर के अन्दर प्रवेश किया । उसके परिसाक्ष्य से विश्वास प्रेरित नहीं होता है । (पैरा 23)

इन साक्षियों के परिसाक्ष्य का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर केवल यह प्रकट होता है कि वे अभियोजन पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में समर्थ नहीं हैं । निचले न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में साक्ष्य का मूल्यांकन करने या उस बारे में निष्कर्ष निकालने में अवैधानिकता या प्रतिकूलता नहीं पाई जा सकी है । अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में समर्थ हुआ हो कि अभियुक्त ने बलवा का कार्य किए जाने या प्राणघातक आयुधों से लैस होकर अपने सामान्य उद्देश्य के लिए विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया हो कि उन्होंने शिकायतकर्ता दल को चोट पहुंचाने और आपराधिक अभित्रास किए जाने के उद्देश्य से गृह अतिचार से ऐसी क्षति कारित की हो । इस पर स्पष्ट अकाट्य और अभिलेख पर विश्वसनीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अभिलेख पर नहीं लाए गए हैं या वे प्रतिकूल, अवैध प्रतीत होते हों या अभियोजन साक्ष्य का अपूर्ण मूल्यांकन उसमें किया गया हो ।

निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्ति का लाभ दिया गया था । एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के विनिश्चयाधार को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि निचले अपील न्यायालय ने सही रूप से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया या अभियुक्त की दोषमुक्ति न्याय का उपहास है, वर्तमान मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है । (पैरा 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 2 एस. सी. सी. 89 : **मुखिया और एक अन्य** बनाम **राज्य** ;	13
[2012]	(2012) 4 एस. सी. सी. 722 : **गोविन्द राजू** उर्फ **गोविन्दा** बनाम **राज्य** मार्फत **श्रीरामपुरम पुलिस थाना और एक अन्य** ;	13
[2011]	(2011) 11 एस. सी. सी. 666 : **राजस्थान राज्य** बनाम **तलवीर और एक अन्य** ;	13
[2010]	(2010) 1 एस. सी. सी. 94 : **मोहम्मद अंकुश और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद** ;	26
[2010]	(2010) 15 एस. सी. सी. 714 : **त्रिशाला** बनाम **एम. बी. सुन्दर राज और एक अन्य** ;	29
[2010]	(2010) 6 एस. सी. सी. 786 : **इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लुधियाना** बनाम **उजागर सिंह और अन्य** ;	29
[2005]	(2005) 4 एस. सी. सी. 117 : **के. वेंकटाचलैया भट्ट और एक अन्य** बनाम **कृष्णानायक (डी.)** मार्फत **विधिक प्रतिनिधि और अन्य** ।	29

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : **2006 की दांडिक पुनरीक्षण सं. 125 के साथ 2006 की दांडिक अपील सं. 359 और 2013 का दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 11063 (2013 का दांडिक ए. एस. टी. सं. 7014).**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन तथा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी/आवेदक की ओर से 2013 का दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 11063 और 2006 का

दांडिक पुनरीक्षण सं. 125 में श्री संजय भारद्वाज, अधिवक्ता और श्री जयलाल भारद्वाज, अधिवक्ता

2006 की दांडिक अपील सं. 359 में श्री आर. एस. वर्मा, अपर महाधिवक्ता और श्री एम. एल. चौहान, अपर महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से

2013 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 11063 में प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की ओर से और 2006 की दांडिक अपील सं. 359 में प्रत्यर्थी की ओर से तथा 2006 की दांडिक पुनरीक्षण सं. 125 में प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की ओर से श्री भूपेन्द्र सिंह कंवर, अधिवक्ता

2013 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 11063 में प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से तथा 2006 का दांडिक पुनरीक्षण सं. 125 में प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से श्री आर. एस. वर्मा, अपर महाधिवक्ता और श्री एम. एल. चौहान, अपर महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति संजय करोल – अभियुक्त शंकर सिंह, मुनीश शांति देवी, कुसुम, प्रताप सिंह और मनोज कुमार के विरुद्ध दंड संहिता के विभिन्न उपबंधों के अधीन पुलिस थाना पश्चिमी, शिमला में तारीख 1 मई, 2000 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 89/2000 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16/क) दर्ज की गई थी । दांडिक मामला सं. 04/2000 का 168/2, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम शंकर सिंह और अन्य वाले मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 2, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 31 अगस्त, 2005 को निर्णय पारित किया गया था जिसके द्वारा अभियुक्त शंकर सिंह, मुनीश, शांति देवी, कुसुम और प्रताप को दंड संहिता की धारा 147, 148, 452, 323, 324 के साथ पठित धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध के

लिए दोषसिद्ध किया गया था । तथापि, उन्हें दंड संहिता की धारा 427 और 506 के साथ पठित धारा 149 के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने से दोषमुक्त किया गया था । अभियुक्त मनोज कुमार को सभी विषयों पर दोषमुक्त कर दिया गया था । अभियुक्त शंकर, शान्ति देवी और प्रताप सिंह के लिए दंड संहिता की धारा 452 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु अलग-अलग एक वर्ष की अवधि का साधारण कारावास और अलग-अलग 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का निदेश दिया गया था तथा दंड संहिता की धारा 147, 148, 323 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तीन मास की अवधि का साधारण कारावास और प्रत्येक के लिए 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए निदेश दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए छह मास की अवधि का साधारण कारावास और 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का निदेश दिया गया तथा प्रत्येक गणना पर जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 15 दिनों का साधारण कारावास भोगने का भी निदेश दिया गया । अभियुक्त मुनीश और कुसुम के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का फायदा मंजूर किया गया था ।

2. अभियुक्त शंकर सिंह, शान्ति देवी और प्रताप सिंह ने उक्त निर्णय को आक्षेपित करते हुए अपील फाइल की थी और 2005 की दांडिक अपील सं. 25-एस/10, शंकर सिंह और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य वाले मामले में अपर सेशन न्यायाधीश, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 28 जुलाई, 2006 को निर्णय पारित करके उन्हें सभी विषयों पर दोषमुक्त कर दिया गया था ।

3. परिवादी श्री टेकचन्द (अभि. सा. 1) ने 2006 के वर्तमान पुनरीक्षण याचिका सं. 125 में तारीख 28 जुलाई, 2006 को दोषमुक्ति के उक्त निर्णय को आक्षेपित किया है ।

4. स्वतंत्र रूप से सिद्धदोष मुनीश और कुसुम ने तारीख 31 अगस्त, 2005 के दोषसिद्धि के निर्णय को आक्षेपित किया है तथा 2006 का दांडिक अपील सं. 51-एस/10, मुनीश और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य वाले मामले में अपर सेशन न्यायाधीश, शिमला द्वारा तारीख 13 मार्च, 2010 को निर्णय पारित करके उन्हें सभी विषयों पर दोषमुक्त कर दिया गया ।

5. परिवादी श्री टेकचन्द (अभि. सा. 1) ने अपील के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन फाइल करके तारीख 11 मार्च,

2010 को उक्त निर्णय को आक्षेपित किया है । आवेदन में 2013 का दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 11063 में विलंब पर माफी चाही गई है । इस मामले में 1098 दिनों का विलंब था । अपील फिर भी रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई । राज्य द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा अभियुक्त मुनीश और कुसुम को दोषमुक्त करने के लिए तारीख 11 मार्च, 2010 को पारित किए गए निर्णय को आक्षेपित नहीं किया है ।

6. राज्य ने तारीख 28 जुलाई, 2006 के निर्णय को आक्षेपित करते हुए 2006 की दांडिक अपील सं. 359 केवल फाइल की थी ।

7. इन सभी अपीलें/याचिकाओं का एक निर्णय द्वारा निपटारा किया जा रहा है क्योंकि वे एक ही घटना, एक ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, अपराध और समरूप साक्ष्य और उन्हीं अभियुक्त व्यक्ति से उद्भूत हुआ है ।

8. महत्वपूर्ण प्रश्न इस बारे में जो हमारे विचार में लाया गया है कि क्या निचले अपील न्यायालय ने सभी विषयों पर अभियुक्तों को दोषमुक्त करके गलती की है तथा क्या इस बारे में निष्कर्ष प्रतिकूल, अयुक्तियुक्त और विधि की सुस्थापित स्थिति के प्रतिकूल हैं या नहीं ।

9. परिवादी टेकचन्द (अभि. सा. 1) अभियुक्त शंकर लाल का पड़ोसी है और जल के रिसाव के बारे में उनके बीच विवाद था । यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 1 मई, 2000 को अभियुक्तों ने परिवादी के पानी के पाइप को तोड़ा था । अभियुक्त शंकर सिंह उसकी पत्नी शांति देवी, पुत्र मुनीश और पुत्री कुसुम ने भी परिवादी और उसकी पत्नी को गालियां दीं । जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षकारों के बीच घृणित वार्तालाप भी हुआ । इसके पश्चात् सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया और परिवादी दल की पिटाई की । खासतौर पर अभियुक्त प्रताप सिंह ने परिवादी श्री टेकचन्द पर धारदार वस्तु से हमला किया । जब परिवादी की पत्नी और उसकी नौकरानी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और मदद की गुहार करने पर घटनास्थल पर लोग जमा हो गए थे । इस पर अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए । परिवादी (अभि. सा. 1) अपने भतीजे श्री हेतराम (अभि. सा. 3) को लेकर पुलिस पोस्ट जुतोग गया जहां रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14-क) दर्ज की गई थी जिसके आधार पर तारीख 1 मई, 2000 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 89/2000 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16-क) पुलिस थाना पश्चिमी, शिमला पर दर्ज की गई थी । इस घटना को श्री जगदीश चन्द (अभि. सा. 6) और श्री अजीत सिंह (अभि. सा. 2) द्वारा

देखा गया था । परिवादी की डा. डी. सी. चौहान (अभि. सा. 12) द्वारा चिकित्सा परीक्षा की गई थी जिन्होंने एम. एल. सी. (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12-क) जारी किया था । हैड कांस्टेबल, निका राम (अभि. सा. 15) ने घटनास्थल का अन्वेषण किया तथा अपराध के आयुधों और परिवादी के रक्तरंजित कपड़ों को बरामद किया था तथा अन्य अपराध में फंसाने वाली सामग्री को भी बरामद किया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था ।

10. सभी अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 452, 323, 324, 427 और 506 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया था जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया ।

11. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए 17 साक्षियों की परीक्षा की और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन भी लेखबद्ध किए थे जिसमें उन्होंने मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया । अभियुक्त द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं दिया गया था ।

12. जैसा कि पहले ही मत व्यक्त किया गया है विचारण न्यायालय ने अभियुक्त मनोज कुमार को छोड़कर कुछ आरोपित अपराधों के लिए सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया था और निचले अपीली न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय को उलट दिया था तथा सभी विषयों पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था ।

13. यह सुस्थापित विधि है कि दोषमुक्ति अभियुक्त को निहित अधिकार प्रदत्त करती है [**मुखिया और एक अन्य** बनाम **राज्य**[1] जिस मामले का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक तमिलनाडु द्वारा किया गया था **गोविन्द राजू** उर्फ **गोविन्दा** बनाम **राज्य** मार्फत **श्रीरामपुरम पुलिस थाना और एक अन्य**[2] तथा **राजस्थान राज्य** बनाम **तलवीर और एक अन्य**[3] वाले मामले देखिए] । परन्तु यदि निष्कर्ष और निर्णय तर्क विरुद्ध है तो इस न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि मामले में हस्तक्षेप करे और साक्ष्य का पूरी तरह मूल्यांकन तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का विवेचन करने के पश्चात् यदि यह अपेक्षित है तो ऐसे निष्कर्ष और निर्णय को उलट देना चाहिए ।

---

[1] (2013) 2 एस. सी. सी. 89.

[2] (2012) 4 एस. सी. सी. 722.

[3] (2011) 11 एस. सी. सी. 666.

14. यह तथ्य कि परिवादी दल के सदस्य और खासतौर पर परिवादी (अभि. सा. 1) को क्षतियां कारित हुई थीं जिसे डा. कश्मीर सिंह (अभि. सा. 5), डा. ऊषा शर्मा (अभि. सा. 7) और डा. डी. सी. चौहान (अभि. सा. 12) के परिसाक्ष्य में सिद्ध किया गया है ।

15. सबूत के भार को साबित करने के लिए अभियुक्त ने अवैध विधिविरुद्ध जमाव का गठन बलवा के कार्य को कारित करने के सामान्य अनुसरण में किया था तथा उन्होंने प्राणघातक आयुधों से सज्जित होकर क्षति पहुंचाने के आशय से गृह अत्याचार करके ऐसे आयुधों से स्वेच्छया से क्षति पहुंचाई थी और परिवादी दल का आपराधिक अभित्रास भी किया था । अभियोजन पक्ष ने परिवादी श्री टेकचन्द (अभि. सा. 1), श्री अजीत सिंह (अभि. सा. 2), श्री हेतराम (अभि. सा. 3), श्रीमती प्रेमलता (अभि. सा. 4), श्री जगदीश चन्द (अभि. सा. 6) और श्रीमती कौशल्या देवी (अभि. सा. 11) के परिसाक्ष्यों का अवलंब लिया है ।

16. निर्विवादतः अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कहानी की उत्पत्ति के बारे में दिए गए साक्ष्य में कई तात्विक विभेद और सुधार किए गए हैं और यदि यह मामला मिथ्या नहीं है तो संदेहपूर्ण है । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार दो अभियुक्त व्यक्तियों ने आयुधों से प्रहार किए थे जबकि अन्य अभियुक्तों ने घूंसे, लातों और डंडों से प्रहार किए थे । परन्तु न्यायालय में परिवादी का मामला इस रूप में प्रकट नहीं हुआ है । यह ध्यान देने योग्य है कि परिवादी की पत्नी की न्यायालय में परीक्षा नहीं की गई । वह अस्पताल में नर्स के पद पर है । शायद उसने अपनी प्रतिपरीक्षा स्वयं नहीं करानी चाही और साक्षी कठघरे में खड़े होने से विरत रही । वह एक तात्विक साक्षी है खासतौर पर जब यह देखा गया कि परिवादी का परिसाक्ष्य विश्वास उत्प्रेरित नहीं करता है । वह सम्पूर्ण घटनाक्रम की साक्षी थी । स्वतंत्र साक्षी या तो परिवादी दल के नातेदार हैं या निकट संबंधी हैं । श्रीमती प्रेमलता (अभि. सा. 4) के सिवाय पड़ोस से कोई अन्य स्वतंत्र साक्षी को सहबद्ध नहीं किया गया । कुछ साक्षियों ने यह कथन किया है कि परिवादी को कमरे में परिरुद्ध किया गया था और जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब उसे मुक्त किया गया । वास्तव में यह बात अभियोजन पक्षकथन में प्रकट नहीं हुई है । यह प्रकट हुआ है कि साक्षी उस रीति के बारे में स्पष्ट नहीं है जिसमें घटना घटी । उनका परिसाक्ष्य के बारे में युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता का अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकालने के लिए सम्पूर्ण रूप से विश्वास को प्रेरित करने वाला नहीं कहा जा सकता है । साक्षियों ने नैसर्गिक और पक्षपातरहित रीति में

अभिसाक्ष्य नहीं दिया है । निःसंदेह, परिवादी (अभि. सा. 1) को ऐसी क्षतियां कारित हुईं थीं जिनके बारे में डा. डी. सी. चौहान (अभि. सा. 12) द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है । परन्तु मात्र इस तथ्य से अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त परिस्थिति या कारण प्रकट नहीं होता है ।

17. परिवादी (अभि. सा. 1) के अनुसार तारीख 1 मई, 2000 को अभियुक्तों का परिवादी दल से झगड़ा हुआ था । उन्होंने उनकी नाली तोड़ दी । उस समय उसकी पत्नी घर पर थी । लगभग 9.15 बजे अपराह्न जब वह घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उस तथ्य के बारे में उसे बताया और अचानक अभियुक्त ने अपने घर के लिन्टल से गालियां देनी प्रारंभ कर दीं और उन्होंने उन्हें मारने की धमकी भी दी । उसकी पत्नी बाहर चली गई और उसने भी ऐसा देखा । इसके पश्चात् उसकी पत्नी कमरे के अन्दर आ गई और अन्दर से दरवाजे पर चिटकनी लगा ली । सभी अभियुक्त व्यक्ति तुरन्त कमरे के अन्दर घुस गए और उन्होंने उसकी पिटाई की । अभियुक्त प्रताप सिंह ने कुनकल से प्रहार किया और अभियुक्त शंकर सिंह ने फट्टी (लकड़ी का फट्टा) से प्रहार किया । अन्य अभियुक्तों ने उसकी और उसकी पत्नी की घूंसे और लातों से प्रहार करके पिटाई की । उसके और उसकी पत्नी दोनों को क्षतियां पहुंचीं । शोरगुल सुनकर श्री अजीत सिंह (अभि. सा. 2), श्री नीतू (न्यायालय में जिसकी परीक्षा नहीं की गई) और श्री जगदीश चन्द (अभि. सा. 6) घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें देखकर अभियुक्त यह धमकी देते हुए भाग गए कि यद्यपि वे आज तो बच गए तथापि, भविष्य में उनकी हत्या की जाएगी । उसने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी । अगले दिन अर्थात् तारीख 2 मई, 2000 को पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक अन्वेषण का कार्य किया । इस साक्षी ने इस प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसके मकान से सड़क नहीं दिखाई देती है । यह एक सुसंगत तथ्य है । स्वतंत्र साक्षियों के अनुसार उनकी हीरानगर के सड़क के किनारे दुकानें हैं जहां से वे परिवादी को बचाने के लिए पहुंचे । उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय पर उसका भवन निर्माणाधीन था । उसने यह भी स्वीकार किया कि वह उस समय मौजूद नहीं था जब पुलिस ने अन्वेषण का कार्य किया था ।

18. केवल यह मत व्यक्त किया गया कि इस साक्षी का परिसाक्ष्य से तनिक भी विश्वास प्रेरित नहीं होता है । उसका यह वृत्तांत कि अजीत सिंह (अभि. सा. 2) घटनास्थल पर पहुंचा था, सत्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभि. सा. 2 के अनुसार कि उसके स्वामित्व में कोई मकान हीरानगर में नहीं है और दुकानें सामान्यतया 7-8 बजे अपराह्न बंद हो जाती हैं । यदि

अभियुक्त का मकान सड़क से नहीं दिखाई देता था तथा टेकचन्द का हीरानगर में कोई मकान नहीं था तब घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी के बारे में पूर्णतया स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

19. श्री हेतराम (अभि. सा. 3) ने अपने चाचा (अभि. सा. 1) के वृत्तांत को संपुष्ट करने की कोशिश की । परन्तु वह इस बारे में इनकार नहीं कर सका कि क्या परिवादी दल ने अभियुक्त व्यक्तियों से संबंधित भूमि की सीमा में गंदे पानी का पाइप रखा था । यह बात अधिक महत्वपूर्ण है कि इस साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसके अजीत सिंह (अभि. सा. 2), जगदीश चन्द (अभि. सा. 6) और परिवादी टेकचन्द (अभि. सा. 1) के विरुद्ध प्रति शिकायत की गई थी और वास्तव में पुलिस द्वारा इस मामले में चौकी पर उन्हें बुलाया गया था । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि परिवादी की पत्नी नर्स है और रिपोन अस्पताल में तैनात है । यदि परिवादी को क्षतियां कारित हुईं थीं तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि वह चिकित्सा उपचार के लिए सीधे अस्पताल पर क्यों नहीं गया और वहां पर रिपोर्ट भी दर्ज की जा सकती थी । परिवादी की पत्नी की न्यायालय में परीक्षा नहीं की गई । ऐसा क्यों किया गया ? इस बात का पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । यदि ऐसा हो सकता है तो कोई भी व्यक्ति इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता है कि परिवादी दल को अभियुक्त दल द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर उसी घटना के संबंध में पुलिस द्वारा भी बुलाया गया था ।

20. यद्यपि हेतराम को क्षतियां कारित हुईं थीं जो बात डाक्टर के परिसाक्ष्य से सुव्यक्त है परन्तु उसने उसको पहुंचाई गई क्षतियों के बारे में किसी भी हमलावर का वर्णन नहीं किया है ।

21. श्रीमती प्रेमलता (अभि. सा. 4) का पूर्णतया भिन्न वृत्तांत है । उसके अनुसार वह जिसने पुलिस को सूचना दी और जो 4 बजे पूर्वाह्न (1 और 2 मई, 2000 की मध्य रात्रि) घटनास्थल पर पहुंचे और यह तथ्य अभियोजन पक्षकथन में तनिक भी प्रकट नहीं हुआ है क्योंकि पुलिस के अनुसार वे दिन समाप्त होने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचे । शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी । घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी संदेहपूर्ण प्रतीत होती है । उसे यह भी पता नहीं है कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता का मकान एक दूसरे के समीप हैं । उसके स्पष्ट कथन को छोड़कर अभिलेख पर ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वह शिकायतकर्ता की पड़ोसी है । उसने यह कथन किया है कि उसे यह पता

नहीं है कि टेकचन्द और अभियुक्त के बीच पहले भी झगड़ा हुआ था । वह पुलिस द्वारा लेखबद्ध किए गए अपने कथन से मुकर गई जिससे उसके कथन में विरोधाभास प्रकट होता है । उसने अपनी मौजूदगी और हेतराम की मौजूदगी के प्रश्न पर अपने कथन का खण्डन किया है । उसने बरामदगी के दस्तावेज प्रदर्श (पी. डब्ल्यू. 1/क और 1/ख) को पढ़े जाने से भी इनकार किया है और उन पर अपने हस्ताक्षर करने से भी इनकार किया है ।

22. जगदीश चन्द (अभि. सा. 6) की अत्यधिक महत्वपूर्ण मौजूदगी जिसके बारे में घटना के घटने का साक्षी होने का अभिकथन किया गया है, अविश्वसनीय है । वह सरकारी सेवक था और उसने यह स्वीकार किया है कि वह आई. पी. एच. विभाग में बेलदार के पद पर कार्य कर रहा था । उसने यह कथन किया कि उसके पास हीरानगर में एक दुकान है । उस स्थान से वह घटनास्थल पर गया परन्तु सरकारी सेवक दुकान नहीं चला सकता है और न उसने इस संबंध में कोई सबूत पेश किया । उसने यह कथन किया है कि लगभग 9.15 बजे अपराह्न उसने टेकचन्द के मकान से चीख-पुकार सुनी और वह घटनास्थल पर गया जहां उसने यह देखा कि अभियुक्त पिटाई कर रहा है । यह भी महत्वपूर्ण है कि वह उस ग्राम का निवासी नहीं है । उसने यह स्वीकार किया कि उसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय से समन भेजा गया था तथा उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था । उसने कुछ विचित्र कारणों से घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन किए जाने के बारे में इनकार किया है जिसकी उसके विरुद्ध तथा शिकायतकर्ता दल की पुलिस थाना बोलियोगंज पर अभियुक्त द्वारा रिपोर्ट की गई थी । उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह हेतराम (अभि. सा. 3) द्वारा किए गए स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बारे में झूठ बोल रहा है ।

23. श्रीमती कौशल्या देवी (अभि. सा. 11) शिकायतकर्ता की नौकरानी है । अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने घटना देखी थी । शिकायतकर्ता के अनुसार कि अभियुक्त द्वारा दिन में नाली को तोड़ा गया था जिस कार्य को इस साक्षी द्वारा देखा गया था । परन्तु न्यायालय में उसने इस घटना से इनकार किया है । उसे इस बारे में भी याद नहीं है कि पड़ोसियों में पहले कौन घटनास्थल पर पहुंचा था । उसने यह कथन किया है कि श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री टेकचन्द ने मकान के अन्दर से दरवाजे पर चिटकनी लगाई थी । यदि ऐसा हुआ था तब अभियुक्त का शिकायतकर्ता के मकान के अन्दर घुसने का प्रश्न पैदा नहीं होता है । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अभियुक्त ने दरवाजा खोलने के

लिए उसे तोड़ा था और इसके पश्चात् घर के अन्दर प्रवेश किया । उसके परिसाक्ष्य से विश्वास प्रेरित नहीं होता है ।

24. इन साक्षियों के परिसाक्ष्य का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर केवल यह प्रकट होता है कि वे अभियोजन पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में समर्थ नहीं हैं । निचले न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में साक्ष्य का मूल्यांकन करने या उस बारे में निष्कर्ष निकालने में अवैधानिकता या प्रतिकूलता नहीं पाई जा सकी है ।

25. अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में समर्थ हुआ हो कि अभियुक्त ने बलवा का कार्य किए जाने या प्राणघातक आयुधों से लैस होकर अपने सामान्य उद्देश्य के लिए विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया हो कि उन्होंने शिकायतकर्ता दल को चोट पहुंचाने और आपराधिक अभित्रास किए जाने के उद्देश्य से गृह अतिचार से ऐसी क्षति कारित की हो । इस पर स्पष्ट अकाट्य और अभिलेख पर विश्वसनीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अभिलेख पर नहीं लाए गए हैं या वे प्रतिकूल, अवैध प्रतीत होते हों या अभियोजन साक्ष्य का अपूर्ण मूल्यांकन उसमें किया गया हो ।

26. निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्ति का लाभ दिया गया था । **मोहम्मद अंकुश और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के विनिश्चयाधार को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि निचले अपील न्यायालय ने सही रूप से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया या अभियुक्त की दोषमुक्ति न्याय का उपहास है, वर्तमान मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

27. पूर्वोक्त सभी कारणों पर विचार करने से 2006 की दांडिक पुनरीक्षण सं. 125 तथा 2006 की दांडिक अपील सं. 359 गुणागुण रहित है इसलिए उसे खारिज किया जाता है । यदि कोई अन्य आवेदन विलंबित हैं तो खारिज किया जाता है । अभियुक्त द्वारा दिए गए जमानत बंधपत्र को उन्मोचित किया जाता है ।

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. 94.

2013 का दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 11063

28. वर्तमान अपील/याचिका को फाइल करने में विलंब के लिए माफी चाहने का कोई पर्याप्त कारण प्रकट नहीं होता है । परिवादी/ शिकायतकर्ता टेकचन्द ने इस न्यायालय के समक्ष मामले को प्रकट किया है और उसका वृत्तांत यह है कि उसे अभियुक्त मुनीश और कुसुम की दोषमुक्ति के निर्णय के बारे में पता नहीं था, यह बात सही प्रतीत नहीं होती है ।

29. **त्रिशाला** बनाम **एम. बी. सुन्दर राज और एक अन्य**[1]; **इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लुधियाना** बनाम **उजागर सिंह और अन्य**[2] और **के. वेंकटाचलैया भट्ट और एक अन्य** बनाम **कृष्णानायक (डी.)** मार्फत **विधिक प्रतिनिधि और अन्य**[3] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि इनका बहुत अत्यधिक परिणाम सामने आया हो क्योंकि यह सुस्थिर सिद्धांत है कि प्रत्येक मामले का सुसंगत तथ्यों की स्थिति के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और वर्तमान मामले में आवेदन में उल्लिखित तथ्यों में विलंब की माफी की ईप्सा की गई है । न तो उन बातों को सिद्ध किया गया है और न पर्याप्त उनका स्पष्टीकरण दिया गया है । परिवादी/शिकायतकर्ता अभियुक्त/ प्रत्यर्थी मुनीश और कुसुम के पक्ष में पारित किए गए आदेश से व्यथित नहीं हुआ था जिसमें उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन फायदा दिया गया था । अन्यथा इन अपीलों में सम्पूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा, मूल्यांकन पर विचार किया जाता है और निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में कोई कमियां नहीं हैं ।

तद्नुसार आवेदन खारिज किया जाता है ।

निचले न्यायालय के अभिलेख तत्काल वापस भेजे जाते हैं ।

अभियुक्तों की अपील मंजूर की गई तथा
राज्य की अपील खारिज की गई ।

आर्य

---

[1] (2010) 15 एस. सी. सी. 714.
[2] (2010) 6 एस. सी. सी. 786.
[3] (2005) 4 एस. सी. सी. 117.

बंटी

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 3 मार्च, 2015

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 458, 395, 342 और 120ख – डकैती – आपराधिक षड्यंत्र – शनाख्त परेड – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साक्षियों के साक्ष्य और शनाख्त परेड में अभियुक्त की पहचान से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति था जिसने अपराध किया वहां अभियोजन द्वारा अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न करने के कारण अभियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि परमा नन्द अपने ग्राम टिम्बी में सड़क के किनारे एक किरयाने की दुकान चलाता था । वह अपनी पत्नी चमेली, बच्चे और माता मानसो देवी के साथ रहता था । तारीख 24 नवंबर, 2008 को परमा नन्द ग्राम धरमा में अपनी बहिन के घर गया था । तारीख 24/25 नवंबर, 2008 की मध्य रात्रि में लगभग 1.30 बजे 2 अज्ञात व्यक्तियों ने "लालाजी" कहकर बाहर से आवाज लगाई और पेट्रोल मांगा । परमा नन्द की पत्नी चमेली देवी ने उत्तर दिया कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है और उसके पश्चात् उन्होंने चमेली देवी से कहा कि वे उसके पति को कुछ रकम का भुगतान करना चाहते हैं । चमेली देवी ने उनसे अगले दिन आने को कहा । इसके पश्चात्, उन्होंने चमेली से पानी मांगा जो उसने दरवाजे के जंगले में से दिया और गिलास वापस ले लिया । इसके पश्चात् 3 व्यक्ति मानसो देवी के कमरे में आए । उनमें से 2 व्यक्तियों ने मानसो देवी को दबोच लिया और तीसरे व्यक्ति ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे बाहर बरामदे में ले आए । जब मानसो देवी ने चीख-पुकार की, हमलावरों ने उसे धमकी दी । आवाज सुनकर उसकी पुत्रवधु चमेली बाहर आई । हमलावरों में से 1 व्यक्ति ने मानसो देवी की गर्दन पर चाकू रख दिया और यह धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो वह उसकी हत्या कर देगा । इसके पश्चात्, दोनों महिलाओं को कमरे में ले जाया गया ।

हमलावरों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे । मानसो देवी और चमेली देवी, दोनों को उस कमरे में निरुद्ध कर दिया जहां बच्चे सो रहे थे और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया । थोड़ी देर बाद, हमलावर पुनः आए और उन्होंने महिलाओं के हाथ चुन्नी से बांध दिए । इसके पश्चात्, उन्होंने एक कमरे की अलमारी का ताला तोड़ा और तीसरे कमरे में एक ट्रंक तोड़कर खोला । उन्होंने सभी आभूषण, नकदी, कपड़े, एक सूटकेश, बिस्तर की चादरें, सी. डी. प्लेयर, रिमोट कंट्रोल और डिश रिसीवर वहां से उठा लिए । हमलावरों के साथ 2/3 अन्य अभियुक्त भी सम्मिलित हो गए । मकान में डकैती कारित करने के पश्चात्, वे परमा नन्द की दुकान पर गए और उन्होंने दुकान का ताला तोड़कर खोला । उन्होंने जूते और नकदी दुकान में से उठा ली । इसके पश्चात्, वे मानसो देवी के घर गए, रसोई में चाय तैयार की और चाय पीने के पश्चात् वहां से चले गए । मानसो देवी ने वाहन के चालू होने की आवाज सुनी । उनके मकान में की गई चोरी का पता चलने के पश्चात् प्रातःकाल लगभग 6/7 बजे ग्रामवासी उनके घर पर आए । सह-ग्रामवासियों ने परमा नन्द से टेलीफोन द्वारा संपर्क किया और घटना के बारे में बताया । परमा नन्द अपने ग्राम के लिए तुरंत रवाना हुआ । उसने अपनी माता के कमरे में रखी अलमारी को देखा जिसका ताला टूटा हुआ था । चांदी और सोने के आभूषण, जिनकी कीमत 20,000/- रुपए थी, चोरी किए गए पाए गए । इसके पश्चात, उसने अपने कमरे में रखी लकड़ी की अलमारी का मुआयना किया । उसकी सिटकनी टूटी हुई थी । 80,000/- रुपए चोरी पाए गए । तारीख 25 नवंबर, 2008 को पुलिस उप-निरीक्षक जीत सिंह को उस ग्राम के परमा नन्द के मकान में डकैती के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई । उप-निरीक्षक ने घटनास्थल से आवश्यक सामग्री बरामद की । तारीख 26 दिसंबर, 2008 को उसने 8 अभियुक्तों से पूछताछ की जिन्हें बैंक डकैती के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था । उनमें से 4 अभियुक्तों को अर्थात् प्रमोद कुमार, बलबीर सिंह, रमेश कुमार और बंटी को इस मामले में आलिप्त पाया गया । तारीख 6 जनवरी, 2009 को अभियुक्त बंटी ने पुलिस अभिरक्षा में प्रकटीकरण कथन दिया और इस कथन के आधार पर अभियुक्त बंटी ने सी. ड़ी प्लेयर, जूते और स्वेटर बरामद कराए जिन्हें ज्ञापन के अनुसार अभिगृहीत किया गया । अन्वेषण पूरा होने और सभी औपचारिकताओं के समापन के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 342, 458, 395 और 120ख के अधीन आरोपित किया गया । उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियुक्त बंटी फरार हो गया

और उसे उद्घोषित अपराधी अभिनिर्धारित किया गया । शेष अभियुक्तों का विचारण किया गया और विचारण के अंत में विचारण न्यायालय ने अभियुक्त बलबीर सिंह, सूरज और बबलू **उर्फ** नोना को दंड संहिता की धारा 342, 458, 395 और 120ख के अधीन दोषसिद्ध किया । इस न्यायालय ने दांडिक अपील सं. 33/2011, 64/2011 और 204/2011 में तारीख 30 सितंबर, 2011 के निर्णय द्वारा अभियुक्त बलबीर को दोषमुक्त कर दिया जबकि सूरज और बबलू द्वारा फाइल की गई अपीलों को खारिज कर दिया । अभियुक्त बंटी को पुनः गिरफ्तार किया गया और उसका विचारण किया गया । विचारण के दौरान, 5 साक्षियों को, जिनके कथन अभियुक्त की अनुपस्थिति में पहले ही अभिलिखित किए जा चुके थे, पुनः परीक्षा के लिए बुलाया गया । अभियुक्त बंटी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधिन अभिलिखित किया गया । उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित रूप में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया । इसलिए यह अपील फाइल की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – सहायक उप-निरीक्षक कमल नयन ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 19 दिसंबर, 2008 को लगभग 3.00 बजे पूर्वाह्न में उसे पुलिस थाना शिलाई से एच. पी. कोआपरेटिव बैंक, शिलाई में डकैती कारित किए जाने के संबंध में वायरलैस द्वारा संदेश प्राप्त हुआ । उसे यह सूचना दी गई कि अभियुक्त बैंक की नकदी के साथ-साथ एक चैस्ट (तिजोरी) भी वाहन में रख कर ले गए । एस. डी. पी. ओ. पाउंटा ने बाहर निकलने वाली सड़कों पर रोक लगाने का निदेश दे दिया । उसने अपने कर्मचारियों के साथ लगभग 5.30 बजे अपराह्न में उत्तराखंड सीमा से लगी किल्लोर नामक सड़क को बंद कर दिया । एक वाहन (पिक-अप वैन) उत्तराखंड की ओर से आया जिसे उन्होंने रोका । पूछताछ किए जाने पर चालक के बराबर में बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम रमेश कुमार बताया और यह बताया कि वह भैंसों का व्यापार करता है और पंजाब का निवासी है । वह अपने हाथ में काले रंग का थैला लिए हुआ था । थैला खोलने को कहा गया जिसमें करेंसी नोट रखे हुए थे । 9 व्यक्ति पिक-अप वैन में बैठे हुए थे । आगे यह कथन किया गया कि केवल 3 व्यक्ति उसी नाम के थे अर्थात् रमेश, प्रमोद आदि । इन व्यक्तियों ने कांस्टेबलों पर हमला किया जो पिक-अप वैन में बैठे हुए थे । इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और शेष घटनास्थल से भाग गए । उप-निरीक्षक जीत सिंह ने यह भी

साक्ष्य दिया है कि वह ग्राम टिम्बी लगभग 8.00 बजे अपराह्न में अन्य पुलिस पदधारियों के साथ तारीख 25 नवंबर, 2008 को किसी अज्ञात व्यक्ति से गुप्त सूचना प्राप्त होने पर पहुंचे । मानसो देवी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया । उसने परमा नन्द, चमेली देवी और गुलाब सिंह के कथन भी अभिलिखित किए । उसने ज्ञापन के अनुसार 3 छोटे पर्स और एक छोटा ज्वैलरी-बाक्स भी उस कमरे में से कब्जे में लिया जिसमें डकैती कारित की गई थी । उसने स्थलनक्शा भी तैयार किया । हरि राम ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे तारीख 25 दिसंबर, 2008 को इस मामले का आगे अन्वेषण करने का फाइल प्राप्त हुई थी । उसने परमा नन्द, चमेली देवी और मानसो देवी के कथन अभिलिखित किए । तारीख 26 दिसंबर, 2008 को उसने 8 अभियुक्तों से पूछताछ की जिन्हें बैंक डकैती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था । 4 अभियुक्तों अर्थात् प्रमोद, बलबीर, रमेश और बंटी को इस अपराध में आलिप्त पाया गया । तारीख 8 जनवरी, 2009 को अभियुक्त बंटी पुलिस को रोशन कालोनी, ओल्ड राजपुरा स्थित अपने मकान पर लेकर गया जहां से पुलिस ने गोदरेज अलमारी, सी. डी. प्लेयर, जूते, लेडीज स्वेटर बरामद किए और उन्हें ज्ञापन द्वारा कब्जे में लिया गया । अभियुक्त ने अपने मकान से लोहे का एक पाना भी बरामद कराया जिसे ज्ञापन के अनुसार कब्जे में लिया गया । लोहे का पाना (प्रदर्श पी-9) है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त की शनाख्त करने के लिए मानसो देवी और चमेली देवी को नहीं बुलाया था । रुक्के की अंतर्वस्तु के अनुसार, जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया है, अभि. सा. 11 बेलदार था । वह अपने पुत्र परमा नन्द और पुत्रवधु चमेली देवी तथा बच्चों के साथ रहती थी । उसका पुत्र तारीख 24 नवंबर, 2008 को अपनी बहिन कमला देवी से मिलने गया था । वह अपनी पुत्रवधु के साथ घर पर थी । तारीख 25 नवंबर, 2008 को लगभग 1.00 बजे पूर्वाह्न में उसके कमरे पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने दस्तक दी । उसे कमरे के बाहर बरामदे में घसीट कर लाया गया । उसे धमकी दी गई । उसे अपनी पुत्रवधु और बच्चों के साथ एक कमरे में निरुद्ध कर दिया गया । इसके पश्चात् चोरी की गई । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए से यह स्पष्ट होता है कि दरवाजा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खटखटाया गया था । मानसो देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तों के चेहरे आंखों के नीचे कपड़ों से ढके हुए थे । उनके घर में चोरी होने के पश्चात् 25 दिन के बाद शिलाई

में एक और चोरी की घटना घटित हुई । पुलिस ने उसे और उसकी पुत्रवधु चमेली को पुलिस थाना, पाउंटा साहिब बुलाया । पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हुआ था और उनसे उन व्यक्तियों में से शनाख्त करने को कहा कि उनमें से कोई व्यक्ति उक्त चोरी में अंतर्वलित था या नहीं । मानसो देवी ने अभियुक्त बंटी और रमेश को पहचान कर बताया कि उन्होंने इस चोरी की घटना में भाग लिया है । इसी प्रकार, चमेली ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि इस घटना के लगभग 1 मास पश्चात् उसको अपनी सास के साथ पुलिस थाना पाउंटा बुलाया गया था जहां पर पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को लाक-अप में बंद कर रखा था और उनसे चोरी कारित किए जाने के अपराध में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की शनाख्त करने को कहा गया । चमेली ने अभियुक्त रमेश के साथ न्यायालय में मौजूद अभियुक्त बंटी की शनाख्त की । तथापि, उप-निरीक्षक हरी राम ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त की शनाख्त करने के लिए मानसो देवी और चमेली देवी को कभी भी नहीं बुलाया । अभियुक्त की अभिकथित शनाख्त पुलिस थाने में की गई है । पुलिस थाने में की गई अभियुक्त की शनाख्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन स्वीकार्य नहीं है । इसे अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता । विद्वान् विचारण न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध करते समय इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने में असफल रहा है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए उसके द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन का भरपूर अवलंब लेकर गलती की है । उप-निरीक्षक हरी राम ने यह स्वीकार किया है कि कोई भी शनाख्त परेड नहीं कराई गई थी । मानसो देवी के अनुसार अभियुक्तों के चेहरे आंखों के नीचे से कपड़े से ढके हुए थे । उन्हें पुलिस थाने बुलाया गया था और पाउंटा साहिब पुलिस थाने में उनसे अभियुक्तों की शनाख्त कराई गई थी । इस प्रकार, अभियुक्तों की शनाख्त साबित नहीं की गई है और पश्चात्वर्ती प्रकटीकरण कथन पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता । चूंकि पक्षकार अभियुक्तों को पहले से नहीं जानते थे, इसलिए इस मामले में शनाख्त परेड कराना आवश्यक था । अभियुक्त की शनाख्त से संबंधित साक्ष्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन अग्राह्य है । मामले पर एक अन्य पहलू से भी विचार किया जना अपेक्षित है । मानसो देवी के अनुसार ग्रामवासियों ने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस उनके घर पर 8.00 या 8.30 बजे पूर्वाह्न में आई । परमा नन्द ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि

मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई । तथापि, जीत सिंह ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि गुप्त सूचना प्राप्त होने पर वह घटनास्थल पर पहुंचा । इस बात से भी अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है । (पैरा 17, 18, 19, 20 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2003]	2003 क्रिमिनल ला जर्नल 4280 : **दिलीप महेन्द्र थापा और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;**	24
[2002]	(2002) 9 एस. सी. सी. 744 : **गोपाल और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;**	23
[1955]	ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 104 : **रामकिशन मिठनलाल शर्मा और अन्य** बनाम **बाम्बे राज्य** ।	22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 94.

2009 के सेशन विचारण मामला सं. 18-एस.टी./7 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 27 नवंबर, 2012 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री भूपिन्दर आहूजा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री नीरज के. शर्मा

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा – यह अपील 2009 के सेशन विचारण मामला सं. 18-एस.टी./7 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 27 नवंबर, 2012 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्व प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त (इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" निर्दिष्ट किया गया है) को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 458, 395, 342 और 120ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया और विचारण भी किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसे दंड संहिता की धारा 342 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और 6 मास का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 458 के अधीन 5 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और

5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 395 के अधीन 7 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 10,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसके व्यतिक्रम किए जाने पर 1 वर्ष का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया । उसे दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन 2 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास का साधारण कारावस भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया । अधिनिर्णीत किए गए सभी सारभूत् दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का आदेश किया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि परमा नन्द (अभि. सा. 10) अपने ग्राम टिम्बी में सड़क के किनारे एक किरयाने की दुकान चलाता था । वह अपनी पत्नी चमेली (अभि. सा. 12), बच्चे और माता मानसो देवी (अभि. सा. 11) के साथ रहता था । तारीख 24 नवंबर, 2008 को परमा नन्द (अभि. सा. 10) ग्राम धरमा में अपनी बहिन के घर गया था । तारीख 24/25 नवंबर, 2008 की मध्य रात्रि में लगभग 1.30 बजे 2 अज्ञात व्यक्तियों ने "लालाजी" कहकर बाहर से आवाज लगाई और पेट्रोल मांगा । परमा नन्द (अभि. सा. 10) की पत्नी चमेली देवी (अभि. सा. 12) ने उत्तर दिया कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है और उसके पश्चात् उन्होंने चमेली देवी से कहा कि वे उसके पति को कुछ रकम का भुगतान करना चाहते हैं । चमेली देवी ने उनसे अगले दिन आने को कहा । इसके पश्चात्, उन्होंने चमेली से पानी मांगा जो उसने दरवाजे के जंगले में से दिया और गिलास वापस ले लिया । इसके पश्चात् 3 व्यक्ति मानसो देवी (अभि. सा. 11) के कमरे में आए । उनमें से 2 व्यक्तियों ने मानसो देवी को दबोच लिया और तीसरे व्यक्ति ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे बाहर बरामदे में ले आए । जब मानसो देवी ने चीख-पुकार की, हमलावरों ने उसे धमकी दी । आवाज सुनकर उसकी पुत्रवधु चमेली बाहर आई । हमलावरों में से 1 व्यक्ति ने मानसो देवी की गर्दन पर चाकू रख दिया और यह धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो वह उसकी हत्या कर देगा । इसके पश्चात्, दोनों महिलाओं को कमरे में ले जाया गया । हमलावरों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे । मानसो देवी (अभि. सा. 11) और चमेली देवी (अभि. सा. 12), दोनों को उस कमरे में निरुद्ध कर दिया जहां बच्चे सो रहे थे और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया । थोड़ी देर बाद, हमलावर पुनः आए और

उन्होंने महिलाओं के हाथ चुन्नी से बांध दिए । इसके पश्चात्, उन्होंने एक कमरे की अलमारी का ताला तोड़ा और तीसरे कमरे में एक ट्रंक तोड़कर खोला । उन्होंने सभी आभूषण, नकदी, कपड़े, एक सूटकेश, बिस्तर की चादरें, सी. डी. प्लेयर, रिमोट कंट्रोल और डिश रिसीवर वहां से उठा लिए । हमलावरों के साथ 2/3 अन्य अभियुक्त भी सम्मिलित हो गए । मकान में डकैती कारित करने के पश्चात्, वे परमा नन्द (अभि. सा. 10) की दुकान पर गए और उन्होंने दुकान का ताला तोड़कर खोला । उन्होंने जूते और नकदी दुकान में से उठा ली । इसके पश्चात्, वे मानसो देवी (अभि. सा. 11) के घर गए, रसोई में चाय तैयार की और चाय पीने के पश्चात् वहां से चले गए । मानसो देवी (अभि. सा. 11) ने वाहन के चालू होने की आवाज सुनी । उनके मकान में की गई चोरी का पता चलने के पश्चात् प्रातःकाल लगभग 6/7 बजे ग्रामवासी उनके घर पर आए । सह-ग्रामवासियों ने परमा नन्द (अभि. सा. 10) से टेलीफोन द्वारा संपर्क किया और घटना के बारे में बताया । परमा नन्द अपने ग्राम के लिए तुरंत रवाना हुआ । उसने अपनी माता के कमरे में रखी अलमारी को देखा जिसका ताला टूटा हुआ था । चांदी और सोने के आभूषण, जिनकी कीमत 20,000/- रुपए थी, चोरी किए गए पाए गए । इसके पश्चात, उसने अपने कमरे में रखी लकड़ी की अलमारी का मुआयना किया । उसकी सिटकनी टूटी हुई थी । 80,000/- रुपए चोरी पाए गए । तारीख 25 नवंबर, 2008 को पुलिस उप-निरीक्षक जीत सिंह (अभि. सा. 22) को उस ग्राम के परमा नन्द (अभि. सा. 10) के मकान में डकैती के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई । उप-निरीक्षक ने घटनास्थल से आवश्यक सामग्री बरामद की । तारीख 26 दिसंबर, 2008 को उसने 8 अभियुक्तों से पूछताछ की जिन्हें बैंक डकैती के एक अन्य मामले (2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 71) में गिरफ्तार किया गया था । उनमें से 4 अभियुक्तों को अर्थात् प्रमोद कुमार, बलबीर सिंह, रमेश कुमार और बंटी को इस मामले में आलिप्त पाया गया । तारीख 6 जनवरी, 2009 को अभियुक्त बंटी ने पुलिस अभिरक्षा में प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) दिया और इस कथन के आधार पर अभियुक्त बंटी ने सी. ड़ी प्लेयर (प्रदर्श पी-6), जूते (प्रदर्श पी-8) और स्वेटर (प्रदर्श पी-7) बरामद कराए जिन्हें ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ए) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । अन्वेषण पूरा होने और सभी औपचारिकताओं के समापन के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ।

3. अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 342, 458, 395 और 120ख

के अधीन आरोपित किया गया । उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियुक्त बंटी फरार हो गया और उसे उद्घोषित अपराधी अभिनिर्धारित किया गया । शेष अभियुक्तों का विचारण किया गया और विचारण के अंत में विचारण न्यायालय ने अभियुक्त बलबीर सिंह, सूरज और बबलू **उर्फ** नोना को दंड संहिता की धारा 342, 458, 395 और 120ख के अधीन दोषसिद्ध किया । इस न्यायालय ने दांडिक अपील सं. 33/2011, 64/2011 और 204/2011 में तारीख 30 सितंबर, 2011 के निर्णय द्वारा अभियुक्त बलबीर को दोषमुक्त कर दिया जबकि सूरज और बबलू द्वारा फाइल की गई अपीलों को खारिज कर दिया । अभियुक्त बंटी को पुनः गिरफ्तार किया गया और उसका विचारण किया गया । विचारण के दौरान, 5 साक्षियों को, जिनके कथन अभियुक्त की अनुपस्थिति में पहले ही अभिलिखित किए जा चुके थे, पुनः परीक्षा के लिए बुलाया गया । अभियुक्त बंटी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया । उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित रूप में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया । इसलिए यह अपील फाइल की गई है ।

4. अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री भूपिन्दर आहूजा ने दृढतापूर्वक यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध मामला साबित करने में असफल रहा है । इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् उप-महाधिवक्ता श्री नीरज शर्मा ने तारीख 27 नवंबर, 2012 को दिए गए विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया है ।

5. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है और मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

6. बलबीर सिंह (अभि. सा. 1) ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त बंटी ने यह प्रकट किया था कि उसने एक सी. डी. प्लेयर, एक जनाना स्वेटर और एक अन्य स्वेटर अपने मकान में छिपाया था । पुलिस द्वारा उसका कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) अभिलिखित किया गया । इस साक्षी ने उक्त कथन पर अपने हस्ताक्षर किए थे ।

7. गुलाब सिंह (अभि. सा. 2), जालम सिंह (अभि. सा. 3) और लायक राम (अभि. सा. 4) के कथन औपचारिक प्रकृति के हैं ।

8. राजू राम (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह पुलिस और अभियुक्त बंटी के साथ पटियाला, सरहिन्द गया था जहां पर वे

अभियुक्त बंटी के मकान पर गए । बंटी ने एक सी. डी. प्लेयल, एक जोड़ी जूते और एक स्वेटर प्रस्तुत किया । उक्त सामान को ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/1) अनुसार कब्जे में लिया गया । राजू राम ने सी. डी. प्लेयर (प्रदर्श पी-6), स्वेटर (प्रदर्श पी-7) और जूते (प्रदर्श पी-8) की शनाख्त की । अभियुक्त बंटी ने एक पन्ना भी प्रस्तुत किया जिसे मोहरबंद करके ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/बी) के अनुसार कब्जे में लिया गया । राजू राम ने पन्ने की शनाख्त प्रदर्श पी-9 के अनुसार की ।

9. राम स्वरूप (अभि. सा. 6) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया । इस साक्षी के अनुसार, इन वस्तुओं को बेचने के लिए उसके पास कोई भी नहीं आया था ।

10. अभि. सा. 7 से अभि. सा. 9 के कथन औपचारिक प्रकृति के हैं ।

11. परमा नन्द (अभि. सा. 10) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 24 नवंबर, 2008 को वह ग्राम धरमा में अपनी बहिन के घर गया था । उसे डकैती के बारे में सूचना मिली । वह तारीख 25 नवंबर, 2008 को प्रातःकाल अपने घर वापस चला गया । सोने और सिल्वर के आभूषण तथा 20,000/- रुपए की नकदी चोरी पाई गई । 80,000/- रुपए की नकदी अलमारी में रखी हुई थी और वह भी चोरी पाई गई । मामले की सूचना पुलिस को दी गई । उसकी माता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन कथन दिया । पुलिस ने उस मकान में हुई चोरी के संबंध में स्थल-नक्शा तैयार किया ।

12. श्रीमती मानसो देवी (अभि. सा. 11) और चमेली (अभि. सा. 12) महत्वपूर्ण साक्षी हैं ।

13. श्रीमती मानसो देवी (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसका पुत्र किरयाने की दुकान चलाता है । वह पिछले 20-25 वर्षों से उद्यान-विभाग में बेलदार का कार्य कर रही है । उसका पुत्र परमा नन्द (अभि. सा. 10) ग्राम धरमा में अपनी बहिन के घर गया था । वह उस रात अपनी पुत्रवधु और बच्चों के साथ थी । 24/25 नवंबर, 2008 की रात्रि में लगभग 1.00 या 1.30 बजे 3 व्यक्ति उस कमरे में आए जिसमें वह सो रही थी । उनमें से दो व्यक्तियों ने उसकी बाहें पकड़ लीं और तीसरे व्यक्ति ने बाल पकड़ लिए और उसे कमरे के बाहर बरामदे में ले आए । उसके चीखने पर हमलावरों ने उसे जान से मारने की धमकी दी । शोर सुनने के पश्चात् उसकी पुत्रवधु चमेली देवी बाहर आई और उन्होंने उसकी

गर्दन पर चाकू रख दिया और धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो वे उसकी हत्या कर देंगे । हमलावर दोनों महिलाओं को मकान के अंदर ले गए । हमलावरों के चेहरे आंखों के नीचे कपड़े से ढके हुए थे । उन्हें बच्चों के साथ कमरे में निरुद्ध कर दिया गया और उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया । थोड़ी देर बाद हमलावरों ने चुन्नी से उनके हाथ बांध दिए । इसके पश्चात्, हमलावरों ने एक कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़ दिया और तीसरे कमरे में रखी संदूक को भी खोल लिया । हमलावरों ने आभूषण, नकदी, कपड़े, एक सूटकेस, बिस्तर की चादर और सी. डी. प्लेयर निकाल लिए । इसके पूर्व 2-3 व्यक्ति भी हमलावरों के साथ आकर सम्मिलित हो गए । कमरे में सामान उठा लेने के पश्चात् वे दुकान पर गए और वहां ताला तोड़ दिया । उन्होंने दुकान में रखे हुए जूते और नकदी उठा ली । इसके पश्चात्, वे वापस आए और रसोई में रखी चाय और दूध पिया । इसके पश्चात्, वे वाहन में बैठकर चले गए और इस साक्षी ने उनके वाहन की आवाज सुनी थी । लगभग 6.00 या 7.00 बजे पूर्वाह्न में ग्रामवासी चोरी की जानकारी मिलने पर उनके घर आए । मानसो देवी (अभि. सा. 11) के अनुसार अभियुक्त लगभग 3.00 बजे रात्रि में घटनास्थल से गए थे । ग्रामवासियों ने इस साक्षी के पुत्र को टेलीफोन किया और वह थोड़ी देर बाद वहां आया । ग्रामवासियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई । पुलिस लगभग 8.00 या 8.30 बजे पूर्वाह्न में आई । उसका कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए) अभिलिखित किया गया । पुलिस ने मानसो देवी और उसकी पुत्रवधु चमेली को पुलिस थाना पाउंटा बुलाया जिस पर वह अपनी पुत्रवधु और पुत्र के साथ उक्त थाने गई । पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हुआ था और उनसे उनकी शनाख्त करने को कहा गया कि उनमें से कौन-कौन चोरी की घटना में अंतर्वलित हैं । मानसो देवी ने अभियुक्त बंटी और रमेश को पहचान कर बताया कि उन्होंने चोरी की है । मानसो देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने घटना के पश्चात् अभियुक्त बंटी को पुलिस थाना पाउंटा में देखा था ।

14. तारीख 24 नवंबर, 2008 को चमेली देवी (अभि. सा. 12) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसका पति अपनी बहिन से मिलने ग्राम धरमा गया था । वह अपनी सास और बच्चों के साथ घर पर थी । मध्य रात्रि में लगभग 12.00 बजे उसने "लालाजी पेट्रोल चाहिए" की आवाज सुनी । इस पर उसने कमरे के अंदर से कहा कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है । इसके पश्चात्, उन्होंने कहा कि वे लाला को पैसे देने आए हैं । चमेली देवी ने

उनसे कहा कि पैसे कल दे देना । हमलावरों में से एक ने पानी मांगा वह रसोई में गई और मकान का दरवाजा खोले बिना उसने उक्त व्यक्ति को पानी दिया । उस व्यक्ति के पीछे एक और व्यक्ति खड़ा हुआ था । उस समय चन्द्रमा की रोशनी थी । अज्ञात व्यक्ति से गिलास लेने के पश्चात् वह कमरे में चली गई । कुछ मिनटों के बाद उसने अपनी सास के चिल्लाने का आवाज सुनी और वह कमरे से बाहर आई । वह बरामदे में आई जहां पर दो व्यक्ति खड़े पाए गए । उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी गर्दन पर चाकू या गुप्ती जैसा हथियार रख दिया और यह धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो वे उसकी और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर देंगे । इसके पश्चात्, उसे अपनी सास और बच्चों सहित एक कमरे में निरुद्ध कर दिया और उनके हाथ चुन्नी से बांध दिए गए । अभियुक्त उनके मकान में रखे सामान को लूटने लगे । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के लगभग एक मास पश्चात्, उसे अपनी सास के साथ पुलिस थाना पाउंटा बुलाया गया जहां पर पुलिस ने लाक-अप में कुछ व्यक्तियों को बंद किया हुआ था और उनसे उन व्यक्तियों की शनाख्त करने के लिए कहा गया जो उनके मकान में की गई चोरी की घटना में अंतर्वलित थे । इस साक्षी ने अभियुक्त बंटी की शनाख्त अन्य अभियुक्त रमेश के साथ न्यायालय में की ।

15. दलीप सिंह (अभि. सा. 1) ने फोटोचित्र (प्रदर्श 13/ए-1 से प्रदर्श 13/ए-10) खींचे ।

16. अभि. सा. 14 से अभि. सा. 20 के कथन औपचारिक प्रकृति के हैं ।

17. सहायक उप-निरीक्षक कमल नयन (अभि. सा. 21) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 19 दिसंबर, 2008 को लगभग 3.00 बजे पूर्वाह्न में उसे पुलिस थाना शिलाई से एच. पी. कोआपरेटिव बैंक, शिलाई में डकैती कारित किए जाने के संबंध में वायरलैस द्वारा संदेश प्राप्त हुआ । उसे यह सूचना दी गई कि अभियुक्त बैंक की नकदी के साथ-साथ एक चैस्ट (तिजोरी) भी वाहन में रख कर ले गए । एस. डी. पी. ओ. पाउंटा ने बाहर निकलने वाली सड़कों पर रोक लगाने का निदेश दे दिया । उसने अपने कर्मचारियों के साथ लगभग 5.30 बजे अपराह्न में उत्तराखंड सीमा से लगी किल्लोर नामक सड़क को बंद कर दिया । एक वाहन (पिक-अप वैन) उत्तराखंड की ओर से आया जिसे उन्होंने रोका । पूछताछ किए जाने पर चालक के बराबर में बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम रमेश कुमार बताया और यह बताया कि वह भैंसों का व्यापार करता है और पंजाब का निवासी

है । वह अपने हाथ में काले रंग का थैला लिए हुआ था । थैला खोलने को कहा गया जिसमें करेंसी नोट रखे हुए थे । 9 व्यक्ति पिक-अप वैन में बैठे हुए थे । आगे यह कथन किया गया कि केवल 3 व्यक्ति उसी नाम के थे अर्थात् रमेश, प्रमोद आदि । इन व्यक्तियों ने कांस्टेबलों पर हमला किया जो पिक-अप वैन में बैठे हुए थे । इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और शेष घटनास्थल से भाग गए ।

18. उप-निरीक्षक जीत सिंह (अभि. सा. 22) ने यह भी साक्ष्य दिया है कि वह ग्राम टिम्बी लगभग 8.00 बजे अपराह्न में अन्य पुलिस पदधारियों के साथ तारीख 25 नवंबर, 2008 को किसी अज्ञात व्यक्ति से गुप्त सूचना प्राप्त होने पर पहुंचे । मानसो देवी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया । उसने परमा नन्द, चमेली देवी और गुलाब सिंह के कथन भी अभिलिखित किए । उसने ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/सी) के अनुसार 3 छोटे पर्स और एक छोटा ज्वेलरी-बाक्स भी उस कमरे में से कब्जे में लिया जिसमें डकैती कारित की गई थी । उसने स्थलनक्शा भी तैयार किया ।

19. हरि राम (अभि. सा. 23) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे तारीख 25 दिसंबर, 2008 को इस मामले का आगे अन्वेषण करने का फाइल प्राप्त हुई थी । उसने परमा नन्द, चमेली देवी और मानसो देवी के कथन अभिलिखित किए । तारीख 26 दिसंबर, 2008 को उसने 8 अभियुक्तों से पूछताछ की जिन्हें बैंक डकैती के एक मामले (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 71/2008) में गिरफ्तार किया गया था । 4 अभियुक्तों अर्थात् प्रमोद, बलबीर, रमेश और बंटी को इस अपराध में आलिप्त पाया गया । तारीख 8 जनवरी, 2009 को अभियुक्त बंटी पुलिस को रोशन कालोनी, ओल्ड राजपुरा स्थित अपने मकान पर लेकर गया जहां से पुलिस ने गोदरेज अलमारी, सी. डी. प्लेयर (प्रदर्श पी-6), जूते (प्रदर्श पी-8), लेडीज स्वेटर (प्रदर्श पी-7) बरामद किए और उन्हें ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ए) द्वारा कब्जे में लिया गया । अभियुक्त ने अपने मकान से लोहे का एक पाना भी बरामद कराया जिसे ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/बी) के अनुसार कब्जे में लिया गया । लोहे का पाना (प्रदर्श पी-9) है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त की शनाख्त करने के लिए मानसो देवी और चमेली देवी को नहीं बुलाया था ।

20. रुक्के (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए) की अंतर्वस्तु के अनुसार, जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया

गया है, अभि. सा. 11 बेलदार था । वह अपने पुत्र परमा नन्द (अभि. सा. 10) और पुत्रवधु चमेली देवी (अभि. सा. 12) तथा बच्चों के साथ रहती थी । उसका पुत्र तारीख 24 नवंबर, 2008 को अपनी बहिन कमला देवी से मिलने गया था । वह अपनी पुत्रवधु के साथ घर पर थी । तारीख 25 नवंबर, 2008 को लगभग 1.00 बजे पूर्वाह्न में उसके कमरे पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने दस्तक दी । उसे कमरे के बाहर बरामदे में घसीट कर लाया गया । उसे धमकी दी गई । उसे अपनी पुत्रवधु और बच्चों के साथ एक कमरे में निरुद्ध कर दिया गया । इसके पश्चात् चोरी की गई ।

21. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए से यह स्पष्ट होता है कि दरवाजा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खटखटाया गया था । मानसो देवी (अभि. सा. 11) ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तों के चेहरे आंखों के नीचे कपड़ों से ढके हुए थे । उनके घर में चोरी होने के पश्चात् 25 दिन के बाद शिलाई में एक और चोरी की घटना घटित हुई । पुलिस ने उसे और उसकी पुत्रवधु चमेली को पुलिस थाना, पाउंटा साहिब बुलाया । पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हुआ था और उनसे उन व्यक्तियों में से शनाख्त करने को कहा कि उनमें से कोई व्यक्ति उक्त चोरी में अंतर्वलित था या नहीं । मानसो देवी ने अभियुक्त बंटी और रमेश को पहचान कर बताया कि उन्होंने इस चोरी की घटना में भाग लिया है । इसी प्रकार, चमेली (अभि. सा. 12) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि इस घटना के लगभग 1 मास पश्चात् उसको अपनी सास के साथ पुलिस थाना पाउंटा बुलाया गया था जहां पर पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को लाक-अप में बंद कर रखा था और उनसे चोरी कारित किए जाने के अपराध में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की शनाख्त करने को कहा गया । चमेली ने अभियुक्त रमेश के साथ न्यायालय में मौजूद अभियुक्त बंटी की शनाख्त की । तथापि, उप-निरीक्षक हरी राम (अभि. सा. 23) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त की शनाख्त करने के लिए मानसो देवी और चमेली देवी को कभी भी नहीं बुलाया । अभियुक्त की अभिकथित शनाख्त पुलिस थाने में की गई है । पुलिस थाने में की गई अभियुक्त की शनाख्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन स्वीकार्य नहीं है । इसे अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता । विद्वान् विचारण न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध करते समय इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने में असफल रहा है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए उसके द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन का भरपूर अवलंब लेकर गलती की

है । उप-निरीक्षक हरी राम (अभि. सा. 23), जैसाकि इसमें इसके ऊपर उल्लेख किया गया है, ने यह स्वीकार किया है कि कोई भी शनाख्त परेड नहीं कराई गई थी । मानसो देवी (अभि. सा. 11) के अनुसार अभियुक्तों के चेहेरे आंखों के नीचे से कपड़े से ढके हुए थे । उन्हें पुलिस थाने बुलाया गया था और पाउंटा साहिब पुलिस थाने में उनसे अभियुक्तों की शनाख्त कराई गई थी । इस प्रकार, अभियुक्तों की शनाख्त साबित नहीं की गई है और पश्चात्वर्ती प्रकटीकरण कथन पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता । चूंकि पक्षकार अभियुक्तों को पहले से नहीं जानते थे, इसलिए इस मामले में शनाख्त परेड कराना आवश्यक था । अभियुक्त की शनाख्त से संबंधित साक्ष्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन अग्राह्य है । मामले पर एक अन्य पहलू से भी विचार किया जना अपेक्षित है । मानसो देवी (अभि. सा. 11) के अनुसार ग्रामवासियों ने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस उनके घर पर 8.00 या 8.30 बजे पूर्वाह्न में आई । परमा नन्द (अभि. सा. 10) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई । तथापि, जीत सिंह (अभि. सा. 22) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि गुप्त सूचना प्राप्त होने पर वह घटनास्थल पर पहुंचा । इस बात से भी अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है ।

22. **रामकिशन मिठनलाल शर्मा और अन्य** बनाम **बाम्बे राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे मामले में जिसमें सभी शनाख्त परेडें पुलिस अधिकारियों द्वारा निदेशित और पर्यवेक्षित की जाती हैं और उनमें पंच साक्षियों की भूमिका बहुत कम होती है, तब ऐसी शनाख्त पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 लागू होगी और अभियुक्तों के विरुद्ध की गई ऐसी शनाख्त परेड साक्ष्य की दृष्टि से अग्राह्य होगी । इस संबंध में निम्न अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "19. ..... अतः कलकत्ता और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों द्वारा मानसिक कृत्य द्वारा की गई शनाख्त और शनाख्त करने वाले द्वारा उस शनाख्त को अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष संसूचित करने के बीच जो अंतर व्यक्त किया गया है वह पूर्णतया तर्कसम्मत है और ऐसी संसूचना अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी को शनाख्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन की कोटि में आती है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन वर्जित है । इस प्रकार

---

[1] ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 104.

शनाख्त करने का भौतिक तथ्य शनाख्त करने की प्रक्रिया से संबंधित कथन से भिन्न नहीं है और जहां तक ऐसी शनाख्त के तथ्य को पुलिस द्वारा साबित किए जाने का संबंध है तब धारा 162 लागू होगी और इस प्रकार की गई शनाख्त साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी, शनाख्त करने वाले व्यक्ति की मानसिक दशा को दृष्टिगत करते हुए उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य का केवल इस अपवाद के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है कि विचारण के दौरान अभियुक्त की शनाख्त के साथ सम्पुष्टि कर सके । अतः हम कलकत्ता और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मतों का अनुमोदन मद्रास उच्च न्यायालय और न्यायिक आयुक्त, नागपुर द्वारा व्यक्त किए गए मत को वरीयता देते हुए करते हैं ।

.....

21. विद्वान् महाधिवक्ता यह दलील देते यदि शनाख्त परेड का प्रबंध करने के पश्चात् पुलिस ने पूर्णतया पंचसाक्षियों को परेड में शामिल किया होता । पुलिस अधिकारी निश्चय ही परेड कराने का प्रबंध करते, उन व्यक्तियों को बुलाते जिन्हें शनाख्त परेड के दौरान अभियुक्त के साथ खड़ा किया जाता और वे उन पंचसाक्षियों को भी बुलाते जिन्हें शनाख्त परेड करानी थी । किंतु जब एक बार पंचसाक्षियों को इस प्रयोजन के लिए बुलाया जाता है, तब शनाख्त परेड की संपूर्ण प्रक्रिया पंचसाक्षियों के एकमात्र निदेश और सर्वेक्षण के अधीन होनी चाहिए ।

यदि पंचसाक्षियों ने शनाख्त करने वाले साक्षियों द्वारा कराए जाने वाली शनाख्त परेड के प्रयोजन को स्पष्ट किया होता, और शनाख्त परेड की प्रक्रिया उनके एकमात्र निदेश और सर्वेक्षण के अधीन कराई जाती, तब शनाख्त परेड की प्रक्रिया से संबंधित कथन पंचसाक्षियों के कथन के रूप में माने जाते जो धारा 162 के परिधि के बाहर होते ।

तथापि, वर्तमान मामले में की गई शनाख्त परेड के संबंध में पुलिस अधिकारी शनाख्त परेड की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान मौजूद थे और पंचसाक्षियों को केवल यह साबित करने के लिए सम्मिलित किया गया था कि शनाख्त परेड कराए जाने की प्रक्रिया में यह विधि की अपेक्षा है जिसका पूर्णतया समाधान किया जाना चाहिए । जब कमरे में शनाख्त करने वाले साक्षियों को एक के बाद एक लाया गया था और अभियुक्तों की शनाख्त की गई थी तब पुलिस अधिकारी न

केवल मौजूद थे अपितु उन्होंने पंचनामा तैयार किया, उसे पढ़कर सुनाया और उसकी अंतर्वस्तु को पंचसाक्षियों को समझाया और उस पर पंचसाक्षियों द्वारा किए गए हस्ताक्षरों को अनुप्रमाणित किया जो उन्होंने पंचनामे के अंत में पंचसाक्षियों से करवाए थे ।

इस प्रकार, शनाख्त परेड की संपूर्ण प्रक्रिया पुलिस अधिकारियों द्वारा निदेशित और पर्यवेक्षित की गई थी और पंचसाक्षियों ने इस परेड में बहुत कम भाग लिया था और वे केवल मात्र इस कारण परेड में सम्मिलित किए गए थे कि विधि की अपेक्षा का समाधान हो जाए । इन परिस्थितियों में हमें यह अभिनिर्धारित करते हुए अत्यंत संकोच हो रहा है कि शनाख्त परेड के दौरान शनाख्त करने वाले साक्षियों के यदि कोई कथन पंचसाक्षियों को दिए गए थे न कि पुलिस अधिकारियों को, तब भी पुलिस अधिकारियों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के उपबंध से बचने के लिए यह अवसर था कि उन्होंने केवल औपचारिता के लिए पंचसाक्षियों को शनाख्त परेड में मौजूद होने के लिए कहा ताकि वे यह प्रतिवाद कर सके कि शनाख्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा जो कथन दिए गए हैं वे पंचसाक्षियों को दिए गए हैं न कि पुलिस अधिकारियों को । अतः हमारी यह राय है कि अभियुक्त 4 के संबंध में की गई शनाख्त परेडें, जोकि 16 जनवरी, 1952 और 22 जनवरी, 1952 के बीच कराई गई थीं, धारा 162 की परिधि की अंतर्गत आती हैं और अभियुक्त 4 के विरुद्ध शनाख्त किए जाने से संबंधित साक्ष्य अग्राह्य है ।"

23. **गोपाल और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले और उससे संबंधित अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रश्न पूछे जाने पर हमलावरों की शनाख्त से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं दे पाता है तब ऐसी स्थिति में अन्वेषण अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह शनाख्त परेड कराए । इस संबंध में निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"12. अनुकल्पतः विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि शनाख्त परेड अन्वेषण अधिकारी द्वारा कराई जानी चाहिए और ऐसी परेड के न कराए जाने से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का महत्व कम हो जाता है । शनाख्त परेड अन्वेषण अधिकारी के लिए आवश्यक है

---

[1] (2002) 9 एस. सी. सी. 744.

यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी से पूछे जाने पर वह हमलावरों की शनाख्त के संबंध में कोई साक्ष्य न दे सके । वर्तमान मामले में हमने यह पाया है कि अभि. सा. 1 ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में ही हमलावरों के नामों के ब्यौरे दिए हैं । ऐसी स्थिति में कोई भी अन्वेषण अधिकारी आमतौर पर शनाख्त परेड कराना नहीं चाहेगा ।"

24. **दिलीप महेन्द्र थापा और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में बाम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई शनाख्त परेड नहीं कराई जाती है और यह दावा किया जाता है कि साक्षियों ने अपीलार्थियों को उसी समय पहचान लिया था जब वे पुलिस वाहन से नीचे उतर रहे थे, यह कथन पुलिस को दिए गए कथन की कोटि में आएगा जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन वर्जित है और शनाख्त से संबंधित ऐसा साक्ष्य महत्वहीन है । इस संबंध में निम्न अभिनिर्धारित किया गया है :–

"5. इन तीनों निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई साक्षी न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त करता है, जब वह विचारण के दौरान साक्ष्य देता है और जब अभियुक्त उसके लिए अजनबी होता है, तब शनाख्त से संबंधित ऐसा साक्ष्य शनाख्त परेड न कराए जाने की स्थिति में, महत्वहीन हो जाता है । इस मामले में, कोई भी शनाख्त परेड नहीं कराई गई है । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य यह है कि अभियोजन साक्षी राज चंद्रवानी ने इन सभी अपीलार्थियों को वकोला पुलिस थाने में उस समय देखा था जब वे पुलिस वाहन से नीचे उतर रहे थे और इससे अधिक उन्होंने कुछ नहीं कहा । रामकिशन मिठनलाल शर्मा और अन्य **बनाम** बाम्बे राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 104 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस की उपस्थिति में किसी साक्षी द्वारा की गई शनाख्त, अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी को दिए गए कथन की कोटि में आएगी जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के उपबंधों के अधीन ग्राह्य नहीं होगी । इस प्रकार, अभियोजन साक्षी राजू चंद्रवानी का साक्ष्य पुलिस के समक्ष की गई अपीलार्थियों की शनाख्त के संदर्भ में, जैसाकि ऊपर उपदर्शित किया गया है, अभियोजन पक्ष के लिए

---

[1] 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 4280.

पूर्णतया व्यर्थ है । यदि इसे अनदेखा कर दिया जाए, तब अभियोजन साक्षी राजू चंद्रवानी का सशपथ कथन शेष रह जाता है जिसमें उसने न्यायालय में अपीलार्थियों की शनाख्त की है । यह घटना वर्ष 1994 की है और यह साक्षी वर्ष 1998 में साक्ष्य दे रहा है । चूंकि इस साक्षी ने लगभग 4 वर्ष के बाद साक्ष्य दिया है और सभी अपीलार्थी उसके लिए अजनबी हैं, तब ऐसी स्थिति में दोषसिद्धि करने के लिए इसे ठोस साक्ष्य नहीं कहा जा सकता ।

6. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने साक्ष्य पर समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है और सरसरीतौर पर ही इसका परिशीलन किया है, अतः न्यायाधीश ने इस साक्ष्य को स्वीकार करने और उसके आधार पर दोषसिद्धि करने में त्रुटि की है । जब निर्णय में ऐसे कारण दिए गए हों जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता हो कि अपीलार्थी दोषी हैं, तब ऐसे निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता । इसे अपास्त किया जाना चाहिए । अपीलार्थियों को उन पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।"

25. तदनुसार अपील मंजूर की जाती है । 2009 के सेशन विचारण मामला सं. 18-एस.टी./7 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 27 नवंबर, 2012 को दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है । अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए, दंड संहिता की धारा 458, 395, 342 और 120ख के अधीन विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यदि अभियुक्त द्वारा जुर्माने की कोई रकम संदत्त की गई है, उसका उसे प्रतिदाय किए जाने का आदेश किया जाता है । चूंकि अभियुक्त जेल में है, यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल छोड़ा जाए ।

26. रजिस्ट्री विभाग को यह निदेश दिया जाता है कि वह अभियुक्त को छोड़े जाने के संबंध में वारंट तैयार करे और उसे संबद्ध जेल अधीक्षक को इस निर्णय के अनुसरण में तत्काल भेजे ।

अपील मंजूर की गई ।

अस./पा.

संसद् के अधिनियम

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

(1974 का अधिनियम संख्यांक 2)

[25 जनवरी, 1974]

दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है :

परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न, उपबंध, –

(क) नागालैंड राज्य को ;

(ख) जनजाति क्षेत्रों को,

लागू नहीं होंगे, किंतु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को, यथास्थिति, संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपान्तरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, "जनजाति क्षेत्र" से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले, संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं ।

(3) यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** – इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "जमानतीय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और "अजमानतीय अपराध" से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है ;

(ख) "आरोप" के अंतर्गत, जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों, आरोप का कोई भी शीर्ष है ;

(ग) "संज्ञेय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और "संज्ञेय मामला" से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें, पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है ;

(घ) "परिवाद" से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है ;

स्पष्टीकरण – ऐसे किसी मामले में, जो अन्वेषण के पश्चात् किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है, परिवादी समझा जाएगा ;

(ङ) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है, –

(i) किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य का उच्च न्यायालय ;

(ii) किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय ;

(iii) किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न, उस संघ राज्यक्षेत्र के लिए दाण्डिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय ;

(च) "भारत" से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन पर इस संहिता का

विस्तार है ;

(छ) "जांच" से, अभिप्रेत है विचारण से भिन्न, ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए ;

(ज) "अन्वेषण" के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या (मजिस्ट्रेट से भिन्न) किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाएं ;

(झ) "न्यायिक कार्यवाही" के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है ;

(ञ) किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में "स्थानीय अधिकारिता" से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है [1][और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे] ;

(ट) "महानगर क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है ;

(ठ) "असंज्ञेय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और "असंज्ञेय मामला" से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारण्ट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता है ;

(ड) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ढ) "अपराध" से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है ;

(ण) "पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी" के अंतर्गत, जब

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है, जो ऐसी अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कान्स्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निदेश दे तब, इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है ;

(त) ''स्थान'' के अंतर्गत गृह, भवन, तम्बू, यान और जलयान भी हैं ;

(थ) किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर ''प्लीडर'' से, ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि-व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है, जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है ;

(द) ''पुलिस रिपोर्ट'' से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है ;

(ध) ''पुलिस थाना'' से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी हैं ;

(न) ''विहित'' से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(प) ''लोक अभियोजक'' से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निदेशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है ;

(फ) ''उपखण्ड'' से जिले का उपखण्ड अभिप्रेत है ;

(ब) ''समन-मामला'' से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारण्ट-मामला नहीं है ;

[1][(बक) ''पीड़ित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और "पीड़ित" पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है ;]

(भ) "वारण्ट-मामला" से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध से संबंधित है ;

(म) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में हैं ।

3. निर्देशों का अर्थ लगाना – (1) इस संहिता में –

(क) विशेषक शब्दों के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ;

(ii) महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ;

(ख) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति और महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ;

(ग) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का, –

(i) किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ;

(ii) किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ;

(घ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ।

(2) इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश है ।

(3) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व पारित किसी अधिनियमिति में, –

(क) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ;

(ख) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट या तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ;

(ग) प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्रमशः महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ;

(घ) महानगर क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे महानगर क्षेत्र के प्रति निर्देश है, और प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ।

(4) जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित हैं, –

(क) जिनमें साक्ष्य का अधिमूल्यन अथवा सूक्ष्म परीक्षण या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्वलित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति की अथवा अन्वेषण, जांच या विचारण होने तक अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, वहां वे कृत्य इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं ; या

(ख) जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी या अभियोजन वापस लेना, वहां वे यथापूर्वोक्त के अधीन

रहते हुए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं ।

4. भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार – (1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

(2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए, की जाएगी ।

5. व्यावृत्ति – इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

अध्याय 2

दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन

6. दंड न्यायालयों के वर्ग – उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे, अर्थात् :–

(i) सेशन न्यायालय ;

(ii) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट ;

(iii) द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ; और

(iv) कार्यपालक मजिस्ट्रेट ।

7. प्रादेशिक खंड – (1) प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे :

परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र, उक्त प्रयोजनों के लिए, एक पृथक् सेशन

खंड और जिला होगा ।

(2) राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है ।

(3) राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है ।

(4) किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे ।

8. महानगर क्षेत्र – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकती है कि उस तारीख से ; जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा ।

(2) इस संहिता के प्रारंभ से, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेन्सी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर, उपधारा (1) के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे ।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम रह जाए ।

(4) जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम हो जाती है वहां ऐसा क्षेत्र, ऐसी तारीख को और उससे, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा ; किंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जांच, विचारण या अपील जो ऐसे न रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र हो ।

(5) जहां राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन, किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है या परिवर्तित करती है वहां ऐसी जांच, विचारण या अपील पर जो ऐसे कम करने या परिवर्तन के ठीक पहले

किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी ऐसे कम करने या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसी प्रत्येक जांच, विचारण या अपील इस संहिता के आधीन उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तन न हुआ हो ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, "जनसंख्या" पद से नवीनतम पूर्ववर्ती जनगणना में यथा अभिनिश्चित वह जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं ।

9. सेशन न्यायालय – (1) राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी ।

(2) प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है ।

(4) उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी अवस्था में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकता है जिनका उच्च न्यायालय निदेश दे ।

(5) जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है वहां उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेन्ट आवेदन के, जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है, अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी ।

(6) सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; किंतु यदि किसी विशेष मामले में, सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी तो वह, अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस

स्थान पर बैठक कर सकता है ।

स्पष्टीकरण – इस संहिता के प्रयोजनों के लिए "नियुक्ति" के अंतर्गत सरकार द्वारा संघ या राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी सेवा या पद पर किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति, पद-स्थापना या पदोन्नति नहीं है जहां किसी विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति, पद-स्थापना या पदोन्नति सरकार द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

10. सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना – (1) सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं ।

(2) सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम, समय-समय पर बना सकता है ।

(3) सेशन न्यायाधीश, अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, किसी अर्जेण्ट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश न हो तो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है ; और यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है ।

11. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय – (1) प्रत्येक जिले में (जो महानगर क्षेत्र नहीं है) प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय, ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें :

[1][परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए, प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय, किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है और जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिनके विचारण के

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया ।

लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है ।]

(2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(3) उच्च न्यायालय, जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो, किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है ।

12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि – (1) उच्च न्यायालय, प्रत्येक जिले में (जो महानगर क्षेत्र नहीं है) एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा ।

(2) उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां, जिनका उच्च न्यायालय निदेश दे, होंगी ।

(3)(क) उच्च न्यायालय आवश्यकतानुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकता है ।

(ख) प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न) न्यायिक मजिस्ट्रेटों के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी, जैसी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, और वह उनका प्रयोग करेगा ।

13. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट – (1) यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, [1][किसी स्थानीय क्षेत्र में, जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में] द्वितीय

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 4 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है :

परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे ।

[1][(3) उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है ।]

14. न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता – (1) उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे, जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाएं :

[2][परंतु विशेष मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर, जिसके लिए वह स्थापित किया गया है, किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है ।]

(2) ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा ।

[3][(3) जहां धारा 11 या धारा 13 या धारा 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार, यथास्थिति, उस जिले या महानगर क्षेत्र के, जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठकें करता है, बाहर किसी क्षेत्र तक है वहां इस संहिता में सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित ।

[2] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया ।

[3] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित ।

अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, यथास्थिति, सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ।]

15. न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना – (1) प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा ।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में, समय-समय पर, इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है ।

16. महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय – (1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय, ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(3) प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में सर्वत्र होगा ।

17. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट – (1) उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा ।

(2) उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को, इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां, जिनका उच्च न्यायालय निदेश दे, होंगी ।

18. विशेष महानगर मजिस्ट्रेट – (1) यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या

जिसने कोई पद धारण किया है, अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के मामलों के [1]*** संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है :

परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे ।

[2][(3) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को, महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है ।]

19. महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना – (1) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा ।

(2) उच्च न्यायालय, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए परिनिश्चित कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक, यदि कोई हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा ।

(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आबंटन के बारे में, समय-समय पर, इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा ।

20. कार्यपालक मजिस्ट्रेट – (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को, जितने वह उचित समझे,

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 6 द्वारा "साधारणतया मामलों के" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 6 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी ।

(2) राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की [1][वे] शक्तियां होंगी, [2][जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे] ।

(3) जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणामस्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक, क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हों ।

(4) राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भारसाधक बना सकती है और उसको भारसाधन से मुक्त कर सकती है और इस प्रकार किसी उपखंड का भारसाधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा ।

[3][(4क) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियां, जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।]

(5) इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रवारित नहीं करेगी ।

21. विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट – (1) राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 7 द्वारा "सब या कोई" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

ऐसी शक्तियां, जिन्हें वह उचित समझे, इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर सकती है ।

22. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता – (1) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे, जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाएं ।

(2) ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उनके सिवाय, प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा ।

23. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना – (1) अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और (उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न) प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपखंड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होगा ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आबंटन के बारे में समय-समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है ।

[1][**24. लोक अभियोजक** – (1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, यथास्थिति, केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है ।

(2) केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है ।

(3) प्रत्येक जिले के लिए, राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है :

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 8 द्वारा धारा 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परंतु एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी, यथास्थिति, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है ।

(4) जिला मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो, उसकी राय में, उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य है ।

(5) कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा (4) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में न हो ।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है वहां राज्य सरकार ऐसा काडर, गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी :

परंतु जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है वहां राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से, यथास्थिति, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है ।

[1][**स्पष्टीकरण** – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर" से अभियोजन अधिकारियों का वह काडर अभिप्रेत है, जिसमें लोक अभियोजक का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पद सम्मिलित है और जिसमें उस पद पर सहायक लोक अभियोजक की, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पदोन्नति के लिए उपबंध किया गया है ;

(ख) "अभियोजन अधिकारी" से लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने के लिए इस संहिता के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ।]

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

(7) कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो ।

(8) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजनों के लिए किसी अधिवक्ता को, जो कम से कम दस वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है :

[1][परंतु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को, अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।]

(9) उपधारा (7) और उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए उस अवधि के बारे में, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवाएं की हैं (चाहे इस संहिता के प्रारंभ के पहले की गई हों या पश्चात्) यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है ।

25. सहायक लोक अभियोजक – (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी ।

[2][(1क) केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है ।]

(2) जैसा उपधारा (3) में उपबंधित है उसके सिवाय, कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र होगा ।

(3) जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलभ्य नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 3 द्वारा से अंतःस्थापित ।

[2] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित ।

सकता है :

परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा –

(क) यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, जिसके बारे में आयुक्त अभियोजित किया जा रहा है, या

(ख) यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है ।

[1][**25क. अभियोजन निदेशालय** – (1) राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी, जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उप-निदेशक होंगे, जितने वह ठीक समझे ।

(2) कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम-से-कम दस वर्ष तक व्यवसाय में रहा है और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी ।

(3) अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा, जो राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा ।

(4) प्रत्येक अभियोजन उप-निदेशक, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा ।

(5) राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन, उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, जो अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा ।

(6) राज्य सरकार द्वारा, धारा 24 की, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (8) के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, और जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक, जो अभियोजन उप-निदेशक के अधीनस्थ होगा ।

(7) अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप-निदेशकों की शक्तियां तथा कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निदेशक नियुक्त

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

किया जाएगा, वे होंगे जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(8) लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में, इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे ।]

अध्याय 3

न्यायालयों की शक्ति

26. न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं – इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, –

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन किसी अपराध का विचारण –

(i) उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(ii) सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(iii) किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है :

[1][परंतु [2][भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 और धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें महिला पीठासीन हो ।]

(ख) किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है, तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब –

(i) उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(ii) किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

27. किशोरों के मामलों में अधिकारिता – किसी ऐसे अपराध का विचारण, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिसकी आयु उस तारीख को, जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए, सोलह वर्ष से कम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है ।

28. दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे – (1) उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है ।

(2) सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है ; किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी ।

(3) सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है ।

29. दंडादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे – (1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है ।

(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या [1][दस हजार रुपए] से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, दंडादेश दे सकता है ।

(3) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या [2][पांच हजार रुपए] से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, दंडादेश दे सकता है ।

(4) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 5 द्वारा "पांच हजार रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 5 द्वारा "एक हजार रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी ।

30. जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश – (1) किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णीत कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है :

परंतु वह अवधि –

(क) धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी ;

(ख) जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए, न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर, देने के लिए सक्षम है ।

(2) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णीत की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है ।

31. एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दंडादेश – (1) जब एक विचारण में कोई व्यक्ति दो या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है तब, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए, जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है, दंडादेश दे सकता है ; जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हों तब, यदि न्यायालय ने यह निदेश न दिया हो कि ऐसे दंड साथ-साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निदेश दे ।

(2) दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे :

परंतु –

(क) किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति चौदह वर्ष से अधिक की

अवधि के कारावास के लिए दंडादिष्ट नहीं किया जाएगा ;

(ख) संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है ।

(3) किसी सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग, जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं, एक दंडादेश समझा जाएगा ।

32. शक्तियां प्रदान करने का ढंग – (1) इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों से, आदेश द्वारा, सशक्त कर सकती है ।

(2) ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है ।

33. नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां – सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा, उस संहिता के अधीन कोई शक्तियां किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई हैं, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है, तब वह, जब तक, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे या न दे चुकी हो, उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

34. शक्तियों को वापस लेना – (1) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की हैं ।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान की गई थीं ।

35. न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना – (1) इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों

और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद-उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है ।

(2) जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद-उत्तरवर्ती कौन है तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के, या इसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद-उत्तरवर्ती समझा जाएगा ।

(3) जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद-उत्तरवर्ती कौन है तब, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के, या इसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या आदेशों के, प्रयोजनों के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद-उत्तरवर्ती समझा जाएगा ।

क्रमशः.....आगामी अंक में